# अर्थ एवं संख्या निदेशालय का वर्ष 2019–20 का आउट कम बजट

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउटले | | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट | समय सीमा | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | अर्थ एवं संख्या का अधिष्ठान सम्बन्धित व्यय | प्रदेश में सांख्यिकी व्यवस्था को सृदृढ करना। | 2322.61 | – | 403 कर्मचारियों / अधिकारियों का अधिष्ठान व्यय | 01 वर्ष | राज्य की विकास योजनाओं को तैयार करने में गुणवत्ता परक एवं समयबद्ध आंकडे उपलब्ध कराते हुए नीति नियोजन में सहयोग हेतु लगभग 10 अध्ययन / सर्वेक्षणों का प्रकाशन। | 01 वर्ष |
| 2 | अर्थ एवं संख्या निदेशालय / क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु भवन निर्माण | क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु भवन निर्माण। | – | 400.00 | 24–वृहत निर्माण कार्य | 01 वर्ष | वृहत निर्माण कार्य | 01 वर्ष |
| 3 | एन0आई0सी0 स्टेट यूनिट का अनुदान | एन0आई0सी0 की राज्य इकाई के रखरखाव हेतु अनुदान | 10.00 | – | एनआईसी की क्षमता में वृद्धि | 01 वर्ष | एन0आई0सी0 द्वारा विभागों को दिये जाने वाले सेवाओं में वृद्धि | 01 वर्ष |
| 4 | बीस सूत्री कार्यक्रम अधिष्ठान | बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित कार्यक्रमों के भौतिक प्रगति के अनुश्रवण हेतु अधिष्ठान व्यय। | 112.28 | – | 13 कर्मचारियों / अधिकारियों का अधिष्ठान व्यय | 01 वर्ष | राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित लाभार्थी परक योजनाओं का प्रभावी मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तथा कम से कम 02 योजनाओं का स्थलीय सत्यापन एवं मूल्यांकन व्यवस्था। | 01 वर्ष |
| 5 | अर्थ एवं संख्या विभाग का आर्थिक गणना का कियान्वयन(अधिष्ठान) (100 % के0स0) | – | 13.00 | | – | – | – | – |

# अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

आउटकम बजट 2019–20

(धनराशि रू. लाख में)

| योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटपुट) वर्ष 2019–20 | 01–04–2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटकम) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| राज्यपोषित योजनाऐं | | | | | | | | |
| मदरसों हेतु विविध अनुदान | राज्य के मदरसों में मूल–भूत सुविधाओं यथा बिजली–पानी, फर्नीचर, वॉटर प्यूरिफायर, टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था हेतु अनुदान दिया जाता है। | 20.00 | | SDG-1 | • लगभग 100 मदरसों को लाभान्वित किये जाने क लक्ष्य। | | 10 Madrasa | 01वर्ष |
| | | | | | • मदरसों में शिक्षा अवस्थापना सुविधाओं आदि का सुधार। | | | |
| | | | | | • ड्राप–आउट को न्यून किया जाना। | | | |
| पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के कियान्वयन पर व्यय | मा.प्रधानमत्री जी के 15–सूत्रीय कार्यक्रम योजनान्तर्गत कार्यालय संचालन हेतु अनुदान। | 10.00 | | SDG-1 | • नामित अध्यक्ष, उपाध्यक्षों एवं अन्य कार्यो हेतु व्यय। | 1 | 01-Unit | 02–वर्ष |
| | | | | | • भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना। | | | |
| अल्पसंख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति | राज्य में गरीबी की रेखा से दोगुनी आय वाले अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किये जाने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। | 403.00 | | SDG-1 | • लगभग 30 हजार छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान। | 38477 | 30,000 Students | शैक्षिक सत्र |
| | | | | | • ड्राप–आउट को न्यून किया जाना। | | | |
| | | | | | • छात्रवृत्ति प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया | | | |

आउटकम बजट 2019—20

(धनराशि रू. लाख में)

| योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटपुट) वर्ष 2019—20 | 01—04—2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटकम) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| | | | | | जाना। | | | |
| मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना | अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे छात्र / छात्राऐं जिनके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग / उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य परीक्षा अथवा मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। | 10.00 | | SDG-1 | • लगभग 50 लाभार्थियों को प्रोत्साहन योजना का भुगतान। | 4 | 50 Beneficiaries | वित्तीय वर्ष |
| | | | | | • आई.ए.एस. / पी.सी.एस, आई.आई.एम / आई.आई.टी परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढाना। | | | |
| | | | | | | | | |
| अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय | अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित जिला कार्यालयों, मदरसा शिक्षा परिषद, अल्पसंख्यक आयोग आदि अन्य इकाईयों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी किया जाना। | 96.82 | | SDG-1 | • अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित अन्य अधिष्ठानों पर वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण। | 1 | 01 Office | वित्तीय वर्ष |
| | | | | | • निदेशालय अन्तर्गत 18 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है। | | | |
| | | | | | • विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। | | | |

आउटकम बजट 2019–20

(धनराशि रू. लाख में)

| योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटपुट) वर्ष 2019–20 | 01–04–2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटकम) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउण्डेशन | अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु अधिकतम ₹5.00लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। | 100.00 | | SDG-1 | • अल्पसंख्यक व्यक्तियों को शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाना। | 31 | 100 Students | वित्तीय वर्ष |
| | | | | | • ऋण के माध्यम से अपनी शिक्षा पूर्ण कर अपना स्वयं का उद्योग स्थापित किया जाना। | | | |
| | | | | | • बैकों की निरभरता समाप्त। | | | |
| अल्पसंख्यक विकास निधि | अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की मॉग के अनुसार अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निधि की स्थापना की गयी है। | 300.00 | | SDG-10 | • अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को उनकी मॉग के अनुसार आवस्थापना सुविधाओं का विकास। | | 100 Projects | वित्तीय वर्ष |
| जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों का अधिष्ठान। | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को जिलास्तर पर क्रियान्वित एवं संचालन हेतु 04 जिला स्तरीय कार्यालयों का गठन किया गया है। | 132.29 | | SDG-1 | • अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित अन्य अधिष्ठानों पर जिलास्तरीय वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण। | 4 | 04 Office | वित्तीय वर्ष |
| | | | | | • जिला कार्यालयों में 29 अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात है। | | | |

आउटकम बजट 2019–20

(धनराशि रू. लाख में)

| योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटपुट) वर्ष 2019–20 | 01–04–2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटकम) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| | | | | | ● विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। | | | |
| अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान। | अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी छात्राऐं जिनकी द्वारा हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। | 100.00 | | SDG-1 | ● छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना। | 417 | 520 | शैक्षिक सत्र |
| | | | | | ● ड्राप–आउट को न्यून किया जाना। | | Girls Students | |
| | | | | | ● अनुदान प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। | | | |
| मुख्यमंत्री हुनर योजना | अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम लि, द्वारा संचालित योजनाओं यथा जीविका प्रोत्साहन योजना, रहबर योजना, महिलाओं को सिलाई कढाई योजना को सम्मिलित करते हुए हुनर योजना बनायी गयी है। | 200.00 | | SDG-1 | ● जीविका अवसर प्रोत्साहन हेतु कौशलवृद्धि प्रशिक्षण। | 425 | 500 Beneficiaries | वित्तीय वर्ष |
| | | | | | ● बेरोजगार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। | | | |

आउटकम बजट 2019–20

(धनराशि रू. लाख में)

| योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटपुट) वर्ष 2019–20 | 01–04–2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटकम) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| वनाधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन | | | 40.00 | SDG-10 | | | 01-Unit | वित्तीय वर्ष |
| अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम हेतु अंशपूँजी | उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम हेतु अंशपूँजी। | | 50.00 | SDG-1 | • अधिकतम ₹10.00 लाख तक तक की परियोजना लागत पर ऋण दिया जाता है। | 500 | 454 | वित्तीय वर्ष |
| अल्पसख्यकों हेतु स्वरोजगार योजना | बेरोजगार अल्पसंख्यकों को स्वयं का कारोबार स्थापित किये जाने हेतु ऋण निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। | | 200.00 | SDG-1 | • योजना के अर्न्तगत योजना लागत ₹1.00 लाख तक का ऋण। | 95 | 400-Beneficiaries | वित्तीय वर्ष |
| | | | | | • स्वरोजगार हेतु आत्मनिर्भर बनाना। | | | |
| अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य। | अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की मॉग के अनुसार कब्रिस्तान की चाहर–दिवारी, खण्ड़जा निर्माण आदि निर्माण कार्यो को पूर्ण कराया जाता है। | | 400.00 | SDG-10 | • अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को उनकी मॉग के अनुसार आवस्थापना सुविधाओं का विकास। | | 50-Project | वित्तीय वर्ष |
| कब्रिस्थानों में चाहर–दिवारी का निर्माण। | प्रदेश में पंजीकृत एवं अपंजीकृत कब्रिस्थानों की चाहर–दिवारी के निर्माण हेतु। | | 1000.00 | SDG-10 | • चिन्हित कब्रिस्तानों को अनाधिकृत कब्जो से मुक्त किया जाना। | 146 | | वित्तीय वर्ष |
| | | | | | • जंगली जानवरों से सुरक्षा। | | | |

आउटकम बजट 2019–20

(धनराशि रू. लाख में)

| योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटपुट) वर्ष 2019–20 | 01–04–2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटकम) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| केन्द्रपोषित योजनाऐं | | | | | | | | |
| अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मल्टी सेक्टोरियल डि.डेवलपमेन्ट याजना (MSDP 80:20 CSS) | केन्द्रपोषित उक्त योजनान्तर्गत ऐसे अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों जहा पर 50 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक आबादी निवासरत् है ऐसे क्षेत्रों में इण्टर कॉलेज, छात्रावास, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेक्निक एवं आई.टी.आई का निर्माण कराया जाता है। | 20.00 | 2700.00 | SDG-10 | • अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आई.टी.आई, पॉलिटेक्निक, छात्रावास का निर्माण कराया जाना। | 13 Project | 60-Project | वित्तीय वर्ष |
| | | | | | • क्षेत्र में पठन–पाठ्न की सुविधा। | | | (पंचवर्षीय योजना) |
| | | | | | • रोजगार परक पाठ्यक्रमों के माध्यम से बेरोजगारी को कम किया जाना। | | | |
| अल्पसंख्यक छात्रों के लिये उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु दशमोत्तर छात्रवृति (100%CSS) | अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति व्यवसायिक शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है। | 7.00 | | SDG-1 | • छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना। | 2867 | 3288-Students | वित्तीय वर्ष |
| | | | | | • ड्राप–आउट को न्यून किया जाना। | | | |
| | | | | | • छात्रवृत्ति प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। | | | |

आउटकम बजट 2019–20

(धनराशि रू. लाख में)

| योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटपुट) वर्ष 2019–20 | 01–04–2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटकम) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूॅजीगत | | | | | |
| अल्पसंख्यक छात्रों के लिये स्नातक एवं मैरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृति (100%CSS) | अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति तकनीकी शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है। | 4.00 | | SDG-1 | • छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना। | 561 | 395-Students | वित्तीय वर्ष |
| | | | | | • ड्राप–आउट को न्यून किया जाना। | | | |
| | | | | | • छात्रवृत्ति प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। | | | |
| अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्वदशम छात्रवृति (100%CSS) | अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 1 से कक्षा 10 तक प्रदान की जाती है। | 7.00 | | SDG-1 | • छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना। | 13724 | 19732-Students | वित्तीय वर्ष |
| | | | | | • ड्राप–आउट को न्यून किया जाना। | | | |
| | | | | | • छात्रवृत्ति प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। | | | |

# आउटकम बजट–2019–20
# आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

*धनराशि लाख में*

| क्र0सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय–सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत | | | | | | | | | |
| 1 | राष्ट्रीय आयुष मिशन की स्थापना | केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं हेतु 90 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 10 प्रतिशत राज्यांश की स्वीकृति निर्गत की जाती है, जिसे औषधि, उपकरण क्रय किये जाते हैं, व मेडिसिनल प्लान्ट संग्रहण किया जाता है। | 3500.00 | 0.00 | Goal-3 | 1–983 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में औषधि व्यवस्था<br>2–50 शैययायुक्त चिकित्सालय की स्थापना<br>3–08–पब्लिक हैल्थ आउटरीच एक्टीविटी<br>4–स्कूल हैल्थ प्रोग्राम<br>5–1200–आशा एवं ए0एन0एच0 ट्रेनिंग<br>6–200–आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में दैनिक कैम्प<br>7–स्वच्छता अभियान<br>8–पिरान कलियर में यूनानी कॉलेज की स्थापना | | आयुर्वेद विभाग को बढावा देना। | 2020 |
| योग | | | 3500.00 | 0.00 | | | | | |

| क्र0सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट 2019—20 | 01.04.2019 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय–सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| राज्य सहायतित योजनायें | | | | | | | | | |
| 2 | निदेशन तथा प्रशासन | "सभी के लिये स्वास्थ्य" विजन पूर्ण करने हेतु मानव संसाधन एवं औषधि व्यवस्था उपलब्ध कराना | 1783.50 | 0.00 | Goal-3 | 1—निदेशालय स्तर पर 42 तथा अधीनस्थ जनपदीय कार्यालयों में 93 कार्मिकों हेतु प्रशासकीय अधिष्ठान<br>02— 983 राज्य के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों,आयुष विंगों,एन0एच0एम0 के अन्तर्गत आयुष विंगों हेतु आवश्यक औषधि उपलब्ध कराना<br>3—राष्ट्रीय आयुष मिशन (केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत) पी0एम0यू0 के अन्तर्गत 03 कार्मिक | | 1—राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं आसान बनाने हेतु<br>2— जन स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने हेतु राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं जिला चिकित्सालयों में रोगियों को स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराना।<br>3—राष्ट्रीय आयुष मिशन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जनता को आयुष सुविधा उपलब्ध कराना | |
| 3 | चिकित्सालय तथा औषधालय | जनसामान्य को सामान्य एवं विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद, ब्लाक एवं गॉव स्तर पर वर्तमान चिकित्सकीय सुविधा केन्द्रों का संचालन तथा नवीन चिकित्सा सुविधाओं का | 18627.00 | 0.00 | Goal-3 | वर्तमान में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा केन्द्र—<br>राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय—544<br>राजकीय यूनानी चिकित्सालयों की संख्या—5 | | आमजनमानस को आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से उपचार करना तथा आयुर्वेदिक पद्धति को बढावा देना। | |
| 4 | औषधि निर्माणशाला हरिद्वार | आयुर्वेदिक औषधि निर्माण करना | 450.88 | 0.00 | Goal-3 | 01 राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी, हरिद्वार—कार्यरत कार्मिक—34 | | राज्य के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रोगियों के उपचार किये जाने हेतु औषधियों का निर्माण किया जाना। | |
| 5 | राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला | औषधियों के नमूने जांच | 54.00 | 0.00 | Goal-3 | 01 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, हरिद्वार में कार्यरत कार्मिकों की संख्या—05 | | राजकीय आपूर्तित एवं निजी क्षेत्र में स्थापित औषधि निर्माणशालाओं की औषधियों के नमूना परीक्षण किया जाना। | |

| क्र0सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट 2019–20 | 01.04.2019 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय–सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 6 | भारतीय चिकित्सा परिषद | राज्य में चिकित्साधिकारी, फार्मेसिस्ट, स्टाफ नर्स एवं पचकर्म सहायक के पंजीकरण से पंजीकरण | 55.00 | 0.00 | Goal-3 | जनपद–देहरादून में भारतीय चिकित्सा परिषद | | चिकित्साधिकारियों पैरामेडिकल स्टाफ के पंजीकरण का कार्य | |
| 7 | उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय | चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्य | 5240.00 | 0.00 | Goal-3 | विश्वविद्यालय में 180 कार्मिक कार्यरत | | राज्य के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं निजी क्षेत्र में संचालित आयुर्वेदिक कॉलेजों को नियंत्रित करना तथा सम्बन्धित कॉलेजों में परीक्षा आदि का कार्य सम्पादित करना। | 2020 |
| 8 | अन्तराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन | योग दिवस का आयोजन करना | *50.00* | *0.00* | *Goal-3* | राज्य में अन्तराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में लगभग 10 से 15 हजार लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। | | राज्य में 21 जून को अन्तराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाता है। जिसमें मा0 मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मा0 मंत्रीगण एवं उच्च स्तरीय अधिकारियों एवं आम जन–मानस द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। | 2020 |
| 9 | आयुष वैलेनेश | आयुष वैलेनेश के क्षेत्र में इन्वेस्टमेन्ट हेतु राज सहायता | 2500.00 | 0.00 | Goal-3 | आयुष वैलेनेश के क्षेत्र में इन्वेस्टमेन्ट हेतु राज सहायता | | आयुष वैलेनेश के क्षेत्र में इन्वेस्टमेन्ट किये जाने के सम्बन्ध में | 2020 |
| 10 | आरोग्य मेला एवं कैम्प | आरोग्य मेला एवं कैम्प का आयोजन | 10.00 | 0.00 | Goal-3 | आरोग्य मेला एवं कैम्प का आयोजन | | आरोग्य मेला एवं कैम्प का आयोजन करना | 2020 |
| **योग** | | | **28770.38** | **0.00** | | | | | |
| **पूंजीगत** | | | | | | | | | |
| **11** | प्रत्येक जनपद में आयुष ग्राम की स्थापना | आयुष ग्राम | 0.00 | 50.00 | | प्रत्येक जनपद में आयुष ग्राम की स्थापना | | प्रत्येक जनपद में आयुष ग्राम की स्थापना करना। | 2020 |

| क्र0सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय–सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| **12** | आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का भवन निर्माण | उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला | 0.00 | 1200.00 | | उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना जिसमें 180 कार्मिक कार्यरत है। | | 1. पंचकर्म हट हेतु रू0 200.00 लाख<br>2. चरक डांडा में षोध संस्थान हेतु रू0 500.00 लाख<br>3. गुरूकुल छात्रावास हेतु रू0 100.00 लाख<br>4. मुख्य कैम्पस भवन निर्माण हेतु रू0 400.00 | 2020 |
| **13** | राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का भवन निर्माण | भवनों का निर्माण | 0.00 | 100.00 | | राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का भवन निर्माण | | राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ किये जाने हेतु जो चिकित्सालय किराये के भवन पर संचालित हैं, वहां पर चिकित्सालय के भवन का निर्माण किया जाना नितान्त आवश्यक है। | 2020 |
| **14** | पिरान कलियर में यूनानी कालेज की स्थापना | राजकीय यूनानी कॉलेज की स्थापना | 0.00 | 500.00 | | जनपद–हरिद्वार के पिरान कलियर में यूनानी कॉलेज की स्थापना | | मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत जनपद–हरिद्वार के पिरान कलियर में यूनानी कॉलेज की स्थापना की जा रही है। | 2020 |
| **योग** | | | **0.00** | **1850.00** | | | | | |
| **कुल योग** | | | **32270.38** | **1850.00** | | | | | |
| **महायोग** | | | **34120.38** | | | | | | |

# आउटकम बजट 2019—2020

**विभाग का नाम—** उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0..............................

(धनराशि लाख रु0 में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्धेश्य | आउट ले / बजट | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019—20 | 1—4—2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 43— वेतन आदि हेतु | | 61.28 लाख | | विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों का समय से वेतन आहरित करना | | 36.13360 लाख | | |
| 2 | 20— सहायक अनुदान | | 120.00 लाख | | विद्यार्थियों को 21 वीं सदी के अनुरूप तैयार करना तथा स्वरोजगार एवं Start up संस्कृति को विकसित करना | 1—बायोफ्यूल प्रयोगशाला की स्थापना<br>2—कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना | 37.46690 लाख | | |
| 3 | 35— पूंजिगत परिसम्पत | | | 500.00 लाख | विश्वविद्यालय कैम्पस को भविष्य की सम्भावनाओं के अनुरूप तैयार करना | विश्वविद्यालय भवन निर्माण शुरू किया जाना | | | |

Registrar,
Uttarakhand Residential University,
Almora, U.K.

# उच्च शिक्षा

प्रस्तावित एस0डी0जी0 04

(₹ लाख में)

| क्र0 सं0 | सैक्टर/योजना/ कार्यक्रम का नाम | योजना का उददे्श्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.4.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूॅंजीगत | | | | | |
| राज्य सैक्टरयोजनाऐं | | | | | | | | | |
| अनुदान सं0–11 (राजस्व | | | | | | | | | |
| 1 | राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद (SHEC) | राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार एवं उन्नयन हेतु राज्य आयोजना का निरूपण, क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं मानकों के अनुसार उच्च शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चियन। | 0 | 0 | समावेशी एवं न्यायसंगत गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी को जीवन पर्यन्त उपयोगी जानकारी को प्रोत्साहन।<br>निर्धारित लक्ष्यः–<br>**4.3**– 2030 तक समस्त महिलाओं एवं पुरूषों के लिये सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहुॅंच को सुनिश्चित करना।<br>**4.8**– सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके।<br>**4.9**– 2030 तक उच्च शिक्षा में असेवित क्षेत्रों से बेहतर पंजीकरण हेतु छात्रवृत्तियों का विस्तार करना।<br>**4.10**– 2030 तक गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा हेतु योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था तथा इस हेतु शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था में अभिवृद्धि करना। | 1. राज्य उच्च शिक्षा परिषद गठित एवं संचालित।<br>2. रूसा परियोजना के अन्तर्गत राज्य उच्च शिक्षा आयोजना का निरूपण।<br>3. रूसा परियोजना के संचालन हेतु रूसा परियोजना निदेशालय गठित, संचालित एंव कार्यशील।<br>4. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रूसा राज्य आयोजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन। | 1. राज्य उच्च शिक्षा परिषद गठित एवं संचालित।<br>2. राज्य उच्च शिक्षा आयोजना का क्रियान्वयन प्रगति पर।<br>3. रूसा परियोजना निदेशाालय कार्यशील। | 1. राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार एवं उन्नयन हेतु 12वीं पचवर्षीय योजना (2012–17) के अन्तर्गत राज्य आयोजना का निरूपण व क्रियान्वयन व अनुश्रवण।<br>2. रूसा परियोजना कार्यालय का संचालन एवं रखरखाव। | एक वर्ष |

# उच्च शिक्षा

प्रस्तावित एस0डी0जी0 04

(₹ लाख में)

| क्र0 सं0 | सैक्टर/योजना/कार्यक्रम का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.4.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 2 | निदेशन तथा प्रशासन | 1. राजकीय महाविद्यालयों का प्रबन्धन, प्रशासकीय एवं वित्तीय नियन्त्रण, विकास।<br>2. समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के वेतन वितरण, वेतन निर्धारण व अन्य प्रशासनिक कार्य।<br>3. विश्वविद्यालयों से समन्वय व उच्च शिक्षा के नियमों, परिनियमों एवं अधिनियमों तथा विकास योजनाओं का कियान्वयन। | 582.06 | 0 | उपरोक्तानुसार एस0डी0जी0 के लक्ष्य सं0–4 एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये निर्धारित लक्ष्यों (Targets) के अनुसार उच्च शिक्षा का प्रबन्धन एवं नियंत्रण।<br>**4.3**– 2030 तक समस्त महिलाओं एवं पुरूषों के लिये सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहुॅच को सुनिश्चित करना।<br>**4.8**– सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके।<br>**4.9**– 2030 तक उच्च शिक्षा में असेवित क्षेत्रों से बेहतर पंजीकरण हेतु छात्रवृत्तियों का विस्तार करना।<br>**4.10**– 2030 तक गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा हेतु योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था तथा इस हेतु शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था में अभिवृद्धि करना। | 1. राजकीय महाविद्यालयों का प्रबन्धन एवं नियंत्रण।<br>2. अशासकीय महाविद्यालयों को वेतन वितरण एवं नीतिगत प्रशासनिक निर्देशन।<br>3. अनानुदानित महाविद्यालयों का अनुश्रवण।<br>4. निदेशाालय में कार्यरत 36 कार्मिकों का रखरखाव–कार्यसंचालन। | 101 राजकीय महाविद्यालय, 18 अशासकीय महाविद्यालय, 20 अनानुदानित महाविद्यालयों का अनुश्रवण। | 1. महाविद्यालयों हेतु नीतिनिर्धारण, प्रबन्धन एवं नियंत्रण।<br>2. उच्च शिक्षा के नियमों, परिनियमों एवं अधिनियमों तथा विकास योजनाओं का कियान्वयन। | एक वर्ष |

# उच्च शिक्षा

प्रस्तावित एस0डी0जी0 04

(₹ लाख में)

| क्र0 सं0 | सैक्टर/योजना/ कार्यक्रम का नाम | योजना का उददे्श्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.4.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 3 | राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान | राज्य में उच्च शिक्षा की पहुँच में वृद्धि, सभी को उच्च शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान करने एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना। | 2500.00 | 0 | **4.8**–सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके। | गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के लिये निर्धारित महाविद्यालयों के प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों का उच्चीकरण एवं प्रभावी वातावरण का निर्माण। | 03 विश्वविद्यालयों 42 महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों का अभाव। | राजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों मे अध्ययन हेतु मानकपरक सुसज्जित प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालय स्थापित। | एक वर्ष |
| 4 | राजकीय उपाधि महाविद्यालय। | राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना/नये संकायों, विषयों/पदों का सृजन एवं कार्यशीलता। | 22758.90 | 0 | **4.8**–सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके।<br>**4.3**–2030 तक समस्त महिलाओं एवं पुरूषों के लिये सुस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करना। | 101 महाविद्यालयों का संचालन एवं रखरखाव। | 101 महाविद्यालय एवं 2779 कार्मिकों का रखरखाव। | मानकपरक गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के लिये बेहतर संचालित महाविद्यालय/संचाालित महाविद्यालयों में नये विषयों/संकाय स्थापित एवं नये विषयों हेतु शिक्षकों की उपलब्धता। | एक वर्ष |
| 5 | यू0जी0सी0 मैचिंग शैयर | महाविद्यालयों में यू0जी0सी0 की योजना के अन्तर्गत आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था करना। | 70.00 | 0 | **4.8**–सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके। | निर्धारित महाविद्यालय में 60 कमरों के एक छात्रावास का निर्माण। | छात्रावास उपलब्ध नहीं हैं। | लगभग 120 विद्यार्थियों हेतु आवासीय सुविधा की उपलब्धता। | दो वर्ष |

# उच्च शिक्षा

प्रस्तावित एस0डी0जी0 04

(₹ लाख में)

| क्र0 सं0 | सैक्टर/योजना/ कार्यक्रम का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.4.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 6 | एन0डी0ए0 तथा आई0एम0ए0 में चयनित छात्र–छात्राओं को पुरस्कार। | एन0डी0ए0 तथा आई0एम0ए0 में चयनित उत्तराखण्ड के मेद्यावी छात्र–छात्राओं को आर्थिक प्रोत्साहन/पुरस्कार प्रदान करना। | 100.00 | 0 | उच्च शिक्षा में युवा वर्ग को सशस्त्र सेनाओं में कैरियर के अन्तर्गत एन0डी0ए0 तथा आई0एम0ए0 में चयनित अभ्यर्थी को प्रोत्साहन स्वरूप पुरूस्कृत करना। | (200 अभ्यर्थियों को रू0 50,000/– प्रति अभ्यर्थी) की दर से प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाना। | 200 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन हेतु। | 200 अभ्यर्थी योजना से लाभान्वित होगें एवं युवा वर्ग को सशस्त्र सेना में कैरियर के चयन का विकल्प प्राप्त होगा। | एक वर्ष |
| 7 | विश्वविद्यालयों के कैम्पसों का आधुनिकीकरण जैसे वाई–फाई इत्यादि | विश्वविद्यालयों के परिसरों में डिजिटल शिक्षा हेतु ष्ब्ज सुविधाओं का सुद्ढ़ीकरण। | 200.00 | 0 | **4.8**–सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके। | उत्तराखण्ड के 05 राज्य विश्वविद्यालयो में डिजीटल शिक्षा हेतु आई0सी0टी0/ वाई–फाई की सुविधा की स्थापना करना। | 05 विश्वविद्यालयों में डिजीटल शिक्षा हेतु सुविधाओं की कमी। | 1. योजना से 05 विश्वविद्यालयों में डिजिटल शिक्षा हतु तकनीकी ढॉचा स्थापित होगा जिससे लगभग 10000 छात्र–छात्राएं, शोध छात्र, शिक्षक व स्टाफ लाभान्वित होगे। | एक वर्ष |
| 8 | महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन के स्तर तक सुदृढ़ीकरण | यू0जी0सी0 से अनुदान प्राप्त करने हेतु नैक प्रत्यायन के लिये निर्धारित मानकों को पूरित हेतु महाविद्यालय को सहायता राशि प्रदान करना। | 100.00 | 0 | **4.8**–सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके। | स्थापित 101 राजकीय महाविद्यालयों में से 20 महाविद्यालय नैक से प्रत्यायित, शेष का प्रत्यायन नहीं। | | 80 महाविद्यालय नैक से प्रत्यायन के उपरान्त यू0जी0सी0 से अनुदान के लिये पात्र होगे। | एक वर्ष |

# उच्च शिक्षा

प्रस्तावित एस0डी0जी0 04

(₹ लाख में)

| क्र0 सं0 | सैक्टर / योजना / कार्यक्रम का नाम | योजना का उददे्श्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.4.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 9 | अशासकीय महाविद्यालयों को वेतनादि के लिए अनुदान | अशासकीय महाविद्यालयों में सेवारत् शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासकीय व्यवस्था के अनतर्गत वेतनादि की व्यवस्था। | 9550.00 | 0 | 4.3–समस्त महिलाओं एवं पुरूषों के लिये सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहूँच को सुनिश्चित करना। | 18 अशासकीय महाविद्यालयों का संचालन एवं रखरखाव। | 18 अशासकीय महाविद्यालय एंव 8785 कार्मिकों का रखरखाव। | 18 अशासकीय महाविद्यालयेां के 8785 कार्मिकों का वेतन भुगतान एवं रखरखाव सम्पन्न होगा। | एक वर्ष |
| 10 | निर्धन प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति | उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् निर्धन छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्ति प्रदान करना। | 20.00 | 0 | 4.9–उच्च शिक्षा में असेवित क्षेत्रों से बेहतर पंजीकरण हेतु छात्रवृत्तियों का विस्तार करना। | 200 निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जायेगी। | 0 | लगभग 200 निर्धन छात्र–छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दशा में अग्रसर होगें। | एक वर्ष |
| 11 | प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सेमीनारों आदि में भाग लेने हेतु अनुदान। | क्षमता विकास के अन्तर्गत प्राध्यापकों को शैक्षिक स्तर में वृद्धि हेतु सहायता अनुदान की व्यवस्था। | 1.00 | 0 | 4.10–गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा हेतु योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था तथा इस हेतु शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था में अभिवृद्धि करना। | 05 प्राध्यापकों को अनुदान की सुविधा दिया जाना। | 0 | विदेशों में शिक्षित /प्रशिक्षित प्राध्यापकों से उच्च शिक्षा के गुणवत्ता उन्नयन में वृद्धि। | एक वर्ष |
| 12 | वनस्थली विद्यापीठ में उत्तरांचल के छात्राओं को छात्रावास की सुविधा। | वनस्थली विद्यापीठ में छात्रावास का रखरखाव हेतु। | 2.00 | 0 | 4.3–समस्त महिलाओं एवं पुरूषों के लिये सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहूँच को सुनिश्चित करना। | उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वनस्थली जयपुर, राजस्थान में निर्मित 248 छात्राओं के छात्रावास का रखरखाव | उत्तराखण्ड की 275 छात्राऐं लाभान्वित। | उत्तराखण्ड की छात्राऐं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित एवं लाभान्वित। | एक वर्ष |

# उच्च शिक्षा

प्रस्तावित एस0डी0जी0 04

(₹ लाख में)

| क्र0 सं0 | सैक्टर / योजना / कार्यक्रम का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.4.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 13 | प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यवसायिक संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति | शुल्क नियामक समिति के सदस्यों को मानदेय एवं शुल्क नियामक समिति के कार्यालय के व्ययों की व्यवस्था करना। | 32.00 | 0 | – | समिति के सदस्यों को मानदेय का वितरण एवं नियामक समिति के कार्यालय का संचालन एवं रखरखाव। | 251 अनानुदानित निजी स्ववित्त पोषत संस्थाओं के सन्दर्भ मे। | शुल्क समिति के बैठकों में योगदान करने वाले सदस्यों का यात्रा व्यय एवं मानदेय का भुगतान एवं काय्रलय का रखरखाव सम्पन्न होगा। | एक वर्ष |
| 14 | तकनीकी उत्प्रेरित शिक्षा | राजकीय महाविद्यालयों में तकनीकी उत्प्रेरित उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करना। | 6.00 | 0 | 4.8–सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके। | प्रथम चरण में 10 महाविद्यालय लाभान्वित। | 0 | 10 महाविद्यालय तकनीकी उत्प्रेरित शिक्षा से आच्छादित हो सकेंगे। | एक वर्ष |
| 15 | संगीत के ख्याति प्राप्त कालाकारों द्वारा वर्कशाप का आयोजन | राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं में संगीत के प्रति अभिरूचि सुविकसित कर उन्हें प्रोत्साहित करना। | 5.00 | 0 | 4.3–समस्त महिलाओं एवं पुरूषों के लिये सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहुॅच को सुनिश्चित करना। | निर्धारित महाविद्यालयों /स्थलों में ख्याति प्राप्त कलाकारों के द्वारा संगीत पर कार्यशालाओं का आयोजन करना। | 0 | छात्र–छात्राओं में संगीत के प्रति प्रोत्साहित करना। | एक वर्ष |
| 16 | स्नातकोत्तर / पीएच0डी0 हेतु निर्धन छात्रों को सहायता | राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातकोत्तर /पीएच0डी0 के छात्रों को सहायता प्रदान करना। | 20.00 | 0 | 4.3–समस्त महिलाओं एवं पुरूषों के लिये सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहुॅच को सुनिश्चित करना। | 29 स्नातको0 महावि0 में अध्ययनरत् पात्र विद्यार्थी लाभान्वित। | 0 | 40 निर्धन/मेधावी विद्यार्थी लाभान्वित होगें। | एक वर्ष |
| 17 | भारतीय भाषा विकास। | विभिन्न भारतीय भाषाओं का प्रचार–प्रसार। | 3.00 | 0 | – | 10 भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था पर व्यय किया जायेंगा। | 0 | विभिन्न भाषाओं का प्रचार प्रसार। | एक वर्ष |
| | अनुदान सं0–11 का योगः– | | **35949.96** | **0** | | | | | |

# उच्च शिक्षा

प्रस्तावित एस0डी0जी0 04

(₹ लाख में)

| क्र0 सं0 | सैक्टर / योजना / कार्यक्रम का नाम | योजना का उददे्श्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.4.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| | अनुदान सं0– 30 (राजस्व पक्ष) | | | | | | | | |
| 18 | राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। | महाविद्यालयों में ई–लर्निंग के माध्यम से शिक्षार्थियों को अध्ययन सामग्री और शिक्षण उपलब्ध कराना। | 500.00 | 0 | **4.3**– 2030 तक समस्त महिलाओं एवं पुरूषों के लिये सुस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करना<br>**4.8**– सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके। | ई–लर्निंग पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीक का प्रयोग में वृद्धि करना एवं यू0जी0सी0 व अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा ओपन कोर्स वियर का प्रयोग करना। | रूसा परियोजना के अन्तर्गत 500.00 लाख की धनराशि प्राविधानित। | महाविद्यालयों को एल0सी0डी0 /फोटो कापियर /कम्प्यूटर आदि यंत्र उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनके माध्यम से उपलब्ध कार्सेस का प्रसारण किया जायेगा। | एक वर्ष |
| 19 | प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण योजना। | अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी हेतु प्रशिक्षण करना। | 30.00 | 0 | **4.9**–उच्च शिक्षा में असेवित क्षेत्रों से बेहतर पंजीकरण हेतु छात्रवृत्तियों का विस्तार करना। | प्रदेश के 13 प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा संचालित प्रशिक्षण की व्यवस्था को जारी रखा जायेंगा। | 8383 छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। | 8383 छात्र–छात्राओं ने परीक्षाओं में समिमलित होकर सफलता प्राप्त की। | एक वर्ष |
| | अनुदान सं0–30 का योगः– | | **530.00** | **0** | | | | | |
| | अनुदान सं0– 31 (राजस्व पक्ष) | | | | | | | | |
| 20 | राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद्। | राजकीय महाविद्यालयों को गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के अन्तर्गत अध्ययन हेतु मानकपरक विषय सामग्री उपलब्ध कराना। | 250.00 | 0 | **4.8**–सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके। | पुस्तकें, जर्नल्स तथा नवीन विषयों और पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का क्रय। | रूसा परियोजना के अन्तर्गत रू0 250.00 लाख की धनराशि प्राविधानित। | समस्त राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राऐं गुणवत्तायुक्त शिक्षा से लभान्वित होगी। | एक वर्ष |

<u>उच्च शिक्षा</u>

प्रस्तावित एस0डी0जी0 04

(₹ लाख में)

| क्र0 सं0 | सैक्टर/योजना/ कार्यक्रम का नाम | योजना का उदद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.4.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 21 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना। (03–महावि0 का सुदढ़ीकरण) टी0एस0पी0 | अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को आधारभूत सुविधाऐ एवं पुस्तकें उपलब्ध कराना। | 9.90 | 0 | **4.9**–उच्च शिक्षा में असेवित क्षेत्रों से बेहतर पंजीकरण हेतु छात्रवृत्तियों का विस्तार करना। | जनजाति क्षेत्र के संचालित 07 राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थी लाभान्वित होगे। | 07 राजकीय महाविद्यालयें को रू0 9.90 लाख की सहायता प्रदान की गयी। | जनजाति छात्र–छात्राओं को गुणवत्तायुक्त सुविधाऐं एवं पुस्तकें प्राप्त होगी। | एक वर्ष |
| अनुदान सं0–31 का योगः– | | | **259.90** | **0.00** | | | | | |
| राजस्व पक्ष अनु0 सं0 (11,30,31) का कुल योगः– | | | **36739.86** | **0** | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| केन्द्रपोषित पूँजीगत पक्ष | | | | | | | | | |
| 22 | रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय, शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण हेतु अनुदान | शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में ढॉचागत सुविधाओं का निर्माण/विस्तार करना। | 0 | 2000.01 | **4.3**–सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके। | 45 निर्माण कार्य प्रारम्भ– 03 विश्वविद्यालय 42 शासकीय को पूर्ण किया जायेंगा। | रूसा परियोजना के अन्तर्गत 2000.01 लाख की धनराशि प्राविधानित। | 03 विश्वविद्यालयों एवं 42 राजकीय महाविद्यालयों में यथाआवश्यक ढॉचागत सुविधाओं की उपलब्धता। | दो वर्ष |
| केन्द्र पोषित पूँजीगत पक्ष का योगः– | | | **0.00** | **2000.01** | | | | | |

# उच्च शिक्षा

प्रस्तावित एस0डी0जी0 04

(₹ लाख में)

| क्र0 सं0 | सैक्टर / योजना / कार्यक्रम का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.4.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| अनुदान सं0–11 (पूँजीगत पक्ष) | | | | | | | | | |
| 23 | कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के भवनों को पूर्ण किया जाना। | राजकीय महाविद्यालयों में चालू निर्माण कार्यो को पूर्ण करना एवं नये निर्माण कार्य को प्रारम्भ करना। | 0 | 1600.00 | 4.8–सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके। | चालू निर्माण कार्यो को पूरा किया जाना। | अन्तर्गत 865.64 लाख की धनराशि स्वीकृत। | 26 निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायेंगे। | एक वर्ष |
| 24 | राजकीय महाविद्यालयों के भूमि क्रय /भवन निर्माण। | 1. असेवित क्षेत्रों में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना करना।<br>2. महाविद्यालयें में चालू निर्माण कार्या को पूर्ण करना एवं नये निर्माण कार्य प्रारम्भ करना। | 0 | 0.01 | 4.3–2030 तक समस्त महिलाओं एवं पुरूषों के लिये सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहुॅच को सुनिश्चित करना।<br>4.8– सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके। | 1. 2030 तक 15 नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करना।<br>2. चालू निर्माण कार्यो को पूरा किया जाना। | अन्तर्गत 0.01 लाख की टोकन धनराशि प्राविधानित। | 1 वर्ष 2018–19 में 3 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना।<br>2. 10 निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायेंगे। | एक वर्ष |
| 25 | स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम। | राजकीय महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु भवन निर्माण। | 0 | 0.01 | 4.8– सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके। | राज0 महावि0 लम्बगॉव में निर्माणाधीन स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठयक्रम के भवन का निर्माण पूर्ण किया जाना। | निर्माण कार्य प्रगति पर। | राजकीय महाविद्यालय लम्बगॉव में गुणवत्तायुक्त बी0एड0 कार्यक्रम संचालित करने का वातावरण निर्मित होगा। | एक वर्ष |

# उच्च शिक्षा

प्रस्तावित एस0डी0जी0 04

(₹ लाख में)

| क्र0 सं0 | सैक्टर/योजना/ कार्यक्रम का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.4.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 26 | मल्टीपरपज हॉल निर्माण योजना। | राजकीय महाविद्यालय नरेन्द्र नगर एवं बाजपुर में मल्टीपरपज हॉल का निर्माण एवं गुणवत्तायुक्त अध्ययन हेतु ढॉचागत सुविधाओं का सुदृढ़ीकण। | 0 | 0.01 | **4.8**– सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके। | सम्बन्धित महाविद्यालयों में मल्टीपरपज हॉल का निर्माण पूर्ण किया जाना। | राज0महावि0 बाजपुर के भवन का निर्माण पूर्ण एवं राज0 महावि0 नरेन्द्र नगर में कार्य प्रगति पर। | राजकीय महाविद्यालय नरेन्द्र नगर एवं बाजपुर में गुणवत्तायुक्त अध्ययन हेतु बेहतर वातावरण उपलब्ध होगा व शिक्षणेत्तर गतिविधियों का आयोजना सम्भव होगा। | एक वर्ष |
| **अनुदान सं0–11 पूँजीगत पक्ष का योगः–** | | | **0** | **1600.03** | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **अनुदान सं0–30** | | | | | | | | | |
| 27 | चुड़ियाला हरिद्वारा में महाविद्यालय की स्थापना/ भवन निर्माण | अनुसूचित जाति क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय चुड़ियाला हरिद्वार में गुणवत्तायुक्त अध्ययन हेतु ढॉचागत सुविधाओं का सुदृढ़ीकण भवन निर्माण। | 0 | 100.00 | **4.8**– सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके। | राज0 महावि0 चुड़ियाला में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराया जाना। | भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर। | राजकीय महाविद्यालय चुड़ियाला में गुणवत्तायुक्त अध्ययन हेतु बेहतर वातावरण का निर्माण। | एक वर्ष |
| **अनुदान सं0–30 पूँजीगत पक्ष का योगः–** | | | **0** | **100.00** | | | | | |

# उच्च शिक्षा

प्रस्तावित एस0डी0जी0 04

(₹ लाख में)

| क्र0 सं0 | सैक्टर / योजना / कार्यक्रम का नाम | योजना का उददे्श्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.4.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूॅजीगत | | | | | |
| अनुदान सं0–31 | | | | | | | | | |
| 28 | जनजाति क्षेत्र में छात्रावास का निर्माण | राजकीय महाविद्यालय चकराता में ढॉचागत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण। | 0 | 100.00 | **4.8**– सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके। | चाहरदीवारी एंव मुख्य गेट का निर्माण काग्र पूर्ण करना। | कार्य प्रगति पर। | सम्बन्धित महाविद्यालय में गुणवत्तायुक्त अध्ययन हेतु बेहतर एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण होगा। | एक वर्ष |
| अनुदान सं0–31 पूॅजीगत पक्ष का योगः– | | | **0** | **100.00** | | | | | |
| कुल योग (राजस्व एवं पूॅजीगत पक्ष) | | | **36739.86** | **3800.04** | | | | | |

# उद्यान विभाग

मुख्य एस0डी0जी0 – 02 भूखमरी समाप्त करना

(रू0 लाख में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउट पुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउट कम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| राज्य सैक्टर | | | | | | | | | |
| 01 | 0109–राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड/एपीडा आदि द्वारा वित्त पोषित योजना पर 20% राज्यांश | | 50.00 | | SDG-2 | प्रोजेक्ट–10 | | प्रोजेक्ट–10 (उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि में सहयोग) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार–100 | 2019–20 |
| 02 | 0113–बाजार हस्तक्षेप की योजना का कियान्वयन | उद्यानपतियों से सी ग्रेड सेब, नाशपाती, माल्टा, गलगल आदि के सर्मथन मूल्य पर कय की व्यवस्था | 0.02 | | SDG-2 | | | | |
| | 1–फलों का कय (सेव, माल्टा,नाशपाती, लीची, आदि) | | | | | यह योजना कृषि एवं उद्यान उत्पादों के समर्थन मूल्य योजना में सम्मिलित कर दी गयी है। | | कृषकों के उत्पादो का उचित मूल्य दिलाने एवं आय में वृद्धि | 2019–20 |
| 03 | 0301–अधिष्ठान (मानव संसाधन विकास) | | 12882.42 | | SDG-8 | लगभग 3550 कार्मिकों के वेतन भत्तों आदि का भुगतान | | लगभग 3550 कार्मिकों के वेतन भत्तों आदि का भुगतान | 2019–20 |
| | 1–उद्यान सचल दल केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण | | | | | 13 केन्द्र | | कृषकों को योजना का प्रभावी प्रचार–प्रसार एवं निवेशों को सुरक्षित करना | 2019–20 |
| | 2–सेमीनार/टैक्नोलॉजी ट्रान्सफर | | | | | 5 | | कृषकों में योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार | 2019–20 |
| | 3–एक्सटेन्सन वर्क मैटेरियल | | | | | 50000 साहित्य | | | 2019–20 |
| | 4–उद्यान कार्ड वितरण | | | | | 50000 कृषक | | | 2019–20 |
| 04 | 0302–राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण | | 172.55 | | SDG-2 | राजभवन देहरादून एवं नैनीताल का अनुरक्षण | | राजभवन देहरादून एवं नैनीताल में औद्यानिकी सौन्दर्यीकरण | 2019–20 |
| 05 | 0303–राजकीय उद्यानों का सुदृढ़ीकरण | | 329.00 | 150.00 | SDG-2 SDG-8 | | | | 2019–20 |
| | 1–फल पौध उत्पादन | | | | | 10 लाख | | गुणवत्तायुक्त पौधों के वितरण से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि | 2019–20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2–सब्जी बीज उत्पादन | | | | | 500 कु0 | | उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि | |
| | 3–आलू बीज उत्पादन | | | | | 3500 कु0 | | | |
| | 4–सब्जी पौध उत्पादन | | | | | 300 लाख | | | |
| 06 | **0304–सचिवालय परिसर का सौदर्यीकरण** | | 41.36 | | **SDG-2** | सचिवालय का सौन्दर्यीकरण | | सचिवालय का सौन्दर्यीकरण | 2019–20 |
| 07 | **0305–मुख्यमंत्री आवास के उद्यानों का अनुरक्षण** | | 32.22 | | **SDG-2** | मु0आ0 के उ़द्यानों का अनुरक्षण | | मु0आ0 के उ़द्यानों का अनुरक्षण | 2019–20 |
| 08 | **0306–विधान भवन परिसर में औद्यानिक विकास** | | 20.35 | | **SDG-2** | विधान परिसर का सौन्दर्यीकरण | | विधान परिसर का सौन्दर्यीकरण | 2019–20 |
| 09 | **0313–बागवानी विकास परिषद के विभिन्न देयकों का भुगतान** | | 0.05 | | **SDG-2** | | | | 2019–20 |
| 10 | **10–मधुमक्खी पालन योजना** | 1. फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए परपरागण एवं शहद उत्पादन हेतु 01 है0 क्षेत्र में 04 मौन बक्सों को रखा जाना। 2. मौन बाक्स मौन कालोनियों का वितरण। 3. मौनपालन का 07 दिवसीय प्रशिक्षण | 79.03 | | **SDG-2** | | | | 2019–20 |
| | 1–मौनवंश/मौनगृह का वितरण | | | | | मौनवंश/मौनगृह–500 | | स्वरोजगार एवं शहद उत्पादन कर आय वृद्धि करना | 2019–20 |
| | 2–परागण हेतु मौनवंशों के यातायात पर राजसहायता | | | | | परागण हेतु मौनवंश–3000 | | फलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में लगभग 20 से 30 प्रतिशत वृद्धि | 2019–20 |
| | 3–प्रशिक्षण | | | | | प्रशिक्षणार्थी–500 | | कृषकों को दक्ष कर स्वरोजगार में वृद्धि | 2019–20 |
| 11 | **13–मशरुम उत्पादन एवं विपणन की योजना** | 1. मशरुम उत्पादकों को पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट उपलब्ध कराना 2. स्पान (बीज) वितरण 3. 07 दिवसीय प्रशिक्षण | 50.76 | | **SDG-2 SDG-8** | | | | 2019–20 |
| | 1–प्रशिक्षण | | | | | प्रशिक्षणार्थी–2000 | | कृषकों को दक्ष कर स्वरोजगार में वृद्धि | 2019–20 |
| | 2–पाश्चुराइज्ड कम्पोस्ट निर्माण | | | | | 200 टन लाभार्थी–400 | | मशरूम उत्पादन कर आय वृद्धि | 2019–20 |
| | 3–स्पान का उत्पादन/वितरण | | | | | 2000 किग्रा0 | | | 2019–20 |
| 12 | **14–उद्यानों की घेरबाड़ की योजना** | जंगली जानवरों के बचाव हेतु उद्यानों की घेरबाड़ हेतु राजसहायता। | 156.00 | | **SDG-2** | 211 है0 लाभार्थी–500 | | कृषकों के बागानों की जंगली जानवरों से सुरक्षा कर उत्पादन में वृद्धि करना | 2019–20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | **4401–फसल कृषि कर्म पर पूजीगत परिव्यय 04–रोगरहित आलू बीज/कीटनाशक औषधियों की लागत** | | | 800.00 | **SDG-2** | कृषकों की मॉग के अनुसार विभिन्न निवेशों का कय लाभार्थी–80000 | | औद्यानिक फसलों की सुरक्षा कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि | 2019–20 |
| 14 | **(0316) मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना (पालीहाउस)** | पालीहाउस के अन्दर सब्जी एवं पुष्पों का उत्पादन करना। | 250.00 | | **SDG-2 SDG-8** | पॉलीहाउस–50000 वर्ग मी0 लाभार्थी–100 | | संरक्षित खेती कर कृषको की आय में 30 से 40 प्रतिशत वृद्धि | 2019–20 |
| 15 | **(0317) उद्यान बीमा योजना** | औद्यानिक फसलों–सेब, आम, आडू, माल्टा,मौसम्बी, सन्तरा, लीची, टमाटर, अदरक, आलू, फ्रैंचबीन, मटर एवं मिर्च का मौसम आधारित बीमा कराना। | 2000.00 | | **SDG-2** | कृषकों के फसलों को मौसमी कारकों से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु बीमा–55000 किसान | लाभार्थी– 49215 | कृषकों के फसलों को मौसमी कारकों से होने वाले नुकसान की भरपाई एवं कृषकों की आय वृद्धि। | 2019–20 |
| 16 | **(0318) राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना** | राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को बढ़ावा देना, चूंकि औद्यानिक उत्पाद शीघ्र खराब होने की प्रवृत्ति होती है। वर्तमान में लगभग 20–25 प्रतिशत तक खराब हो जाते हैं। | 200.00 | | **SDG-2 SDG-12** | इकाई–10 | औद्यानिक उत्पादों के प्रसंकरण क्षमता 10 प्रतिशत | औद्यानिक उत्पादों के प्रसंकरण में वृद्धि करना तथा वर्ष 2022 तक प्रसंस्करण क्षमता 15 प्रतिशत का लक्ष्य प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–200 | 2019–20 |
| 17 | **(0319) उत्तराखण्ड औद्यानिकी विपणन बोर्ड** | | 25.00 | | **SDG-2** | औद्यानिक उत्पादों के कय विकय में सहयोग एवं कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान | | औद्यानिक उत्पादों के कय विकय में सहयोग एवं कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान | 2019–20 |
| 18 | **(0321) बागानों की जीर्णोद्धार की योजना** | पुराने एवं अनुत्पादक बागानों का जीर्णोद्धार कर उत्पादन वृद्धि करना। | 0.01 | | **SDG-2** | बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत सम्मिलित | | पुराने बागानों का जीर्णोद्धार कर उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि | 2019–20 |
| 19 | **(0322) बोरवैल स्थापना की योजना** | सिंचाई सुविधा हेतु कृषकों को बोरवैल स्थापना हेतु सहायता। | 24.50 | | **SDG-2** | बोरबैल–30 | | सिंचित क्षमता का लगभग 15–20 है0 क्षेत्र में अतिरिक्त विकास | 2019–20 |
| 20 | **(0324) पावर मशीन (ट्रैक्टर) की योजना** | खेतों की जुताई हेतु कृषकों को ट्रैक्टर हेतु | 0.01 | | **SDG-2** | पावर मशीन | | मानव श्रम कम करना एवं धनराशि की बचत | 2019–20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सहायता | | | | | | | |
| 21 | (0323) पॉलीहाउस के पालीथीन बदलाव की योजना | कृषकों के पॉच वर्ष से अधिक पुराने पालीहाउस की जीर्ण–शीर्ण पालीथीन बदलने हेतु सहायता | 90.00 | | **SDG-2** | पॉलीथीन–50,000 वर्ग मी0 लाभार्थी–100 | | पॉलीथीन बदलाव पर उत्पादन एवं आय वृद्धि | 2019–20 |
| 22 | (0325) पौधरोपण की योजना | सरकारी आवासों, कार्यालयों, स्कूलों, कृषकों आदि को निःशुल्क फलपौध वितरण | 200.00 | | **SDG-2 SDG-15** | पौध वितरण–3 लाख लाभार्थी–60,000 | | फलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर उत्पादकता 5 मै0टन प्रति है0 का 2022 तक लक्ष्य | 2022 |
| 23 | (21) मसाला की खेती की योजना में 25 प्रतिशत राज्यांश | अदरक, हल्दी, लहसुन, मिर्च आदि की खेती को बढ़ावा देना | 20.00 | | **SDG-2 SDG-15** | | | उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि | 2019–20 |
| 24 | (23) एन्टी हेलनेट की योजना में 25 प्रतिशत राज्यांश | कृषकों / उद्यानपतियों की फसलों को ओलावृष्टि से बचाव हेतु एण्टी हेलनेट हेतु सहायता | 30.00 | | **SDG-2** | | | फलों की ओलावृष्टि से सुरक्षा कर फलों के उत्पादन एवं आय में लगभग 20 से 30 प्रतिशत वृद्धि | 2019–20 |
| 25 | (0326) कृषि उद्यान उत्पाद सलाहकार समिति | | 0.01 | | | सलाहकार समिति के देयकों का भुगतान | | सलाहकार समिति के देयकों का भुगतान | 2019–20 |
| 26 | (0327) आपदा के कारण कृषकों को क्षतिपूर्ति की योजना | | 0.01 | | | – | | – | |
| 27 | (0328) उत्तराखण्ड मधुमक्खी परिषद | | 28.47 | | **SDG-2** | परिषद के देयकों का भुगतान | | परिषद के देयकों का भुगतान | 2019–20 |
| 28 | (0329) उत्तराखण्ड में बेमौसमी सब्जी उत्पादन | उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राजसहायता। | 60.25 | | **SDG-2 SDG-8** | सब्जी बीज वितरण – 1100 कु0 लाभार्थी–8000 | सब्जियों की उत्पादकता–8.97 मै0टन / है0 | सब्जी के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों की आय में लगभग 10 से 20 हजार रू0 वृद्धि **सब्जियों की उत्पादकता–10.00 मै0 टन / है0 का वर्ष 2022 तक लक्ष्य** | 2019–20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | **(0330) फल पौधशालाओं की स्थापना** | राज्य में छोटी (0.2 है0 से 1.0 है0 तक) नयी फल पौधशालाओं की स्थापना | 70.00 | | **SDG-2 SDG-15** | पौधशाला–20 पौंध उत्पादन–50 हजार प्रति पौंधशाला प्रति हैक्टेयर | | गुणवत्तायुक्त पौधरोपण सामग्री का कृषकों में वितरण कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार–100 क्षेत्रफल विस्तार–100 है0 | तृतीय वर्ष से |
| 30 | **(0331) जैविक बागवानी की खेती योजना (पिथौरागढ एवं चमोली)** | जनपद पिथौरागढ़ व चमोली में पायलट आधार पर जैविक बागवानी को बढ़ावा देना | 7.60 | | **SDG-2** | क्षेत्रफल विस्तार – 100 है0 विभिन्न जैविक निवेशों का वितरण | | जैविक खेती को बढ़ावा देकर गुणवत्तायुक्त उत्पादन। | 2019–20 |
| 31 | **(0332) मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना** | मशरुम उत्पादकों को पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट उपलब्ध कराना | 0.04 | | **SDG-2** | – | | – | |
| 32 | **(0333) अखरोट एवं अन्य गिरिदार फलों (नट फ्रूटस) के सर्वांगीण विकास हेतु मिशन** | राज्य में अखरोट, बादाम तथा पिकननट की खेती को बढ़ावा देने हेतु पौधशालाओं की स्थापना व क्षेत्रफल विस्तार हेतु राज सहायता उपलब्ध कराना | 47.01 | | **SDG-2 SDG-15** | नर्सरी–10 क्षेत्रफल विस्तार–120 है0 लाभार्थी–100 पौंध उत्पादन–25 हजार प्रतिपौंधशाला | | गुणवत्तायुक्त पौधरोपण सामग्री का कृषकों में वितरण कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार–700 | तृतीय वर्ष से |
| 33 | **उत्तर फसल प्रबन्धन** | | 0.05 | | **SDG-2** | | | | |
| 34 | **08–सघन एवं पौध रोपण हेतु फल पौध सामग्री का आयात** | | 30.00 | | **SDG-2 SDG-15** | फल पौध रोपण सामग्री का आयात–3000 पौध | | मात्रवृक्षों की स्थापना कर गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री तैयार करना | तृतीय वर्ष से |
| 35 | **12– उत्तरांचल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/संगोष्ठी** | | 8.00 | | **SDG-2** | गोष्ठी/सेमिनार–3 | | जनजागरुकता कर औद्यानिक फसलों को बढ़ावा देना प्रतिभागी–750 | 2019–20 |
| 36 | **(0334) मृदा परीक्षण की योजना** | चौबटिया एवं श्रीनगर में मृदा प्रयोगशाला में कृषकों के भूमि के मृदा सैंपल का परीक्षण उपरान्त भूमि के मुख्य एवं सूक्ष्म तत्वों की कमी/अधिकता का आंकलन करना तथा आवश्यक खाद, उर्वरकों की संस्तुति करना। | 10.79 | | **SDG-2** | चौबटिया एवं श्रीनगर की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं मृदा परीक्षण | | मिट्टी में मुख्य एवं सूक्ष्म तत्वों का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार भूमि में पोषक तत्वों का उपयोग कर उत्पादन में वृद्धि करना | दो वर्ष |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | (29) रवांई घाटी फल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना | | 0.18 | | **SDG-2** | | | कृषको एवं कार्मिको की दक्षता विकास हेतु | तृतीय वर्ष से |
| 38 | (30) चन्द्रनगर (रूद्रप्रयाग) में फल संरक्षण केन्द्र की स्थापना | | 4.51 | | **SDG-2** | फल संरक्षण केन्द्र की स्थापना–1 | | स्थानीय व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण एवं उनके उत्पादों का प्रसंस्करण | 2019–20 |
| 39 | (28) कृषि एवं उद्यान उत्पादों के समर्थन मूल्य की योजना | | 200.00 | | **SDG-2** | कृषि एवं उद्यान उत्पादों का क्रय विक्रय | | कृषि एवं उद्यान उत्पादों का क्रय कर कृषकों को उचित मूल्य प्रदान कराना | 2019–20 |
| 40 | (0336) जैविक खेती हेतु वर्मी कम्पोस्ट इकाईयो की स्थापना | | 155.00 | | **SDG-2** | वर्मी कम्पोस्ट–100 इकाई | | जैविक खेती को बढ़ावा देकर कृषकों की आय वृद्धि करना | दो वर्ष |
| 41 | (0335) मसाला, मिर्च उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि की योजना (रू0 7 प्रति किग्रा0 की दर से) | प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त मसाला मिर्च (लाल मिर्च) की खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को प्रोत्साहन राशि देना | 50.00 | | **SDG-2** | कृषकों की मशाला मिर्च के उत्पादन पर प्रोत्साहन प्रदान करना | | मशाला मिर्च की खेती को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में वृद्धि करना | 2019–20 |
| 42 | (31) उत्तराखण्ड में उच्च तकनीकी द्वारा सेब उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मिशन एप्पल योजना | प्रदेश में उच्च तकनीकी द्वारा सेब उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु उच्च उत्पादन वाली उन्नत प्रजातियों तथा क्लोनल मूल वृन्त के प्रयोग से सूक्ष्म सिंचाई सुविधा के साथ सुनियोजित बागवानी तकनीकी अपनाते हुए उच्च सघन रोपण को बढ़ावा देने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना। साथ ही क्लोनल रूट स्टॉक भी उपलब्ध कराया जायेगा। | 150.00 | | **SDG-2**<br>**SDG-8**<br>**SDG-15** | उच्च तकनीकी द्वारा सेब उत्पादन–10 इकाई<br>लाभान्वित व्यक्ति–10 | | सेब के उत्पादन एवं उत्पादक में वृद्धि लगभग 30 से 40 प्रतिशत<br>प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–200 | तृतीय वर्ष से |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास<br>1–औद्यानिक विकास | 1. व्यक्तिगत उद्यानों की स्थापना (क्षेत्र विस्तार)<br>2. आलू उत्पादन हेतु आलू बीज एवं निवेश उपलब्ध कराना | 30.24 | | **SDG-2**<br>**SDG-8**<br>**SDG-15** | अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में फलों का क्षेत्र विस्तार–100 है0<br>लाभार्थी–400 | | फलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर उत्पादकता 5 मै0टन प्रति है0 का 2022 तक लक्ष्य प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–1500 | 2022 |
| | 2–आलू विकास | | | | | आलू विकास–100 है0<br>लाभार्थी–400 | | उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि<br>प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–1500 | 2019–20 |
| 44 | सघन एवं बेमौसमी सब्जी उत्पादन का विकास (अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु) | | 28.25 | | **SDG-2**<br>**SDG-8** | सब्जी बीज वितरण–500 कुन्तल | सब्जियों की उत्पादकता–8.97 मै0टन/है0 | सब्जी के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों की आय में लगभग 10 से 20 हजार रू0 वृद्धि<br>**सब्जियों की उत्पादकता–10.00 मै0 टन/है0 का वर्ष 2022 तक लक्ष्य** | 2019–20 |
| 44 | मेगा फूड पार्क | | 50.00 | | **SDG-2**<br>**SDG-12** | मेगा फूड पार्क में बिजली, टैक्स आदि पर अनुदान | | प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करना | 2019–20 |
| 45 | जलवायु परिवर्तन हेतु औद्यानिक फसलों के विविधिकरण की योजना | जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के संबंध में कृषकों एवं कार्मिकों को जानकारी प्रदान करना | 20.00 | | **SDG-2**<br>**SDG-13** | जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के संबंध में कृषकों एवं कार्मिकों को जानकारी प्रदान करना | | जलवायु परिवर्तन के अनुसार औद्यानिक फसलों को बढ़ावा देकर उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि तथा कृषकों की आय में वृद्धि करना | 2019–20 |
| 46 | वर्मी कम्पोस्ट निर्माण योजना (25 प्रतिशत राज्यांश) | | 0.01 | | | | | | |
| 47 | नाबार्ड पोषित | उत्तर फसल प्रबन्धन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास | 500.00 | 500.00 | **SDG-2** | उत्तर फसल प्रबन्धन हेतु अवस्थापना सुविधाओं एवं राजकीय उद्यानों में सिंचाई व्सस्था एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण | | पैकिंग ग्रेडिंग कर उत्पादों की गुणवत्ता, भण्डारण क्षमता बढ़ाने तथा राजकीय उद्यानों में गुणवत्तायुक्त पौंध रोपण सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करना | 2019–20 |
| | योग राज्य सैक्टर | | **18103.70** | **1450.00** | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | केन्द्रीय योजनायें | | | | | | | | |
| 01 | 0116–राष्ट्रीय बागवानी मिशन | | 6200.00 | | SDG-2<br>SDG-8<br>SDG-12<br>SDG-15 | | 1–फलों की उत्पादकता–3.75 मै0टन/है0<br>2–सब्जियों की उत्पादकता–8.51 मै0टन/है0<br>3– आलू की उत्पादकता– 13.76 मै0टन/है0<br>4– मसालों की उत्पादकता–6.67 मै0टन/है0<br>5– फूलों का क्षेत्रफल–1533<br>6–औद्यानिक उत्पादो की प्रसंस्करण क्षमता–10 प्रतिशत<br>कुल स्थापित पॉलीहाउस का क्षेत्रफल – 13 लाख वर्गमीटर (130 है0), जिसमें से 9 लाख वर्गमीटर पुष्पों के अन्तर्गत तथा 4 लाख वर्गमीटर सब्जियों के अन्तर्गत है।<br>निजी क्षेत्र में स्थापित कोल्ड स्टोरेज एवं सी0ए0 स्टोरेज–18 | | |
| | 1– नर्सरी स्थापना (निजी/व्यक्तिगत) | उच्च गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री का उत्पादन करने हेतु पौधशालाओं की स्थापना के लिये राज सहायता उपलब्ध कराना। | | | | नर्सरी–14<br>25 हजार गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री का प्रति पौधशाला उत्पादन | | उत्पादकता वृद्धि का वर्ष 2022 तक का लक्ष्य<br>1–फलों की उत्पादकता–5.00 मै0टन/है0<br>2–सब्जियों की उत्पादकता–10.00 मै0टन/है0<br>3– आलू की उत्पादकता–17.00 मै0टन/है0<br>4– मसालों की उत्पादकता–8.00 मै0टन/है0<br>5– फूलों का क्षेत्रफल–2000 है0<br>6–औद्यानिक उत्पादो की प्रसंस्करण क्षमता–15 :<br>क्षेत्रफल विस्तार–3200 है0<br>प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–160 | तृतीय वर्ष से |
| | 2– सघन क्षेत्र विस्तार | नये उद्यानों की स्थापना कर, उत्पादन में वृद्धि करना। | | | | क्षेत्र विस्तार–135 है0<br>लाभार्थी–135 | | फलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–7200 | 2019–20 |
| | 3– सामान्य क्षेत्र विस्तार | | | | | सामान्य क्षेत्र विस्तार–1125 है0<br>लाभार्थी–1125 | | | |
| | 4– सब्जी क्षेत्र विस्तार | | | | | सब्जी क्षेत्र विस्तार–850 है0<br>लाभार्थी–1700 | | उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि<br>प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–4000 | 2019–20 |
| | 5– मशरूम उत्पादन इकाई | मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देकर, कृषकों की आय में वृद्धि करना। | | | | इकाई–9<br>स्पान–2 | | मशरूम उत्पादन कर आय वृद्धि | 2019–20 |
| | 8– पुष्प क्षेत्र विस्तार | पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देकर, कृषकों की आय में वृद्धि करना। | | | | क्षेत्र विस्तार–225 है0<br>लाभार्थी–900 | | उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि<br>प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–2000 | 2019–20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **9– मसाला क्षेत्र विस्तार** | मसाला उत्पादन को बढ़ावा देकर, कृषकों की आय में वृद्वि करना। | | | | क्षेत्र विस्तार–850 है0<br>लाभार्थी–850 | | उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि<br>प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–3400 | 2019–20 |
| | **10–जीर्णोद्धार / पुर्नस्थापना** | पुराने अनुत्पादक उद्यानों का जीर्णोद्वार उत्पादन में वृद्धि करना। | | | | जीर्णोद्धार / पुन स्थापना–500 है0लाभार्थी–500 | | उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि | तृतीय वर्ष से |
| | **11– जल स्रोतो की स्थापना(टेंक / बोरबैल)** | सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु कृषकों को नये ट्यूबवैल की स्थापना हेतु राज सहायता प्रदान करना। | | | | टैक / बोरबैल–150<br>लाभार्थी–150 | | सिचिंत क्षेत्र में वृद्धि कर 20 से 25<br>प्रतिशत उत्पादन वृद्धि | 2019–20 |
| | **12– संरक्षित खेती** | संरक्षित वातावरण में सब्जी एवं पुश्पों की बागवानी को प्रोत्साहित करने हेतु राज सहायता प्रदान करना। | | | | पॉलीहाउस–1,90,000 वर्ग मी0 | | संरक्षित खेती कर कृषको की आय<br>में 30 से 40 प्रतिशत वृद्धि<br>लाभार्थी–2000 | 2019–20 |
| | **13– शेड नैट हाउस** | ट्यूबलर बनावट, प्रकोष्ठ संरचना एवं बॉक्स की संरचना पर राज सहायता प्रदान करना। | | | | शेड नैट हाउस–10000 वर्ग मी0 | | | |
| | **14– एंटी हेलनेट / एंटी वर्डनेट** | फलों एवं सब्जी फसलों की ओलों की सुरक्षा हेतु एन्टी हेल नेट पर राज सहायता उपलब्ध कराना। | | | | एंटी हेलनेट / एंटी वर्डनेट–500000 वर्ग मी0 | | | |
| | **15– प्लास्टिक मल्चिंग** | नमी को रोकने एवं खरपतवार की रोकथाम हेतु जमीन को प्लास्टिक शीट से ढकना | | | | प्लास्टिक मल्चिंग–300 है0<br>लाभार्थी–300 | | नमी संरक्षण कर उत्पादन में 20 से 25 तक वृद्धि | 2019–20 |
| | **16– मौनपालन के माध्यम से परापरागण हेतु सहयोग** | फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए परपरागण एवं शहद उत्पादन हेतु मौनवंश व मौन कॉलोनी पर राज सहायता प्रदान | | | | मौनवंशों का उत्पादन–4 सं0<br>मौनवंश / मौनगृह का वितरण–4000 सं0<br>मौनयंत्र का वितरण–50 सं0<br>लाभार्थी–80 | | 250 व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं शहद उत्पादन कर आय वृद्धि करना एवं फलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में लगभग 15 से 20 प्रतिशत वृद्धि | 2019–20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | करना। | | | | | | | |
| | 17–औद्यानिक यंत्र | विभिन्न औद्यानिक मशीनों/पॉवर टिलर/ट्रैक्टर/ औद्यानिकी हेतु स्वचालित मशीन आदि हेतु राज सहायता प्रदान करना। | | | | यंत्र–425<br>लाभार्थी–425 | | उन्नत किस्म के औद्यानिक यन्त्रों का वितरण कर श्रम एवं धनराशि में बचत | 2019–20 |
| | 18–मानव संसाधन विकास (प्रशिक्षण) | नवीनतम तकनीकी ज्ञान हेतु कृषक/महिलाओं का राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम | | | | प्रशिक्षण–4200<br>लाभार्थी–4200 | | दक्षता विकास करना | 2019–20 |
| | 19–समेकित उत्तर फसल प्रबन्धन इकाईयों की स्थापना (पैक हाउस, कोल्ड रूम,कोल्ड स्टोरेज, रेफिजरेटिड वाहन आदि) | तुडाई उपरान्त प्रबन्धन कार्यक्रम। | | | | इकाई– 156 | | उत्पादों का पैकिंग एवं ग्रेडिंग भण्डारण कर उचित समय पर उचित मूल्य दिलाकर 30 से 40 प्रतिशत तक आय वृद्धि | 2019–20 |
| | 20– विपणन हेतु अवस्थापना विकास | विपणन हेतु बाजारों का सृजन। | | | | विपणन हेतु अवस्थापना सुविधायें–75 सं0 | | प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–700 | 2019–20 |
| | 21– खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना | खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना। | | | | इकाई–02 सं0<br>लाभार्थी–02 | | औद्यानिक उत्पादों के प्रसंकरण में वृद्धि करना तथा वर्ष 2022 तक 15 प्रतिशत का लक्ष्य<br>प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–20 | 2019–20 |
| 02 | 0115– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop) | पौधों की आवश्यकतानुसार जल एवं उर्वरक के वितरण उनकी जड़ों तक पहुचाते हुए कम जल/समय में अधिकतम क्षेत्र की सिंचाईं, खरपतवार नियन्त्रण,गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना। | 2688.16 | | SDG-2<br>SDG-8 | 1–ड्रिप /स्प्रिंकलर सिंचाई–7758 है0<br><br>लाभार्थी– 9486 | | 1– विभिन्न औद्यानिक फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक सिंचाई जल की 30 से 80 प्रतिशत तक बचत।<br>2–औद्यानिक फसलों के अन्तर्गत अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि<br>3–अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्रफल आच्छादित से विभिन्न औद्यनिक फसलों में 15 से 80 प्रतिशत तक वृद्धि<br>4–सब्जी तथा फल उत्पादन में वृद्धि से प्रति व्यक्ति सब्जी एवं फल की उपलब्धता में वृद्धि<br>5–बेरोजगारों हेतु रोजगार सृजन के अवसर<br>6–श्रम की बचत। | 2019–20 |
| | योग केन्द्र पोषित | | 8888.16 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जिला सेक्टर | | | | | | | | |
| 01 | **फल/सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण करने की योजना** | 1. फल सब्जियों को बाजार में समुचित मूल्य दिलाने हेतु प्लास्टिक क्रेट्स, किल्टे, पैकिंग हेतु बाक्स उपलब्ध कराना आदि।<br>2. फल व सब्जियों का प्रसंस्करण।<br>3. मिर्च उत्पादक (20 नाली में मिर्च उत्पादन करने वाले) को काली पॉलीथीन उपलब्ध कराना।<br>4. फल व सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु विभागीय फल संरक्षण केन्द्रों द्वारा 07 दिवसीय प्रशिक्षण। | | | | | | | |
| | 1–फल सब्जी प्रसंस्करण | | 281.19 | | **SDG-2<br>SDG-8<br>SDG-12<br>SDG-15** | फल सब्जी प्रसंस्करण–3000 कु0<br>लाभार्थी–8000 | | प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करना | 2019–20 |
| | 2–फल संरक्षण में प्रशिक्षण | | | | | प्रशिक्षण–8000 व्यक्ति<br>लाभार्थी–8000 | | स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण–10000 व्यक्ति | 2019–20 |
| | 3–फल संरक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण | | | | | फल संरक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण–10 | | प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करना | तृतीय वर्ष से |
| | 4–उत्तर फसल प्रबंधन पैकेजिंग सामग्री | | | | | पैकिंग बॉक्स–1.25 लाख<br>लाभार्थी–1200 | | फलों की गुणवत्ता हेतु पैकेजिंग सामग्री में उचित मूल्य दिलाकर लगभग 20 से 25ः आय वृद्धि | 2019–20 |
| 02 | **उन्नत किस्म के रोपण सामग्री के उत्पादन/पौधालय विकास** | 1. फल, पौध, सब्जी, बीज, आलू बीज के परिवहन पर राजसहायता<br>2. नये उद्यानों की स्थापना हेतु पौध एवं निवेश वितरण<br>3. पौध सुरक्षा हेतु कीट व्याधिनाशक रसायनों का वितरण<br>4. कुरमुला कीट नियन्त्रण<br>5. औद्यानिक औजार वितरण<br>6. सिंचाई हेतु 3 x 2 x1.5 मीटर आकार का रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण<br>7. फल पट्टी विकास | 584.98 | | **SDG-2<br>SDG-8<br>SDG-12<br>SDG-15** | | | | |
| | 1–फल पौध वितरण | | | | | फल पौध वितरण–20 लाख<br>लाभार्थी–8000 | फलों की उत्पाादकता 3.75 मै0टन प्रति है0 | फलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर उत्पादकता 5 मै0टन प्रति है0 का 2022 तक लक्ष्य | 2022 |
| | 2–सब्जी बीज वितरण | | | | | सब्जी बीज वितरण–2500 कु0<br>लाभार्थी–5000 | सब्जियों की उत्पादकता–8.51 मै0टन/है0 | सब्जी के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों की आय में लगभग 10 से 20 हजार रू0 वृद्धि<br>**सब्जियों की उत्पादकता–10.00 मै0 टन/है0 का वर्ष 2022 तक लक्ष्य** | 2019–20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3–आलू बीज वितरण | | | | | आलू बीज वितरण–3500 कु0<br>लाभार्थी–2000 | आलू की उत्पादकता–13.76 मै0टन प्रति है0 | उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि<br>आलू की उत्पादकता–17 मै0टन प्रति है0 वर्ष 2022 तक | 2019–20 |
| | 4–पौध सुरक्षा कार्य | | | | | पौध सुरक्षा कार्य–20000 है0 | | पौधों की विभिन्न कीट व्याधियों से सुरक्षा कर उत्पादन में वृद्धि<br>लाभार्थी–15000 | 2019–20 |
| | 6–औद्यानिक संयत्र वितरण | | | | | औद्यानिक संयत्र वितरण–8000 सं0<br>लाभार्थी–3000 | | उन्नत किस्म के औद्यानिक यन्त्रों का वितरण कर श्रम एवं धनराशि में बचत | 2019–20 |
| | 7– मसाला बीज (अदरख, हल्दी, लहसुन आदि) वितरण | | | | | मशाला बीज–4500 कु0<br>लाभार्थी–1000 | मशाला की उत्पादकता – 6.67 मै0टन प्रति है0 | उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि<br>मशाला की उत्पादकता–8 मै0टन/है0 वर्ष 2022 तक लक्ष्य | 2019–20 |
| | 9–चयनित विकास खण्डों में महिलाओं को प्रशिक्षण | | | | | प्रशिक्षण–250 सं0 | | दक्षता विकास | 2019–20 |
| 03 | **अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास** | 1. उद्यान विकास–व्यक्तिगत उद्यानों की स्थापना हेतु पौध व निवेश वितरण<br>2. आलू विकास/उत्पादन हेतु बीज व निवेश वितरण | 50.00 | | **SDG-2<br>SDG-15** | | | | |
| | 1–औद्यानिक विकास | | | | | औद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार–100 है0<br>लाभार्थी–200 | | फलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर उत्पादकता 5 मै0टन प्रति है0 का 2022 तक लक्ष्य<br>प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार–1500 | 2022 |
| | 2–आलू विकास | | | | | आलू विकास–100 है0<br>लाभार्थी–200 | | उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि<br>प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार–1500 | 2019–20 |
| | **योग जिला सैक्टर** | | **916.17** | | | | | | |
| | **योग– उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग** | | **27908.03** | **1450.00** | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ब) | उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड | | | | | | | |
| | राज्य सैक्टर | | | | | | | |
| 1 | राज्य में चाय विकास योजना | | 1700.00 | | **SDG-2**<br>**SDG-8**<br>**SDG-15** | बागान रखरखाव–1350 है0, नया पौध रोपण 200 है0, नर्सरी स्थापना– 30 लाख पौध व 1.05 लाख किग्रा0 प्रसंस्कृत चाय आदि का कार्य किया जायेगा तथा कर्मियों का वेतन भत्ते आदि। | बागान रखरखाव–1250 है0 (उत्पादित क्षेत्र 600 है0, चाय की औसत उत्पादकता 500 किग्रा0 प्रति है0, कृषकों की संख्या–2500) | बागान रखरखाव–1350 है0, नया पौध रोपण 200 है0, नर्सरी स्थापना– 30 लाख पौध व 1.05 लाख किग्रा0 प्रसंस्कृत चाय आदि का कार्य किया जायेगा तथा कर्मियों का वेतन भत्ते आदि। | 2019–20 |
| | **योग चाय विकास** | | **1700.00** | **0.00** | | | | |
| स) | हर्बल सैक्टर | | | | | | | |
| | राज्य सैक्टर | | | | | | | |
| 1 | जड़ी–बूटी शोध संस्थान को अनुदान | | 800.02 | | **SDG-2**<br>**SDG-8**<br>**SDG-15** | 20 कलस्टरों में विकास, 600 है0 में औषधीय पादपों का कृषिकरण, 30.00 लाख औषधीय पौध रोपण सामग्री व 250 किग्रा0 बीज का उत्पादन, 12.00 लाख पौध वितरण, 1000 कृषकों का प्रशिक्षण, शोध एवं विकास हेतु 04 जड़ी–बूटी के नमूने एवं उनका परीक्षण। साथ ही 1000 कृषकों का पंजीकरण किया जायेगा। | | 20 कलस्टरों में विकास, 600 है0 में औषधीय पादपों का कृषिकरण, 30.00 लाख औषधीय पौध रोपण सामग्री व 250 किग्रा0 बीज का उत्पादन, 12.00 लाख पौध वितरण, 1000 कृषकों का प्रशिक्षण, शोध एवं विकास हेतु 04 जड़ी–बूटी के नमूने एवं उनका परीक्षण। साथ ही 1000 कृषकों का पंजीकरण किया जायेगा। | 2019–20 |
| 2 | सगन्ध पौधा केन्द्र को अनुदान एवं सगन्ध पौधों के क्लस्टर विकास (09 से स्थानान्तरित) | | 1300.00 | | **SDG-2**<br>**SDG-8**<br>**SDG-15** | कृषिकरण–800 है0, कृषकों का प्रशिक्षण–2400, 50.00 लाख पौध व 3.00 कु0 बीज का उत्पादन, 800.00 मै0टन तेल तथा 60,000 टन एरोमेटिक हर्ब का आसवन,एवं 350 नमूनों का | 1.सगन्ध पोधों का कुल क्षेत्रफल–7284 है0,<br>2.सगन्ध पौधो की औसत उत्पादकता–228 | कृषिकरण–800 है0, कृषकों का प्रशिक्षण–2400, 50.00 लाख पौध व 3.00 कु0 बीज का उत्पादन, 800.00 मै0टन तेल तथा 60,000 टन एरोमेटिक हर्ब का आसवन,एवं 350 नमूनों का गुणवत्ता परीक्षण किया जायेगा | 2019–20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | गुणवत्ता परीक्षण किया जायेगा | किग्रा प्रति है0,<br>3.कृषकों की संख्या–18176,<br>4.प्रति कृषक आय– रु0 39580 प्रति वर्ष | | |
| 3 | जड़ी–बूटी शोध संस्थान को अनुदान/औषधीय एवं सगन्ध पौधों के क्लस्टर विकास | | 300.00 | | **SDG-2**<br>**SDG-8**<br>**SDG-15** | कलस्टर विकास – 20 | | कलस्टर विकास – 20 | 2019–20 |
| 4 | राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन (100 प्रतिशत केन्द्र सहायतित) | | 0.01 | | | | | | |
| | **योग हर्बल सैक्टर** | | **2400.03** | | | | | | |
| **द)** | **भेषज विकास** | | | | | | | | |
| | **राज्य सैक्टर** | | | | | | | | |
| 1 | मानव संसाधन विकास की योजना | जड़ी–बूटी प्रजातियों के कृषिकरण व वन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले जड़ी–बूटी के वैज्ञानिक विधि से विदोहन किये जाने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना, कृषि तकनीक का प्रचार–प्रसार, कर्मचारियों की कौशल अभिवृद्धि, कृषक को एक ही छतरी के नीचे सभी सुविधाए प्रदान किये जाने हेतु भेषज भवनों का निर्माण व परम्परागत फसलों की कृषि से विरत जड़ी–बूटी प्रजातियों की लघु कृषि प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना का कार्य। | 9.00 | | **SDG-2**<br>**SDG-8** | जड़ी–बूटी प्रजातियों के कृषिकरण विस्तार के लिए निम्नानुसार कार्य सम्पादन प्रस्तावित–<br>1. कृषिकरण– 300 है0<br>2. रोपण सामग्री उत्पादन – 5.00 लाख संख्या<br>3. रवन्ना – 500<br>4. पंजीकृत कृषकों का प्रशिक्षण – 1500<br>5. जड़ी–बूटी संग्रहण– 10000 कु0<br>6. भेषज भवन की स्थापना– 01<br>7. कार्यशाला/सेमीनार –03 | आरम्भिक स्थिति | जड़ी–बूटी प्रजातियों के कृषिकरण विस्तार के लिए निम्नानुसार कार्य सम्पादन प्रस्तावित–<br>1. कृषिकरण– 300 है0<br>2. रोपण सामग्री उत्पादन – 5. 00 लाख संख्या<br>3. रवन्ना – 500<br>4. पंजीकृत कृषकों का प्रशिक्षण – 1500<br>5. जड़ी–बूटी संग्रहण– 10000 कु0<br>6. भेषज भवन की स्थापना– 01<br>7. कार्यशाला/सेमीनार –03 | 2019–20 |
| 2 | भेषज विकास इकाई का ढॉचागत विकास की योजना | | | 16.52 | **SDG-2** | | 40% निर्माण कार्य पूर्ण | | 2019–20 |
| 3 | भेषज कृषि विकास की योजना | | 35.00 | | **SDG-2**<br>**SDG-8**<br>**SDG-15** | | आरम्भिक स्थिति | | 2019–20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | सहकारी जड़ी–बूटी योजना – 0309 अधिष्ठान | विभागीय कार्मिकों को वेतन आदि तथा कार्यालयों के संचालन के लिए व्यवस्था आदि व्यय का भुगतान | 502.82 | | | विभाग के अन्तर्गत कार्मिकों को वेतन भत्ता आदि का भुगतान। | विभागीय क्रियाकलापों के सम्पादनार्थ कार्मिकों पर होने वाला व्यय की आरम्भिक स्थिति | विभाग के अन्तर्गत कार्मिकों को वेतन भत्ता आदि का भुगतान। | 2019–20 |
| 5. | राजकीय/भेषज संघों की नर्सरियों के विकास व सम्वर्द्धन की योजना | पौधरोपण सामग्री का उत्पादन करना | 20.00 | | | पौधरोपण सामग्री का उत्पादन–5 लाख | | पौधरोपण सामग्री का उत्पादन–5 लाख | 2019–20 |
| | **योग भेषज विकास** | | **566.82** | **16.52** | | | | | |
| | **जिला सैक्टर** | | | | | | | | |
| 1 | भेषज संघों को विभिन्न कार्यों हेतु अनुदान | | 80.00 | 0.00 | **SDG-2** | जड़ी बूटियों के ग्रेडिग एवं पैकिग का कार्य। | | जड़ी बूटियों के ग्रेडिग एवं पैकिग का कार्य। | 2019–20 |
| 2 | औषधीय पौधों का उत्पादन | | 25.00 | 0.00 | **SDG-2 SDG-8 SDG-15** | पौधरोपण सामग्री का उत्पादन–17 लाख | | पौधरोपण सामग्री का उत्पादन–17 लाख | 2019–20 |
| 3 | भेषज संघों की अवस्थापना विकास | | 10.00 | 0.00 | **SDG-2** | भेषज संघों के भवन निर्माण हेतु। | | भेषज संघों के भवन निर्माण हेतु। | 2019–20 |
| | **योग भेषज विकास** | | **115.00** | **0.00** | | | | | |
| | **कुल योग भेषज** | | **681.82** | **16.52** | | | | | |
| **य)** | **रेशम विकास** | | | | | | | | |
| | **राज्य सैक्टर** | | | | | | | | |
| 1 | सहकारी समितियों को रेशम विकास हेतु कार्यशील पूंजी | योजना के अन्तर्गत पंजीकृत रेशम सहकारी समितियो को शहतूत वृक्षारोपण, नर्सरी, रेशम कीटपालन, कोया उत्पादन, कोया विपणन, कोया बाजार संचालन, रिलिंग तथा बुनाई आदि कार्य हेतु कार्यशील पूॅजी उपलब्ध कराई जाती है। | 21.50 | | **SDG-2 SDG-8 SDG-15** | लाभान्वित सहकारी समितियां–30 | | लाभान्वित सहकारी समितियां–30 | 2019–20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | चॉकी भवनों का निर्माण व रिनोवेशन | रेशम कीटाण्डों के चॉकी कीटपालन हेतु विभागीय फार्मों पर नये भवनों का निर्माण तथा पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, फैन्सिंग आदि की मरम्मत | 29.50 | | | चाकी भवनों का अनुरक्षण– 10 | | चाकी भवनों का अनुरक्षण– 10 | 2019–20 |
| 3 | जैविक रेशम विकास | कीटपालन कार्य के उपरान्त् रेशम कीट अवशेषों, अप्रयुक्त पत्तियों तथा एफ0वाई0एम0 के द्वारा जैविक खाद तैयार करना तथा रेशम फसलों का जैविक कृषिकरण | 28.50 | | | जैविक खाद उत्पादन–25 टन | | जैविक खाद उत्पादन–25 टन | 2019–20 |
| 4 | वृक्षारोपण विकास योजना | योजना का उद्देश्य परियोजना के इतर विभागीय चॉकी कीटपालन केन्द्रों के साथ–साथ कृषकों की निजी भूमि पर उन्नतशील शहतूत प्रजातियों का फुटकर वृक्षारोपण करते हुए रेशम कीटपालन हेतु प्रचुर मात्रा में भोज्य पौंध तैयार करना है | 18.50 | | | 100000 पौधों का रोपण | | 100000 पौधों का रोपण | 2019–20 |
| 5 | रेशम वस्त्र उत्पादन | प्रदेश में रेशम वस्त्रों के उत्पादन हेतु बुनकरों को प्रशिक्षण, नये बुनाई करघों की स्थापना, पुराने करघों का उच्चीकरण, कच्चे माल की उपलब्धता आदि | 13.00 | | | कपड़ा उत्पादन–50000 मीटर<br>लाभार्थी–40 | | कपड़ा उत्पादन–50000 मीटर<br>लाभार्थी–40 | 2019–20 |
| 6 | रेशम प्रशिक्षण योजना | योजना का उद्देश्य प्रदेश में कुशल मानव संसाधनों का विकास करना तथा लाभार्थियों को रेशम उद्योग की नवीनतम तकनीकियों की जानकारी उपलब्ध कराना | 11.00 | | | 600 कृषकों को प्रशिक्षण | | 600 कृषकों को प्रशिक्षण | 2019–20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 7 | यू0सी0आर0एफ0 का सुदृढीकरण | यू0सी0आर0एफ0 को रेशामोद्योग के कोसोत्तर विकास कार्यक्रमों जैसे–कोया बाजारों का संचालन, कोया मूल्य भुगतान, रेशम रिलिंग, टिवस्टिंग, डाईंग, डिजायनिंग विविंग तथा मार्केटिंग आदि गतिविधियों के संचालन हेतु उपलब्ध कराना | 21.00 | | | सिल्क पार्क का संचालन | | सिल्क पार्क का संचालन | 2019–20 |
| 8 | रेशम कीटाण्ड आपूर्ति हेतु सहायता | प्रदेश के रेशम कीटपालकों को कीटाण्ड मूल्य भुगतान में सहायता उपलब्ध कराना ताकि निर्बलवर्गीय कृषक अल्प मूल्य पर रेशम कीटाण्ड प्राप्त कर कीटपालन प्रारम्भ कर सकें। | 45.00 | | | योजना के अन्तर्गत प्रदेश में पालित 6.00 लाख डी.एफ. एल्स. रेशम कीटाण्ड मूल्य पर अनुदान के रूप में रेशम कीटपालकों को सहायता उपलब्ध कराई गई। | | योजना के अन्तर्गत प्रदेश में पालित 6.00 लाख डी.एफ.एल्स. रेशम कीटाण्ड मूल्य पर अनुदान के रूप में रेशम कीटपालकों को सहायता उपलब्ध कराई गई। | 2019–20 |
| 9 | वन्या रेशम विकास | योजना का उद्देश्य प्रदेश में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध प्रचुर वन सम्पदा का दोहन कर गैर शहतूती रेशम जैसे– टसर, कीटपालन कार्य से रोजगार के अवसरों को जुटाना है तथा विभागीय केन्द्रों पर भी गैर शहतूती पौधालयों की स्थापना, भोज्य पौधों का उत्पादन तथा क्षेत्र में रोपण करना है। | 20.00 | | | फूड प्लान्ट्स–60,000 | | फूड प्लान्ट्स–60,000 | 2019–20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | रेशम कोया उत्पादकों को मानसून फसल हेतु प्रोत्साहन | मानसून फसल में तुलनात्मक रूप से कम कोया उत्पादन के कारण कीटपालकों को हुई आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति करना है। | 20.00 | | | 100.00 टन कोये पर प्रोत्साहन दिया गया। | | 100.00 टन कोये पर प्रोत्साहन दिया गया। | 2019–20 |
| 11 | ग्रोथ सेन्टर में रेशम रीलिंग इकाई का संचालन | योजना का उद्देश्य फेडरेशन द्वारा क्रय किये गये रेशम कोये की रीलिंग करते हुए मूल्य समर्थन तथा लाभार्जन | 38.00 | | | धागा उत्पादन–3.50 टन | | धागा उत्पादन–3.50 टन | 2019–20 |
| 12 | रेशम बीजागार संचालन | योजना का उद्देश्य विभाग के पास पूर्व से उपलब्ध बीज संगठन को सुदृढ़ीकरण/ पुनर्जीवित करते हुए रेशम कीटाण्डों का उत्पादन करना है। | 29.00 | | | बीज उत्पादन–1.50 लाख डी.एफ.एल.एस. | | बीज उत्पादन–1.50 लाख डी. एफ.एल.एस. | 2019–20 |
| 13 | शहतूत की खेती एवं रेशम विकास–0701अधिष्ठान | रेशम विभाग के कार्यक्रमों का समग्र विकास एवं प्रसार करना तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान | 1311.56 | | | कर्मचारियों को वेतन भत्ते आदि का भुगतान। | | कर्मचारियों को वेतन भत्ते आदि का भुगतान। | 2019–20 |
| 14 | केन्द्रपोषित कैटेलिकि योजना (राज्यांश) | भारत सरकार द्वारा पुनर्गठित सी0एस0एस0 योजना व टी0एस0पी0 के नये रेशम क्लस्टर्स विकसित कर लाभार्थियों को निजी कीटपालन भवन निर्माण व टूलकिट्स आपूर्ति हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। | 128.61 | | | शहतूत वृक्षारोपण–500 एकड़<br>कीटपालन गृह निर्माण–500,<br>कीट पालन सामग्री–500 | | शहतूत वृक्षारोपण–500 एकड़<br>कीटपालन गृह निर्माण–500,<br>कीट पालन सामग्री–500 | 2019–20 |
| 15 | कोया बाजारों का उच्चीकरण | राज्य में संचालित कोया बाजारों के सुगम संचालन एवं आवश्यक व्यवस्था हेतु कार्य किये जाते हैं। | 35.00 | | | राज्य में संचालित कोया बाजारों के सुगम संचालन एवं आवश्यक व्यवस्था हेतु कार्य किये जाते हैं। | | राज्य में संचालित कोया बाजारों के सुगम संचालन एवं आवश्यक व्यवस्था हेतु कार्य किये जाते हैं। | 2019–20 |
| | **योग राज्य सेक्टर (रेशम)** | | **1770.17** | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जिला सैक्टर | | | | | | | | |
| 1 | रेशम उत्पादन प्रचार–प्रसार | | 220.00 | | **SDG-2 SDG-8 SDG-15** | कोया उत्पादन– 300 मै0टन लाभान्वित कृषक–10000 | कोया उत्पादन–250 मै0टन | कोया उत्पादन– 300 मै0टन लाभान्वित कृषक–10000 | 2019–20 |
| | योग जिला सेक्टर (रेशम) | | **220.00** | **0.00** | | | | | |
| | कुल योग रेशम | | **1990.17** | **0.00** | | | | | |
| | वाह्य सहायतित परियोजना | | | | | | | | |
| 1 | विश्व बैंक सहायतित एकीकृत बागवानी विकास परियोजना | औद्यानिकी के समग्र विकास हेतु कलस्टर अवधारणा अपनाते हुए पौंध रोपण सामग्री का उत्पादन, क्षेत्रफल विस्तार, संरक्षित खेती, यंत्रीकरण, उत्तर फसल प्रबन्धन, विपणन, प्रसंस्करण एवं चाय तथा औषधीय एवं सगन्ध पादपों का विकास कार्यक्रम सम्मिलित | 1700.00 | | **SDG-2 SDG-8 SDG-12 SDG-15** | भारत सरकार से स्वीकृति उपरान्त् कार्य किये जायेगें। | | | |
| | योग वाह्य सहायतित | | **1700.00** | **0.00** | | | | | |
| | महायोग (उद्यान + रेशम + हर्बल सैक्टर + चाय + भेषज) केन्द्रपोषित + राज्य सैक्टर + वाह्य सहायतित | | **34680.05** | **1466.52** | | | | | |

# उद्योग

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले (लाख रू0 में) | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट | 1–4–2018 तक की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| राज्य सैक्टर (2058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण) | | | | | | | | | |
| **1.** | 001–निदेशन एवं प्रशासन 03–राजकीय मुद्रणालय, रूड़की अधिष्ठान | कार्मिक के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय इत्यादि | 1539.87 | 0 | | 374 कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि। | 1127.68 | 374 कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि। | वर्षान्त तक |
| **2.** | 104–निदेशक एवं प्रशासन 42–अन्य व्यय | समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि का प्रकाशन। | 15.00 | 0 | ़ | समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि का प्रकाशन। | 9.99 | समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि का प्रकाशन। | वर्षान्त तक |
| | | योगः– | **1554.87** | 0 | | | **1137.67** | | |
| | राज्य सैक्टर (2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 101–औद्योगिक विकास) | | | | | | | | |
| **3.** | 02–मेगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी–2014 | भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न टैक्सटाईल उद्योग प्रोत्साहन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में टैक्सटाईल उपक्रमों को आकर्षित एवं प्रोत्साहन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन। | 0 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.3e, 8.3f **SDG Goal : 9** 9.2c, 9.2d, 9.3e, 9.3f | इकाईयों को नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ दिया जायेगा। | 0 | 1–टैक्सटाईल उपक्रमों का विकास 2–प्रदेश के पूंजी निवेश में अभिवृद्धि करना 3– रोजगार सृजन | वर्षान्त तक |
| **4.** | 03–मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी–2015 | राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, राज्य की आर्थिक विकास दर बनाये रखने एवं स्थानीय स्तर पर उद्यम कुशलता के अवसर प्रदान करना। | 0 | 0 | **SDG Goal : 8.3** 8.3c **SDG Goal : 9** 9.2c, 9.2d, 9.3e, 9.3f | इकाईयों को नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ दिया जायेगा। | 0 | 1–पूंजी निवेश आकर्षित करना। 2–रोजगार सृजन। 3–प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करना। | वर्षान्त तक |
| | | योग(101):– | **0** | 0 | | | 0 | | |
| | राज्य सैक्टर (2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 102–लघु उद्योग) | | | | | | | | |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले (लाख रू0 में) | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट | 1–4–2018 तक की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| **5.** | लघु उद्योगों की गणना योजना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) | पंचम अखिल भारतीय गणना हेतु लगाये गये मानव संसाधन का मानदेय। | 0.01 | 0 | – | भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार स्थापित उद्यमों की अखिल भारतीय गणना हेतु लगाये गये मानव संसाधन का मानदेय। | 0 | चालू योजनाओं में आवश्यकतानुरूप संशोधन एवं नई नीतियों का क्रियान्वयन। | वर्षान्त तक |
| **6.** | 03–अधिष्ठान व्यय–उद्योग विभाग | प्रदेश एवं जनपद स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन तथा कार्यालय अधिष्ठान एवं संचालन व्यय। | 2721.00 | 0 | – | 584 कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि। | 2362.38 | उद्योगों की स्थापना/ विकास एवं रोजगार सृजन हेतु निदेशालय/ जनपद स्तर पर उपलब्ध अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन तथा कार्यालय अधिष्ठान एवं संचालन व्यय। | वर्षान्त तक |
| **7.** | 18–उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना | पारम्परिक भारत–चीन व्यापार को बढ़ावा देते हुये व्यापार के नये अवसर प्रदान करना। | 6.04 | 0 | **SDG Goal : 8** | कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि। | 1.29 | 1–पारम्परिक भारत–चीन व्यापार को बढ़ावा।<br>2–व्यापार के नये अवसर | वर्षान्त तक |
| **8.** | राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता विकास परिषद को सहायता। | जिला एवं राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण। | 50.00 | 0 | | जनपद स्तर पर गठित प्राधिकृत समिति की 33 बैठकें तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गईं। | 15.00 | 1–उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन।<br>2–समयबद्ध निस्तारण<br>3–राज्य में निवेश हेतु बेहतर वातावरण | वर्षान्त तक |
| **9.** | उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना | संस्थान की स्थापना कर जनपद स्तर पर बेरोजगार नवयुवक एवं नवयुवतियों को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण देते हुये स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना। | 0.01 | 0 | **SDG Goal : 8**<br>8.6d | – | 0 | भावी उद्यमियों को उद्यम स्थापना हेतु समस्त जानकारी के साथ–साथ जोखिम वहन हेतु सक्षम बनाना। | वर्षान्त तक |
| **10.** | क्लस्टर विकास योजना | प्रदेश के जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं के | 100.00 | 0 | | पर्वतीय जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं | 0 | 1–नियोजित औद्योगिकीकरण | वर्षान्त तक |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले (लाख रू0 में) | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट | 1–4–2018 तक की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | विकास कर क्लस्टर के रूप में उद्यमों की स्थापना द्वारा पूंजी निवेश प्रोत्साहन एवं स्वरोजगार के साथ–साथ रोजगार सृजन के अवसर पैदा करना। | | | | के विकास द्वारा 10 क्लस्टर विकासित किये जायेंगे। | | 2–पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम स्थापना के माध्यम से पूंजी निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक।<br>3–उद्यमिता विकास। | |
| **11.** | राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन नीति। | पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित उद्यम तथा नये उद्यम स्थापना हेतु प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर पलायन की रोकथाम। | 2000.00 | 0 | **SDG Goal : 8**<br>8.3e, 8.3f, 8.5c<br>**SDG Goal : 9**<br>9.2c, 9.3e, 9.3f | नीति के अधीन प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहनों के रूप में 448 पर्वतीय इकाईयों को लाभान्वित किया गया। | 3299.80 | 1–नियोजित औद्योगिकीकरण<br>2–पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम स्थापना के माध्यम से पूंजी निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक।<br>3–उद्यमिता विकास। | वर्षान्त तक |
| **12.** | मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली का अधिष्ठान | केन्द्र सरकार की नीतियों एवं निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार से समन्वय करते हुये विभागीय योजनाओं की समीक्षा करना। | 63.70 | 0 | | 12 कार्मिकों का अधिष्ठान एवं संचालन व्यय। | 62.71 | केन्द्र सरकार से आवश्यक समन्वय। | वर्षान्त तक |
| **13.** | उत्तराखण्ड माटी कला परिषद को सहायता | प्रदेश में कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य करने वाले शिल्पियों को तकनीकी कौशल, उन्नत उपकरण एवं विपणन आदि के माध्यम से कुटीर उद्यमी के रूप में विकसित कर उन्हें विपणन हेतु बाजार उपलब्ध कराना। | 10.00 | 0 | | 338 माटी कला शिल्पियों को विद्युत चालित चाक और 856 शिल्पियों को मिट्टी की उपलब्धता हेतु परिचय पत्र वितरण का कार्य। | 5.00 | 1–प्रदेश में कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य करने वाले शिल्पियों को तकनीकी कौशल, उन्नत उपकरण एवं विपणन आदि के माध्यम से कुटीर उद्यमी के रूप में विकसित करना।<br>2–बाजार आधारित विकास | वर्षान्त तक |
| **14.** | एमएसएमई अवस्थापना विकास निधि | औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु। | 200.00 | | | | 200.00 | | |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले (लाख रू0 में) | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट | 1—4—2018 तक की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| **15.** | महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रोत्साहन योजना | नीति के अन्तर्गत प्रदेश में महिला उद्यमिता के विकास हेतु पूंजी निवेश प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक। | 400.00 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.5c | नीति के अन्तर्गत महिला उद्यमियों की 12 इकाईयों को प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराये गये। | 50.00 | प्रदेश में महिला उद्यमिता के माध्यम से पूंजी निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक। | वर्षान्त तक |
| **16.** | 9801—नाबार्ड की आरआईडीएफ योजनान्तर्गत ग्रामीण हाट का निर्माण | प्रदेश के एमएसएमई उत्पादों व हथकरघा/हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों को विपणन के अवसर उपलब्ध कराते हुये आय मे वृद्धि। | 1000.00 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.3e, 8.3f, 8.5c **SDG Goal : 9** 9.2c, 9.3e, 9.3f | प्रदेश के दो पर्वतीय जनपदों, चमोली एवं पिथौरागढ़ तथा दो मैदानी जनपदों देहरादून व ऊधमसिंहनगर में ग्रामीण हाट की स्थापना द्वारा विपणन सुविधा प्रदान करना। | 1333.55 | प्रदेश के एमएसएमई उत्पादों व हथकरघा बुनकर शिल्पियों को विपणन के अवसर उपलब्ध कराते हुये आय मे वृद्धि। | वर्षान्त तक |
| **17.** | प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना | प्रदेश में समुचित औद्योगिक विकास का वातावरण तैयार कर उद्यम स्थापना कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ—साथ पलायन पर रोक लगाने के उद्देश्य से स्थापित उद्यमों को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान सुविधायें उपलब्ध कराना। | 3500.00 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.3e, 8.3f, 8.5c **SDG Goal : 9** 9.2c, 9.3e, 9.3f | नीति के अन्तर्गत 40 स्थापित उद्यमों को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराये गये। | 700.00 | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों की स्थापना से पूंजी निवेश में वृद्धि के साथ—साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा पलायन पर रोक। | वर्षान्त तक |
| **18.** | कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण योजना | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, हथकरघा, हस्तशिल्प एवं खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में उद्यमरत अथवा सम्भाव्य उद्यमियों को उनकी निष्पादन क्षमता में बृद्धि करना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, हथकरघा, हस्तशिल्प एवं खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र को अधिक | 50.00 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.6d | विभिन्न ट्रेडों में 1825 युवाओं को प्रशिक्षित करते हुये स्वरोजगार/ रोजगार से जोड़ा गया। | 25.00 | तकनीकी दक्षता प्रदान करते हुये स्वरोजगार/ रोजगार की उपलब्धता। | वर्षान्त तक |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले (लाख रू0 में) | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट | 1–4–2018 तक की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | प्रतिस्पर्धी एवं बाजार मॉग के अनुरूप विकसित किये जाने के लिये उद्यमियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण। | | | | | | | |
| **19.** | एमएसएमई परियोजना प्रबन्धन इकाई (पीएमयू) की स्थापना | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के उद्यमियों को क्लस्टर विकास, विपणन, कौशल विकास, तकनीकी सहायता, वित्तीय/ऋण प्रबन्धन एवं गुणवत्ता नियंत्रण आदि के लिये मार्गदर्शन/परामर्श हेतु विभागीय स्तर पर विशेषज्ञता प्राप्त परामर्शदाताओं को मानदेय पर नियुक्त कर एमएसएमई परियोजना प्रबन्धन इकाई गठित की गई है। | 50.00 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.6d | बैंकिंग एवं वित्त, निर्यात, विपणन, डिजाईन एवं टैक्सटाईल विशेषज्ञों के माध्यम से राज्य के अनुकूल नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रभावी कियान्वयन। | 25.00 | प्रदेश के अप्रयुक्त संसाधनों का उचित प्रयोग, निर्मित उत्पाद हेतु विपणन के उचित अवसर, उत्पादों के उत्पादन में उन्नत डिजाइनों का समावेश तथा बैंक लिंकेज हेतु एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध होने से प्रदेश के औद्योगिक विकास में वृद्धि होगी। | वर्षान्त तक |
| **20.** | स्टार्टअप एण्ड स्टैण्डअप उद्यमिता विकास योजना | भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अनुमोदित परियोजनाओं में राज्य के युवाओं को टॉपअप/वाईविलिटी गैप फण्डिंग के लिये योजनान्तर्गत नीति में प्रदत्त प्रोत्साहनों के साथ–साथ स्टैण्डअप लोन, टॉपअप, वाईविलिटी गैप फण्डिंग आदि के द्वारा राज्य के युवाओं को अभिनव उद्यमों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना तथा टैक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेसन केन्द्र की स्थापना। | 400.00 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.3e, 8.3f, 8.5c **SDG Goal : 9** 9.2c, 9.3e, 9.3f | 200 स्टार्टअप तैयार करना। | 30.00 | 1–प्रदेश के तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन को प्रदेश में ही निवेश अनुकूल वातावरण प्रदान करना।<br>2–प्रक्रिया एवं उत्पाद के स्तर पर नवोनमेषी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। | वर्षान्त तक |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले (लाख रू0 में) | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट | 1–4–2018 तक की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| **21.** | औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार व प्रचार–प्रसार | प्रदेश में स्थापित उद्यमों तथा हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन हेतु प्रचार–प्रसार तथा बाजार उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करना। | 300.00 | 0 | **SDG Goal : 8**<br>8.6d | 3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, 24 राष्ट्रीय व्यापार मेले तथा 28 जनपद स्तरीय मेले। एमएसएमई पखवाड़े का आयोजन एवं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / राज्य सरकारों द्वारा आयोजित 18 सेमीनार। | 250.00 | 1–विपणन प्रोत्साहन<br>2–योजनाओं / कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार<br>3–उद्यमिता के वातावरण के सृजन हेतु अभिप्रेरणा का विकास | वर्षान्त तक |
| **22.** | उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु पुरूष्कार योजना | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा हथकरघा / हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों में गुणवत्ता वृद्धि तथा उनके शिल्प को प्रोत्साहित करना। | 6.00 | 0 | **SDG Goal : 8** | प्रदेश स्तर पर 6 उद्यमियों एवं शिल्पियों तथा जनपद स्तर पर 78 उद्यमियों एवं शिल्पियों को पुरस्कृत किया गया। | 6.00 | 1–उत्पादों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि<br>2–उत्पाद के साथ–साथ उद्यमी / शिल्पी / बुनकर का प्रचार–प्रसार<br>3–उद्यमी / शिल्पी / बुनकर की मान्यता | वर्षान्त तक |
| **23.** | ईज आफ डूईंग बिजनेस | योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण सृजन तथा उद्यम स्थापना हेतु प्राप्त की जाने वाली समस्त अनुज्ञाओं / अनापत्तियों / स्वीकृतियों के त्वरित निस्तारण हेतु राज्य सरकार के अधीन समस्त रेखीय विभागों के मध्य औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु समन्वय करना। | 400.00 | 0 | **SDG Goal : 8**<br>8.3e, 8.3f, 8.5c<br>**SDG Goal : 9**<br>9.2c, 9.3e, 9.3f | योजनान्तर्गत राज्यों हेतु 372 कार्य विन्दुओं (Action Points) पर 14 परामर्शदाताओं की सेवायें लेते हुये कियान्वयन। | 499.11 | 1–निवेश को आकर्षित करना<br>2–अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा<br>3–रोजगार के अवसर<br>4–पलायन पर रोक | वर्षान्त तक |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले (लाख रू0 में) | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट | 1–4–2018 तक की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| **24.** | अन्तर्राष्ट्रीय विनिवेश मेला | राज्य में विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु निवेशक सम्मेलन **"Destination Uttarakhand"** का आयोजन। | 1000.00 | 0 | **SDG Goal : 8**<br>8.3e, 8.3f, 8.5c<br>**SDG Goal : 9**<br>9.2c, 9.3e, 9.3f | सम्मेलन के दौरान विनिर्माण, पर्यटन व आतिथ्य, बुनियादी ढॉचा, फिल्म सूटिंग और मनोरंजन, आईटी/बायोटैक, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा और कौशल, स्टार्टअप और एमएसएमई पर क्षेत्रीय समांतर सत्र आयोजित किये गये। निवेश क्षेत्रों में 1.24 लाख करोड़ रूपये के कुल 623 एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। | 0 | 1–निवेश को आकर्षित करना<br>2–योजनाओं/कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार<br>3–रोजगार के अवसर सृजित करना | वर्षान्त तक |
| **25.** | सेवा क्षेत्र की इकाईयों को प्रोत्साहन | प्रदेश की आर्थिकी में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है और इसमें रोजगार सृजन की अपार सम्भावनायें हैं। ''**वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम(जीएसटी)**'' के लागू होने के पश्चात् राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में सेवा क्षेत्र का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विजन–2020 में सेवा क्षेत्र में एक लाख व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। | 200.00 | 0 | **SDG Goal : 8**<br>8.3e, 8.3f, 8.5c<br>**SDG Goal : 9**<br>9.2c, 9.3e, 9.3f | | 0 | 1–जीएसटी को प्रोत्साहन<br>2–सेवा क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना | वर्षान्त तक |
| **26.** | एमएसएमई की केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश (नई योजना) | एमएसएमई की केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश हेतु। | 50.00 | 0 | **SDG Goal : 8**<br>8.3e, 8.3f, 8.5c | केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश | 0 | | वर्षान्त तक |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले (लाख रू0 में) | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट | 1–4–2018 तक की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | | | | **SDG Goal : 9** 9.2c, 9.3e, 9.3f | | | | |
| **27.** | ग्रोथ सेन्टर की स्थापना(नई योजना) | ग्रोथ सेन्टर की स्थापना हेतु। | 750.00 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.3e, 8.3f, 8.5c **SDG Goal : 9** 9.2c, 9.3e, 9.3f | प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, उद्यमिता प्रोत्साहन एवं पलायन को रोकने के साथ–साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। | 0 | 1–प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन<br>2–पलायन पर रोक<br>3–रोजगार सृजन | वर्षान्त तक |
| **28.** | विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान(नई योजना) | विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान आदि हेतु। | 1500.00 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.3e, 8.3f, 8.5c **SDG Goal : 9** 9.2c, 9.3e, 9.3f | | 0 | | वर्षान्त तक |
| **29.** | 9701–वाह्य सहायतित परियोजनायें | | 1000.00 | 0 | | | 0 | | वर्षान्त तक |
| | | योगः– | **15756.73** | 0 | | | **8864.84** | | |
| | राज्य सैक्टर (2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 103–हथकरघा) | | | | | | | | |
| **30.** | उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता। | प्रदेश के हथकरघा, हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रचार–प्रसार व मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना। | 100.00 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.3d | कार्यक्रम के अधीन राज्य के शिल्पियों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीक एवं डिजाइन समावेश पर दक्ष किया जाना। विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदेश के शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। | 50.00 | 1–डिजाइन/उत्पाद विकास<br>2–शिल्पों का संवर्द्धन<br>3–क्रेडिट लिंकेज<br>4–विपणन सहायता<br>5–स्वरोजगार के अवसर<br>6–पर्यटन से लिंकेज | वर्षान्त तक |
| **31.** | नन्दा देवी योजना | प्राकृतिक रेशा एवं हथकरघा क्षेत्र पर आधारित उत्पादों के विकास एवं विपणन के साथ–साथ हथकरघा बुनकरों के उद्यमिता विकास एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षण की | 50.00 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.6d | मै0 हंस फाउण्डेशन के माध्यम से संचालन। | 0 | प्राकृतिक रेशा एवं हथकरघा क्षेत्र पर आधारित उत्पादों के विकास एवं विपणन के माध्यम से स्वरोजगार एवं पलायन पर रोक। | वर्षान्त तक |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले (लाख रू0 में) | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट | 1–4–2018 तक की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से ग्राम–मटेना, जनपद–अल्मोड़ा में नन्दा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। | | | | | | | |
| **32.** | खादी संस्थाओं को सहयोग | प्रदेश में कार्यरत खादी संस्थाओं के उन्नयन हेतु विभिन्न प्रकार के तकनीकी डिजाइन, कौशल विकास। | 20.00 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.6d | प्रतिवर्ष 5 संस्थाओं का चयन कर उन्हें कार्य करने हेतु प्रति संस्था अधिकतम रू0 5 लाख, जिसमें क्रमशः कार्यशाला मद में 50 प्रतिशत, डिजाइन विकास में 20 प्रतिशत तथा तकनीकी कौशल हेतु 30 प्रतिशत धनराशि की सहायता। | 0 | 1–मॉग अनुरूप खादी वस्त्रों में डिजाइन का समावेश<br>2–आकर्षक उत्पाद के द्वारा खादी संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी बनाना<br>3–रोजगार के अवसर सृजित करना | वर्षान्त तक |
| **33.** | शिल्पियों हेतु पेंशन योजना | राज्य में हस्तशिल्प की प्राचीन धरोहर एवं विभिन्न शिल्पों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन। | 10.00 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.6d | 225 शिल्पियों को रू0 400/– प्रतिमाह प्रति शिल्पी सम्मान स्वरूप प्रदान करना। | 10.00 | हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार के अवसर हेतु लोगों को प्रोत्साहन, परम्परागत धरोहर का संरक्षण एवं उन्नयन। | वर्षान्त तक |
| **34.** | समाज के निर्धन कर्मकारों हेतु बुनकर/शिल्पकार विकास योजना | प्रदेश के 10 ब्लॉकों के शिल्पियों को, जिनमें महिलायें भी शामिल हैं, को सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, डिजाइन विकास, बैंक लिंकेज, प्रचार–प्रसार आदि के माध्यम से स्वावलम्बी बनाना। | 10.00 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.6d | 10 सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना। | 0 | 1–शिल्पियों विशेषतः महिलाओं में स्वावलम्बन की भावना विकसित करना।<br>2–प्रदेश की आर्थिकी में महिलाओं की भूमिका का उचित चित्रण करना।<br>3–विपणन विकास<br>4–केडिट लिंकेज<br>5–स्वरोजगार सृजित करना | वर्षान्त तक |
| **35.** | उत्तराखण्ड राज्य | प्रदेश के परम्परागत शिल्प | 10.00 | 0 | **SDG Goal : 8** | प्रदेश के विभिन्न | 5.00 | राज्य की परम्परागत कला | वर्षान्त |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले (लाख रू0 में) | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट | 1–4–2018 तक की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | शिल्प रत्न पुरूष्कार | कला के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारम्परिक कला, संस्कृति की परम्परा को अक्षुण्य बनाये रखने एवं शिल्पियों की कल्पनाशील, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से विशिष्ट शिल्पियों को चयनित कर पुरस्कार राशि के रूप में एक लाख रूपये धनराशि, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाते हैं। | | | 8.6d | जनपदों से विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ 5 शिल्पियों का चयन करते हुये पुरस्कार राशि के रूप में एक लाख रूपये धनराशि, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति। | | एवं संस्कृति को संरक्षित करते हुये उसके संवर्द्धन हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का कियान्वयन। | तक |
| **36.** | हथकरघा कताई–बुनाई महिला कमकारों को सहायता | हथकरघा क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं को करघे उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार की ओर प्रेरित करते हुये उनकी वाणिज्यिक एवं आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। | 10.00 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.6d | | 5.00 | | वर्षान्त तक |
| **37.** | राजकीय डिजाईन केन्द्र, काशीपुर का सुधारीकरण एवं एपरेल प्रशिक्षण योजना | राजकीय डिजाईन केन्द्र, काशीपुर के समुचित उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड के युवाओं को Appreal, Embrodiary एवं निटवियर के ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए | 50.00 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.6d | | 0 | 1–युवाओं को एपरेल, इम्ब्राईडरी एवं निटवियर के ट्रेड में प्रशिक्षण<br>2–इस केन्द्र को प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र के रूप में स्थापित करना<br>3–रोजगार सृजन | वर्षान्त तक |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले (लाख रू0 में) | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट | 1–4–2018 तक की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र के रूप में स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र का सुधारीकरण। | | | | | | | |
| **38.** | 18–वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं में राज्यांश (नई योजना) | वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं में राज्यांश | 50.00 | | | | | | |
| | | योगः– | **310.00** | 0 | | | **70.00** | | |
| | राज्य सैक्टर (2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 105–खादी ग्रामोद्योग) | | | | | | | | |
| **39.** | खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता | कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं का प्रचार–प्रसार कर प्रदेश में उत्पादित खादी वस्तुओं के विपणन प्रोत्साहन व प्रशिक्षण। | 100.00 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.6d | 25 कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों की योजनाओं का प्रचार–प्रसार, खादी एवं ग्रामोद्योग की 25 प्रदर्शनियों में प्रदेश में उत्पादित खादी वस्तुओं का विपणन व प्रोत्साहन तथा 8 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 150 लोगों में कौशल विकास। | 100.00 | 1–खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा उत्पादित वस्त्रों के प्रति लोगों को आकर्षित करना<br>2–क्रेडिट लिंकेज<br>3–स्वरोजगार | वर्षान्त तक |
| **40.** | खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता (वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान) | खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं खादी व्यय हेतु। | 1000.00 | 0 | . | 248 कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय संचालन। | 730.00 | कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय संचालन। | वर्षान्त तक |
| **41.** | खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट | खादी संस्थाओं द्वारा उत्पादित उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग करने हेतु खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट प्रदान करना। | 400.00 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.6d | 60 संस्थाओं के प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित 200 बिक्री केन्द्रों में हुई बिक्री के सापेक्ष 10 प्रतिशत छूट की प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय किया जायेगा। | 140.00 | 1–खादी वस्त्रोद्योग को बढ़ावा<br>2–खादी क्षेत्र में रोजगार सृजन<br>3–क्रेडिट लिंकेज<br>4–विपणन प्रोत्साहन | वर्षान्त तक |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले (लाख रू0 में) | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट | 1–4–2018 तक की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| **42.** | रेशा खरीद हेतु अनुदान | प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उत्पादों के उत्पादन हेतु रेशा कय कर उपलब्ध कराया जाना। | 0.01 | 0 | **SDG Goal : 8** 8.6d | जसपुर, अल्मोड़ा, चम्बा तथा श्रीनगर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्राकृतिक रेशा कय करते हुये इसमें मूल्यवर्द्धन कर नवीन उत्पाद हेतु विभिन्न संस्थाओं को उपलब्ध कराये जायेंगे। | 50.00 | 1–प्राकृतिक रेशों का मूल्यवर्द्धन 2–अभिनव उत्पाद 3–स्वरोजगार | वर्षान्त तक |
| | योग(105):– | | **1500.01** | 0 | | | **1020.00** | | |
| | राज्य सैक्टर (2853–भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून) | | | | | | | | |
| **43.** | **2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 001–निदेशन तथा प्रशासन** 03– खनिज प्रशासन का अधिष्ठान | प्रदेश एवं जनपद स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन तथा कार्यालय अधिष्ठान एवं संचालन व्यय। | 1101.81 | 0 | | अधिष्ठान के मुख्यालय तथा जिलास्तर पर स्थापित कार्यालयों में 182 कार्यरत कार्मिकों का अधिष्ठान संचालन पर व्यय। | 812.26 | अधिष्ठान के मुख्यालय तथा जिलास्तर पर स्थापित कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का अधिष्ठान संचालन पर व्यय | वर्षान्त तक |
| **44.** | **04–राज्य खनिज विकास परिषद** | परिषद के संचालन में व्यय कार्य हेतु। | 10.00 | 0 | | परिषद के संचालन में व्यय कार्य हेतु। | 0 | परिषद के संचालन में व्यय कार्य हेतु। | वर्षान्त तक |
| **45.** | **102–खनिज खोज** 03–पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना | नये उपखनिज क्षेत्रों में ई0आई0ए0 कराया जाना तथा आवंटित खनन क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कार्य। | 73.50 | 0 | | नये उपखनिज क्षेत्रों में ई0आई0ए0 कराया जाना तथा आवंटित खनन क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कार्य। | 31.50 | नये उपखनिज क्षेत्रों में ई0आई0ए0 कराया जाना तथा आवंटित खनन क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कार्य। | वर्षान्त तक |
| **46.** | **102–खनिज खोज** 04–खनन सर्विलांश | खनन क्षेत्रों में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम करने तथा अपेक्षित राजस्व वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति। | 126.00 | 0 | | खनन क्षेत्रों में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम करने तथा अपेक्षित राजस्व वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति। | 34.64 | खनन क्षेत्रों में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम करने तथा अपेक्षित राजस्व वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति। | वर्षान्त तक |
| | | योगः– | **1311.31** | 0 | | | **878.40** | | |
| **47.** | 4851–102–सेन्ट्रल | प्रदेश तथा अन्य आस–पास | 0 | 1000.00 | **SDG Goal : 8** | एक केन्द्रीय संस्थान | 0 | प्रतिवर्ष 1500 युवाओं को | वर्षान्त |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले (लाख रू0 में) | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट | 1–4–2018 तक की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | इन्सटीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी (एन0पी0बी0सहित) | के क्षेत्रों में स्थापित तथा नये प्लास्टिक उद्योगों में प्रोसेसिंग / CAD / CAM परीक्षण, निरीक्षण की सुविधा हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना। | | | 8.6d | की स्थापना। | | प्लास्टिक प्रोसेसिंग टैक्नोलॉजी, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग, बेसिक मशीनिंग, प्लास्टि प्रोडक्ट एण्ड मोल्ड डिजाइन, मोल्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग, इलैक्ट्रिकल मेन्टिनेन्स, एडवांश मशीन मेन्टिनेन्स एण्ड इण्डस्ट्रियल ऑटोमेशन, पीएलसी, हाइड्रोलिक्स, पैन्यूमेडिक्स, वैल्डिंग एण्ड फैब्रीकेशन टैक्नोलॉजी आदि में, विशेष रूप से डिजाइन कोर्सेज के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करेगा। | तक |
| **48.** | 4851–103–हरि प्रसाद टम्टा पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान | परम्परागत शिल्पों के सरंक्षण, संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण के साथ–साथ शोध आदि कार्यों हेतु संस्थान की स्थापना। | 0 | 0.01 | **SDG Goal : 8** 8.6d | संस्थान की स्थापना द्वारा राज्य के परम्परागत शिल्पों के सरंक्षण, संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण के साथ–साथ शोध आदि कार्य। | 0 | शिल्पियों को कौशल अभिवृद्धि, डिजाईन विकास तथा शिल्पियों का व्यवसायिक उत्पादन द्वारा आय में वृद्धि के साथ–साथ उनके शिल्प की पहचान प्रदेश से बाहर बनाने हेतु। | वर्षान्त तक |
| **49.** | 10–नेशनल इन्सटीट्यूट आफ फैशन टैक्नोलॉजी की स्थापना | उत्तराखण्ड तथा आस–पास के क्षेत्रों के बेरोजगारों / रोजगार में लगे हुए युवाओं को रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा देहरादून में ही उपलब्ध हो सके। प्रस्तावित यह केन्द्र प्रतिवर्ष 600 युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में, विशेष रूप | 0 | 0.01 | **SDG Goal : 8** 8.6d | बेरोजगारों / रोजगार में लगे हुए युवाओं को रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कराना। | 0 | बेरोजगारों / रोजगार में लगे हुए युवाओं को रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। | |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले (लाख रू0 में) | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट | 1–4–2018 तक की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | से फैशन टैक्नोलॉजी कोर्सेज के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना। | | | | | | | |
| **50.** | 11–ग्रोथ सेन्टर का संचालन | प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन एवं पलायन को रोकने के साथ–साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। | 0 | 750.00 | **SDG Goal : 8** 8.3e, 8.3f, 8.5c **SDG Goal : 9** 9.2c, 9.3e, 9.3f | प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, उद्यमिता प्रोत्साहन एवं पलायन को रोकने के साथ–साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। | 0 | 1–प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन<br>2–पलायन पर रोक<br>3–रोजगार सृजन | |
| **51.** | 9701–वाहय सहायतित परियोजनायें | | 0 | 0.01 | | | 0 | | |
| | | योगः– | 0 | **1750.03** | | | **0** | | |
| **52.** | 4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय 08–सिडकुल को सहायता (नई योजना) | सिडकुल को सहायता | 0 | 488.33 | | | 0 | | |
| | योग(अनुदान संख्या–23) | | **20432.92** | **2238.36** | | | **11970.91** | | |

# आउटकम बजट का संक्षेप
## (वर्ष 2019–20)

**अनुदान संख्या–23**
कुल राजस्व – रू0 20432.92 लाख
कुल पूंजीगत – रू0 2238.36 लाख

**अनुदान संख्या–30**
कुल राजस्व – रू0 10.00 लाख

**अनुदान संख्या–31**
कुल राजस्व – रू0 60.00 लाख

*कुल प्राविधान(राजस्व + पूंजीगत) – रू0 22741.28 लाख*

| वर्ष | बीस सूत्रीय कार्यक्रम में लक्षित उद्योग संख्या | कुल पूंजी निवेश (रू0 करोड़ में) | कुल रोजगार | राजस्व प्राप्ति (रू0 करोड़ में) | अन्य अपरोक्ष आय |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019–20 | 3670 | 1200 | 22000 | 600 | उद्योगों से राजस्व में अपरोक्ष वृद्धि। |

# अनुदान संख्या–30
## (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान)

| क्र० सं० | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले (लाख रू0 में) | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट | 1–4–2017 तक की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1० | उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता | प्रदेश के अनुसूचित जाति / अनु0 जनजाति के हथकरघा, हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रचार–प्रसार व मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना। | 10.00 | 0 | **SDG Goal : 8**<br>8.6d | प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन 15 शिल्पियों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीक एवं डिजाइन समावेश पर दक्ष किया गया। विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदेश के 35 शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराई गई। | 0.20 | 1–डिजाइन / उत्पाद विकास<br>2–शिल्पों का संवर्द्धन<br>3–क्रेडिट लिंकेज<br>4–विपणन सहायता<br>5–स्वरोजगार के अवसर<br>6–पर्यटन से लिंकेज | वर्षान्त तक |
| | | **योगः–** | **10.00** | **0** | | | **0.20** | | |

# अनुदान संख्या–31
## (ट्राईबल सब प्लान)

| क्र० सं० | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले (लाख रू0 में) | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट | 1–4–2017 तक की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1० | उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता | प्रदेश के जनजातियों के हथकरघा, हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रचार–प्रसार व मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना। | 10.00 | 0 | **SDG Goal : 8**<br>8.6d | प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन 55 शिल्पियों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीक एवं डिजाइन समावेश पर दक्ष किया गया। विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदेश के 22 शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराई गई। | 5.10 | 1–डिजाइन / उत्पाद विकास<br>2–शिल्पों का संवर्द्धन<br>3–क्रेडिट लिंकेज<br>4–विपणन सहायता<br>5–स्वरोजगार के अवसर<br>6–पर्यटन से लिंकेज | वर्षान्त तक |
| 2० | थारू बोक्स एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना | हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रही थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से '' **थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना** '' प्रस्तावित की | 50.00 | 0 | | हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रही थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान कराना। | 0 | हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रही थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान कराना। | वर्षान्त तक |
| | | **योगः–** | 60.00 | 0 | | | 5.10 | | |

# उरेडा

(रू0लाख में)

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0 **SDG Covered–07**

| क्र0 स0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | | संबंधित Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्राजेक्टेड) आउटपुट 2019–20 | 1.4.2018 की स्थिति(बेस लाईन) | परिकल्पित (प्राजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 1. | **सोलर इनर्जी** सौर ऊर्जा योजनाओं से विद्युत उत्पादन | सौर तापीय ऊर्जा से गर्म पानी की व्यवस्था से विद्युत बचत | 100.00 | 0.00 | SDG-7 (स्वच्छ एवं आधुनिक ऊर्जा का उत्पादन) | 17000 ली. प्रतिदिन क्षमता सोलर वाटर हीटिंग संयत्रों की स्थापना। | 41.61 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत बचत | लगभग 180000 यूनिट प्रति वर्ष विद्युत की बचत। | एक वर्ष |
| | | किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) सिचाई योजना | 460.00 | 0.00 | SDG-7 (स्वच्छ एवं आधुनिक ऊर्जा का उत्पादन) | 2560 कि.वाट क्षमता 5 से 7.5 HP तक के क्षमता के 512 सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पम्पों की नेट मीटरिंग आधार पर स्थापना। | 243.35 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन | 2560 कि.वाट क्षमता 5 से 7.5 HP तक के क्षमता के 512 सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पम्पों की नेट मीटरिंग आधार पर स्थापना। | एक वर्ष |
| 2. | **जल विद्युत कार्यकम** लघु जल विद्युत योजनाओं की स्थापना | दूरस्थ ग्रामों में विद्युत आपूर्ति | 186.85 | 0.00 | SDG-7 (स्वच्छ एवं आधुनिक ऊर्जा का उत्पादन) | 2550 कि.वाट विद्युत उत्पादन हेतु 02 योजनाओं का पुर्नरूद्धार | 15.61 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन | 2550 कि.वाट विद्युत उत्पादन हेतु 02 योजनाओं का पुर्नरूद्धार | एक वर्ष |
| 3. | **प्रशासनिक व्यय** कार्मिकों का वेतन | अक्षय ऊर्जा श्रोतों के चिन्हांकन एवं दोहन हेतु सेवाऐं प्रदान करना। | 650.00 | 0.00 | SDG-7 (स्वच्छ एवं आधुनिक ऊर्जा का उत्पादन) | अक्षय ऊर्जा श्रोतों के चिन्हांकन एवं दोहन हेतु सेवाऐं प्रदान करना। | – | अक्षय ऊर्जा श्रोतों के चिन्हांकन एवं दोहन हेतु सेवाऐं प्रदान करना। | एक वर्ष |
| योग | | | 1432.86 | 0.00 | | | | | |

## आउटकम बजट 2019–20

विभाग का नाम–कारागार विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0–शून्य

धनराशि (लाख रू0 में)

| क0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.4.18 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | अनुदान संख्या 10 | | | | | | | | |
| | 2056–जेलें | | | | | | | | |
| | 001– निदेशन तथा प्रशासन | | | | | | | | |
| | 00–कारागार अधिष्ठान | | | | | | | | |
| | 03– कारागार अधिष्ठान, 04–कारागार मुख्यालय | | | | | | | | |
| 1 | अधिष्ठान पर व्यय– | कारागारों में निरूद्ध बंदियों की सुरक्षा, भोजन चिकित्सा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था | 3974.68 | – | – | प्रदेश की 10 कारागारों एवं कारागार मुख्यालय में कार्यरत कुल 664 कार्मिकों तथा 11 कार्यालयों हेतु | कुल कार्मिको की 664 | बंदियों के रख–रखाव व उनकी सुरक्षा व्यवस्था होगी तथा कार्यालयों के कार्य सम्पादित होगें। | 01 वर्ष |
| 2 | बंदियों के रख–रखाव, प्रशिक्षण/कार्यशाला, सुरक्षा आदि पर व्यय | | 1812.60 | – | – | प्रदेश की 10 कारागारों में लगभग 5400 बंदियों को निरूद्ध करने हेतु 03 कारागारों में कृषि बागवानी व कारागार उद्योग संचालन एवं बंदियों के प्रशिक्षण हेतु | बंदियों की औसत संख्या–5195 | बंदियों का रख–रखाव एवं बंदियों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु उनमें सुधारात्मक कार्य, विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण, कार्यशालाओं का आयोजन होगा। | 01 वर्ष |
| 3 | कारागारों में सुरक्षा, आधुनिकीकरण आदि के कार्यों पर व्यय | कारागारों की सुरक्षा | 500.00 | – | – | समस्त 10 कारागारों में लगेंज स्केनर सी0सी0टी0वी0 व मोबाइल जैमर एंव अन्य सुरक्षा उपकरण आदि की व्यवस्था हेतु | – | समस्त 10 कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा प्रशासनिक प्रबंधन का विकास होगा । | 01 वर्ष |
| | अनुदान संख्या 10 | जनपदों में नवीन कारागारों का निर्माण एवं विस्तारीकरण के कार्य तथा कारागार मुख्यालय का निर्माण | | | | | | | |
| | 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, 80–सामान्य | | | | | | | | |
| | 051–निर्माण व्यय | | | | | | | | |
| | 02–जेलों का निर्माण /भूमि का क्रय | | | | | | | | |
| 1 | 24–वृहद् निर्माण/अनुरक्षण कार्य | | – | 1000.00 | – | ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, चम्पावत तथा बागेश्वर में कुल 04 नवीन कारागार व 01 कारागार मुख्यालय का निर्माण तथा हल्द्वानी व नैनीताल में अनावासीय/आवासीय भवनों का निर्माण | 10 कारागारों की कुल बंदी क्षमता 5195 | दूसरे जनपदों की कारागारों में ओवर काउडिंग की समस्या का समाधान तथा बंदियों को लाने–ले जाने के व्यय की बचत व उनकी सुरक्षा होगी। कार्मिकों की आवासीय समस्याओं का निराकरण होगा। | 05वर्ष |
| | योग | | 6287.28 | 1000.00 | | | | | |

(दीपेन्द्र प्रसाद डबूडी)
सहायक लेखाधिकारी,
कार्यालय, महानिरीक्षक कारागार,

# कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल का वर्ष 2019–20 का **Outcome Budget**

(धनराशि रू0 लाख में)

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| स्वीकृत पदों के वेतन एवं भत्तों आदि का भुगतान | कार्यरत्कर्मचारियों के भुगनानार्थ | 6450.00 | ....... | Goal - 4<br>Indicators - 4 | उक्त मद में स्वीकृत बजट के सापेक्ष 227 शिक्षकों एवं 389 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया गया। | 616 | विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जायेगी। | 01 वर्ष |
| अन्य मदें | विभिन्न कार्यालय व्ययों हेतु | 800.00 | ....... | | अन्य मदों में स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष कार्यालय के अधिष्ठान का निर्वहन किया जायेगा | | अन्य मदों में स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष कार्यालय के अधिष्ठान का निर्वहन किया जायेगा | 01 वर्ष |
| अल्मोड़ा परिसर में कम्प्यूटर विज्ञान विभाग के फर्नीचर एवं साज–सज्जा हेतु | कम्प्यूटर विज्ञान विभाग को कियाशील बनाया जाना | ....... | 20.00 | | कम्प्यूटर विज्ञान विभाग को कियाशील बनाया जा सकेगा | | लगभग 60 छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर बिज्ञान विभाग का लाभ प्रदान किया जा सकेगा | 06 माह |
| अल्मोड़ा परिसर में वाणिज्य संकाय, शिक्षा संकाय में अनुरक्षण व आधारभूत कार्य | दूर–दराज के छात्र–छात्राओं को अध्ययन सुविधा प्रदान किये जाने हेतु | ....... | 50.00 | | छात्र–छात्राओं को पठन–पाठन में सुविधा प्रदान की जा सकेगी | | लगभग 1000 छात्र–छात्राओं को पठन–पाठन में सुविधा प्रदान की जा सकेगी | 01 वर्ष |
| विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी आवासों का जीर्णोधार | विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का मूलभूत आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाया जाना | ....... | 180.00 | | विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आवासों का जीर्णोधार करने के उपरान्त आवासों में मूलभूत आवासीय सुविधायें उपलब्ध करवायी जा सकेगीं | | विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आवासों में मूलभूत आवासीय सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने के उपरान्त शिक्षक एवं कर्मचारियो द्वारा पूर्ण मनोयोग से कार्यालय कार्य सम्पादित किये जायेगें | 01 वर्ष |
| योग | | 7250.00 | 250.00 | | | | | |

Internal Auditor
Kumaun University
NAINITAL

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
कुमाँऊ विश्वविद्यालय
नैनीताल

Finance Controller
Kumaun University
NAINITAL

# कृषि विभाग

प्रस्तावित सतत विकास लक्ष्य के संकेत **(SDGs)** –2.3, 2.4, 8.2, 12.2

(धनराशि हजार रु०)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट राजस्व | आऊट–ले / बजट पूंजीगत | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| केन्द्रपोषित योजनायें | | | | | | | | | |
| 1 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश) | 1. कृषकों के प्रयासों के सुदृढ़ीकरण जोखिम को कम करके तथा कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देकर कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाना है।<br>2. गुणवत्ता परख कृषि निवेशों की उपलब्धता,भण्डारण, बाजार व्यवस्था आदि का सदृढ़ीकरण।<br>3. स्थानीय आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं के अनुसार योजना/कार्यक्रमों का नियोजन, अनुमोदन एवं निष्पादन।<br>4. मूल्य संवर्द्धन माडल | 8700.00 | – | **2.3a**-खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता,<br>**2.3b**-मोटे अनाजों की उत्पादकता,<br>**2.3c**-लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय में वृद्धि,<br>**2.4c**-जैविक कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि,<br>**2.4e**-जैविक खादों का प्रयोग,<br>**2.5b**-उन्नत बीजों का प्रयोग<br>**2.5c**-प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास,<br>**8.2a**- कृषि क्षेत्र | वर्ष 2018–19 में SLSC से स्वीकृत 17 नई परियोजनायें तथा 54 संचालित परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु कुल रू० 23164.51 लाख की आवश्यकता है, जिसके लिए भारत सरकार से धनराशि की मांग की जा रही है। धनराशि प्राप्त होने पर परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण किया जाएगा। विभागों द्वारा अपने से सम्बन्धित कार्यों का विवरण पृथक से सूचित किया जाता है।<br>कृषि विभाग द्वारा | 18 विभागों की 54 संचालित परियोजनाओं के लिए रू० 19781.69 लाख की धनराशि अवशेष। योजना से वित्त पोषित अन्य विभागों द्वारा परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रगति पृथक से उपलब्ध करायी जाती है।<br>कृषि विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं की प्रगति निम्नवत् हैः–<br>1. सिंचन क्षमता में | कृषि को व्यावसायिक बनाने में सहायक तथा कृषकों की आय बढ़ने के साथ–साथ कृषि व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।<br>कृषि के साथ–साथ अन्य क्रियाकलापों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार योजना का क्रियान्वयन।<br>1. सिंचन क्षमता में | एक वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | –तदैव – | को प्रोत्साहन देना, जो कि कृषको की आय बढ़ाने तथा उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में मददगार हो।<br>5. कृषि के साथ–साथ अतिरिक्त क्रियाकलापों को प्रोत्साहन।<br>6. कौशल विकास, नवाचार एवं कृषि उद्यमिता आधारित कृषि व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना। | | | मे वार्षिक वृद्धि<br>**8.2d-** कृषि मजदूरों की आय में वृद्धि,<br>**13.1(a)**-सूखा रोधी प्रजातियों का उत्पादन | निम्न कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।<br>**1. सिंचन क्षमता में वृद्धि–**<br>बहुउददेशीय जल संभरण टैंकों का निर्माण (सं0में) –120<br>ड्राइलैण्डहार्टीकल्चर – 1200 हैक्टेयर<br><br>**2.जैविक खेती एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन से सम्बन्धित कार्य–**<br>वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों का निर्माण–2485 नाडेप पिट्स निर्माण–1185 संख्या<br>जैविक तरल खाद वितरण–3670 ली0<br>एक्सपोजर विजिट–3761 किसान | **वृद्धि** बहुउददेशीय जल संभरण टैंक निर्माण, संख्या–70<br>ड्राइलैण्ड हार्टीकल्चर–705 है0<br><br>**2.जैविक खेती एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन से सम्बन्धित कार्य–**<br>वर्मी कंपोस्ट इकाइयॉ–2485 संख्या<br>नाडेप पिट्स–1185 संख्या<br>जैविक तरल खाद वितरण–3670 लीटर<br>एक्सपोजर विजिट–3761 किसान,<br>मास्टर ट्रेनरों का मानदेय एवं | **वृद्धि** के साथ–साथ अन्य कार्यों से कृषकों की आय में वृद्धि होगी।<br><br>2. जैविक कृषि को प्रोत्साहन, गुणात्मक एवं जैविक उत्पादों का अधिक मूल्य प्राप्त होने से कृषकों की आय में वृद्धि होगी। | एक वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | –तदैव – | ––तदैव –– | | | | मास्टर ट्रेनरों का मानदेय एवं प्रशिक्षण–85 संख्या ग्राम स्तर प्रशिक्षण –4890 प्रशिक्षण प्रमाणीकरण में सम्मिलित कृषकों की संख्या–40000 संख्या | प्रशिक्षण–85 संख्या ग्राम स्तर प्रशिक्षण –4890 कृषकों का प्रशिक्षण जैविक प्रमाणीकरण क्षेत्रफल–22566 है0 | | |
| | | | | | | **3. फसल उत्पादन कार्यक्रम**–कलस्टर प्रदर्शन–1680 है0 बीज वितरण–4815 कुं०, सूक्ष्म तत्व एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण–13510 है० जैविक खाद वितरण –1163 है० जल सवंहन पाईप–53000 मीटर प्रशिक्षण–34 संख्या | **3. फसल उत्पादन कार्यक्रम**–कलस्टर प्रदर्शन–915 है0 बीज वितरण–660कुं० सूक्ष्म तत्व एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण–398 है० जैविक खाद वितरण–65 है० जल सवंहन पाईप–1280मी0 प्रशिक्षण–17 संख्या | 3. नई प्रजातियों के प्रचार–प्रसार के साथ उत्पादकता में 05 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि | एक वर्ष |
| | | | | | | **4. अतिवृष्टि क्षेत्रों में मृदा संरक्षण कार्य**–1400 है0 चैक डैम, चैक वॉल, वृक्षारोपण, सुरक्षा दीवार आदि | **4. अतिवृष्टि क्षेत्रों में मृदा संरक्षण कार्य**–1220 है0 चैक डैम, चैक वॉल, वृक्षारोपण, सुरक्षा दीवार आदि कार्यों का | 4. मृदा एवं जल का संरक्षण। जल संरक्षण से नमी के साथ–साथ सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी। | |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | –तदैव – | ––तदैव –– | | | | कार्य।<br>**5. एकीकृत कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रम**–5200 है0, चैक डैम, चैक वॉल, वृक्षारोपण/घासरोपण–सुरक्षा दीवार, रूफ रेन वाटर हार्वेस्ट टैंक, हॉज, जल संचय संरचनायें आदि कार्य।<br>**6. जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु घेरबाड़**–3000मीटर<br>**7. कृषक महोत्सव 2019** में न्यायपंचायतों पर स्तर पर कृषक महोत्सव का आयोजन–1<br>**8. हिल सीड बैंक**–वर्ष 2019–20 खरीफ तथा रबी में लगभग 4200 कु० | आयोजन।<br>**5. एकीकृत कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रम**–4670 है0, चैक डैम, चैक वॉल, वृक्षारोपण/घास रोपण– सुरक्षा दीवार, रूफ रेन वाटर हार्वेस्ट टैंक, हॉज, जल संचय संरचनायें आदि कार्य।<br>**6. जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु घेरबाड़**–2875 मीटर<br>**7. कृषक महोत्सव 2017–18**– खरीफ एवं रबी में न्यायपंचायत स्तर पर कृषक महोत्सव का आयोजन किया गया।<br>**8. हिल सीड बैंक**–कुल बीज उत्पादन–2601कु० इन्टेक बीज की मात्रा–375.39 कु० | 5. कृषि के साथ–साथ अन्य कार्यक्रमों को अपनाने से कृषि भूमि के उपयोग के साथ–साथ कृषकों की आय में वृद्धि।<br>6. फसलों की सुरक्षा से कृषकों को खेती से उत्पादन प्राप्त होगा।<br>7. कल्याणकारी योजनाओं एवं तकनीकी का प्रचार–प्रसार, कृषकों की समस्याओं का मौके पर समाधान।<br>8. स्थानीय बीजों की उपलब्धता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। | एक वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | बीज उत्पादन का लक्ष्य<br>9. न्याय पंचायतों पर कृषि निवेश केन्द्रों का निर्माण–6<br><br>10. सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्सी आर्गेनिक फार्मिंग टिहरी का निर्माण–1 आदि कार्य किए जाएगें। | 9. न्याय पंचायत स्तर पर कृषि निवेश केन्द्रों का निर्माण–2<br><br>–<br><br>**11. खटीमा प्रक्षेत्र का सुदृढ़ीकरण**–डीप बोरिंग एवं सिंचाई नाली का निर्माण, ट्रेक्टर, कल्टीवेटर, थ्रेसर आदि कृषि यंत्र क्रय।<br><br>**12. कृषि यंत्रों का वितरण हुआ–**<br>कस्टम हायरिंग सेन्टर–10 सं0<br>फार्म मशीनरी बैंक–57 सं०<br>चैफ कटर–5 सं०<br>पावर टिलर / पावर वीडर–10 सं0 | 9. कृषकों को निकटतम स्थानों से कृषि निवेश समय से उपलब्ध होंगे।<br><br>10. जैविक कृषि से सम्बन्धित तकनीकी प्रशिक्षण दिया जायेगा।<br>11. उन्नत प्रजाति के बीजों का उत्पादन।<br><br>12. श्रम एवं समय की बचत के साथ–साथ लघु एवं सीमान्त कृषकों तक कृषि यन्त्रों की पहुँच बढ़ी है।<br>योजना वर्ष 2018–19 से सब मिशन ऑन एग्रीकल्वर मैकेनाईजेशन में | |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | ट्रैक्टर चालित यंत्र–10 सं0 | संचालित है। | |
| 2 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान, गेहूँ, मोटे अनाज, दलहन, पौष्टिक अनाज एवं तिलहन) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)<br><br>राष्ट्रीय ऑयल सीड एवं ऑयल पाम मिशन (90:10 केन्द्रांश एवं | क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि। बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि। चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, पौष्टिक अनाज, दलहन एवं तिलहन की कुल उत्पादकता को पुनर्स्थापित करना, रोजगार सृजन एवं आर्थिकी के स्तर में वृद्धि सुनिश्चित कराते हुये किसानों में विश्वास पैदा करना। | 1956.00<br>+<br>100.00 (तिलहन) | – | **2.3a-** खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता<br>**2.3b-** मोटे अनाजों की उत्पादकता<br>**2.3c-** लघु एवं सीमांत कृषकों की आय मेंवृद्धि<br>**2.5a-** स्थानीय बीजों का प्रयोग<br>**2.5b-** उन्नत बीजों का प्रयोग<br>**2.5c-** प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास<br>**8.2a-** कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि<br>**8.2d-** कृषि मजदूरों की आय में वृद्धि | एन0एफ0एस0एम0 – चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दलहन , पौष्टिक अनाज एवं तिलहन के अन्तर्गत 7465 है0 में प्रदर्शन, 25 कुं0 प्रजनक बीजों का क्रय, 4700 कु0 बीज उत्पादन, 22860 कुं0 बीज वितरण, 53000 है0 क्षेत्रफल में पौध एवं मृदा प्रबंधन कार्य, 2000 कृषि यंत्र, 45000 मीटर जल संवहन पाइप, 50 जल संभरण टैंक, 137 प्रशिक्षण का आयोजन, 10 दाल मिल, 190 कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु | एन0एफ0एस0एम0– चावल, गेहूँ, मोटे अनाज एवं दलहन के अन्तर्गत 6635 है0 में प्रदर्शन, 12469 कुं0 बीज वितरण, 43676 है0 क्षेत्रफल में पौध एवं मृदा प्रबंधन कार्य, 944 कृषि यंत्र, 21449 मीटर जल संवहन पाइप, 35 जल संभरण टैंक, 82 प्रशिक्षण का आयोजन, 81 कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु सहायता, 27 आटा चक्की हेतु सहायता, कार्य सम्पादित किये गये। | चिन्हित जनपदों में क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि से कुल उत्पादन में वृद्धि करना।<br>कृषि प्रक्षेत्रों पर मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता को पुनर्स्थापित करना, कृषकों को कृषि यंत्र अनुदान में उपलब्ध कराना, कृषकों की आय दोगुनी करना। | एक वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | राज्यांश) | | | | **13.1(a)-** सूखा रोधी प्रजातियों का उत्पादन | सहायता, 35 आटा चक्की हेतु सहायता के लक्ष्य प्रस्तावित। | | | |
| 3. | राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET) | | | | | | | | |
| 3.1 | सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (SMAE) | | | | | | | | |
| I | सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिर्फाम्स (ATMA) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश) | 1. फार्मिंग सिस्टम की समस्याओं का निदान कर समग्र उत्पादन एवं आय मे वृद्धि।<br>2. कृषि एवं कृषकों का सबलीकरण।<br>3. क्षेत्र विशेष एवं मांग आधारित तकनीकी सेवा का विकास।<br>4. कृषकों, अनुसंधान संस्थाओं एवं प्रसार कार्यकर्ताओं को सहभागी उद्देश्यों हेतु कार्य करना।<br>5. सबलीकरण कृषक समूह का गठन।<br>6.सभी सम्बन्धित विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं एवं कृषक समूहों द्वारा | 1100.00 | – | **2.3a-** खाद्यान्न उत्पादन,<br>**2.3b-** मोटे अनाजों का उत्पादन,<br>**2.3c-** लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय में वृद्धि,<br>**2.5a -** स्थानीय बीजों को प्रोत्साहन,<br>**2-5c-**प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास,<br>**8.2a-** कृषि क्षेत्र मे वार्षिक वृद्धि<br>**13-1(a)-**सूखा रोधी प्रजातियों का उत्पादन | योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे–<br>कृषक प्रशिक्षण–8000कृषक,<br>एक्सपोजर विजिट –18000 कृषक,<br>प्रदर्शन–2500सं0,<br>समूहों का क्षमता विकास– 150सं0,<br>किसान मेलों का आयोजन–15सं0,<br>लाभार्थी कृषक संख्या– 3500सं0,<br>किसान गोष्ठी एवं फिल्ड–डे– 200 सं0, लाभान्वित कृषक–7500 संख्या,<br>फार्म स्कूल–290 सं०, कृषक | योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित हुये–<br>कृषक प्रशि0– 14685 कृषक<br>एक्सपोजर विजिट–13939 कृषक<br>प्रदर्शन– 2426<br>समूहों का क्षमता विकास– 141 सं0<br>किसान मेलों का आयोजन–10 सं0<br>कृषक संख्या–4733सं0<br>किसान गोष्ठी एवं फिल्ड–डे–165 सं0<br>कृषक–10480 संख्या<br>फार्म स्कूल–205 सं०<br>कृषक पुरस्कार ब्लॉक लेवल–261 सं०<br>कृषक पुरस्कार जनपद लेवल–43 सं० | कृषकों की दक्षता का विकास, नवीनतम तकनीकियों का प्रचार–प्रसार होगा, जो कि कृषकों की आय में वृद्धि में सहायक होगी। | एक वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | क्रियान्वयन करना तथा अनुसंधान–प्रचार कड़ी को सक्षम बनाना। | | | | पुरस्कार ब्लॉक लेवल– 475सं०, कृषक पुरस्कार जनपद लेवल– 78सं०, | | | |
| II | NeGPA (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश) | सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार। | 121.00 | – | **2-5c-** प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, | कृषि से सम्बन्धित सूचनाओं को ऑनलाईन करने के लिये कार्य किया जायेगा। इस कार्य हेतु 89 अतिरिक्त कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। | कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाईयों, मत्स्य विभाग एवं उद्यान विभाग को कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम तथा भारत सरकार के ई–पोर्टल से जोड़ा गया, जिसके लिये कुल 240 कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये। निदेशालय, मण्डल एवं जनपदों को वीडियो कॉन्फ्रेन्स से जोड़ा गया। | सूचनायें अद्यतन ऑनलाईन आदान–प्रदान होंगी। | एक वर्ष |
| 3.2 | सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश) | 1. लघु एवं सीमांत कृषकों के मध्य यंत्र की पहुँच बढ़ाना<br>2. फार्म मशीनरी बैंक स्थापित कर स्थानिय आवश्यकता के अनुसार यंत्र उपलब्ध कराना।<br>3. कस्टम हायरिंग | 6100.00 | – | **2.3a** खाद्यान्न उत्पादन,<br>**2.3b** मोटे अनाजों का उत्पादन<br>**2.3c** लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय में वृद्धि, | निम्न कृषि यन्त्र वितरित किया जाना प्रस्तावित है :–<br>कस्टम हायरिंग सेन्टर–80 सं0<br>फार्म मशीनरी बैंक–500 सं0<br>ट्रैक्टर– 160 सं0 | निम्न कृषि यंत्रों का वितरण हुआ–<br>कस्टम हायरिंग सेन्टर–34 सं0<br>फार्म मशीनरी बैंक–335सं0<br>ट्रैक्टर– 125 सं0<br>पावर टिलर–28 सं0<br>पावर वीडर–133 सं0 | लघु एवं सीमान्त कृषकों तक कृषि यन्त्रों की पहुँच बढ़ेगी। समय एवं श्रम की बचत होगी, उत्पादन लागत में कमी फलस्वरूप कृषकों की आय में वृद्धि। | एक वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | सेंटर स्थापित कर कम किराये पर यंत्र उपलब्ध कराना। आधुनिक उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना। **4.** कृषि यंत्रों के संदर्भ में प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण। | | | **12.2a** एकीकृत कृषि **2.3d** कृषकों के कुल आय में वृद्धि **2-5c**-प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, **8-2a** कृषि क्षेत्र मे वार्षिक वृद्धि **13-1(a)**-सूखा रोधी प्रजातियों का उत्पादन | पावर टिलर–100 सं0 पावर वीडर–250 सं0 ट्रैक्टर चालित यंत्र–920 सं0 पौध सुरक्षा यंत्र–1020 सं0 थ्रेसर / मल्टीक्रॉप थ्रेसर–240 सं0 मिनी राईस / दाल मिल–40 सं० छोटे कृषि यंत्र –3000 | ट्रैक्टर चालित यंत्र–342सं0 पौध सुरक्षा यंत्र–329 सं0 थ्रेसर / मल्टीक्रॉप थ्रेसर–91 सं0 मिनी राईस / दाल मिल–8 सं० छोटे कृषि यंत्र –22565 | | |
| 3.3 | सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिग मैटेरियल | कृषकों को अपने प्रक्षेत्रों पर ही प्रमाणित बीज तैयार कराने हेतु गुणवत्तायुक्त बीज , प्रशिक्षण एवं बुखारी उपलब्ध कराना। | 450.00 | – | **2-3 a-** खाद्यान्न उत्पादकता, **2-3 b-** मोटे अनाज उत्पादकता, **2-5 b-** बीज प्रतिस्थापन दर **2-5 c-** प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास | योजनान्तर्गत कृषको को विभिन्न फसल प्रजातियों का 18220 कु0 प्रमाणित बीज वितरण, प्रशिक्षण तथा बुखारी वितरण किया जाना प्रस्तावित है। | योजनान्तर्गत कृषकों को खरीफ मे 1274 कु0 बीज तथा 140 प्रशिक्षण प्रदान किये गये तथा रबी में 8467 कु0 बीज तथा 154 प्रशिक्षण प्रदान किये गये। | कृषकों का गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध होंगे जिससे खाद्यान्न तथा मोटे अनाज फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगी साथ ही बीज प्रतिस्थापन दर में 4% से 5% की वृद्धि होगी। | एक वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश) | | | | | | | | |
| 4.1 | रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)<br><br>–तदैव – | समुचित मृदा एवं जल संरक्षण तथा प्रबन्धन के सिद्धान्तों को अपनाकर स्थान विशेषित एकीकृत फसल प्रणाली के प्रोत्साहन के द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते जलवायु परिवेश के अनुसार बनाना। | 1115.00 | – | **2.3a-** खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता,<br>**2.3b-** मोटे अनाजों की उत्पादकता,<br>**2.3c-** लघु एवं सीमान्त कृषकों की औसत आय में वृद्धि<br>**2.3d-** कृषकों के कुल आय में वृद्धि<br>**2.4b-** सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्रफल मे वृद्धि<br>**2.4e-** जैविक खादों का प्रयोग,<br>**2.5e-** प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास | योजना में निम्न कार्य किए जाने प्रस्तावित हैः–<br>समेकित फसल प्रणाली– 3600 है0,<br>मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षणः–<br>मौन पालन–1000सं0<br>साइलेज इकाई– 24 सं0<br>पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज– 22 सं0<br>जल संभरण टैंक– 35<br>टैंक रैस्टोरेशन– 35<br>जल प्रयोग एवं वितरण– 90 है0<br>गली नियन्त्रण संरचनाये–270<br>टैरेसिंग– 35 है0 | योजना में निम्न कार्य किए गएः–<br>समेकित फसल प्रणाली– 1891 है0,<br>मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षणः–<br>मौन पालन– 370 सं0<br>साइलेज इकाई– 16 सं0<br>पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज–9 सं0<br>जल संभरण टैंक– 32<br>टैंक रैस्टोरेशन– 5<br>जल प्रयोग एवं वितरण– 17 है0<br>गली नियन्त्रण संरचनाये–282<br>टैरेसिंग– 11 है0<br>वर्मी कम्पोस्ट– 413,<br>प्रशिक्षण एवं भ्रमण– 92<br>ग्रीन हाउस– 5750 व0मी0 | वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल प्रणालियों के विकास से कृषि, उद्यान, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य, पशुधन एवं वृक्ष आधारित कृषि क्षेत्रों से कृषकों की आय में वृद्धि होगी। | 1 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | **8.2a-** कृषि क्षेत्र मे वार्षिक वृद्धि<br>**12.2a-** एकीकृत कृषि<br>**13.1(a) -** सूखा रोधी प्रजातियों का उत्पादन | वर्मी कम्पोस्ट– 413,<br>प्रशिक्षण एवं भ्रमण– 140<br>कॉन्टूर / ग्रेडेड बन्डिंग / ट्रैन्चिंग– 15 सं0 | | | |
| 4.2 | मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश) | 1. मृदा परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।<br>2. मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन। | 110.00 | – | **2.3a-** खाद्यान्नों की उत्पादकता,<br>**2.4d-** मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण,<br>**8.2a-** कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि | सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग एवं वितरण को बढ़ावा देने के साथ मृदा परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। | 05 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों के विश्लेषण हेतु एटॉमिक एब्जॉर्पसन स्पैक्ट्रोफोटो मीटर की व्यवस्था की गयी। | 1. उर्वरकों का संतुलित उपयोग तथा सूक्ष्म पोशक तत्वों का प्रयोग।<br>2. मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में सभी प्रकार के पोषक तत्वों के परीक्षण की सुविधायें उपलब्ध होंगी। | एक वर्ष |
| 4.3 | मृदा स्वास्थ्य कार्ड (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश) | 1. मृदा परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।<br>2. मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन।<br>3. राज्य के सभी कृषकों को मृदा | 250.00 | – | **2.3a-** खाद्यान्नों की उत्पादकता।<br>**2.4d** मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण।<br>**8.2a** कृषि क्षेत्र | दो वर्ष के चक्र में राज्य की समस्त 881301 जोतों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे। वर्ष 2019–20 में | 02 वर्ष के चक्र (वर्ष 2017–18 एवं 2018–19) में 8,81,301 कृषि जोतों को मृदा परीक्षण के उपरान्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जाने हैं, | मृदा परीक्षण के आधार पर मृदा में विभिन्न पोषक तत्वों / उर्वरकों की संस्तुति कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर अंकित कर | दो वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना।<br>4. उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। | | | में वार्षिक वृद्धि। | लगभग 04.40 लाख कृषि जोतों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। | जिसके प्रथम वर्ष की समाप्ति पर दि0 01.04.2018 की स्थिति निम्न प्रकार रहीः–<br>1. मृदा नमूनों का एकत्रीकरण–67908 संख्या<br>2.मृदा नमूनों का विश्लेषण–67908 संख्या<br>3.मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण–437241संख्या | उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर कृषकों द्वारा संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जायेगा, जिससे अनावश्यक उर्वरकों के प्रयोग पर रोक लगेगी तथा धनराशि की बचत होगी। संतुलित उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा। | |
| **4.4** | परम्परागत कृषि विकास योजना (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश) | कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी०जी०एस० प्रमाणीकरण के अन्तर्गत जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना। | 10412.00 | – | **2.3a-** खाद्यान्नों की उत्पादकता।<br>**2.3b-**मोटे अनाजों की उत्पादकता<br>**2-4c-**जैविक कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि,<br>**2-4e-**जैविक खादों का प्रयोग, | वर्ष 2018–19 से वर्ष 2020–21 03 वर्षों के चक्र हेतु 3900 कलस्टरों में जैविक कृषि कार्यक्रम संचालित किया जायेगा, जिससे 78000 है0 पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण के अन्तर्गत लाया | 585 जैविक कलस्टरों में कार्यक्रम संचालित किया गया, जिससे 11700 हैक्टेयर पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण के अन्तर्गत आच्छादित। | 78000 हैक्टेयर में पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत द्वितीय वर्ष की कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी।<br>कलस्टर आधारित जैविक कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा, पी0जी0एस0 | तीन वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | **2-5a**-स्थानीय बीजों को प्रोत्साहन **2-5c**-प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास **12.2a**-एकीकृत कृषि | जायेगा। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जैव निवेशों का वितरण, जैविक उत्पादों का विपणन, मूल्य संवर्द्धन एवं प्रसंस्करण तथा प्रचार–प्रसार कार्य किया जायेगा। | | प्रमाणीकरण का क्षेत्रफल बढ़कर 89770 है0 हो जायेगा, जिससे प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने में सहायता मिलेगी। | |
| **5** | किसानों हेतु फसल बीमा (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) **(50% केन्द्रांश एवं 50% राज्यांश)** | 1. प्राकृतिक आपदा अन्य जोखिम से सन्सूचित फसल को होने वाली क्षति की दशा में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज की व्यवस्था।<br>2. कृषि आय को स्थिर करना।<br>3. कृषि क्षेत्र में रीढप्रवाह खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण को बढाने और कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में योगदान। | 400.00 | – | **2.3e-** फसल बीमा के अन्तर्गत कृषक **2.3f-** कृषि ऋण वितरण | योजना में धान, मंडुवा गेहूँ एवं मसूर की फसल आच्छादित है। अधिक से अधिक ऋणी एवं अऋणी कृषकों को योजना से जोड़ा जायेगा। बीमित कृषकों की संख्या– 2,00,000 करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। | वर्ष 2017–18 में 1,72422 कृषक बीमित हुए। | प्राकृतिक आपदाओं एवं जोखिम से होने वाले नुकसान की स्थिति में कृषकों को योजना से बीमित फसल की क्षतिपूर्ति उपलब्ध होगी। | एक वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– **पर ड्रॉप मोर क्रॉप** (90:10 **केन्द्रांश एवं राज्यांश**) <br><br> –तदैव– | 1. प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक रूप से जल के उपयोग को बढ़ाना और खेती योग्य भूमि के सिंचन क्षेत्र में वृद्धि करना। <br> 2 प्रिसिसियन सिचांई एवं जल बचत तकनीकी को अपनाना। <br><br> 3. भूमि एवं जल संरक्षण, भूमिगत जल का उपयोग वर्षा जल की रोकथाम। | 2200.00 | – | **2.3a** खाद्यान्न उत्पादकता <br> **2.4b** सिंचन क्षेत्रफल मे वृद्धि <br> **8.2a-** कृषि क्षेत्र मे वार्षिक वृद्धि | योजना के घटक (per drop more croop) के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जायेंगे– जल संग्रहण / वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण– 1400सं0 सामुदायिक सिंचाई नालियां– 40 सं0 HDPE पाईप– 300000 मी0 जल पम्प–100सं0 ट्यूबवेल–100 सं0 जल संरक्षण मरम्मत– 50 सं0 प्रशिक्षण / भ्रमण– 13 सं0 | योजना के घटक (per drop more croop) के अन्तर्गत निम्न कार्य किये गये– जल संग्रहण / वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण– 1217 सं0 सामुदायिक सिंचाई नालियों का निर्माण– 275 सं0 HDPE पाईप– 201000 मी0, जल पम्प वितरण– 334 सं0 ट्यूबवेल– 323 सं0 जल संरक्षण मरम्मत– 110 सं0 प्राक्षिण / भ्रमण– 28 सं0 | सीमित जल संसाधनों से अधिक से अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे 2700 है0 सिंचन क्षेत्रफल बढ़ेगा, उत्पादन में लगभग 2.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। | एक वर्ष |
| 7 | कृषि सॉख्यिकी सुदृढ़ीकरण (100 प्रतिशत केन्द्रांश) | | | | | | | | |
| 7.1 | फसल सांख्यिकी सुधार | फसल सांख्यिकी संग्रह प्रणाली की कमियों का पता | 35.74 | – | **2.3a-** खाद्यान्न उत्पादन, <br> **2.3b-** मोटे | क्षेत्रफल परिगणना की प्रतिदर्श जांच | विश्लेषित राज्य स्तर पर 253 ग्रामों के | कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत क्षेत्रफल | एक वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले/ बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | योजना Improvement In Crop Statistics (ICS) (100 % केन्द्र पोषित) | लगाना और प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाना। | | | अनाजों की उत्पादकता | (पड़ताल जांच), खसरा रजिस्टर पृष्ठ योगों की प्रतिदर्श जांच एवं फसल धान, मंडुवा, गेहूँ पर क्रॉप कटिंग प्रयोगों की प्रतिदर्श जांच का कार्य होना है। योजना में निम्न कार्य किये जायेंगे– राज्य स्तर पर पड़ताल जांच (खरीफ, रबी, जायद) –270 ग्रामों में खसरा रजिस्टर टोटल की जांच (खरीफ, रबी, जायद) –270 ग्रामों में। क्रॉप कटिंग | क्षेत्रफल परिगणना की प्रतिदर्श जांच तथा 221 ग्रामों के खसरा रजिस्टर टोटल की प्रतिदर्श जांच की गयी। गेहूँ के 60 प्रयोग, धान के 48 प्रयोग एवं मंडुवा के 40 प्रयोगों में प्रतिदर्श जांच का कार्य किया गया। प्रतिदर्श जांच में पाई गयी कमियों को दूर किया गया। | एवं औसत उपज के आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली में कमियों का पता लगाकर तथा उनके सुधार हेतु उपायों को प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार को सुझाना। | |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | फसल<br>धान(खरीफ) – 50 प्रयोग फसल<br>मण्डुआ (खरीफ) – 40 प्रयोग<br>फसल गेहूँ (रबी) – 60 प्रयोग | | | |
| 7.2 | उत्पादन का अनुमान लगाने की योजना (TRS) Timely Reporting Scheme | बुवाई के उपरान्त खरीफ, रबी एवं जायद की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन का अनुमान लगाना। | 40.10 | – | **2.3a-** खाद्यान्न उत्पादनए<br>**2.3b-** मोटे अनाजों का उत्पादन | बुवाई के तुरन्त बाद मुख्य फसलों के क्षेत्रफल के अनुमान तैयार करना तथा फसल कटने के पूर्व उत्पादन के अग्रिम अनुमान को तैयार करना।<br>नियोजित (TRS)<br>**खरीफ–1674**<br>**रबी– 1674**<br>**जायद– 474** | विश्लेषित (TRS)<br>खरीफ–1666<br>रबी–1674 | मुख्य फसलों के क्षेत्रफल एवं फसल कटाई से पूर्व क्षेत्रफल एवं उत्पादन का अनुमान तैयार कर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार को भेजा जायेगा। | एक वर्ष |
| 8 | राष्ट्रीय बांस मिशन | बांस की खेती को प्रोत्साहित करना। | 1599.00 | – | **2.3c** लघु एवं सीमान्त कृषको | बैम्बू नर्सरी का विकास एवं | योजना प्रथम बार प्रारम्भ हुई है। | कृषको को रोजगार के साधन प्राप्त | एक वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | (National Bamboo Mission-NBM) 90% केन्द पोषित | | | | की आय में वृद्धि **8.2a** कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि **8.2b** कृषि मजदूरों की आय में वृद्धि **12.2a** एकीकृत कृषि | प्लाण्टेंशन का कार्य तथा प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं सेमीनार | | होगें एवं आय में वृद्धि होगी। | |
| केन्द्र–पोषित योजनाओं का योग | | | **34688.84** | – | | | | | |
| राज्यपोषित योजनायें–आयोजनागत | | | | | | | | | |
| 1 | कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान | कृषि विभाग के कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान, क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट्स पर होने वाले व्यय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था करना। | 12070.90 | – | **2.3-** कृषि से सम्बन्धित कार्यक्रमों एवं नवीन पद्धतियों का प्रचार–प्रसार | कृषि विभाग के कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान, कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत राजस्व विभाग के प्राथमिक कर्मचारियों के माध्यम से कराये जा रहे क्रॉपकटिंग प्रयोगों हेतु मानदेय, क्षतिपूर्ति एवं मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे | कृषि विभाग के 1505 अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भुगतान किया गया। यात्रा भत्ता, चिकित्सा तथा कार्यालय संचालन हेतु अन्य व्यय किया गया। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत राजस्व विभाग के प्राथमिक कर्मचारियों के माध्यम से कराये जा रहे क्रॉपकटिंग प्रयोगों हेतु मानदेय क्षतिपूर्ति एवं मजदूरी का भुगतान किया गया। आउटसोर्सिंग के | कृषि से सम्बन्धित कार्य सतत् रूप से सम्पादित किए गए। खरीफ, रबी एवं जायद की फसलों का क्रॉप कटिंग के आधार पर उत्पादन के आंकड़े भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार को प्रेषित किये गये। | एक वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | गये कार्मिकों का भुगतान। | माध्यम से रखे गये कार्मिकों का भुगतान किया गया। | | |
| 2 | स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम | स्थानीय फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन। | 300.03 | – | **2.5a, 2.3b-** स्थानीय बीजों का प्रोत्साहन | स्थानीय फसलों जैसे मंडुवा, सांवा, रामदाना आदि की खेती एवं विपणन को प्रोत्साहन। | योजना संचालित नहीं हुयी। | स्थानीय फसलों की खेती के प्रति कृषकों का रूझान बढ़ेगा तथा कृषकों की आय में वृद्धि होगी। | एक वर्ष |
| 3 | प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र<br><br>––तदैव–– | राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर पर्वतीय क्षेत्रो हेतु उन्नत प्रजातियो के बीज का उत्पादन। | 69.01 | – | **2.3 a-** खाद्यान्न उत्पादकता, **2-3 b-** मोटे अनाज उत्पादकता, **2-5 b-** बीज प्रतिस्थापन दर | योजनान्तर्गत कुल 1500.00 कु0 बीज उत्पादन के लक्ष्य है। | कृषि प्रक्षेत्रों पर खरीफ में 382.22 कु0 तथा रबी में 752.65 कु0 कुल 1134.87 कु0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजो का उत्पादन हुआ। | पर्वतीय क्षेत्रों हेतु संस्तुत फसल प्रजातियों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे गुणवत्ता बीजों के उपयोग से उत्पादकता एवं बीज प्रतिस्थापन दर मे वृद्धि होगी। | एक वर्ष |
| 4 | जैविक उत्पाद परिषद का सुदृढ़ीकरण | राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना। | 150.00 | – | **2.4c , 2.4e** जैविक कृषि को बढ़ाना। | जैविक उत्पाद परिषद के संचालन हेतु नियमित कार्मिकों एवं आउट सोर्सिंग / संविदा के माध्यम से रखे गये कार्मिकों के | जैविक उत्पाद परिषद के संचालन हेतु 19 कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं परिषद का प्रशासनिक आदि पर व्यय किया गया। | जैविक कृषि को बढ़ावा देना। | एक वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | वेतन भत्तों का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि। | | | |
| 5 | सूचना सलाह केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण | राज्य में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियॉ उपलब्ध कराना। | 15.00 | – | **2.5c, 8.2-** नवीनतम सूचनाओं का आदान–प्रदान करना। | 82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया जायेगा। | 82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया गया। | कृषि से सम्बन्धित योजनाओं एवं तकनीकियों का प्रचार–प्रसार। | एक वर्ष |
| 6 | कृषि निवेश भण्डार प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण | कृषि विभाग में अवस्थापना सुविधाओं का विकास। | 592.03 | – | **2.5a, 2.5b-** कृषकों को कृषि निवेष उपलब्ध कराना। | 670 न्यायपंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया व कृषि सहायकों को पारिश्रमिक भुगतान किया जायेगा। राजकीय कृषि बीज प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य किया जायेगा। | 670 न्याय पंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया तथा 670 कृषि सहायकों के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया। 4 कृषि प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य किया गया। | कृषकों को समय से गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध होंगे तथा योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। | एक वर्ष |
| 7 | विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय | विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिये रसायनों, ग्लासवेयर्स आदि की व्यवस्था। | 52.50 | – | **2.5c, 8.2-** नवीनतम सूचनाओं का आदान–प्रदान करना। | 13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज | प्रदेश की कुल 18 प्रयोगशालाओं 13 मदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण | कृषकों को गुणवत्तायुक्त एवं मानक के बीज, खाद एवं दवाइयां उपलब्ध होंगी, | एक वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | परीक्षण एवं 02 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव, जहाँ पर मृदा नमूनों, उर्वरक, कीटनाशी तथा बीज नमूनों का विश्लेषण किया जायेगा।<br>**मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण**–4,40,653<br>**नमूनों का विश्लेषण**:–<br>मृदा– 68000<br>उर्वरक– 500<br>कीटनाशी–400<br>बीज–500 | नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये परीक्षण हेतु रसायन, उपकरण एवं ग्लास वेयर्स आदि की व्यवस्था की गयी, जिसमें निम्न कार्य किए गए :–<br>**मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण**–4,37,241<br>**नमूनों का विश्लेषण** :–<br>मृदा– 67908<br>उर्वरक–334<br>कीटनाशी–289<br>बीज –455 | जिससे उत्पादन बढ़ेगा। | |
| 8 | जल पंप स्प्रिंकलर सेट पाली हाउस विविधीकरण | किसानों को उन्नत कृषि यंत्र अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराते हुये कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु समतुल्य अनुदान | 300.00 | – | **2.5a, 2.5b-** कृषकों को कृषि निवेश उपलब्ध कराना। | कृषकों द्वारा केन्द्र पोषित योजनाओं में क्रय किये जाने वाले यंत्रों जैसे हैरो, कल्टीवेटर, थ्रेसर, पावर वीडर आदि 30 से 40 प्रतिशत | आर०के०वी०वाई०, एन०एफ०एस०एम० तथा अन्य केन्द्र पोषित योजनाओं में वितरित कृषि यंत्रों पर केन्द्रीय अनुदान के सापेक्ष समतुल्य अनुदान दिया | लघु एवं सीमान्त तथा सुदूर क्षेत्रों तक कृषि यन्त्र पहुंचेंगे। श्रम एवं समय की बचत के साथ–साथ उत्पादन में वृद्धि | एक वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | समतुल्य अनुदान दिया जायेगा। | गया। | होगी। | |
| 9 | विभागीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण | विभागीय परिसंपत्तियों का रखरखाव। | - | 100.00 | **8.2.a-** राजकीय संपत्ति का रखरखाव। | राज्य स्तर पर कृषि निदेशालय भवन, मण्डलीय कार्यालय भवनों व विकासखण्डों पर स्थित कृषि निवेश भण्डारों का अनुरक्षण। | विकासखण्ड स्तर पर निर्मित राजकीय बीज भण्डारों तथा अन्य विभागीय भवनों में अनुरक्षण का कार्य किया गया। | परिसम्पत्तियों की सुरक्षा होगी। भवन निरन्तर उपयोग में आते रहेंगे। | एक वर्ष |
| 10 | खाद्यान्न / दलहन / तिलहन बीजों की लागत प्रासंगिक व्यय सहित। | गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। | - | 1500.00 | **2.3 a-** खाद्यान्न उत्पादकता, **2.3 b-** मोटे अनाज उत्पादकता, **2.5 b-** बीज प्रतिस्थापन दर | योजनान्तर्गत कुल 42570.00 कु0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का वितरण किये जाने का लक्ष्य है। | योजनान्तर्गत कुल 31975.90 कु0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय किया गया। | गुणवत्तायुक्त बीज कृषकों को उपलब्ध कराये जायेंगे, जिससे खाद्यान्न एवं मोटे अनाज फसलों की उत्पादकता मे वृद्धि होगी तथा बीज प्रतिस्थापन दर के लक्ष्यो की पूर्ति की जायेगी। | एक वर्ष |
| 11 | 4401– कीटनाशी औषधियों की खरीद | फसलों का कीट एवं रोगों से बचाव। | - | 1000.00 | **2.3a, 2.3b-** कृषकों हेतु गुणवत्ता युक्त रसायनों / | 1.कीटनाशी, रोगनाशी, फफूंदनाशी, तृणनाशी एवं मूष | 1. कीटनाशी, रोगनाशी, फफूंदनाशी, तृणनाशी एवं मूष नाशी रसायनों का क्रय किया | फसलों पर लगने वाले कीट / रोगों के नियन्त्रण हेतु गुणवत्तापूर्ण | एक वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | एवं माइक्रो न्यूट्रिएन्ट की लागत क्रय | | | | सूक्ष्म तत्वों का क्रय। | नाशी रसायनों का क्रय किया जायेगा– 3,09,422 कि.ग्रा/ली.<br>2. सूक्ष्म पोषक तत्वों का क्रय– 1200 मै0टन<br>3. सूक्ष्म पोषक तत्वों का क्रय– 35000 ली0<br>4. जैव उर्वरकों का क्रय– 15000 ली0 | गया– 2,07,267 कि. ग्रा./ली.<br>2. सूक्ष्म पोषक तत्व– 1001 मै0टन क्रय किया गया।<br>3. सूक्ष्म पोषक तत्व–29702 ली0 क्रय किया गया।<br>4.जैव उर्वरक–10723 ली0 क्रय किया गया। | कीटरोगनाशक औषधियां तथा कृषकों को आवश्यकता के अनुसार समय से अपने नजदीकी कृषि निवेश केन्द्रों पर उपलब्ध हो पायेंगी। उत्पादन में वृद्धि होगी। | |
| 12 | अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम | चयनित ग्रामों का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना। | 250.00 | – | **2.3a-** खाद्यान्न उत्पादकता,<br>**2.3-**मोटे अनाज उत्पादकता,<br>**2.5b-** बीज प्रतिस्थापन दर<br>**2.5c-** प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास | प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास हेतु विभिन्न कृषि निवेश /सहायता प्रदान की जायेगी। बीज मिनिकिट, कृषि यन्त्र, समुदाय सिंचाई, टैंक/गूल, मृदा एवं जल संरक्षण | चयनित ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये गयेः–<br>बीज मिनिकिट वितरण–1390 सं0<br>पौध रक्षा कार्यक्रम–380है0<br>कृषि यंत्र वितरण–3028सं0<br>सिंचाई टेंक–119 सं0<br>सामु0सिंचाई टेंक– 13 सं0<br>सिंचाई गूल– 260 मी0 | चयनित अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों मे कृषकों की आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा तथा उत्पादकता के स्तर मे न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि । | एक वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | के कार्य, पॉली हाउस, छत वर्षा टैंकों का निर्माण एवं HDPE पाईप वितरण आदि कार्य किये जायेंगे। | मृदा एवं जल संरक्षण कार्य–644 है0<br>प्रशिक्षण–40 सं0<br>छत वर्षा जल संग्रहण टेंक–411 सं0<br>HDPE पाईप– 4900 मी0<br>पॉली हाऊस–17 सं0<br>स्थानीय व्यवसाय–28 सं0 | | |
| 13 | अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम | चयनित ग्रामो का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना। | 150.00 | – | **2.3a-** खाद्यान्न उत्पादकता,<br>**2.3b-** मोटे अनाज उत्पादकता,<br>**2.5b-** उन्नत बीजों का प्रयोग<br>**2.5c-** प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास | अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास हेतु विभिन्न कृषि निवेश / सहायता प्रदान की जायेगी। बीज मिनिकिट, कृषि यन्त्र, समुदाय सिंचाई, टैंक / गूल, मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य, पॉली हाउस, छत वर्षा | चयनित ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित कियेः–<br>बीज मिनि0वित0–775 सं0<br>पौध रक्षा कार्यक्रम–240है0<br>कृषि यंत्र वितरण–1631सं0<br>सिंचाई टैंक–8 सं0<br>मृदा एवं जल संरक्षण कार्य–257 है0<br>प्रशिक्षण–7 सं0 HDPE पाईप– 1000 मी0 | चयनित ग्रामों मे अनुसूचित जनजाति कृषकों की कृषि के प्रति रुची में वृद्धि के साथ–साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा उत्पादकता में 10 प्रतिशत की वृद्धि । | एक वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | टैंकों का निर्माण एवं HDPE पाईप वितरण आदि कार्य किये जायेंगे। | मुर्गीबाड़ा–25 सं0 | | |
| 14 | राज्य किसान आयोग का गठन | कृषि क्षेत्र के विकास हेतु नई योजना पर विचार करना एवं कृषि विकास हेतु सुझाव देना | 10.00 | – | **8.2a-** कृषि क्षेत्र के लिए सुझाव देना। | राज्य किसान आयोग के सदस्यों के मानदेय यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि का भुगतान । | आयोग कार्यशील नहीं रहा। | कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास। | एक वर्ष |
| 15 | न्यायपंचायत स्तर पर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना | लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक कृषि यन्त्रों की पहुँच बढ़ाने हेतु न्याय–पंचायतों पर फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करना। | 0.01 | – | **2.3a &2.3b, 2.4b, 8.2a-** कृषि में यंत्रीकरण का बढ़ावा। | यह योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजशन से आच्छादित हो रही है। | योजना का प्रचार–प्रसार किया गया तथा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन के अन्तर्गत 370 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये गये। | दूरस्थ एवं लघु, सीमान्त कृषकों को कृषि यन्त्र उपलब्ध कराना। | एक वर्ष |
| 16 | एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना | **नई योजना**– स्वयं सहकारिता के आधार पर क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि कार्यक्रम | 1000.00 | – | **2.3a&b, 2.4b, 2.5a&b, 8.2a, 12.2a-** कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास। | प्रत्येक विकासखण्ड से एक कलस्टर का चयन किया गया है। कुल 95 कलस्टर चयनित कर दिये गये हैं, इन ग्रामों में | योजना का प्रचार–प्रसार किया गया। | कलस्टर आधारित स्वयं सहकारी कृषि के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा कृषकों की आय बढ़ेगी। | तीन वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले/ बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | कलस्टर आधारित एकीकृत कृषि कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। | | | |
| 17 | कृषकों की आय दोगुना करना | वर्ष 2022 तक कृषकों की आय में वृद्धि कर उसे दोगुना करना। | 100.00 | – | **2.3a-** खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता **2.3b-** मोटे अनाजों की उत्पादकता **2.3c-** लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय में वृद्धि **2.4c-** जैविक कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि **2.4e-** जैविक खादों का प्रयोग **2.5b** उन्नत बीजों का प्रयोग **2.5c-** प्रशिक्षण एवं क्षमता | न्याय–पंचायत स्तर का माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं से ऐसे कार्यों के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जायेगी, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि सम्भव हो। | गो0ब0पं0कृ0वि0 वि0 पन्तनगर के सहयोग से रणनीति तैयार की गयी तथा विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय स्थापित कराने का कार्य किया गया। | कृषकों की आय में वृद्धि होगी। | चार वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आऊट–ले / बजट | | SDGs Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | विकास<br>**8.2a-** कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि<br>**8.2d-** कृषि मजदूरों की आय में वृद्धि<br>**13&1(a)-** सूखा रोधी प्रजातियों का उत्पादन | | | | |
| राज्य पोषित योजनाओं का योग | | | **15059.49** | **2600.00** | कुल धनराशि 17659.49 | | | | |
| कुल प्रस्तावित बजट प्राविधान (केन्द्रांश+राज्यांश) | | | **49748.33** | **2600.00** | कुल धनराशि 52348.33 | | | | |

<u>खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग</u>

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावति एस0डी0जी0– 01,07 & 12

(धनराशि लाख ₹में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आऊट ले/बजट | | Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आऊटपुट वर्ष 2018–19 | 1–4 2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आऊटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 01 | अधिष्ठान व्यय (खाद्य) | राज्य के प्राथमिकी, अन्त्योदय तथा राज्य खाद्य योजना से आच्छादित परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। | 4173.21 | – | अधिष्ठान व्यय। | 744 अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय | 4024.04 (वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत धनराशि) | विभाग में कार्यरत कार्मिकों को वेतन/भत्तों का भुगतान किया जाना है, विभाग की विभिन्न कल्याण कारी योजनाओं के क्रियान्वयन कार्मिको की महत्पूर्ण भूमिका होती है। | वार्षिक |
| 02 | अधिष्ठान व्यय (राज्य खाद्य आयोग) | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न से सम्बन्धित उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की सुनवाई किया जाना। | 91.00 | – | राज्य खाद्य आयोग के अधिष्ठान व्यय। | 10 अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय | 89.99 (वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत धनराशि) | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने के वैधानिक परिपेक्ष में राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। राज्य खाद्य आयोग द्वारा प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण किया गया, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने में मदद मिली है। | वार्षिक |
| 03 | खाद्यान्न सब्सिडी | उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना। | 15500 | – | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिक तथा अन्त्योदय परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना। | NFSA (PHH & AAY)- 12712.830 मी0टन गेहूँ व 20741.970 मी0टन चावल का आवंटन प्रतिमाह किया जाता है। Tide Over Allocation – 2792.400 मी0टन चावल 5669.400 मी0टन गेहूँ का आवंटन प्रतिमाह। | 60000.00 (वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राप्त होने वाली धनराशि) | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत राज्य की जनता को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाने से राज्य की आम जन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिली है। | वार्षिक |
| 04 | चीनी सब्सिडी | उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित सस्ती दरों पर अन्त्योदय उपभोक्ताओं | 1000 | – | राज्य में अन्त्योदय परिवारों को 1कि0ग्रा0 प्रति | अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 182.179 मी0टन चीनी का | 1136.00 (वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राप्त होने वाली | 182179 अन्त्योदय परिवारो को चीनी का वितरण किया गया । | वार्षिक |

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावति एस0डी0जी0– 01,07 & 12

(धनराशि लाख ₹में)

| क0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आऊट ले/बजट | | Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आऊटपुट वर्ष 2018–19 | 1–4 2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आऊटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| | | को चीनी उपलब्ध कराया जाना। | | | राशन कार्ड चीनी उपलब्ध कराया जाना। | आवंटन प्रतिमाह। | धनराशि) | | |
| 05 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूट्रीकरण | सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी Good Governance के रूप मं संचालित करना | – | 300 | End-to-End Computerization के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कम्पयूट्रीकृत किया जाना। | राज्य के 196 खाद्यान्न गोदामों का कम्प्यूट्रीकृत तथा नेटवर्किंग, 9139 सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों का कम्प्यूट्रीकरण तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 1139186, अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 182382 एवं राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत 988941 राशन कार्डो का डिजिटाईजेशन किया गया। | 300 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटराईजेशन से वास्तविक लाभार्थी को पूर्णतया पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न का वितरण किया जाना सम्भव होगा तथा खाद्यान्न के दुरूप्रयोग से बचा जा सकेगा। | 05 वर्ष |
| 06 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूट्रीकरण के अन्तर्गत Electronic Weighing मशीनों की स्थापना। | सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी Good Governance के रूप मं संचालित करना | – | 500 | राज्य के खाद्यान्न गोदामों में Electronic Weighing Machin स्थापित किया जाना। | राज्य के 176 खाद्यान्न गोदामों में Electronic Weighing मशीने लगाया जाना। | 800 | उक्त के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को सही वजन का निर्धारित मात्रा का वितरण हो सकेगा। | 02 वर्ष |
| 07 | उपभोक्ता जागृति योजना (कन्ज्यूमर हेल्प लाईन) | उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण विषयक मामलों के प्रति जागरूकता बढाने एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण। | – | 10 | उपभोक्ता जागृति योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। | इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओ से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जाना। | 10 | उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते हुए उनको होने वाली परेशानियों से बचाते हुए उनकी समस्याओं का तत्कालिक निदान किया जाना। | 05 वर्ष |
| 08 | सिविल पूर्ति के अन्तर्गत | गैस विहीन निर्धन परिवारों को गैस | – | 100 | राज्य में प्रत्येक घर की रसोई को धुआँ | 14375 निर्धन गैस विहीन परिवारों को गैस | 1000 | राज्य के ऐसे लाभार्थी जो प्रधान मंत्री उज्जवला योजना की | 02 वर्ष |

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावति एस0डी0जी0– 01,07 & 12

(धनराशि लाख ₹में)

| क0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आऊट ले/बजट | | Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आऊटपुट वर्ष 2018–19 | 1–4 2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आऊटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| | निर्धन परिवारों हेतु गैस पर अनुदान। | कनैक्शन हेतु अनुदान सहायता | | | रहित किये जाने हेतु राज सहायता। | कनैक्शन उपलब्ध कराना। अब तक 7154 निर्धन परिवारों को गैस कनैक्शन उपलब्ध कराये जा चुके है। | | परिधि में नही आते है उनको अनुदान देते हुए धुवा रहित इंधन उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रत्येक परिवार को रसोई गैस कनैक्शन दिय जाने है। | |
| निर्माण योजना (राज्य सेक्टर) पूंजीगत | | | | | | | | | |
| 01 | आयुक्त खाद्य भवन का निर्माण | खाद्य विभाग के विभागीय कार्यो को सफलतापूर्वक सम्पादन कराना। | – | 01 | राज्य स्तरीय कार्यालय का निर्माण | कार्यालय भवन के शेष कार्यो को पूर्ण कराया जाना। | 100 | राज्य में खाद्य विभाग का मुख्यालय रिंग रोड मसूरी बाईपास, लाडपुर में बनकर तैयार हो गया, इस भवन के बन जाने से खाद्यायुक्त कार्यालय के तीनो शाखाओं के साथ–साथ सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढवाल के कार्यालय भी एक भवन में आ गये है, जिससे एक ओर विभाग में कार्य सम्पादित कराये जाने में सुगमता हुई है। | 01 वर्ष |
| 02 | सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक/सम्भ‍ागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, कुमायूँ सम्भाग तथा उपायुक्त हल्द्वानी के कार्यालय भवन का निर्माण। | खाद्य विभाग के सम्भागीय स्तर के कार्यो को सफलता पूर्वक सम्पादन करने के लिये। | – | 150 | सम्भाग स्तर पर खाद्य विभाग का संयुक्त कार्यालय की स्थापना | सम्भागीय कार्यालय भवन का निर्माण। | 200 | 01 कार्यालय भवन के निर्माण कराये जाने से कार्यालय प्रबन्धन में सुविधा होगी तथा कर्मचारियों के कार्य कुशलता में गुणात्मक सुधार होगा। | 03 वर्ष |
| 03 | गोदामों का निर्माण | खाद्यान्न को सुरक्षित रखने हेतु खाद्यान्न गोदामों का निर्माण | – | 300 | खाद्यान्न के बेहतर प्रबन्धन हेतु गोदामों का निर्माण कराया जाना। | 02 खाद्यान्न गोदामों का निर्माण जिनमें से 01 गोदाम 2000 मी0टन क्षमता का तथा 01 गोदाम 200 मी0टन क्षमता के है। | 300 | 02 खाद्यान्न गोदामों का निर्माण कराया गया इससे खाद्यान्नों के रखरखाव एवं प्रबन्धन में सुविधा होगी। | 02 वर्ष |

# संशोधित परफॉरमेन्स बजट 2018–19 (जनवरी 2019तक)

(धनराशि लाख ₹में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आऊट ले/ बजट | | आऊटपुट | समय सीमा | आऊटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | |
| 01 | अधिष्ठान व्यय (खाद्य) | नियमित/आऊट सोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को वेतन आदि का भुगतान | 4024.31 | – | 744 अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि पर ₹2628.50 लाख का भुगतान किया गया। | 01 वर्ष | सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तग राज्य के 23336475 परिवरों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। | वार्षिक |
| 02 | अधिष्ठान व्यय (राज्य खाद्य आयोग) | नियमित/आऊट सोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को वेतन आदि का भुगतान | 89.99 | – | 10 अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि पर ₹40.31 लाख का भुगतान किया गया। | 01 वर्ष | राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्तर्गत उपभोक्ताओं से प्राप्त 74 शिकायतों पर आयोग द्वारा सुनवाई की गयी । | वार्षिक |
| 03 | खाद्यान्न सब्सिडी | उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना। | 18000.00 | – | ₹6909.72 लाख की सब्सिडी प्राप्त हुयी है। | 01 वर्ष | अक्टूबर 2018 तक 42271 मी0टन गेहूँ तथा 23939.00 मी0टन चावल का वितरण किया गया। | वार्षिक |
| 04 | चीनी सब्सिडी | उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित सस्ती दरों पर अन्त्योदय उपभोक्ताओं को चीनी उपलब्ध कराया जाना। | 1000.00 | – | वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹1000.00 लाख की सब्सिडी प्राप्त होनी है। | 01 वर्ष | 182179 अन्त्योदय परिवारो को चीनी का वितरण किया गया | वार्षिक |
| 05 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूट्रीकरण | सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी Good Governance के रूप मं संचालित करना | – | 33600.00 | 196 खाद्यान्न गोदामों के कम्प्यूट्रीकरण तथा नेटवर्किंग आदि पर ₹27.43 लाख का व्यय किया गया । | 01 वर्ष | 2309044 राशन कार्डो का डिजिटाईजेशन तथा 196 गोदामों को कम्प्यूटीकृत किया गया। सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत 9304 सस्ता गल्ला विक्रेताओं की दुकानों का ऑटोमेशन एवं धान की ऑनलाईन खरीद का कार्य किया जा रहा है। | 05 वर्ष |
| 06 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूट्रीकरण के अन्तर्गत Electronic Weighing मशीनों की स्थापना। | सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी Good Governance के रूप में संचालित करना | – | 800.00 | 176 खाद्यान्न गोदामों पर Electronic Weighing मशीने लगायी जानी है। | 01 वर्ष | राज्य के 176 खाद्यान्न गोदामों पर Electronic Weighing मशीन स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। | 02 वर्ष |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | उपभोक्ता जागृति योजना (कन्ज्यूमर हेल्प लाईन) | उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण विषयक मामलों के प्रति जागरूकता बढाने एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण। | — | 10.00 | कन्ज्यूमर हेल्प लाईन में कार्यरत 03 कार्मिकों के वेतन आदि पर ₹4.82 लाख का व्यय हुआ। | 01 वर्ष | इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं से प्राप्त 38 शिकायतों का निस्तारण किया गया। | 05 वर्ष |
| 08 | सिवील पूर्ति निर्धन परिवारों हेतु गैस पर अनुदान। | गैस विहीन निर्धन परिवारों को गैस कनैक्शन उपलब्ध कराना। | — | 1000.00 | 14375 निर्धन गैस विहीन परिवारों को गैस कनैक्शन दिये जाने है, जिसके सापेक्ष 7154 कनैक्शन दिये जा चुके है। | 01 वर्ष | 14375 परिवारों को धुवां रहित भोजन उपलब्ध कराने तथा पर्यावरण सन्तुलन हेतु। | 02 वर्ष |
| **निर्माण योजना (राज्य सेक्टर) पूंजीगत —** | | | | | | | | |
| 01 | आयुक्त खाद्य भवन का निर्माण | खाद्य विभाग के विभागीय कार्यो को सफलतापूर्वक सम्पादन कराना। | — | 249.48 | 92अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये कार्यालय भवन के निर्माण में ₹249.48 लाख का व्यय किया गया | 01 वर्ष | राज्य में खाद्य विभाग का मुख्यालय रिंग रोड मसूरी बाईपास, लाडपुर में बनकर तैयार हो गया, इस भवन के बन जाने से खाद्यायुक्त कार्यालय के तीनो शाखाओं के साथ—साथ सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढवाल के कार्यालय भी एक भवन में आ गये है, जिससे एक ओर विभाग में कार्य सम्पादित कराये जाने में सुगमता हुई है। | 01 वर्ष |
| 02 | सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक/सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, कुमायूँ सम्भाग तथा उपायुक्त हल्द्वानी के कार्यालय भवन का निर्माण। | खाद्य विभाग के सम्भागीय स्तर के कार्यो को सफलता पूर्वक सम्पादन करने के लिये। | — | 200.00 | 79 अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये कार्यालय भवन के निर्माण में ₹200 लाख का व्यय किया गया | 01 वर्ष | 01 कार्यालय भवन के निर्माण कराये जाने से कार्यालय प्रबन्धन में सुविधा होगी तथा कर्मचारियों के कार्य कुशलता में गुणात्मक सुधार होगा। | 03 वर्ष |
| 04 | गोदामों का निर्माण | खाद्यान्न को सुरक्षित रखने हेतु खाद्यान्न गोदामों का निर्माण। | — | 300.00 | 2000 मी0टन क्षमता के 01 तथा 200मी0टन क्षमता के 02 गोदामों के निर्माण में ₹116.92 लाख का व्यय हुआ। | 01 वर्ष | 02 खाद्यान्न गोदामों का निर्माण कराया गया इससे खाद्यान्नों के रखरखाव एवं प्रबन्धन में सुविधा होगी। | 02 वर्ष |

# खेल विभाग

(आउट ले की धनराशि लाख रू0 में)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/ बजट | | एस.डी.जी. Goals / Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4 2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | निदेशन तथा प्रशासन | खेल विभाग से संबंधित समस्त कार्यों के सम्पादन एवं नियंत्रण तथा विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु खेल निदेशालय की स्थापना। | 760.80 | — | — | खेल विभाग के अधिष्ठान के अन्तर्गत स्वीकृत कुल पदों 221 के वेतन हेतु | — | खेलों के प्रोत्साहन एवं खिलाडियों में खेलों हेतु अभिरूचि लाना। | – |
| 2 | 104–खेलकूद 03–भूतपूर्व प्रसिद्व खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता 20–सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता | भूतपूर्व खिलाड़ियों को उनकी विगत खेल उपलब्धियों एवं उनके योगदान को सम्मान देने के साथ ही उनके भावी जीवन को आर्थिक रूप से सुखद बनाना एवं युवा खिलाड़ियों प्रोत्साहन। | 5.00 | — | — | 150 खिलाड़ी को पेंशन | – | आर्थिक रूप से कमजोर भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करना। 150 खिलाड़ी | 03 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. Goals / Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4 2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 04–क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय | प्रतिभाशाली एवं उदीयमान खिलाड़ियों को निःशुल्क खेल प्रशिक्षण प्रदान करते हुए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता हेतु तैयार करना। | — | — | — | – | – | – | – |
| 4 | 05–क्रीड़ागनों का विकास | खिलाड़ियों को मानकों के अनुसार सुसज्जित खेल सुविधायें उपलब्ध कराना। | 25.00 | — | — | 15 स्टेडियम / बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल | 15 स्टेडियम / बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल | निर्मित / स्थापित स्टेडियमों को अधिक से अधिक सुसज्जित खेल सुविधायें तैयार कर खिलाड़ियों को उपलब्ध कराना।<br>15 स्टेडियम / क्रीड़ा हॉल | 05 वर्ष |
| 5 | 07–विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार | विशिष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के साथ ही अन्य प्रतिभावान खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना | 60.00 | — | — | 06<br>(04 खिलाड़ी एवं 02 प्रशिक्षक) | 02<br>(01 खिलाड़ी एवं 01 प्रशिक्षक ) को प्रदेशीय पुरस्कार | प्रदेश के अधिक से अधिक विशिष्ट खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करना<br>06<br>(04 खिलाड़ी एवं 02 प्रशिक्षक | 02 वर्ष |
| 6 | 08–नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान | साहसिक खेलों एवं पर्वतारोहियों को विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रदान करना। | 909.91 | — | – | 01 संस्थान<br>885 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। | 791 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दिया गया। | अधिक से अधिक जनमानस को साहसिक खेलों एवं पर्वतारोहण से जोड़ना।<br>885 प्रशिक्षणार्थी | 05 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4 2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 10–राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार | खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सम्मानित करने के साथ–साथ उनकी आर्थिक सहायता करना। | 150.00 | — | – | 250 खिलाड़ी | – | प्रदेश के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु प्रेरित करना।<br>250 खिलाड़ी | 05 वर्ष |
| 8 | 11–राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था | टीम की एकरूपता, अनुशासन एवं राज्य की विशेष पहचान बनाना। | 70.00 | — | — | 1500 खिलाड़ी | 1306 खिलाड़ी | प्रदेश की विशेष पहचान बनाना।<br>1500 खिलाड़ी | 03 वर्ष |
| 9 | 12–प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिता के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर कय हेतु अनावर्तक अनुदान | खेल संस्कृति को बढ़ावा देना एवं अधिकाधिक प्रतियोगिताएं आयोजित करने हेतु संघों को प्रोत्साहित करना। | 50.00 | — | — | 30 क्रीड़ा संघ / क्लब / संस्था | 02 क्रीड़ा संघ / क्लब / संस्था | प्रदेश के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से क्रीड़ा संघों को प्रतियोगिताओं के आयोजनार्थ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।<br>30 क्रीड़ा संघ / क्लब / संस्था | 10 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/ बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4 2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 13–स्पोर्ट्स कॉलेज को अनुदान | प्रारम्भिक अवस्था से ही बालकों को खेल कौशल में वृद्धि करने हेतु मजबूत आधार तैयार करना। | 550.00 | — | — | 01 संस्थान 330 खिलाड़ी | 01 संस्थान 280 खिलाड़ी | प्रारम्भिक अवस्था से ही प्रदेश के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में खेल की विशेष सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराकर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु तैयार करना। 01 संस्थान 330 खिलाडी | 05 वर्ष |
| 11 | 14–प्रतियोगिताओं का आयोजन | खिलाड़ियों को खेल कौशल एवं प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन हेतु। | 15.00 | — | – | 2000 खिलाड़ी (विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताये आयोजित की जायेगी) | 1300 खिलाड़ी (विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताये आयोजित की गयी) | खिलाड़ियों को खेल कौशल एवं प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन हेतु। 2000 खिलाड़ी | 05 वर्ष |
| 12 | 15–प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन | अधिकाधिक खिलाड़ियों को शारीरिक एवं तकनीकी दक्षता प्रदान करने हेतु मजबूत आधार तैयार करना। | 15.00 | — | – | 2000 खिलाड़ी (विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जायेंगे।) | 375 खिलाड़ी (विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये।) | खिलाड़ियों के खेल में निखार लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर में अधिक से अधिक प्रतिभाग कराने के साथ ही उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु तैयार करना। 2000 खिलाड़ी | 05 वर्ष |
| 13 | 16–स्थाई क्रीड़ा उपकरण का क्रय | नवीन तकनीकी के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए खेल उपकरण उपलब्ध कराना। | 22.00 | — | — | 13 जनपद | 13 जनपद | खिलाड़ियों को अधिक से अधिक खेल सुविधा प्रदान कर उच्च स्तरीय खिलाड़ी बनाना। 13 जनपद | 05 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. Goals / Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4 2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | 21–अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं | खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता हेतु प्रोत्साहित करना, जिन्हें अन्य किन्हीं स्रोतों से आर्थिक सहायता न मिलती हो एवं मनोबल बनाने हेतु। | 60.00 | — | – | 200 खिलाड़ी / प्रशिक्षक | 52 खिलाड़ी / प्रशिक्षक को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। | प्रदेश के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराकर प्रदेश का नाम गौरवान्वित कराना। 200 खिलाड़ी / प्रशिक्षक | 05 वर्ष |
| 15 | 22–प्रदेशीय क्रीड़ा संघों एवं क्लबों को आर्थिक सहायता | खेलों के प्रोत्साहन के उद्देश्य से संघों को आर्थिक रूप से सबल बनाना। | 16.00 | — | — | 25 प्रदे0 क्रीड़ा संघ | 15 प्रदे0 क्रीड़ा संघ | प्रदेशीय क्रीड़ा संघों के विभिन्न खेलों में अधिक से अधिक खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराने के साथ ही प्रदेश का नाम गौरवान्वित कराना। 25 प्रदे0 क्रीड़ा संघ | 05 वर्ष |
| 16 | 24–सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता | राज्य के कार्मिक खिलाड़ियों को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनमें खेल भावना का प्रसार करना। | 12.00 | — | — | 100 खिलाड़ी | — | राज्य के कार्मिक को खेल संस्कृति से जोड़ने के साथ–साथ अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराकर प्रदेश का नाम गौरवान्वित कराना। 100 खिलाड़ी | 05 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/ बजट | | एस.डी.जी. Goals / Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4 2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | 28–सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट | राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों को सामुदायिक खेल गतिविधियों एवं मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने हेतु। | 0.01 | — | — | – | — | – | – |
| 18 | 29–उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति | राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। | 4.00 | — | — | 10 खि0 | | अधिक से अधिक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु खिलाड़ियों को तैयार करना।<br>10 खि0 | 10 वर्ष |
| 19 | 30–पं0 नैनसिंह सर्वेयर माउण्टेनियरिंग प्रषिक्षण केन्द्र | राज्य के खिलाड़ियों को साहसिक प्रशिक्षण प्रदान करना। | 70.00 | — | — | 01 संस्थान<br>100 खिलाड़ी | 01 संस्थान 60 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया | अधिक से अधिक जनमानस को साहसिक खेलों एवं पर्वतारोहण से जोड़ना।<br>01 संस्थान<br>100 खिलाड़ी | 05 वर्ष |
| 20 | 31–38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजनार्थ | राज्य में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु। | 10.00 | — | — | 01 राष्ट्रीय खेल | — | राज्य के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिता को देखने का अवसर प्रदान करना एवं अधिक से अधिक मेडल प्राप्त करना<br>01 राष्ट्रीय खेल | 02 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/ बजट | | एस.डी.जी. Goals / Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019—20 | 1—4 2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | 32—पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज | प्रारम्भिक अवस्था से ही बालकों को खेल कौशल में वृद्धि करने हेतु मजबूत आधार तैयार करना। | 60.00 | — | — | 01 संस्थान | 01 संस्थान 30 खिलाड़ी | प्रारम्भिक अवस्था से ही प्रदेश के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल की विशेष सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराकर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु तैयार करना। 01 संस्थान | 05 वर्ष |
| 22 | 33—38वें राष्ट्रीय खेलों से पूर्व राज्य के खिलाड़ियों हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर | 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग कराने से पूर्व खिलाड़ियों को तकनीकी गहन प्रशिक्षण प्रदान करना। | 20.00 | — | — | 200 खिलाड़ी | — | राष्ट्रीय खेल में अधिक से अधिक पदक प्राप्त करना। 200 खिलाड़ी | 02 वर्ष |
| 23 | 34— स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थापित आईस स्कैटिंग रिंक का संचालन | आईस स्केटिंग रिंक का संचालन करना | 0.01 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 36—निजी क्षेत्रों में खेल अकादमी की स्थापना | निजी अकादमियों के समन्वय कर खेल प्रशिक्षण हेतु खिलाड़ियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना। | 0.01 | — | — | — | — | प्रदेश के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराने के साथ ही प्रदेश का नाम गौरवान्वित कराना। | 02 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/ बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019—20 | 1—4 2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25 | 0105—13वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में हल्द्वानी (नैनीताल) में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण | अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधायें विकसित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करना। | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 0106—खेलों इंडिया | अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधायें विकसित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करना। | — | 1000.00 | — | 02 स्टेडियम/इंडोर हॉल का निर्माण | 01 स्टेडियम/ इंडोर हॉल का निर्माण | अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधायें विकसित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने के साथ ही अधिक पदक प्राप्त कराना। 02 स्टेडियम/इंडोर हॉल का निर्माण | 01 वर्ष |
| 27 | 0107—राष्ट्रीय खेलों हेतु भारत सरकार से अनुदान | राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण आदि | — | 4000.00 | — | 20 खेलों की खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन/ विस्तारीकरण | | देश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही राज्य का नाम रोशन कराना। 20 खेलों की खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन/ विस्तारीकरण | 01 वर्ष |
| 28 | 04—स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (नये कार्य) | नये खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन | — | 300.00 | — | 04 स्टेडियम | 02 स्टेडियम | प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय खेल अव.स्थापना सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु खिलाड़ियों को तैयार करना। 04 स्टेडियम | 01 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/ बजट | | एस.डी.जी. Goals / Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4 2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | 05–स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य) | निर्माणाधीन खेल अवस्थापना सुविधाओं को त्वरित गति से पूर्ण कर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना। | — | 500.00 | — | 03 स्टेडियम | 02 स्टेडियम | –तदैव– | 02 वर्ष |
| 30 | 06 –सिविल सर्विसेज संस्थान की स्थापना | राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवंउनके पारिवारिक सदस्यों को सामुदायिक खेल गतिविधियों एवं मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने हेतु। | — | 0.01 | — | 01 संस्थान | 01 संस्थान | राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों को खेल संस्कृति से जोड़ने तथा खिलाड़ियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से।<br>01 संस्थान | — |
| 31 | 08–खेल निदेशालय की स्थापना | राज्य में खेल स्थापना एवं प्रशासनिकव्यवस्था प्रदान करना। | — | 0.01 | — | – | | – | — |
| 32 | 09–अवस्थापना सुविधाओं का अनुरक्षण | स्थापित खेल अवस्थापना सुविधाओं को खेल के अनुरूप सुव्यवस्थित रखना। | — | 250.00 | — | 07 स्टेडियम | 01 स्टेडियम | सृजित खेल अवस्थापना सुविधाओं को सुव्यवस्थित रखकर खिलाड़ियों को अच्छी खेल सुविधा उपलब्ध कराना।<br>07 स्टेडियम | 01 वर्ष |
| 33 | 13–देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज के भवन का निर्माण | स्पोर्ट्स कॉलेज में उच्च स्तरीय खेल सुविधायें प्रदान करने हेतु खेल अवस्थापनाओं का सृजन | — | 300.00 | — | 01 संस्थान | 01 संस्थान | खिलाड़ियों को अच्छी से अच्छी खेल सुविधा उपलब्ध कराना।<br>01 संस्थान | 05 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. Goals / Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4 2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 34 | 14–पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज के भवन का निर्माण | स्पोर्ट्स कॉलेज में उच्च स्तरीय खेल सुविधायें प्रदान करने हेतु खेल अवस्थापनाओं का सृजन | — | 300.00 | — | 01 संस्थान | 01 संस्थान | प्रारम्भिक अवस्था से ही प्रदेश के बालक / बालिकाओं को खेल विशेष में प्रशिक्षित कर उच्च स्तरीय खिलाड़ी बनाना। 01 संस्थान | 05 वर्ष |
| 35 | 17– अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकट स्टेडियम का निर्माण | राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं प्रदान करने हेतु खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन | — | 0.01 | — | – | 01 स्टेडियम | प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय खेल अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु खिलाड़ियों को तैयार करना। | |
| 36 | 18–विशेष आयोजनागत सहायता | राज्य में उच्चस्तरीय खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन | — | 0.01 | — | 04 स्टेडियम | 02 इन्डोर स्टेडियम | प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय खेल अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु खिलाड़ियों को तैयार करना। 04 स्टेडियम | 03 वर्ष |
| 37 | 19–हल्द्वानी स्टेडियम (फेज–2) | राज्य में राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाऐं प्रदान करने हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन | — | 0.01 | — | – | 01 स्टेडियम | तदैव | 05 वर्ष |
| 38 | 20–पवेलियन ग्राउण्ड में निर्माण | उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं का सृजन। | — | 0.01 | — | 01 खेल मैदान | 01 खेल मैदान | राज्य मुख्यालय में अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराकर सफलता अर्जित करना 01 खेल मैदान | – |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. Goals / Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4 2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39 | 24–पं0 नैनसिंह सर्वेयर माउण्टेनियरिंग प्रषिक्षण केन्द्र की स्थापना | राज्य के खिलाड़ियों को साहसिक प्रशिक्षण प्रदान करना। | — | — | — | 01 संस्थान | 01 संस्थान | अधिक से अधिक जनमानस को साहसिक खेलों एवं पर्वतारोहण से जोड़ना। 01 संस्थान | 05 वर्ष |
| 40 | 31–38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन (निर्माण) | वर्ष 2018 में राज्य में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु | — | 2000.00 | — | 20 खेलों की खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन / विस्तारीकरण | | देश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही राज्य का नाम रोशन कराना। 20 खेलों की खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन / विस्तारीकरण | 02 वर्ष |
| <u>2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं</u> | | | | | — | | | | |
| 104–खेलकूद<br>02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान | | | | | — | | | | |
| 41 | 0201– प्रतियोगिताओं का आयोजन | अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों हेतु खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर खेल की मुख्य धारा से जोड़ना। | — | 10.00 | – | 2000 खिलाड़ी | 1117 खिलाड़ी | प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल संस्कृति की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनका मनोबल बढ़ाने के साथ ही खेल में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु तैयार करना। 2000 खिलाड़ी | 10 वर्ष |
| 42 | 0202–प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन | अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों हेतु खेल विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर खेल की मुख्य धारा से जोड़ना। | — | 10.00 | – | 1000 खिलाड़ी | 243 खिलाड़ी | प्रदेश के खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण सुविधा प्रदान कर खेल की नवीन तकनीकी प्रदान करना। 1000 खिलाड़ी | 05 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/ बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019—20 | 1—4 2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <u>4202—शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</u><br>03—खेलकूद तथा युवा सेवाएं<br>102—खेलकूद स्टेडियम | | | | — | | | | |
| 43 | 03—इंडोरहॉल व हॉस्टल का निर्माण | अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कर अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल सुविधायें उपलब्ध कराना। | — | 100.00 | — | 01 इंडोर हॉल/ हॉस्टल | 01 इंडोर हॉल/ हॉस्टल | प्रदेश के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु तैयार करना।<br>01 इंडोर हॉल/ हॉस्टल | 10 वर्ष |
| 2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं<br>796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | | | | | | |
| 44 | 02—प्रतियोगिताओं का आयोजन | अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ियों हेतु खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर खेल की मुख्य धारा से जोड़ना। | — | 20.00 | — | 1000 खिलाड़ी | 742 खिलाड़ी | प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल संस्कृति की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनका मनोबल बढ़ाने के साथ ही खेल में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु तैयार करना।<br>1000 खिलाड़ी | 03 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/ बजट | | एस.डी.जी. Goals / Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 45 | 03–प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन | अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ियों हेतु खेल विशेष में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर खेल की मुख्य धारा से जोड़ना। | — | 10.00 | – | 1000 खिलाड़ी | 257 खिलाड़ी | प्रदेश के खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण सुविधा प्रदान कर खेल की नवीन तकनीकी प्रदान करना।<br>1000 खिलाड़ी | 03 वर्ष |
| <u>4202–शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</u> | | | | | — | | | | |
| 03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम<br>102–खेलकूद स्टेडियम | | | | | — | | | | |
| 46 | 03–इंडोरहॉल व हॉस्टल का निर्माण | अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कर अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल सुविधायें उपलब्ध कराना। | — | 100.00 | — | 02 इंडोर हॉल/ हॉस्टल | — | प्रदेश के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु तैयार करना।<br>02 इंडोर हॉल/ हॉस्टल | 5 वर्ष |

# प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पन्तनगर

## गो. ब. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर

विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित एस.डी.जी. –

(धनराशि रू. लाख में)

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. Goal/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01–4, 2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| अनुदान संख्या–11 | | | | | | | | |
| कालेज ऑफ टैक्नोलोजी पंतनगर 43–वेतन भत्ते | उत्तराखण्ड एवं देश के योग्य एवं सक्षमतम छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान कर राज्य और देश का योग्य नागरिक बनाना जिससे वह देश के नागरिकों का सामाजिक आर्थिक एवं तकनीकी रूप से समग्र विकास कर सके। | 2400.00 | – | शैक्षिक सत्र 2017–18 में स्नातक पाठ्यक्रम (बी.टेक.) में 478 छात्र–छात्राये उत्तीर्ण हुये।<br>सेवायोजन 478 छात्र–छात्राओं में से 222 का सेवायोजन हुआ।<br>उक्त सेवायोजन छात्र–छात्राओं में से उत्तीर्ण हुये एवं सेवायोजित छात्र–छात्राओं का औसत निम्नवत है:–<br>222 / 478<br>111 : 239<br>शैक्षिक सत्र 2018–19 में प्रथम सेमेस्टर में बी. टेक. पाठ्यक्रम में | शैक्षिक सत्र 2017–18 में स्नातक पाठ्यक्रम (बी.टेक.) में 478 छात्र–छात्राये उत्तीर्ण हुये।<br>सेवायोजन 478 छात्र–छात्राओं में से 222 का सेवायोजन हुआ।<br>उक्त सेवायोजन छात्र–छात्राओं में से उत्तीर्ण हुये एवं सेवायोजित छात्र–छात्राओं का औसत निम्नवत है:–<br>222 / 478<br>111 : 239<br>शैक्षिक सत्र 2018–19 में प्रथम सेमेस्टर में बी. टेक. पाठ्यक्रम में 375 | महाविद्यालय में शिक्षक / शिक्षणेत्तर कुल 191 पद स्वीकृत है। जिसके सापेक्ष भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवतः है:–<br>37400–67000 एजीपी–10000 – 08 पद<br>37400–67000 एजीपी–9000 – 14 पद<br>15600–39100 एजीपी–6000 – 50 पद<br>15600–39100 एजीपी–6600 – 01 पद<br>9300–34800 ग्रेड पे–5400 – 01 पद<br>9300–34800 ग्रेड पे –4800 – 01 पद<br>9300–34800 ग्रेड पे –4200 – 05 पद<br>5200–20200 ग्रेड पे –2800 – 15 पद | महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के शिक्षण हेतु नियुक्त समस्त कार्मिकों के वेतन भत्ते पर व्यय तथा इंजीनियरिंग के 8 विषयों में योग्य एवं सक्षमतम इंजीनियर तैयार करना। | 2019–20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 375 छात्र–छात्राओं द्वारा प्रवेश लिया गया है। | छात्र–छात्राओं द्वारा प्रवेश लिया गया है। | 5200–20200 – 06 पद ग्रेड पे –2400<br>5200–20200 – 02 पद ग्रेड पे –2000<br>5200–20200 – 04 पद ग्रेड पे –1900<br>5200–20200 – 10 पद ग्रेड पे –1800 | | |
| कालेज ऑफ टैक्नोलोजी पंतनगर 20–सहायक अनुदान | –तदैव– | 100.00 | – | तदैव | तदैव | तदैव | महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के शिक्षण कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों, कम्प्युटरों, विभिन्न प्रयोगशालाओं में प्रयोगात्मक कार्यो हेतु आवश्यक सामग्री तथा इम्पलीमेन्ट के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के व्यय हेतु तथा इंजीनियरिंग के 8 विषयों में योग्य एवं सक्षमतम इंजीनियर तैयार करना। | 2019–20 |
| **राज्य योजना** | | | | | | | | |
| महाविद्यालय में टूयूब वैल का निर्माण | महाविद्यालय के दोनो भवनों में जलापूर्ति की सुविधा | – | 38.59 | तदैव | तदैव | तदैव | छात्रों और संकाय को कार्य निष्पादन में सुविधा | 2019–20 |
| व्यहिकल शैड का निर्माण | महाविद्यालय के वाहनों को धूप पानी आदि से बचाने के लिए | – | 16.54 | तदैव | तदैव | तदैव | वाहनों के रख रखाव लागत में कमी आएगी | 2019–20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टैगोर भवन में अतिरिक्त विंग का निर्माण | छात्रों की बढ़ी हुई संख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु | – | 264.60 | तदैव | तदैव | तदैव | छात्रों को उचित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने से पठन–पाठन में सहायता प्राप्त होगी। | 2019–20 |
| पटेल भवन में अतिरिक्त विंग का निर्माण | छात्रों की बढ़ी हुई संख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। | – | 264.60 | तदैव | तदैव | तदैव | छात्रों को उचित आवासीय सुविध उपलब्ध कराने से पठन–पाठन में सहायता प्राप्त होगी। | 2019–20 |
| महाविद्यालय के लिए 1000 किली क्षमता का आरसीसी एक टैंक का निर्माण | अध्ययनरत छात्र–छात्राओं/शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा स्ऑफ हेतु साफ एवं स्वच्छ जल की व्यस्था करने हेतु। | – | 179.55 | तदैव | तदैव | तदैव | जलापूर्ति निर्वाध रूप से जारी रखा जाना आवश्क है। | 2019–20 |
| महाविद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के उपयोग हेतु महिला उद्यमिता विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण | महाविद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के उपयोग हेतु। | – | 105.00 | तदैव | तदैव | तदैव | महिला कार्मिकों द्वारा बैठक एवं अन्य गतिविधियों के उपयोग हेतु। | 2019–20 |
| महाविद्यालय के इरीगेशन एण्ड ड्रेनेज इंजीनियरिंग विभाग में जीआईएस एवं रिमोट सेंसिंग लैब की स्थापना | छात्र–छात्राओं के अध्ययन हेतु | – | 27.30 | तदैव | तदैव | तदैव | छात्र–छात्राओं को नई तकनीकी से जोड़ने हेतु एवं उनके उच्च अध्ययन हेतु | 2019–20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| निर्माणाधीन उत्पादन अभि0 विभाग के अतिरिक्त भवन के वाह्य विद्युतीकरण कराये जाने हेतु | विद्युत व्यवस्था की आपूर्ति हेतु | — | 33.60 | तदैव | तदैव | तदैव | विद्युत व्यवस्था की आपूर्ति हेतु | 2019—20 |
| महाविद्यालय में छात्र—छात्राओं के परीक्षा कक्ष (हॉल 6 नं.) का निर्माण 300 स्क्वायर मीटर प्रति हॉल | छात्र—छात्राओं के परीक्षाऐं आयोजित कराये जाने हेतु | — | 264.60 | तदैव | तदैव | तदैव | छात्र—छात्राओं के परीक्षाऐं आयोजित कराये जाने हेतु | 2019—20 |
| महा0 में 03 यूजी / ड्राविंग सेक्शन का निर्माण किया जाना। | छात्र—छात्राओं के उपयोग हेतु जिससे उन्हें आवासित होने में कठिनाई न हो। | — | 189.00 | तदैव | तदैव | तदैव | छात्र—छात्राओं के उपयोग हेतु जिससे उन्हें आवासित होने में कठिनाई न हो। | 2019—20 |
| महाविद्यालय में अलग से प्रशिक्षण एवं सेवायोजन प्रकोष्ट का निर्माण कार्य। | छात्र—छात्राओं को सेवायोजन के अलग से उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने हेतु। | — | 159.60 | तदैव | तदैव | तदैव | छात्र—छात्राओं को सेवायोजन के अलग से उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने हेतु। | 2019—20 |
| महाविद्यालय में अध्ययनरत् एम. टेक / पी.एचडी के 150 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण। | विद्यार्थियों के आवासिय उपयोग हेतु। | — | 771.75 | तदैव | तदैव | तदैव | विद्यार्थियों के आवासिय उपयोग हेतु। | 2019—20 |
| पटेल, सिलवर जुबली एवं टैगोर भवन छात्रावास की जलापूर्ति की पाइप लाइन को बदला जाना | छात्रों के उपयोग हेतु जलापूर्ति निर्वाध रूप से बनाये रखने हेतु | — | 21.00 | तदैव | तदैव | तदैव | छात्रों के उपयोग हेतु जलापूर्ति निर्वाध रूप से बनाये रखने हेतु | 2019—20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महाविद्यालय के सिल्वर जुबली छात्रावास में एक कामन हॉल का निर्माण कार्य। | छात्रों के आपसी फेस्टिबल के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने हेतु। | — | 16.54 | तदैव | तदैव | तदैव | छात्रों के आपसी फेस्टिबल के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने हेतु। | 2019—20 |
| **अनुदान संख्या—30** | | | | | | | | |
| अनुसूचित जाति के 252 छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण | अनुसूचित जाति के छात्रों को अलग से एक उपयुक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु। | — | 50.00 | तदैव | तदैव | तदैव | 252 छात्रों को आवासीय सुविधा मिल सकेगी। | 2019—20 |
| **20—सहायक अनुदान** | अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं तैयार कर लाभ पहुचाने हेतु। | — | 149.25 | तदैव | तदैव | तदैव | महाविद्यालय में संचालित इंजीनियरिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति के छात्र—छात्राओं हेतु विभिन्न के कल्याणकारी योजना तैयार कर उन्हें लाभ पहुचाना तथा नवनिर्मित अनुसूचित जाति/जनजाति के भवन में निर्मित सभागार को उक्त प्रकार के छात्र—छात्राओं हेतु विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं एवं व्याख्यानों इत्यादि के लिए तैयार किया जाना। | 2019—20 |

# ग्राम्य विकास विभाग

विभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित एस.डी.जी.

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी. Goal/ Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.04.2018 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **केन्द्रपोषित पोषित योजना** | | | | | | | | | |
| 1 | आजीविका (डे–एन.आर. एल.एम.) | समस्त ग्रामीण निर्धन परिवारों तक पहुंच बनाना और उन्हें आजीविका के स्थाई अवसर मुहैया कराना है, उस समय तक उनका पोषण एवं संरक्षण किया जायेगा जब तक वे गरीबी से उपर उठकर एक सम्मानजनक जीवन न जीने लगे | 5600.00 | -- | **Goal-1 Sub-Goal (1.1)**<br>a) Household deprived (SECCs) (lakhs)– Rural- 153077<br>b) Propotion of population deprived rural -<br>**Sub-Goal (1.2.1)**<br>a) No. of functional SHGs- 9050<br>b) No of credit Linked SHGs under NRLM- 5010<br>c) Proportion of population living below the State poverty line - | • स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 10000<br>• ग्राम संगठन की स्थापना– 1000<br>• कलस्टर लेबिल फैडरेशन –25<br>• बुक कीपर प्रशिक्षण– 10000<br>• आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित–200<br>• स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 10000<br>• स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 12000<br>• स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 4000<br>• स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज– 5000 | स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 12655<br>ग्राम संगठन की स्थापना– 326<br>कलस्टर लेबिल फैडरेशन –12<br>बुक कीपर प्रशिक्षण– 12655<br>आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित–286<br>स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 12655<br>स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 8858<br>स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 2525<br>स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज– 1270 | 5000 स्वयं सहायता समूहों के 35000 सदस्यों को आजीविका संवर्द्धन से जोड़ा जायेगा। | मार्च, 2020 |
| 2 | दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना | ग्रामीण गरीब परिवारों के युवक–युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देकर सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना। | 2617.00 | - | **Goal-1 Sub-Goal (1.1)**<br>c) No.of deprived HHs provided covered skill training programme | •4930 युवक–युवतियों को प्रशिक्षण<br>•कम से कम 3500 युवक–युवतियों को विभिन्न सेवा सेक्टर में आश्वस्त रोजगार उपलब्ध कराना। | 5000 युवक–युवतियों के प्रशिक्षण के सापेक्ष 70 युवक–युवतियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका था। | ग्रामीण गरीब परिवारों के युवक– युवतियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराते हुए गरीब परिवारों का सतत् रुप से सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन करना है। | मार्च, 2021 |
| 3 | श्यामा प्रसाद | अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने | 2000.00 | - | | योजना के तहत् अवस्थापना | जनपद हरिद्वार के | रुर्बन कलस्टरों में | मार्च, |

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी. Goal/ Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.04.2018 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | मुखर्जी रर्बन मिशन के अन्तर्गत चयनित क्लस्टरों में विकास | वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के क्लस्टर को 'रर्बन गांवों ' के रूप मे. विकसित करना' | | | | सेक्टर जैसे सडक का निर्माण, शौचालय का निर्माण, स्कूल भवन की मरम्मत, पेयजल योजना का निर्माण, कृषि की योजना, पर्यटन की योजना का निर्माण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमे.ट, स्टीट लाईट लगना, बागवानी आदि के कार्यो का क्रियान्वयन. शेष रुर्बन कलस्टरों में आगामी वर्ष में कार्य प्रारम्भ कर लिये जायेगें। | भगतनपुर–आबिदपुर एवं देहरादून के अठूरवाला कलस्टरों में कार्य प्रारम्भ किये जा चुके थे एवं जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी समेकित कलस्टर कार्ययोजना पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका था। | आवासित जनमानस को सामुदायिक विकास के दृष्टिगत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा आजीविका सृजन कार्यक्रम, अवस्थापना विकास। | 2021 |
| 4 | डी0आर0डी0ए0 प्रशासनिक मद | डी0आर0डी0ए0 के अर्न्तगत गठित गरीबी उन्नमूलन प्रकोष्ठ के कर्मचारियों / अधिकारियों के वेतन आदि का भुगतान किया जाना | 1000.00 | -- | | गरीबी उन्नमूलन प्रकोष्ठ के कर्मचारी / अधिकारी– 161 | | गरीबी उन्नमूलन प्रकोष्ठ / डी0आर0डी0ए0 के 161 कार्यरत कर्मचारियों / अधिकारियों के वेतन आदि के भुगतान हेतु | |
| 5 | महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना | पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार गारंटी।<br>निर्धनों के आजीविका संसाधनों के आधार को सुदृढ़ करना।<br>सामाजिक समावेशन को अतिसक्रियता से सुनिश्चित करना।<br>पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ करना। | 28200.00 | | **Goal-1 Sub-Goal (1.3)**<br>a) Percentgage of active jobcard holding HHs getting employment under MGNREGS-**71.90**<br>b) Avg. days of employment under MGNREGS-**43.75** | कुल 235.00 लाख मानव दिवसो का सृजन किया जाएगा तथा कुल धनराशि ₹300.00 करोड़ का व्यय किया जायेगा | 830.95 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 20.53 लाख परिवारों के 25.89 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 74886 परिवारों द्वारा 100 दिन का रोजगार पूर्ण किया गया।<br>महात्मा गांधी नरेगा योजना ने जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना एवं व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के रूप में आजीविका संवर्द्धन तथा कृषि क्षेत्र के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से भी योगदान किया। | 1) श्रम रोजगार – स्थानीय स्तर पर 5.30 लाख परिवारों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ 120000 कार्य कराये जायेंगे।<br>2) आजीविका संवर्द्धन – कुल 42 हजार लाभार्थियों को उद्यान, चाय तथा अन्य गतिविधियों से लाभान्वित कर आजीविका से जोड़ा जायेगा। | मार्च, 2020 |
| 6 | प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण | SECC 2011 डाटा के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में पीएमएवाई–जी हेतु पात्र पाये गये सभी बेघर, कच्चे तथा जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक रसोई स्थान तथा शौचालय सहित बुनियादी सुविधा से युक्त पक्का मकान | 3800.02 | | **Goal-1 Sub-Goal (1.3)**<br>A. SECC-2011 सर्वे के अर्न्तगत उपलब्ध लाभार्थी – 12675<br>1.Total available beneficiaries at ditrict level as per SECC- | 3315 आवासों का निमार्ण किया जायेगा। | 10304 आवास स्वीकृत तथा 5529 आवास पूर्ण किये गये | SECC-2011 के सर्वेक्षण के ग्रामीण परिवारों को शासकीय अनुदान देकर बुनियादी सुविधा युक्त पक्के मकान के निर्माण से लाभार्थी के सामाजिक स्तर में | आवास स्वीकृति की तिथि से 1 वर्ष |

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी. Goal/ Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.04.2018 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | उपलब्ध कराना। | | | 2011 for PMAY-G= 12675.<br>2. Total senction house out of available beneficiaries= 12489<br>3. Total house completed against sanction=9174<br>c) Percentage of rural HHs have pacca house- **73.45** | | | बृद्वि होगी। | |
| **7** | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम फण्ड | ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी के सभी असंयोजित बसावटों (कोर नेटवर्क)को सर्वऋतु मार्गों से संयोजित किया जाना है | -- | 90000.02 | **Goal-9 Sub-Goal (9.1)**<br><br>a) Road length per lakh rural population (km) PMGSY<br>9.1- ग्रामीण मार्गो का भौतिक एवं सम्पर्क संयोजन मार्गो का निर्माण (किमी) 20– नई सडकें 3000.00 किमी तथा चालू सडकें 15000 किमी का निर्माण किये जाने का लक्ष्य है।<br><br>b) No. of Village link under PMGSY -200 | 3000.00 किमी लम्बे मार्गो का निर्माण किया जना प्रस्तावित है। | उक्त योजना के अन्तर्गत 9368.00 किमी0 मार्गो का निर्माण किया गया तथा 1162 बसावटों को संयोजकता प्रदान की गई है। | ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी की 200 असयोंजित बसावटों को बारहमासी मार्गो से सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं तक पहुंच हो सके एवं कृषि आय और लाभदायक रोजगार अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन हो सके। | मार्च, 2020 |
| **8** | राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम | ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयत्रों की स्थापना किया जाना | 100.00 | -- | — | 600 परिवारों की ईधन की आवश्यकता की पूर्ति की जायेगी | वर्ष 2000 से मार्च, 2018 तक 9252 बायोगैस संयत्र स्थापित किये गये। | 600 परिवारों की ईधन की आवश्यकता की पूर्ति करते हुये महिलाओं के स्वास्थय में गुणात्मक सुधार एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार किया जायेगा। | मार्च, 2020 |
| **9** | सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी) | राज्य के 5 सीमान्त जिलो के विकास हेतु | -- | 3500.00 | — | सीमान्त विकास खण्डो के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 0 –10 किमी के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं यथा–सम्पर्क मार्ग, पेय जल में कुल स्वीकृत धनराशि का अधिकतम 35 प्रतिशत, स्वास्थ्य में न्यूनतम 10 प्रतिशत, कृषि में अधिकतम 10 | 3191 कार्य पूर्ण किये गये। | सीमान्त विकास खण्डो (09) के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 0–10 किमी के ग्रामों में आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास के माध्यम से सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत | मार्च, 2020 |

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस.डी.जी.

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी. Goal/ Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.04.2018 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्र सेक्टर में अधिकतम 15 प्रतिशत, क्षमता विकास न्यूनतम 10 प्रतिशत शिक्षा में न्यूनतम 10 प्रतिशत, खेलकूद में न्यूनतम प्रतिशत 10 प्रतिशत धनराशि तक के कार्यो का क्रियान्वयन किया जायेगा। | | अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी। | |
| **10** | उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना | विभिन्न राजकीय अधि0/कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं भवन निर्माण, वेतन भत्तों हेतू भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केंद्रांश की धनराशि के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश एवं राज्य सैक्टर से संस्थान के आवासीय/अनावासीय भवनों के अनुरक्षण हेतु | 20.00 | 50.00 | ––– | लगभग 225 प्रशिक्षण देकर पंचायतीराज प्रतिनिधियों एवं विभिन्न राजकीय अधिकारी/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। | 927 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें 30980 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। | क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम, जलागम विकास सम्बंधी प्रशिक्षण, पंचायतीराज प्रतिनिधियों एवं विभिन्न राजकीय अधि0/ कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं इस हेतु बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराना | मार्च, 2020 |
| **राज्य पोषित योजना** | | | | | | | | | |
| **1** | विधायक निधि | प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना | -- | 26625.00 | ––– | क्षेत्रीय असंतुलन को दृष्टिगत रखते हुये मा0 विधायकों द्वारा संस्तुत विभिन्न विकास सम्बंधी कार्य किये जायेगें | 152409 कार्य पूर्ण किये गये। | मा0 विधायकों द्वारा संस्तुत योजनाओं/कार्य की स्वीकृति के पश्चात स्थानी स्तर पर विभिन्न विकास सम्बंधी मूलभूत आवश्कताओं एवं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जायेगा | मार्च, 2020 |
| **2** | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एन.पी.वी.) | ग्रामीण क्षेत्रों में सडकों से न जुडी बसावटों को बारह मासी सडकों के लिये सडक सम्पर्क मार्ग से जोडना एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का भुगतान | -- | 6000.00 | ––– | 378 मार्गो के निर्माण में आ रही वन भूमि हेतु एन0पी0वी एवं निजी भूमि हेतु प्रतिकर का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। | उक्त योजना के अन्तर्गत 444 मार्गो हेतु वन भूमि के लिये एन0पी0वी0 का भुगतान किया गया है। | ––– | मार्च, 2020 |
| **3** | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (आधिक्य भुगतान) | निविदाएं/विचलन आदि मदों हेतु | -- | 3400.00 | ––– | 67 मार्गो का निर्माण पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। | | ––– | मार्च, 2020 |
| **4** | प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों के | योजनान्तर्गत सड़कों की मरम्मत हेतु | --- | 3150.00 | ––– | 4230.00 किमी0 लम्बें पूर्ण मार्गो का अनुरक्षण किया जाना प्रस्तावति है। | ––– | ––– | मार्च, 2020 |

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस.डी.जी.

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी. Goal/ Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.04.2018 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | अनुरक्षण का भुगतान | | | | | | | | |
| 5 | पी.एम.जी.एस. वाई के अन्तर्गत सैटेज चार्ज तथा पी.एम.सी. का भुगतान | प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कार्यो के कियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समयअन्तर्गत पूर्ण करने हेतु सी0पी0डब्लयू0डी0 के 06 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्डं एवं वैपकास के 04 खण्डं की सेवाएं ली गई है। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज के भुगतान हेतु | 2000.00 | -- | –– | प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कार्यो के कियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समयअन्तर्गत पूर्ण करने हेतु सी0पी0डब्लयू0डी0 के 06 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्डं एवं वैपकास के 04 खण्ड की सेवाएं ली गई है। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। | –– | –– | मार्च, 2020 |
| 6 | यू.आर.आर.डी.ए. के अन्तर्गत नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाऐं | जनपद पिथौरागढ़ में नाबार्ड पोषित कार्यों हेतु | -- | 3000.00 | –– | जनपद पिथौरागढ के धारचूला में 155.00 किमी0 लम्बें मार्गो का निर्माण पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। | –– | –– | मार्च, 2020 |
| 7 | दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना | ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे अनु0जाति, जनजाति एवं सामान्य जाति के ऐसे परिवार जिनके आवास कच्ची दीवारें, अ़र्द्धपक्की पन्नी से ढकी हों को लाभान्वित किया जाना है। | 0.03 | -- | –– | –– | –– | –– | –– |
| 8 | प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु अनुदान | प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों पर विकास विभागों से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं परियोजना से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त रोजगार एवं स्वरोज़गार परक कार्यक्रमों, जलागम, आई.सी.डी.एस. सम्बन्धी कार्यक्रमों, त्रिस्तरीय पंचायतीराज के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। | 80.00 | -- | –– | लगभग 150 प्रशिक्षण देकर पंचायतीराज प्रतिनिधियों एवं विभिन्न राजकीय अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। | –– | –– | मार्च, 2020 |
| 9 | प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण | प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में अवस्थापना सृजन | -- | 30.00 | –– | प्रसार प्रशिक्षण केन्द चमोली गोपेश्वर में अनावासीय भवन के निर्माण हेतु। | – | प्रसार प्रशिक्षण केन्द चमोली गोपेश्वर में अनावासीय भवन के निर्माण हेतु। | मार्च, 2020 |

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस.डी.जी.

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्‌देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी. Goal/ Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.04.2018 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | उत्तराखण्ड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि | राज्य के 11 जनपदों के 74 अति पिछडे विकास खण्ड़ों के विकास हेतु | -- | 42.63 | — | — | 618 कार्य पूर्ण किये गये | जनपद अल्मोडा हेतु पूर्व में स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष अवशेष देनदारी। | मार्च, 2020 |
| 11 | मेरा गॉव मेरी सड़क | राज्य के दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को आम जनमानस से जोड़ने तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पलायन की रोकथाम, आजीविका उपलब्ध कराना तथा गांव की पैदावार को बाजार उपलब्ध कराना | -- | 1250.00 | — | योजनार्न्तगत प्रति विकासखण्ड 1–1 किमी की दो सडक माहात्मा गॉधी नरेगा के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से बनायी जायेंगी जिसकी 50प्रति0 धनराशि मनरेगा से एवं 50प्रति0 धनराशि मेरा गॉव मेरी सडक से वहन किया जायेगा। योजनार्न्तगत लम्बाई 190.00 किमी. सडक निर्मित करते हुये 10.72 ला0मानव दिवस सृजित किये जायेगे। | 271 सडकें लम्बाई 238. 77 किमी पूर्ण की गयी। | सडकों के निर्माण से एक ओर जहॉ स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी वहीं दूसरी ओर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध होगे जिससे उनकी आजीविका में सुधार होगा। | मार्च, 2020 |
| 12 | सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण | राज्य के सीमान्त जिलों के विकास हेतु गठित प्रकोष्ठ के कार्मिकों के वेतन भत्तों आदि हेतु | 0.01 | - | — | | – | – | |
| 13 | राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई प्रशासनिक व्यय | ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा ग्राम्य विकास कार्यक्रमों की मूल्यांकन/ अनुश्रवण हेतु गठित प्रकोष्ठ के वेतन भत्तों एवं प्रशासनिक व्यय आदि हेतु | 80.00 | | — | कार्मिकों के नियत वेतन भत्तों एवं प्रशासनिक व्यय भुगतान एवं अतिरिक्त परामर्शी सेवाओं हेतु | – | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु गठित प्रकोष्ठ के अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य व्यय भत्तों का भुगतान | मार्च, 2020 |
| 14 | मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना | 1. सामुदायिक निवेश निधि– एन. आर.एल.एम. कम्पलाइट स्वयं सहायता समूह जिनको डे–एनआरएलएम के अन्तर्गत सूक्ष्म ऋण योजना आधारित सीआईएफ प्राप्त कराया जा चुका हो, ऐसे समूहों को सीआईएफ की धनराशि राज्य सरकार द्वारा ₹ 20000.00 उपलब्ध कराई जाती है। 2. नवीन तथा पुर्नगठित स्वयं सहायता समूहों को सीड कैपिटल– के अन्तर्गत एनआरएलएम के तहत गठित/पुर्नगठित स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाता खोले जाने पर | 350.01 | | — | वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के कुल 20000 स्वयं सहायता समूहों को सीआईएफ उपलब्ध कराना। नवीन एवं पुर्नगठित 20000 स्वयं सहायता समूहों को ₹ 5000/– सीड कैपिटल उपलब्ध कराया जायेगा। | –– | 20000 स्वयं सहायता समूहों के 140000 सदस्यों को आजीविका संवर्द्धन में जोडा जायेगा। समूहों की अवस्थापना मद यथा दरी, आलमारी, आदि की सुविधा उपलब्ध होगी। | मार्च, 2020 |

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी. Goal/ Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.04.2018 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | राज्य सरकार द्वारा ₹ 5000.00 प्रति समूह सीड कैपिटल के रूप में दिया जाता है। | | | | | | | |
| **15** | विशेष क्षेत्र विकास योजना | पूर्व में जनपद पौड़ी के राठ विकास तथा प्रक्षेत्र विकास एवं प्रबन्धन विभाग को समायोजित कर नयी योजना विशेष क्षेत्र विकास योजना बनायी गयी है। जिसमें पिछडे क्षेत्रों को राज्य की मुख्य विकास धारा से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जोडने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजन तथा उद्यमिता विकास किया जाना है। | 0.02 | | – | –– | – | –– | -- |
| **16** | इन्दिरा अम्मा भोजनालय अर्न्तगत सब्सिडी | समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से उत्तराखण्ड राज्य में सस्ते भोजन की कैंटीन की व्यवस्था की गयी है जिसका नाम ''इन्दिरा अम्मा भोजनालय'' हैं उक्त कैंटीन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जायेगी | 700.00 | - | | 41 कैंटीनों के माध्यम से सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जायेगा जिससे स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध होगा। समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जायेगा | | समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध होगा तथा स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध होगा | मार्च, 2020 |
| **17** | ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग | राज्य में हो रहे पलायन की रोकथाम एवं ग्रामीण अंचलों में बेहतर आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु ''ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग'' का गठन किया गया है. | 108.70 | – | | मा0 उपाध्यक्ष–01<br>प्रतिनियुक्ति कार्मिक– 01<br>संविदा कार्मिक–04,<br>आउट सोर्स–02 के मानदेय, एवं वेतन आदि | | मा0 सदस्य, अधिकारियों एवं कार्मिकों के मानदेय, वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय का भुगतान | मार्च, 2020 |
| **बाह्य सहायतित परियोजना** | | | | | | | | | |
| **18** | आईफैड(बाह्य सहायतित) समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (नयी योजना) | उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में सामुदायिक समूहों हेतु स्थायी रूप से आजीविका साधनों का संबर्द्धन कर गरीबी को कम करना | 16900.00 | 600.00 | **Goal-1 Sub-Goal (1.1)**<br>a) Household deprived (SECCs) (lakhs)– Rural-<br>b) Propotion of population deprived rural-<br>c) Number of deprived household provide | **1. खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका संवृद्धि**<br>• कुल ग्रामीण 5500 गरीब परिवारों का आच्छादन<br>• 8134 उत्पादक समूहों की क्षमता वृद्धि<br>• 131 स्वायत्त सहकारिताओं | **1. खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका संवृद्धि**<br>• कुल ग्रामीण 71708 गरीब परिवारों का आच्छादन<br>• 7909 उत्पादक समूहों की क्षमता वृद्धि<br>• 130 स्वायत्त सहकारिताओं का | • 60% farmers reporting increased productivity<br>• 60% federations and LCs operating successfully<br>• 100% increase in farm gate price over baseline | मार्च 2021 |

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस.डी.जी.

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी. Goal/ Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.04.2018 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | covered skill deveping programe-<br><br>**Sub-Goal (1.2.1)**<br>a) No. of functional PGs-<br><br>b) No of credit Linked PGs<br>2.25 % of childrens age 6-59 months Who are anemic | का वित्त पोषण एवं क्षमता वृद्वि कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग<br>• 768 LDPE टेंको का निर्माण<br>• 153270 रनिंग मीटर फेसिंग कार्य<br>• 535 हैक्टेयर भूमि पर चाराधास का रखरखाव व Gap filling<br>• 695 हैक्टेयर बंजर/ अनउपयोगी भूमि पर फलादार वृक्षो का का रखरखाव व Gap filling<br>• परियोजना की स्वायत्त सहकारिताओ हेतु 24 संग्रहण केन्द्रों का निर्माण<br>• 270 छोटे संग्रहण केन्द्रों का निर्माण<br>• 134 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करना।<br>• परियोजना जनपदों के 9000 नवयुवक/ | वित्त पोषण एवं क्षमता वृद्वि कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग<br>• 106620 रनिंग मीटर फेसिंग कार्य<br>• 205 हैक्टेयर भूमि पर चाराधास का रखरखाव व Gap filling<br>• 250 हैक्टेयर बंजर/ अनउपयोगी भूमि पर फलादार वृक्षो का का रखरखाव व Gap filling<br>• परियोजना की स्वायत्त सहकारिताओ हेतु 32 संग्रहण केन्द्रों का निर्माण<br>• 331 छोटे संग्रहण केन्द्रों का निर्माण<br>• 64 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों के कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करना।<br>• परियोजना जनपदों के 7043 नवयुवक/ नवयुवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>**सहभागी जलागम** | • 200 hec fellow land brought under cultivation<br>• 3800 hec area increased in rainfed crop and production<br>• 50% households assessing loan from financial institution<br>(As project logframe ) | |

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस.डी.जी.

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी. Goal/ Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.04.2018 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | नवयुवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम<br><br>**सहभागी जलागम विकास**<br>• 190 ग्राम पंचायत के 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता का संरक्षण, वृद्धि व कृषि का संद्धर्वन कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग<br><br>• 15 हेक्टेयर फेसिंग कार्य<br>• 15 हैक्टेयर भूमि पर चारा घास का रख रखाव व Gap filling<br><br>• 15 हैक्टेयर बंजर/ अनउपयोगी भूमि पर फलादार वृक्षो का का रखरखाव व Gap filling<br><br>• 30 सहकारिताओ का वित्त पोषण कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग<br><br>• परियोजना की स्वायत्त सहकारिताओ 28 छोटे संग्रहण केन्द्रों का निर्माण | विकास<br>• 190 ग्राम पंचायत के 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता का संरक्षण, वृद्धि व कृषि का संद्धर्वन कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग<br><br>• 30 स्वायत्त सहकारिताओं का वित्त पोषण कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग<br>• परियोजना की स्वायत्त सहकारिताओ 06 छोटे संग्रहण केन्द्रों का निर्माण<br><br>**आजीविका वित्तपोषण**<br>• 128 अवधि ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग<br>• 406 नगद ऋण सीमा उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग।<br>• 2213 किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग | | |

विभाग के अन्र्तगत प्रस्तावित एस.डी.जी.

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी. Goal/ Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.04.2018 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| | | | | | | आजीविका वित्तपोषण<br>• 500 अवधि ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग<br>• 1000 नगद ऋण सीमा उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग।<br>• 8000 किसान केडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग | | | |

# आउटकम बजट प्रारूप 2019–20

| कं0 सं0 | योजना का नाम | आउट ले स्वीकृत | | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | समय सीमा | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | |
| | राजस्व एवं पूंजीगत | (रूपये हजार में) | | | | | |
| 1 | 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्न्तगर्त राज्य में (पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टिहरी, चमोली और पौड़ी) नर्सिंग परिसर महाविद्यालयों की स्थापना | | | 05 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना इन नर्सिंग सस्थानों के द्वारा राज्य में नर्सेज की कमी को दूर करने/ कार्मिकों का अधिष्ठान व्यय | जून, 2019 | 300 नर्सेज राज्य में नर्सेज की कमी को दूर करने तथा नर्सिंग कॉलेज तथा स्कूलों के लिये फैकल्टी तैयार होगी। | अगस्त, 2020 तक। |
| 2 | नर्सिंग स्कूलों की स्थापना | | | 03 नर्सिंग स्कूलों की स्थापना तथा कार्मिकों का अधिष्ठान व्यय | तदैव | 150 नर्सेज –तदैव– | 80 नर्सेज 2019 तक तथा 50 नर्सेज 2021 तक कुल 130 नर्सेज |
| 3 | अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की स्थापना | | | 100 एम0बी0बी0एस0 अभ्यर्थी राज्य में चिकित्सको की कमी को दूर किये जाने हेतु कार्मिकों का अधिष्ठान व्यय | जुलाई, 2019 | राज्य में चिकित्सको की कमी को पूर्ण करने हेतु। | मार्च, 2022 तक। |
| 4 | ट्रामा सेन्टर राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना | | | उपचार की व्यवस्था | चालू योजना | उपचार व्यवस्था | चालू योजना |
| 5 | राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एम0बी0बी0एस0 सीटों की बढौतरी | | | सीटों की बढोत्तरी | चालू योजना | सीटों की बढोत्तरी | चालू योजना |
| 6 | राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में जले हुए घावों की उपचार की व्यवस्था | | | जले हुए रोगियों की उपचार की व्यवस्था | चालू योजना | जले हुए रोगियों की उपचार की व्यवस्था | चालू योजना |
| 7 | राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में जले हुए घावों की उपचार की व्यवस्था | | | जले हुए रोगियों की उपचार की व्यवस्था | चालू योजना | जले हुए रोगियों की उपचार की व्यवस्था | चालू योजना |
| 8 | राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में पी0जी0 सीटों में वृद्वि तथा उच्चीकृत करते हुए सुदृढीकरण किया जाना। | | | पी0जी0 सीटों में वृद्वि तथा उच्चीकृत करते हुए सुदृढीकरण किया जाना। | चालू योजना | पी0जी0 सीटों में वृद्वि तथा उच्चीकृत करते हुए सुदृढीकरण किया जाना। | चालू योजना |
| 9 | स्नातकोत्तर प्रशिक्षण हेतु सहायता | | | 74 पी0जी0 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु। | मार्च, 2019 | 74 पी0जी0 चिकित्सक उपलब्ध होंगे। | मार्च, 2020 तक। |
| 10 | प्रवेश परीक्षा हेतु सहायता | | | – | – | – | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | एलो0 चि0 स्नातकों के लिये अनिवार्य रोटेटिंग इन्टरशिप | | | एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की इन्टरंशिप हेतु। | मार्च, 2019 | पूर्ण प्रशिक्षित चिकित्सक प्राप्त होंगें। | मार्च, 2019 |
| 12 | आर्थिक रूप से कमजोर मेडिकल छात्रों हेतु अनुदान | | | आवेदन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आर्थिक सहायता दिया जाना | मार्च, 2019 | आवेदन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी एम0बी0बी0एस0 प्रशिक्षण प्राप्त करेगें। | मार्च, 2019 |
| 13 | श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना | | | प्रतिवर्ष 100 एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों की कमी को दूर किया जाना तथा कार्मिकों का अधिष्ठान व्यय | चालू योजना | प्रतिवर्ष 100 एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक राज्य को प्राप्त हो रहे हैं। | चालू योजना प्रतिवर्ष |
| 14 | हे0न0ब0बेस एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना | | | गढवाल मण्डल की क्षेत्रीय जनता को तृतीय स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना। | तदैव | गढवाल मण्डल की क्षेत्रिय जनता को तृतीय स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है। | चालू योजना। |
| 15 | ब्लड बैंक की स्थापना (टीचिंग हॉस्पिटल) | | | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव |
| 16 | ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र (टीचिंग हॉस्पिटल) | | | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव |
| 17 | राजकीय सहायता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान ( टीचिंग हॉस्पिटल | | | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव |
| 18 | दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना | | | 150एम0बी0बी0एस0 प्रशिक्षु राज्य में चिकित्सकों की कमी को दूर किया जाना/अधिष्ठान व्यय। | चालू योजना | 150 एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक राज्य का प्राप्त होंगे। | चालू योजना वर्ष 2022 तक। |
| 19 | रा0 मे0 कॉ0 हल्द्वानी एवं सम्बद्व चि0 की स्था0 | | | प्रतिवर्ष 100 एम0बी0बी0एस0 प्रशिक्षु कुमॉऊ मण्डल की क्षेत्रीय जनता को तृतीय स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना/अधिष्ठान व्यय। | चालू योजना | प्रतिवर्ष 100 एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक प्राप्त हो रहे हैं। | चालू योजना |
| 20 | अल्मोडा मेडिकल कॉलेज की स्थापना | | | प्रतिवर्ष 100 एम0बी0बी0एस0 प्रशिक्षु राज्य में चिकित्सको की कमी को दूर किये जाने हेतु/ अधिष्ठान। | जुलाई, 2019 | प्रतिवर्ष 100 एम0बी0बी0एस0 प्रशिक्षु मार्च, 2024 तक प्राप्त होंगे। | मार्च, 2025 तक। |
| 21 | हिमोफीलिया ग्रेसित रोगियों के उपचार हेतु औषधि एवं उपकरण की व्यवस्था | | | हिमोफीलिया ग्रसित रोगों का उपचार की व्यवस्था | – | हीमोफीलिया ग्रसित रोगियों का उपचार | चालू योजना |
| 22 | स्टेट नर्सिंग कॉलेज देहरादून की स्थापना | | | प्रतिवर्ष 60 ग्रेज्यूट तथा 15 पोस्ट ग्रेज्यूट नर्सेज की कमी को दूर किया जाना/अधिष्ठान व्यय। | चालू योजना | प्रतिवर्ष 60 ग्रेज्यूट तथा 15 पोस्ट ग्रेज्यूट नर्सेज राज्य का प्राप्त हो रहे हैं। | चालू योजना |
| 23 | स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून की स्थापना | | | प्रतिवर्ष 50 नर्सेज तथा 50 ए0एन0एम0 | तदैव | प्रतिवर्ष 50 नर्सेज तथा 50 | तदैव |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | नर्सेज की कमी को दूर किया जाना/अधिष्ठान व्यय। | | ए0एन0एम0 नर्सेज प्राप्त हो रहे हैं। | |
| 24 | राजकीय ए0एन0एम/जी0एन0एम0 नर्सिंग स्कूलों की स्थापना | | | नर्सेज की कमी को दूर किया जाना | तदैव | प्रतिवर्ष 50 नर्सेज तथा 50 ए0एन0एम0 नर्सेज प्राप्त हो रहे हैं। | तदैव |
| 25 | राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना | | | प्रतिवर्ष 60 स्नातक नर्सेज के प्रशिक्षण का संस्थान जिसके द्वारा राज्य में नर्सों की कमी को दूर किया जाना/अधिष्ठान व्यय। | तदैव | प्रतिवर्ष 60 स्नातक नर्सेज प्राप्त होंगी। | तदैव |
| 26 | चिकित्सा शिक्षा निदेशालय | | | राज्य में उच्च कोटि की एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा विशिष्ट चिकित्सा उपचार प्रशिक्षण शोध एवं अनुसंधान सम्बन्धी व्यवस्था करना। | चालू योजना | राज्य में उच्च कोटि की एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा विशिष्ट चिकित्सा उपचार प्रशिक्षण शोध एवं अनुसंधान सम्बन्धी व्यवस्था करने हेतु निदेशालय का गठन किया गया है। | चालू योजना |
| 27 | चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय | | | राज्य में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराया जाना। | चालू योजना | राज्य में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध करायी जा रही है। | चालू योजना |
| 28 | निर्माण कार्यो हेतु भूमि अर्जन/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/एन0पी0बी0 का भुगतान | | | वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत कोई भी प्रस्ताव लम्बित नही है। | – | – | – |
| 29 | रूद्रपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना तथा बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण | | | राज्य में चिकित्सको की कमी को दूर किये जाने हेतु | जुलाई, 2019 | राज्य में चिकित्सको की कमी को पूर्ण करने हेतु। | जुलाई, 2025 |
| 30 | एम्स की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना के लिये राज्य सरकार की सहायता | | | एम्स की स्थापना में राज्य सरकार की सहायता। | चालू योजना | एम्स की स्थापना में राज्य सरकार की सहायता प्रदान की गयी है। | चालू योजना |
| 31 | नर्सिंग कॉलेजो की स्थापना | | | राज्य में नर्सेज की कमी को दूर किये जाने हेतु नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण। | जुलाई, 2019 | राज्य में नर्सेज की कमी को दूर किया जा रहा है। | मार्च 2020 तक |
| 32 | नर्सिंग स्कूलो की स्थापना | | | राज्य में नर्सेज की कमी को दूर किये जाने नर्सिंग स्कूलों का निर्माण। | जुलाई, 2019 | राज्य में नर्सेज की कमी को दूर किया जा रहा है। | मार्च 2021 तक |
| 33 | नर्सिंग स्कूलो की स्थापना (चम्पावत,बाजपुर एवं गुप्तकाशी एवं गहड़ (पौड़ी ग0) | | | राज्य में नर्सेज की कमी को दूर किये जाने हेतु नर्सिंग स्कूलों का निर्माण। | मार्च 2020 | राज्य में नर्सेज की कमी को दूर किया जा रहा है। | मार्च 2022 तक |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | जनपद पिथौरागढ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना | | | राज्य में चिकित्सको की कमी को दूर किये जाने हेतु | चालू योजना | राज्य में चिकित्सको की कमी को पूर्ण करने हेतु। | चालू योजना |
| 35 | नर्सिंग कॉलेज की स्थापना **एस0सी0एस0पी0** | | | राज्य में नर्सेज की कमी को दूर किये जाने नर्सिंग स्कूलों का निर्माण। | चालू योजना | राज्य में नर्सेज की कमी को दूर किया जा रहा है। | चालू योजना |
| 36 | नर्सिंग स्कूल की स्थापना **एस0सी0एस0पी0** | | | राज्य में नर्सेज की कमी को दूर किये जाने नर्सिंग स्कूलों का निर्माण। | चालू योजना | राज्य में नर्सेज की कमी को दूर किया जा रहा है। | चालू योजना |
| 37 | जनपद हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना **एस0सी0एस0पी0** | | | राज्य में चिकित्सको की कमी को दूर किये जाने हेतु | चालू योजना | राज्य में चिकित्सको की कमी को पूर्ण करने हेतु। | चालू योजना |
| 38 | जनपद पिथौरागढ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना **एस0सी0एस0पी0** | | | राज्य में चिकित्सको की कमी को दूर किये जाने हेतु | चालू योजना | राज्य में चिकित्सको की कमी को पूर्ण करने हेतु। | चालू योजना |
| 39 | नर्सिंग कॉलेज की स्थापना **टी0एस0पी0** | | | राज्य में नर्सेज की कमी को दूर किये जाने नर्सिंग स्कूलों का निर्माण। | चालू योजना | राज्य में नर्सेज की कमी को दूर किया जा रहा है। | चालू योजना |
| 40 | नर्सिंग स्कूल की स्थापना **टी0 एस0पी0** | | | राज्य में नर्सेज की कमी को दूर किये जाने नर्सिंग स्कूलों का निर्माण। | चालू योजना | राज्य में नर्सेज की कमी को दूर किया जा रहा है। | चालू योजना |
| | **योग** | | | | | | |

# चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | राज्य / केन्द्र पोषित | आउट ले 2019–20 (रुपया लाख में) | | SDG Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट 2018–19 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय –सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
| | | | | | निदेशन एवं प्रशासन | | | | | |
| 1 | निदेशन तथा प्रशासन | "सभी के लिए स्वास्थ्य" विजन पूर्ण करने हेतु मानव संसाधन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था, औषधि व्यवस्था एवं लोक निजी सहभागिता के द्वारा सुविधा उपलब्ध कराना। | राज्य पोषित | 2107.06 | – | – | प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का उचित कार्यान्वयन एवं सुदृढ प्रशासनिक नियन्त्रण | | राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ एवं आसान बनाना। | 1 |
| | | | | | नियोजन | | | | | |
| 2 | चिकित्सालयों की स्थापना एवं लोक स्वास्थ्य | प्रदेश के आम जनमानस हेतु उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। | राज्य पोषित | 86845.11 | – | – | उपकेन्द्र–32<br>प्रा0स्वा0केन्द्र– 7,<br>अति0प्रा0स्वा0केन्द्र–7<br>सामु0स्वा0केन्द्र– 10,<br>सयुंक्त चिकित्सालय–01,<br>ट्रॉमा सेण्टर– 05,<br>ब्लड बैंक– 02,<br>बेस चिकित्सालय–5,<br>संयुक्त चिकित्सालय–2,<br>आई0यू0सी0 यूनिट–13,<br>300 शैयायुक्त चिकित्सालय हर्रावाला– 01 | | प्रदेश के समस्त नागरिकों को गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।<br>सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में कमी आयेगी। | 2 |
| | | | | | निर्माण | | | | | |
| 3 | निर्माण कार्य | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वसुलभ / सुदृढ बनाने हेतु चिकित्सालयों / कार्यालयों का निर्माण करना। | राज्य पोषित | 0 | 5800.06 | – | शव विच्छेदन गृह–01 (नरेन्द्र नगर),<br>ब्लड बैंक– 01 (खटीमा),<br>ट्रॉमा सेण्टर– 01 (टिहरी),<br>सी0एम0ओ0 कार्यालय भवन–01 (रुद्रप्रयाग),<br>बेस चिकित्सालय– 05 (कोटद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ, गोपेश्वर, लम्बगांव, महिला बेस सिमली)<br>संयुक्त चिकित्सालय मसूरी<br>रा0ए0डी0 हलेथ, टिहरी | | सम्बन्धित निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात टिहरी गढवाल, उधमसिंह नगर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ एवं चमोली के पर्वतीय / दूर–दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ होगी। | 3 |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | राज्य/केन्द्र पोषित | आउट ले 2019–20 (रुपया लाख में) | | SDG Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट 2018–19 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय –सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
| | | | | | | | प्रा0स्वा0केन्द्र हिसरियाखाल प्रा0स्वा0केन्द्र धारी ढुण्डसीर सामु0स्वा0केन्द्र ताड़ीखेत, अल्मोड़ा महुआखेड़ागंज उ0सि0न0 सामु0स्वा0केन्द्र नानकमत्ता उ0सि0न0 | | | |
| | सूचना संचार शिक्षा | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजनाएं एवं उनका प्रचार– प्रसार** | "सभी के लिए स्वास्थ्य" विषयक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सूचना शिक्षा एवं संचार रणनीति का क्रियान्वयन। | राज्य पोषित | 55.00 | 0 | – | महानिदेशालय स्तर पर कार्यशील आईईसी0सी0 सैल द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार किया जाना। | | लोक स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों से प्रदेश मे बृहद स्तर पर जागरूकता उत्पन्न होगी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु मांग सृजित होगी। | 4 |
| | लेक निजी सहभागिता | | | | | | | | | |
| 5 | **लोक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0)** | पर्वतीय/दूर–दराज/असेवित क्षेत्रों में विशेषज्ञ/आपातकालीन एवं हृदय रोग से सम्बन्धित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। | राज्य पोषित | 4452.60 | 0 | – | पर्वतीय, दूरदराज एवं असेवित क्षेत्रो में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। | | विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा (मुख्य रूप से विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं) को प्राप्त करने और पर्वतीय, दूरदराज एवं असेवित क्षेत्रों में आम जनमानस को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। | 5 |
| | स्वास्थ्य | | | | | | | | | |
| 6 | **तीर्थ यात्रा/मेले/दैवीय आपदा** | तीर्थ यात्रियों को यात्राकाल में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं हेतु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना | राज्य पोषित | 150.01 | 0 | – | तीर्थ यात्राओं/मेले/दैवीय आपदा के दौरान प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी/कर्मी द्वारा मरीजों को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कराना। | | यात्रा काल में स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों से होने वाली मृत्यु को कम किया जा सकेगा। | 6 |
| | राज्य व्याधि निधि सहायता | | | | | | | | | |
| 7 | **राज्य व्याधि सहायता निधि** | राज्य के बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवारों को चिन्हित घातक रोगों के उपचार के लिये 1.50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। | राज्य पोषित | 75.00 | 0 | – | राज्य के बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवारों को चिन्हित घातक रोगों के उपचार के लिये 1,50,000/– रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। | | बी0पी0एल0 रोगियों का धनाभाव के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं होना पड़ेगा एवं उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। | 7 |
| | राष्ट्रीय कार्यक्रम | | | | | | | | | |
| 8 | **परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का संचालन** | केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं को सुदृढीकृत किये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना। | केन्द्र पोषित | 16747.81 | 0 | – | केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं को सुदृढीकृत किये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना। | | राज्य के अन्तर्गत समस्त नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। | 8 |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | राज्य/केन्द्र पोषित | आउट ले 2019–20 (रुपया लाख में) | | SDG Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट 2018–19 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय –सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| 9 | **N.H.M.** 90% केन्द्र पोषित/10% राज्य पोषित | | | | | | | | | |
| | प्रतिरक्षण एवं पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम | 2030 तक 05 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाना। | केन्द्र पोषित | 44058.43 | | 79.6% | 85% | 79.6% | 85% | |
| | पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम | नये बलगम धनात्मक रोगियों में क्योर दर को 85 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करना एवं बनाये रखना और नये रोगियों की व्यापकता को कम करने के लिये उन्मूलन स्थिति तक पंहुचाना | राज्य पोषित | | | | नये बलगम धनात्मक रोगियों में क्योर दर को 85 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करना एवं बनाये रखना और नये रोगियों की व्यापकता को कम करने के लिये उन्मूलन स्थिति तक पंहुचाना। | 253/100000 | 213/100000 | |
| | राष्ट्रीय कुष्ट उन्मूलन कार्यक्रम | कुष्ट रोग की व्यापकता दर कम करना। | केन्द्र पोषित | | | | भारत सरकार द्वारा 3 आयामी रणनीति सृजित की गयी है, जिससे कुष्ट रोग से पीड़ित व्यक्तियों को समय से चिन्हित कर उपचार में लाया जा सके एवं समाज में कुष्ट रोग को फेलने से रोका जा सके। | 1/10000 | 0.24/10000 | |
| | राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम | दृष्टिविहीनता की व्यापक्ता दर को 2020 तक 0.3 प्रतिशत लाना। | केन्द्र पोषित | | | 1 प्रतिशत | दृष्टिविहीनता की व्यापक्ता दर 0. 3 प्रतिशत तक | 1 प्रतिशत | भारत सरकार द्वारा आंबटित लक्ष्य–व्यापकता दर को 0.3 प्रतिशत तक लाया लाएगा। | |
| | राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम | 1) वार्षिक पैरासाईट इनसीडेन्स दर प्रति 1000 जनसंख्या में 1 से कम करना।<br>2) डेंगू की व्यापकता दर को शून्य बनाए रखना। | केन्द्र पोषित | | | 1/1000<br>0 | | 2046<br>0 | वार्षिक पैरासाईट इनसीडेन्स दर प्रति 1000 जनसंख्या में 1 से कम बनाये रखना।<br>डेंगू की व्यापकता दर को शून्य बनाए रखना। | |
| | मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम | मातृ मृत्यु अनुपात में कमी लाना | केन्द्र पोषित | | | 141/100000 जीवित जन्म | **ड्रॉप बैक (खुशियों की सवारी)** की सवारी के माध्यम से प्रसूता एवं नवजात शिशु को सरकारी चिकित्सालय से घर तक सुरक्षित पहुचाने की सुविधा एवं **पिक–अप** के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं 0–01 वर्ष के शिशुओं को घर से सरकारी चिकित्सालयों तक पहुचाने | 165/100000 जीवित जन्म | संस्थागत प्रसव को बढावा मिलेगा एवं मातृ–मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आयेगी। | |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | राज्य/केन्द्र पोषित | आउट ले 2019–20 (रुपया लाख में) | | SDG Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट 2018–19 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय –सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
| | | | | | | | की सुविधा उपलब्ध कराना। | | | |
| | **शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम** | शिशु मृत्यु दर तथा 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाना | | | | 36/1000 जीवित जन्म | 40/1000 जीवित जन्म | 40/1000 जीवित जन्म | 36/1000 जीवित जन्म तक लाना | |
| | **NPCDCS (National Programme for Control of Diabetise, Cancer and Stroke)** | जीवन–शैली तथा आचरण परिवर्तन द्वारा गैर संचारी रोगो की रोकथाम, निदान तथा ईलाज के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विभिन्न स्तरों पर सुदृढीकरण करना। | | | | 42 प्रतिशत | गैर संचारी रोगियों को पुर्नवास तथा पैलेटिव केयर प्रदान करने हेतु संसाधन विकसित करना। | 48 प्रतिशत | जनपद स्तर पर गैर संचारी रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को प्रशिक्षित ए0एन0एम0/आशा के माध्यम से शीघ्र जॉच तथा उपचार की सुविधा प्राप्त करवायी जाएगी। | |
| | **NTCP (National Tobacco Control Programme)** | तम्बाकू सेवन को कम करना | | | | – | कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना। तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरुकता लाने हेतु आई0ई0सी0 गतिविधियां आयोजित करना, स्कूल स्वास्थ्य गतिविधियां आयोजित करना एवं तम्बाकू नशा उन्मूलन केन्द्र की स्थापना करना। | 23.8% | तम्बाकू सेवन से होने वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं में कमी आयेगी। | |
| | **NPPCD** | चोट अथवा बीमारी के कारण श्रवण ह्रास की रोकथाम। बीमारी की शीघ्र पहचान, निदान व उपचार। | | | | – | बीमारी से ग्रसित सभी आयु वर्ग के रोगियों का पुनवार्स। बधिर व्यक्तियों हेतु वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं की सुदृढ़ीकरण। संस्थानों का उपकरणों, सामग्री व प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास करना। | - | उपकेन्द्र, पी0एच0सी0 तथा सी0एच0सी0 स्तर पर ENT Equipments उपलब्ध होंगे, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। | |
| | **NPHCE** | प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सुगमता पूर्वक उनकी समस्याओं का निदान, उनकी रोकथाम तथा पुर्नवास सेवाएं प्रदान करना। | | | | – | वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सम्बन्धी कठिनाईयों का उचित निदान करना तथा उच्च संस्थानों को सन्दर्भित करना।<br>वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं में संलग्न मानव–संसाधनों तथा परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करना। | - | प्रदेश में वृद्धजनों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। | |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | राज्य/केन्द्र पोषित | आउट ले 2019–20 (रुपया लाख में) | | SDG Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट 2018–19 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय –सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
| | | | | | | | वरिष्ठ नागरिकों को जिला तथा क्षेत्रीय चिकित्सालयों द्वारा सन्दर्भित सेवाएं प्रदान करना। | | | |
| | **NMHP** | मानसिक रोग से ग्रसित रोगियों की पहचान कर उपचार प्रदान करना। | | | | – | जनता में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा चिकित्साधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। | - | मानसिक रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। | |
| | **NOHP** | ओरल हैल्थ की सेवाओं का सुदृणीकरण। | | | | – | जनपद स्तर पर कैम्प आयोजित किये जायेंगे, जिसमें डेन्टल सर्जन द्वारा मुंह के रोगों की जांच होगी। | - | मुंह सम्बन्धी बीमारियों में कमी लायी जा सकेगी। | |
| | **OPEX–122 BLS and OPEX–17 ALS** एम्बुलेंन्स (108 आपातकालीन एम्बुलेन्स सेवा) | आकस्मिक चिकित्सा सहायता तथा नजदीकी सरकारी संस्थाओं तक पहुचाने की सुविधा | | | | – | वर्तमान में उक्त योजना के तहत 122 BLS एवं 17 ALS एम्बुलेंन्सों के द्वारा सेवाऐं प्रदान की जा रही है। | - | संकट की घडी में जनता को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। | |
| | मोबाईल मेडिकल यूनिट | दूरस्त क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता | | | | – | दूरस्थ क्षेत्रों में कैम्प लगाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। | - | दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों के जनमानस को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। | |
| | "चिकित्सा सुविधा आपके द्वार" <u>विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर</u> | सुदूर असेवित ब्लॉक में गम्भीर रोगियो का चिन्हिकरण, निदान व उपचार। | | | | – | सुदूर/असेवित क्षेत्रों में गम्भीर रोगियों का चिन्हिकरण, निदान व उपचार। गैर संचारी रोगो के प्रति जागरुकता एवं शीध्र निदान। | - | सूदूर क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। | |
| | टेलीरेडियोलॉजी | राज्य की कुल 35 चिन्हित चिकित्सा इकाई में टेलीरेडियोलॉजी सेवा उपलब्ध कराया जाना। | | | | – | राज्य की कुल 35 चिन्हित चिकित्सा इकाई में (जिसमें 25 जिला/उपजिला चिकित्सालय तथा 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित हैं) टेलीरेडियोलॉजी सेवा उपलब्ध करायी जाएगी। वर्तमान में 18 क्रियाशील हैं। | - | राज्य के सूदूरवर्ती क्षेत्रों में टेलीरेडियोलॉजी सेवा से निदान कर उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। | |
| | हिमोग्लोबीनोपैथी कार्यकम | रक्त विकार/ हिमोग्लोबीनोपैथी हेतु प्राथमिक तथा माघ्यमिक स्तर में रोकथाम, नियत्रंण एवं | | | | – | प्रारम्भिक फेस पर 80 प्रतिशत बच्चों के जन्मजात रक्त विकार रोगों की रोकथाम। थैलेसिमिया | | थैलेसिमिया/एनीमिया एवं रक्तदान हेतु जागरुकता कार्यक्रमो के सफल | |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | राज्य / केन्द्र पोषित | आउट ले 2019–20 (रुपया लाख में) | | SDG Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट 2018–19 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय –सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
| | | जागरूकता अभियान संचालित करना। | | | | | रोगियों का उपचार किया जाएग एवं iron chelator प्रदान किये जाएंगे। हीमोफिलिया रोगियो हेतु Coagulation factors प्रदान करना। | | संपादन के पश्चात थैलेसिमिया / अनीमिया की रोकथाम एवं निवारण में सहायक सिद्ध होगा। हीमोफिलिया रोगियो की मृत्यु दर को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। | |
| | इन्टेग्रेटिड डीजिज सर्विलेन्स प्रोग्राम | • सिन्ड्रोमिक रिपोंटिग (S Form), प्रिसम्पटिव रिपोंर्टिग (P Form), लैब कन्फर्म्ड रिपोर्टिंग (L Form) > 80% • एपिडेमिक संवेदनशील रोगो की जांच हेतु जिला पब्लिक हैल्थ लैब का सुदृढीकरण | | | | 80 प्रतिशत से अधिक | • सिन्ड्रोमिक रिपोंटिग (S Form), प्रिसम्पटिव रिपोंर्टिग (P Form), लैब कन्फर्म्ड रिपोर्टिंग (L Form) > 85% • एपिडेमिक संवेदनशील रोगो की जांच हेतु जिला पब्लिक हैल्थ लैब का सुदृढीकरण | 90 प्रतिशत | • सभी आउटब्रेक का 48 घण्टो मे इन्वेसटिगेशन – 100% • सिन्ड्रोमिक प्रिसम्पटिव व लैब कन्फर्म्ड रिपोर्टिंग के अन्तर्गत सभी रिपोर्टिंग यूनिटो की रिपोर्टिंग को > 90% किया जाना। | |
| 10 | राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम | उत्तराखण्ड राज्य को एच.आई.वी. के नये संक्रमण से वर्ष 2030 तक शून्य करना एवं एड्स से ग्रसित व्यक्तियों को चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना। | केन्द्र पोषित | 35.00 | – | 0.08 | उच्च जोखिम व्यवहार वाले समूहों के मध्य एन0जी0ओ0 के माध्यम से टारगेट इन्टरवेंशन कार्यक्रम द्वारा एच0आइ0वी0 संक्रमण की रोकथाम करना। एच0आई0वी0 की रोकथाम हेतु वृहद प्रचार–प्रसार।एच0आई0वी0 / एड्स के साथ जीवन यापन कर रहे लोगों के साथ भेदभाव को समाप्त करने हेतु प्रयास करना। | 0.11 | उत्तराखण्ड राज्य को एच.आई.वी. के नये संक्रमण से वर्ष 2030 तक शून्य करना। | 10 |
| 11 | अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना | प्रदेश के लगभग 18 लाख परिवारों को प्रति वर्ष रु0 5 लाख तक की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। | राज्य पोषित | 15000.00 | | | उत्तराखण्ड राज्य के समस्त 23 लाख परिवारों को सामान्य एवं गम्भीर बीमारी के ईलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सकेगी। | | राज्य में स्वास्थ्य इन्डेक्स में सुधार होगा तथा औसत आयु के साथ–साथ जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी। | 11 |
| 12 | हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट | उत्तराखण्ड के दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना एवं राज्य की जनता स्वास्थ्य कारणों से होने वाले व्यय को कम करना। | बाह्य सहायतित | 7600.00 | 0 | – | जनमानस को स्वास्थ्य लाभ देने हेतु हेल्थ सिस्टम का डेवलपमेन्ट करना। | – | हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट से प्रदेश में अच्छी स्वास्थ्य सेवा दी जा सकेगी। | 12 |

# जनजाति कल्याण

## विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस.डी.जी. 4

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी. Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | अनुसूचित जनजाति पूर्व दशम कक्षाओं (1 से 8 तक) छात्रवृत्ति | अनुसूचित जनजाति के छात्र/ छात्राओं का शैक्षिक उन्नयन | 350.00 | — | 4.1 h To 4.1 o | 17000 (छात्र/छात्रा) | 12797 (छात्र/छात्रा) | 17000 (छात्र/छात्रा) | एक वर्ष |
| 2 | अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु पूर्व दशम (कक्षा 09 व 10) छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रांश) | अनुसूचित जनजाति के छात्र/ छात्राओं का शैक्षिक उन्नयन | 200.00 | — | | 6050 (छात्र/छात्रा) | 4005 (छात्र/छात्रा) | 6050 (छात्र/छात्रा) | एक वर्ष |
| 3 | अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के विकास हेतु योजना दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रांश) | अनुसूचित जनजाति के छात्र/ छात्राओं का शैक्षिक उन्नयन | 3750.00 | — | | 20267 (छात्र/छात्रा) | 8335 (छात्र/छात्रा) | 20267 (छात्र/छात्रा) | एक वर्ष |
| 4 | राजकीय जनजाति छात्रावास | अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क भोजन, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना व उनका शैक्षिक उन्नयन | 198.35 | — | | 250 (छात्र/छात्रा) 5–छात्रावास | 168 (छात्र) 4–छात्रावास | 250 (छात्र/छात्रा) 5–छात्रावास | एक वर्ष |
| 5 | राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय | अनुसूचित जनजाति के छात्र/ छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना व उनका शैक्षिक उन्नयन | 2830.01 | — | | 3055 (छात्र/छात्रा) 16–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय | 2220 (छात्र/छात्रा) 16–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय | 3055 (छात्र/छात्रा) 16–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय | एक वर्ष |
| 6 | राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन | अनुसूचित जनजाति के युवक/युवतियों को निःशुल्क तकनीकी शिक्षा, भोजन, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना व उनका शैक्षिक उन्नयन | 558.09 | — | | 413 (प्रशिक्षणार्थी) 3–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | 375 (प्रशिक्षणार्थी) 3–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | 413 (प्रशिक्षणार्थी) 3–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | एक वर्ष |

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी. **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019—20 | 1—4—2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 7 | एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन | अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र/ छात्राओं को निःशुल्क तकनीकी शिक्षा, भोजन, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना व उनका शैक्षिक उन्नयन | 250.96 | — | 4.1 h To 4.1 o | 420 (छात्र/छात्रा) | 401 (छात्र/छात्रा) | 420 (छात्र/छात्रा) | एक वर्ष |
| 8 | निदेशालय जनजाति कल्याण का अधिष्ठान | निर्देशन तथा प्रशासन, बजट नियंत्रण, नियुक्तियां/पदोन्नतियां, समन्वय, वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन | 188.50 | — | | 29 पद | कुल 225 पद | अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन सुनिश्चित कराना | एक वर्ष |
| 9 | एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का अधिष्ठान | अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन सुनिश्चित कराना | 66.84 | — | | 2 (अधिष्ठान) | 2 (अधिष्ठान) | 2 (अधिष्ठान) | एक वर्ष |
| 10 | जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना | अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से सम्बन्धित विषयों पर सलाह देना | 25.71 | — | | 1 (अधिष्ठान) | 1 (अधिष्ठान) | 1 (अधिष्ठान) | एक वर्ष |
| 11 | उत्तरखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग का अधिष्ठान | अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास, उनकी विभिन्न समस्याओं पर सुझाव तथा उत्पीडन सम्बन्धी मामलों पर कार्यवाही | 50.23 | — | | 15 पद | प्राप्त अपील—77 सुनवाई—77 निस्तारित प्रकरण—38 | अनुसूचित जनजाति के उत्पीडन सम्बन्धी मामलों की अपील,सुनवाई तथा निस्तारण | एक वर्ष |
| 12 | संविधान के अनुच्छेद—275 (1) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता (100 प्रतिशत केन्द्रांश) | अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन | 1800.00 | — | | 5 (योजनाएं) | 2 (योजनाएं) | 5 (योजनाएं) | एक वर्ष |

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र.सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी. **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 13 | आदिम जनजाति के विकास हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता (100 प्रतिशत केन्द्रांश) | बुक्सा एवं राजी जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन | 600.00 | — | 4.1 h To 4.1 o | 908 (लाभार्थी / योजनाऐं) | — | 908 (लाभार्थी / योजनाऐं) | एक वर्ष |
| 14 | जनजातियों के लिए जनजाति उपयोजना (100 प्रतिशत केन्द्रांश) | अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन | 900.00 | — | | 375 (लाभार्थी / योजनाऐं) | 1 (योजना) | 375 (लाभार्थी / योजनाऐं) | एक वर्ष |
| 15 | कन्याधन योजना | अनुसूचित जनजाति की छात्राओं का शैक्षिक उन्नयन हेतु आर्थिक हेतु सहायता उपलब्ध कराना | 300.00 | — | | 600 (लाभार्थी) | 771 (लाभार्थी) | 600 (लाभार्थी) | एक वर्ष |
| 16 | अनुसूचित जनजातियों की पुत्री की शादी हेतु योजना | अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पुत्रियों की शादी आर्थिक हेतु सहायता उपलब्ध कराना | 500.00 | — | | 1000 (लाभार्थी) ₹50,000.00 प्रति लाभार्थी | 646 (लाभार्थी) | 1000 (लाभार्थी) | एक वर्ष |
| 17 | अनुसूचित जनजाति के लिए अटल आवास योजना | अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना | 300.00 | — | | 495 (लाभार्थी) ₹38,500.00 प्रति लाभार्थी पर्वतीय क्षेत्र, ₹35,000.00 प्रति लाभार्थी मैदानी क्षेत्र | 271 (लाभार्थी) | 495 (लाभार्थी) ₹38,500.00 प्रति लाभार्थी पर्वतीय क्षेत्र, ₹35,000.00 प्रति लाभार्थी मैदानी क्षेत्र | एक वर्ष |
| 18 | इंजीनियरिंग व मेडिकल कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण योजना | अनुसूचित जनजाति के इंजीनियरिंग व मेडिकल कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लैपटॉप उपलब्ध कराना | 0.01 | — | | — | — | — | एक वर्ष |
| 19 | सहायता प्राप्त पुस्त. /प्राथमिक पाठशालाओं को अनुदान | अनुसूचित जनजाति के छात्र/ छात्राओं का शैक्षिक उन्नयन | 800.00 | — | | 29 (विद्यालय संख्या) 2407 छात्र/छात्राएं 101 अध्यापक | 4 (विद्यालय संख्या) 1584 छात्र/छात्राएं 56 अध्यापक | 29 (विद्यालय संख्या) 2407 छात्र/छात्राएं 101 अध्यापक | एक वर्ष |

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र.सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी. **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019—20 | 1—4—2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 20 | अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सिविल एवं एलाइड सेवा हेतु परीक्षा पूर्व कोंचिग | अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के रोजगार के अवसर बढाने हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व कोंचिग की निःशुल्क व्यवस्था किया जाना | 50.00 | — | 4.1 h To 4.1 o | 550 (लाभार्थी) | — | 550 (लाभार्थी) | एक वर्ष |
| 21 | अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए परियोजनाऐं | अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन | 50.00 | — | | 1 (योजना) | — | 1 (योजना) | एक वर्ष |
| 22 | बुक्सा और राजी जनजाति का विकास योजना | बुक्सा एवं राजी जनजाति को समाज की मुख्य धारा से जोडने हेतु उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों को पृथक से संचालित किए जाने हेतु योजनाएं क्रियान्वित करना | 100.00 | — | | 400 (लाभार्थी) | — | 400 (लाभार्थी) | एक वर्ष |
| 23 | बुक्सा जनजाति हेतु महाराजा जगत देव शिक्षा कोष योजना | प्रदेश में निवासरत बुक्सा जनजातियों के युवक व युवतियों की तकनीकी शिक्षा/ कौशल विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराना | 30.00 | — | | 100 (लाभार्थी) | — | 100 (लाभार्थी) | एक वर्ष |
| 24 | थारू जनजाति हेतु चेतक शिक्षा प्रोत्साहन योजना | प्रदेश में निवासरत थारू जनजातियों के युवक व युवतियों की तकनीकी शिक्षा/ कौशल विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराना | 50.00 | — | | 100 (लाभार्थी) | — | 100 (लाभार्थी) | एक वर्ष |

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र.सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी. **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 25 | जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना | अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों / नवयुवतियों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालन किया जाना एवं उन्हें स्व रोजगार हेतु उत्साहित करना | 10.00 | — | | 100 (लाभार्थी) | — | 100 (लाभार्थी) | एक वर्ष |
| 26 | शिल्पी ग्राम योजना | अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनके प्रचलित शिल्प को पुनजीर्वित एवं विकसित करने हेतु विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना एवं उन्हें स्व रोजगार हेतु उत्साहित करना | 10.00 | — | | 100 (लाभार्थी) | — | 100 (लाभार्थी) | एक वर्ष |
| 27 | अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास | अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं में अवशिष्ट कार्य (critical gap) आदि की योजनाओं का निर्माण किया जाना | — | 400.00 | | 100 (योजनाएं) | 33 (योजनाएं) | 100 (योजनाएं) | एक वर्ष |
| 28 | जनजाति स्वरोजगार अंश पूंजी–निगम | अनुसूचित जनजाति के परिवारों को स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाली योजनाओं में मार्जिन मनी ऋण उपलब्ध कराया जाना | — | 51.00 | | 341 (लाभार्थी) | — | 341 (लाभार्थी) | एक वर्ष |
| 29 | राजकीय आश्रम पद्धति बालक विद्यालय, बिन्सौण, देहरादून का भवन निर्माण | अनुसूचित जनजाति के बालकों हेतु राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का भवन निर्माण | — | 15.00 | | 1 (विद्यालय संख्या) | — | 1 (विद्यालय संख्या)) | एक वर्ष |
| 30 | राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण | विभागान्तर्गत संचालित राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना | — | 150.00 | | 4 (छात्रावास संख्या) | 2 (छात्रावास संख्या) | 4 (छात्रावास संख्या) | एक वर्ष |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण | विभागान्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना | — | 250.00 | | 15 (विद्यालय संख्या) | 3 (विद्यालय संख्या) | 15 (विद्यालय संख्या) | एक वर्ष |
| 32 | राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण | विभागान्तर्गत संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना | — | 150.00 | | 3 (राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संख्या) | 2 (राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संख्या) | 3 (राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संख्या) | एक वर्ष |
| 33 | निदेशालय जनजाति कल्याण भवन निर्माण | निदेशालय जनजाति कल्याण भवन का विस्तारीकरण करना | — | 100.00 | | 1 (भवन संख्या) | — | 1 (भवन संख्या) | एक वर्ष |

# आउट कम बजट 2019–20

विभाग का नाम – जलागम प्रबन्धन विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0 1.4, 2.4, 5.5, 6.6 एवं 15.3

(धनराशि लाख रुपये में)

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले (लाख रु0) | | एस0डी0जी0<br>Goal/ Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | 1.4.2018 की स्थिति बेस लाईन | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना | परियोजना के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्र में समुदायों की भागीदारी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और वर्षा आधारित कृषि की उत्पादक क्षमता बढ़ाना। | 2029 3.79 | 00 | **1.गरीबी उन्मूलन**<br>1.4– 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी पुरूष और महिलाओं विशेष रूप से गरीब और कमजोर को आर्थिक संसाधनों के समान अधिकारों के साथ–साथ मूलभूत सेवाएं, भूमि तथा सम्पत्ति के अन्य रूपों, विरासत,प्राकृतिक संसाधन, उपयुक्त नई प्रौद्योगिकी और माइक्रोफाइनांस सहित वित्तीय सेवाओं को स्वामित्व और नियंत्रण प्राप्त हो। | | 18000 परिवार परियोजना कार्याक्रमों से लाभान्वित | 30000 परिवार परियोजना कार्याक्रमों से लाभान्वित | 1 वर्ष |
| | | | | **2.भुखमरी से मुक्ति**<br>2.4– 2030 तक सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना और लचीली कृषि पद्धति को कार्यान्वित करना जो उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करे जिससे परिस्थितिकीयता बनी रहे ताकि मौसम परिवर्तन, प्रतिकूल वातावरण, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं को सहन करने में सक्षम हो और इससे भूमि और मृदा की गुणवत्ता में सुधार होगा। | 436 हे0 सामदायिक उद्यान की स्थापना<br>184 हे0 क्षेत्र में उच्च मूल्य फसलों एवं सागभाजी का उत्पादन (सिंचित क्षेत्र में वृद्धि से) | 40 हे0 परती भूमि का कृषि एवं औद्यानिक कार्यो में उपयोग | 620 हे0 परती भूमि का कृषि एवं औद्यानिक कार्यो में उपयोग | 1 वर्ष |
| | | | | **5.लैंगिक समानता**<br>5.5– राजनैतिक, आर्थिक और लोक–जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए नेतृत्व के समान अवसर तक पूर्ण और कारगर सहभागिता सुनिश्चित करना। | – | 1098 महिलायें जिन्हें महिला प्रेरक के रूप में संगठित किया गया। | – | – |
| | | | | | 175 इच्छुक कृषक समूह संगठित | 1250 इच्छुक कृषक समूह संगठित | 175 इच्छुक कृषक समूह संगठित | |
| | | | | **6.स्वच्छ जल एवं साफ सफाई**<br>6.6– 2020 तक पर्वतों, वनों, आर्द्र–भूमि, नदियों, जलदायी स्तरों और झीलों सहित संबंधी पारितों का संरक्षण और पुनरूद्धार करना। | 310 हे0 में वृक्षारोपण<br>140 ग्रामीण तालाब निर्माण/ पुनरोद्धार<br>11500 रिचार्ज पिट निर्माण<br>160000 खन्तियॉ खुदान<br>1200 ताल, नौला, खाल पुनरोद्धार | 210 जल निकायों/ जल स्रोतों का उपचार | 636 जल निकायों/ जल स्रोतों का उपचार | 1–3 वर्ष |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले (लाख रु0) | | एस0डी0जी0<br>**Goal/ Indicator** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | 1.4.2018 की स्थिति बेस लाईन | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| | | | | **15.थलीय जीवों की सुरक्षा**<br>15.3– 2030 तक मरूस्थलीकरण को रोकना, मरूस्थलीकरण, सूखा और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित अवक्रमित भूमि तथा मृदा का पुनरूद्धार करना और भूमि–अवक्रमण–निष्पक्ष विश्व को हासिल करने के लिए प्रयास करना। | 436 हे0 सामदायिक उद्यान की स्थापना<br>184 हे0 क्षेत्र में उच्च मूल्य फसलों एवं सागभाजी का उत्पादन जिसे कि सिंचित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया। | 40 हे0 परती भूमि का कृषि कार्यो में उपयोग | 620 हे0 परती भूमि का कृषि कार्यो में उपयोग | 1 वर्ष |
| | | | | | 151 सूक्ष्म जलागमों में जलागम विकास के विविध कार्यक्रमों का कार्यान्वयन | 65 प्रतिशत / 653 सूक्ष्म जलागम उपचारित | 151 सूक्ष्म जलागमों में जलागम विकास के विविध कार्यक्रमों का कार्यान्वयन | 7 वर्ष (2014 – 2021) |
| | | | | | 1020 हे0 क्षेत्र में वनीकरण | 3256 हे0 क्षेत्र में जलागम विकास के अन्तर्गत बनीकरण | 1020 हे0 क्षेत्र में जलागम विकास के अन्तर्गत बनीकरण | 1 वर्ष |
| | | | | जैव अभियान्त्रिकी द्वारा नाला एवं नदी तट संरक्षण (वर्ग0मी0) | 1800 वानस्पतिक चैकडैम निर्माण<br>17000 वर्गमीटर वानस्पतिक उपचार | लगभग 6000 घन मी0 मृदा संरक्षण | पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 4500 घन0मी0 मृदा का संरक्षण | मार्च 2020 |
| | | | | अवनत भूमि में वृक्ष / वन आवरण वृद्धि (है0) | 1020 हे0 वानिकी वृक्षारोपण<br>784 हे0 उद्यान विकास<br>140 हे0 चारागाह विकास | परियोजना क्षेत्र में लगभग 7.6 प्रतिशत जैवभार वृद्धि (8371 हे0 क्षेत्र में वानस्पतिक आच्छादन) | परियोजना क्षेत्र में लगभग 1.8 प्रतिशत जैवभार वृद्धि | मार्च 2020 |
| | | | | मृदा संरक्षण कार्य (है0) | 202000 धन0मी0 भूमि संरक्षण संरचनाओं का निर्माण | लगभग 461 हेक्टर भूमि की उपजाऊॅ मिट्टी संरक्षित (367200 धन0मी0 संरचनायें निर्मित) | 254 है0 भूमि की उपजाउ मिट्टी संरक्षित | मार्च 2020 |
| | | | | चाल–खाल, रिचार्ज पिट, खन्तियॉ व तालाब निर्माण / पुनरोद्धार(सं0) | 172840 संरचनाऐं निर्मित | 449 है0 क्षेत्र में नमी संरक्षण (179816 संरचनाऐं निर्मित) | 350 है0 क्षेत्र में नमी संरक्षण | मार्च 2020 |
| | | | | चाल–खाल ,पिट एवं तालाब के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र (हे0) | | | | |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले (लाख रु0) राजस्व | आउट ले (लाख रु0) पूँजीगत | एस0डी0जी0 Goal/ Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | 1.4.2018 की स्थिति बेस लाईन | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सिंचन क्षेत्र में वृद्धि | 22500 घन मी0 जल संग्रहण क्षमता विकसित करने हेतु वर्षा जल संग्रहण टैंक, सिंचाई टैंक, एल.डी.पी.ई. टैंक तथा ग्रामीण तालाबों का निर्माण।<br>178 कि0 मी0 सिंचाई गूल/पाईप निर्माण | 60120 घ0मी0 जल संग्रहण क्षमता वृद्धि व 178 कि0 मी0 सिंचाई गूल/पाईप निर्माण से 3321 है0 अतिरिक्त सकल सिंचन क्षेत्र वृद्धि | 1850 हे0 अतिरिक्त सकल सिंचित क्षेत्र में वृद्धि | 1 वर्ष |
| | | | | चारा उत्पादन में वृद्धि | 140 हे0 चारागाह विकास<br>140 हे0 कृषि खेतों में चारा उत्पादन<br>810 हे0 नैपियर घास रोपण | लगभग 1200 मी0 टन अतिरिक्त चारा उत्पादन | लगभग 4360 मी0 टन अतिरिक्त चारा उत्पादन | 1—4 वर्ष |
| | | | | दुग्ध उत्पादन में वृद्धि | 27 नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र<br>7 पैरावेट—कृ.ग.के.<br>2000 गायों का सामूहिक गर्भाधान | 199 नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र 41 पैरावेट— कृ.ग.के. स्थापना तथा 1000 गायों के सामूहिक गर्भाधान से परियोजना क्षेत्र के दुग्ध उत्पादन में 4—6 वर्ष की अवधि में लगभग 20 से 25 प्रतिशत वृद्धि | दुग्ध उत्पादन में 10 से 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त वृद्धि | 4—6 वर्ष |
| | | | | फसल उत्पादन में वृद्धि | 786 हे0 उच्च उत्पादकता फसल क्षेत्र प्रदर्शन<br>1140 हे0 एडप्सन सपोर्ट | —वारीनी क्षेत्रों में फसल उत्पादन में 20 से 30 प्रतिशत वृद्धि | —वारीनी क्षेत्रों में फसल उत्पादन में 20 से 25 प्रतिशत वृद्धि<br><br>—सिंचित क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन में 15 | 1 वर्ष |
| | | | | | 540 हे0 में उच्च उत्पादकता सब्जी प्रजाति का प्रदर्शन | —सिंचित क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन में 25 से 35 प्रतिशत | | |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले (लाख रु0) | | एस0डी0जी0 **Goal/ Indicator** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | 1.4.2018 की स्थिति बेस लाईन | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | | | | | वृद्धि – 259000 कृषकों द्वारा नवीन कृषि तकनीकी व बीजों का अंगीकरण | से 20 प्रतिशत वृद्धि – 8000 अतिरिक्त कृषकों द्वारा नवीन कृषि तकनीकी व बीजों का अंगीकरण | |
| | | | | निर्बल वर्ग के स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि | निर्बल वर्ग निधि अन्तर्गत 1600 व्यक्तिगत तथा 290 समूह को आर्थिक सहायता | 4593 निर्वल वर्ग के परिवारों हेतु आंक्षिक अथवा पूर्णकालिक रोजगार के विकल्पों का सृजन | 3050 परिवारों हेतु आंक्षिक अथवा पूर्णकालिक रोजगार के विकल्पों का सृजन | 1–2 वर्ष |
| | | | | ग्रामीण संम्पर्क मार्ग का निर्माण | 140 कि0 मी0 ग्रामीण सम्पर्क मार्ग का निर्माण 180 सम्पर्क पुलिया निर्माण | 10500 परिवार निर्मित ग्रामीण सम्पर्क मार्गों व सम्पर्क पुलियों से लाभान्वित | लगभग 9100 परिवार लाभान्वित | 1 वर्ष |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – जलागम विकास घटक | वर्षा सिंचित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबन्धन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उत्पादन बढ़ाकर ग्रामीणों की आय में वृद्धि करना है। | 2050.00 | 00 | अवनत भूमि में वृक्ष/वन आवरण वृद्धि (है0) | 65 | 28 | परियोजना क्षेत्र में लगभग 1.5 प्रतिशत जैवभार वृद्धि | मार्च 2020 |
| | | | | 2. वनीकरण जीवितता दर | – | 78 प्रतिशत | रोपित पौंध जीवितता प्रतिशत 65–70 | 2019–2020 |
| | | | | मृदा संरक्षण कार्य (है0) | 450 है0 भूमि संरक्षण संरचनाओं का निर्माण | 501.02 है0 | 450 है0 भूमि की उपजाउ मिट्टी संरक्षित | मार्च 2020 |
| | | | | चाल–खाल, रिचार्ज पिट, खन्तियॉ व तालाब निर्माण/ पुनरोद्धार(सं0) | 1180 संरचनाऐं निर्मित | 261 संरचनाऐं निर्मित | 3 है0 क्षेत्र में नमी संरक्षण | मार्च 2020 |
| | | | | चाल–खाल ,पिट एवं तालाब के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र (हे0) | | | | |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले (लाख रु0) | | एस0डी0जी0 Goal/ Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | 1.4.2018 की स्थिति बेस लाईन | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| | पारम्परिक फसलों के अतिरिक्त उच्च मूल्य फसलों के उत्पादन तथा उनकी ग्रेडिंग से मूल्य संवर्धन द्वारा आय बढ़ाना, जौविक खेती के प्रोत्साहन तथा प्रबन्धन की उचित व्यवस्था करना है। | | | सिंचन क्षेत्र में वृद्धि | 55750 घन मी0 जल संग्रहण क्षमता विकसित करने हेतु वर्षा जल संग्रहण टैंक, सिंचाई टैंक, एल.डी.पी.ई. टैंक तथा ग्रामीण तालाबों का निर्माण।<br>50 कि0 मी0 सिंचाई गूल / पाईप निर्माण | 3674घ0मी0 जल संग्रहण क्षमता वृद्धि व 73.07 है0 अतिरिक्त सकल सिंचन क्षेत्र वृद्धि | 22 हे0 अतिरिक्त सकल सिंचित क्षेत्र में वृद्धि | 1 वर्ष |
| | | | | फसल उत्पादन में वृद्धि | 300 हे0 उच्च उत्पादकता फसल क्षेत्र | 12 हे0 उच्च उत्पादकता फसल क्षेत्र | फसल उत्पादन में वृद्धि में 10 प्रतिशत वृद्धि | 1 वर्ष |
| | | | | | 339 हे0 में उच्च उत्पादकता सब्जी एवं मसालों की खेती | 63.95 हे0 में उच्च उत्पादकता सब्जी प्रजाति एवं मसालों की खेती | उत्पादन में वृद्धि में 15 प्रतिशत वृद्धि | 1 वर्ष |
| | | | | ग्राम पंचायत जलागम विकास योजनाओं का कियान्वयन | 264 ग्राम पंचायत जलागम विकास योजनाओं का क्रियान्वयन | 264 ग्राम पंचायत जलागम विकास योजनाओं का क्रियान्वयन | 45000 परिवार लाभान्वित | 1—2 वर्ष |
| | | | | भूमिहीन व्यक्तियों हेतु आजीविका सम्बन्धी गतिविधियां | 1947 स्वयं सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों हेतु चक्रीय कोष उपलब्ध कराना। | 343 स्वयं सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों हेतु चक्रीय कोष उपलब्ध। | आजीविका के संसाधनों में 20 प्रतिषत वृद्धि | 1—2 वर्ष |

# डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

(धनराशि हजार ₹ में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले बजट | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | निदेशन एवं प्रशासन | कार्मिकों के वेतन, भत्ते तथा कार्यालय संचालन हेतु सहायता | 107968 | – | विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों को वेतन भत्तों का भुगतान एवं कार्यालय संचालन/विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के कियान्वयन हेतु सहायता। | 206 विभागीय अधिकारियों व कार्मिक के वेतन भतें का भुगतान किया जायेगा। | 140 विभागीय अधिकारियों व कार्मिक के वेतन भतें का भुगतान किया जायेगा। | विभागीय अधिकारियों व कार्मिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। | 01 वर्ष |
| राज्य योजना (चालू योजना) | | | | | | | | | |
| 1. | डेरी विकास योजना | दुग्ध संघों में अवस्थापना विकास तथा अन्य आवर्ती व्यय में सहायता प्रदान करना। | 34000 | – | **Goal-1**<br>1– दुग्ध प्रसंसकरण व अवशीतन क्षमता<br>2–कार्यरत दुग्ध समितियों की संख्या | 1. 1500 समिति सचिवों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किा जायेगा।<br>2. दुग्ध उपार्जन पर हो रहे यातायात व्यय से 22000 सदस्य लाभान्वित होगें।<br>3. 500 दुग्ध उत्पादकों व 50विभागीय कार्मिकों का प्रशिक्षण<br>4. सेन्ट्रल डेरी लैब का सुदृढ़ीकरण संख्या–01। | 1. दुग्ध समितियों के 1421 सचिव लाभान्वित।<br>2. 18342 सदस्य लाभान्वित।<br>3. 411 दुग्ध उत्पादक एवं विभागीय कार्मिक प्रशिक्षित<br>4. 01 लैब के लिए उपकरण व्यवस्था। | 1. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के विक्रय में वृद्धि।<br>2. पर्वतीय क्षेत्रों में सुदूरवर्ती ग्रामों में दुग्ध समितियां स्थापित कर रोजगार सृजित होगा। | कार्य प्रगति पर है। |
| | | | – | | **Goal-2**<br>1– नगरीय क्षेत्रों में तरल दूध की आपूर्ति | 1. 10 मूवेबिल मिल्क वेडिंग मशीन स्थापित की जायेगी।<br>2. 100 डाटा मिल्क प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित की जायेगी।<br>3. दुग्ध संघों में मीनरी संयत्रों की स्थापना की जायेगी। | 162151 लीटर दूध प्रतिदिन। | उपरोक्त | उपरोक्त |
| 2. | महिला डेरी विकास योजना | महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान करते हुए विकास की मुख्य धारा में जोड़ना। | 61300 | – | **Goal-1**<br>1– महिला दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या।<br>2. महिला सदस्यों की संख्या | 1. ग्राम स्तर पर 26 महिला दुग्ध समितियों का गठन किया जायेगा।<br>2. 520 महिला दुग्ध उत्पादकों को समितियों से जोड़ा जायेगा।<br>3. 26 महिलाओं को ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। | 1. महिला समिति संख्या 1211 ।<br>2. महिला सदस्य संख्या 45990। | 1. महिलाओं को आय के साधन सुलभ होने से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।<br>2.महिलाओं में नेतृत्व, आत्मविश्वास एवं आत्म निर्णय की भावना जागृत होगी। | महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं नेतृत्व की भावना जागृत हुई है। |
| | | | | | | दुग्ध समिति गठन कर 2500 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन में वृद्धि की जायेगी। | 40022 लीटर/दिनदुग्ध उपार्जन। | उपरोक्त | उपरोक्त |
| 3. | सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना | राज्य के परिप्रेक्ष्य में दुग्ध उत्पादकों को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से सम्बन्धित जानकारियां उपलब्ध कराना। | – | 4000 | **Goal-1**<br>प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की संख्या | जनपद नैनीताल में सहकारी प्रशिक्षण संस्थान व छात्रावास के अन्तर्गत अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्य किये जायेगें। | कुल प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या 411 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण | वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दुग्धशालाओं का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार करना। | – | 5000 | **Goal-1**<br>1–दुग्ध प्रसंस्करण व अवशीतन क्षमता | विभिन्न जनपदों की दुग्धशालाओं में एफल्यूऐन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट का सुदृढ़ीकरण। | 2.55 लाख ली0/दिन एवं 1.27 लाख ली0/दिन | दुग्ध संघ के वार्षिक टर्न ओवर में वृद्धि। | 04 वर्ष |
| | | | | | **Goal-2**<br>1– नगरीय क्षेत्रों में तरल दूध की आपूर्ति | प्रसंस्करण क्षमता के विस्तारीकरण उपरान्त दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की आपूर्ति में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। | 162151 लीटर प्रतिदिन। | उपरोक्त । | |
| 5. | दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन | ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा दुग्ध समिति में उपलब्ध कराये जा रहे दूध के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाना। | 200000 | – | **Goal-1**<br>1. पोरर सदस्यों की संख्या में वृद्धि | 52 हजार दुग्ध उत्पादक सदस्यों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। | दुग्ध उत्पादकों – 51516 | 1. अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादको को सहकारी समितियों से जोडना।<br>2. ग्राम स्तर पर पशुपालन हेतु प्रोत्साहित करना | विगत वर्ष के सापेक्ष दुग्ध उपार्जन में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि। |
| | | | | | **Goal-2**<br>1–दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या | 518 दुग्ध समितियां गठित/पुर्न गठित कर कुल 3210 दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध उपार्जन में 10 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की जायेगी। | 2692 कार्यरत दुग्ध समितियों के माध्यम से 183141 लीटर दुग्ध उपार्जन प्रतिदिन | उपरोक्त | – |
| 6. | गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना | ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन करना। | 50000 | – | **Goal-1**<br>1–महिला लाभार्थियों हेतु रोजगार सृजन की संख्या<br><br>2–महिला दुग्ध उत्पादकों की औसत वार्षिक आय में वृद्धि। | दुग्ध सहकारी समितियों की 2000 महिला सदस्यों को उच्च नस्ल दुधारू गाय उपलब्ध कराते हुए रोजगार सृजन किया जायेगा। | 1043 महिला सदस्य | 1. ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना।<br>2. दुग्ध समितियों के अन्तर्गत उपार्जन में वृद्धि करना। | – |
| | | | | | **Goal-2** | जनपदीय दुग्ध संघों में कुल 10 हजार लीटर प्रतिदिन अतिरिक्त दूध प्राप्त होगा। | – | उपरोक्त | |
| 7. | दुग्ध संघ कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना | रूग्ण दुग्ध संघोंके कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान कर सम्बन्धित दुग्ध संघों के आवृत्ति व्यय में स्थायी कमी करना। | 20000 | – | **Goal-1**<br>दुग्ध संघ की आय में वृद्धि। | रूग्ण दुग्ध संघों के कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जायेगी। | 32 | रूग्ण दुग्ध संघों के आवृत्ति व्यय में स्थायी कमी होने के कारण दुग्ध संघ लाभ की ओर अग्रसर होगें। | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित RIDF योजना | राज्य में गठित दुग्ध संघो एवं उनके दुग्ध अवशीतन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, उच्चीकरण एवं नये दुग्ध अवशीतन केन्द्रों की स्थापना। | 40000 | – | **Goal-1**<br>दुग्ध संघ की क्षमता में विस्तार एवं उत्पादित दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार | 13 दुग्ध अवशीतन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, उच्चीकरण एवं 03 नये दुग्ध अवशीतन केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। | 13 | 1. दुग्ध संघों द्वारा उत्पादित दुग्ध पदार्थो की गुणवत्ता में सुधार होगा।<br>2. दुग्ध संघों की आय में वृद्धि होगी। | 02 वर्ष |
| **नई योजना** | | | | | | | | | |
| 9. | साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना | दुग्ध सहकारी समितियों सदस्यों द्वारा पाले जा रहे दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे के विकल्प के रूप में उच्च गुणवत्ता युक्त कार्न साईलेज उपलब्ध कराना। | 30000 | — | **Goal-1**<br>दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों के पशुओं हेतु हरे चारे की कमी को पूरा करना। | दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को 10 हजार मै0टन साईलेज उपलब्ध कराया जायेगा। | – | 1. दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी।<br>2. पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा।<br>3. ग्रामीण महिलाओंके समय में बचत होगी। | 01 वर्ष |
| 10. | पशुचारा परिवहन अनुदान योजना | दुग्ध सहकारी समितियों सदस्यों द्वारा पाले जा रहे दुधारू पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता के सन्तुलित पशुचारे की वर्ष पर्यन्त व्यवस्था किया जाना। | 50000 | — | **Goal-1**<br>दुधारू पशुओं को उच्च गुणवत्ता का सन्तुलित पशुचारा उपलब्ध कराकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। | दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों हेतु 10 हजार मै0टन साईलेज तथा 15 हजार मै0 टन पशुआहार ढुलान किया जायेगा। | — | 1. वर्ष पर्यन्त उच्च गुणवता का पशुचारा उचित दर पर उपलब्ध होगा।<br>2. दुग्ध उतपादन तथा किसान की आय में वृद्धि होगी। | 01 वर्ष |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 1. | **ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण** | ग्राम स्तर पर दुग्ध सहकारी समितियों गठित कर स्वरोजगार के साधन सुलभ कराना। | – | – | **Goal-1** | दुग्ध उत्पादक सदस्यों के दुधारू पशुओं हेतु 55 हजार पशु औषधि,45 हजार टीकाकरण, 18 हजार डिवर्मिंग एवं 18 हजार मै0 टन सन्तुलित पशुआहार रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जायेगा। | – | दुधारू पशुओं को संन्तुलित पशुआहार तथा पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध होने से पशु स्वास्थ्य में सुधार तथा दुग्ध उत्पादन एवं उपार्जन में वृद्धि होगी। | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्रपोषित योजना | | | | | | | | | |
| 1. | राष्ट्रीय डेरी विकास योजना | दुग्ध सहकारी समितियों में अवस्थापना विकास। | 31400 | – | – | 1. दुग्ध समितियों में डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट की स्थापना।<br>2. पर्वतीय क्षेत्रों की दुग्ध समितियों में रेफ्रिजरेटेड मिल्क कैन की स्थापना।<br>3. दूध की कोल्ड चैन बनाये रखने हेतु रेफ्रिजरेटैड/इन्सुलेटेड मिल्क वैन, डीप फ्रिज तथा विजी कूलर स्थापित किये जायेगें। | 1. 681 डी0पी0एम0सी0यू0<br>2. 388 रेफ्रिजरेटेड मिल्क कैन।<br>3. 170 डीप फ्रिज/विजी कूलर। | 1. दुग्ध उत्पादको की आय में वृद्धि होगी।<br>2. दूध की गुणवत्ता में सुधार होगा।<br>3. दुग्ध संघ के लाभ में वृद्धि होगी। | कार्य प्रगति पर |

# तकनीकी शिक्षा विभाग।

## उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून

(धनराशिहजार रू0 में)

| क्र0 स0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउटले / बजट राजस्व | आउटले / बजट पूंजीगत | एस0डी0जी0 | परिकल्पित प्रोजेक्टेड आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.04.2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित प्रोजेक्टेड आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुदानसंख्या 11–राजस्वपक्ष की योजनायें | | | | | | | | | |
| | लेखाशीर्षक 2203–तकनीकी शिक्षा 112–इंजीनियिरंगकॉलेजतथा संस्थान 11–प्रतिष्ठित व्यावसायिक एंवतकनीकीसयंस्थानोमेंचयनित छात्र–छात्राओकोपुरूस्कार–42 अन्य व्यय | प्रदेश के होनहारछात्र / छात्राओंकोतकनीकीशिक्षा के क्षेत्र मेंराज्य ओरदेशका योग्य नागरिकोंकासृजन | 5000 | – | | इस योजना के अर्न्तगतदेशभर केआई0आई0टी0 / आई0आईएम0 / एन0आई0टी0 मेंउत्तराखण्डराज्य के छात्रोंकोश्रेष्ठता के आधारपरवित्तीय वर्ष 2019–20 मेंप्रवेशहेतुअनुमानित 100 छात्र / छात्राओंकोपुरूस्कार रूपमें रू0 50000.00 प्रतिछात्र की दर से धनराशिवितरणहेतु। | इस योजनाअन्तर्गत अभीतक 186 छात्र / छात्राओं कोपुरूस्कारराशिकावितरणकियागयाहै। | इस योजना के अर्न्तगतदेशभर केआई0आई0टी0 / आई0आईएम0 / एन0आई0टी0 मेंउत्तराखण्डराज्य के छात्रोंकोश्रेष्ठता के आधारपरवित्तीय वर्ष 2019–20 मेंप्रवेशहेतुअनुमानित 100 छात्र / छात्राओंकोपुरूस्कार रूपमें रू0 50000.00 प्रतिछात्र की दर से धनराशिवितरणहेतु। | 12 माह |
| | | | 5000 | | | | | | |
| अनुदानसंख्या 11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा / खेलकूदतथासंस्कृतिपरपूंजीगतपरिव्यय अन्तर्गतपूंजीगतपक्ष की योजनायें | | | | | | | | | |
| 01 | 08–महिला तकनीकीसंस्थान **सुद्धौवाला** के अनावासीय भवनोंकानिर्माण | सघंटक इंजी0 संस्थानोंमें अध्ययनरतछात्र / छात्राओंकोअनावासीय एवंआवासीय भवनों की सुविधाउपलब्ध कराना। | – | 10000 | | इस योजनार्न्तगतसंघटकसंस्थान**सुद्धौवाला** के निर्माणाधीनअनावासीय भवन की लक्ष्य पूर्तिहेतु। | 89 %पूर्ण | **तदैव** | 12 माह |
| 02 | 09–तकनीकी संस्थान**गोपेश्वर** के अनावासीय भवनोंकानिर्माण | घंटक इंजी0 संस्थानोंमें अध्ययनरतछात्र / छात्राओंकोअनावासीय एवंआवासीय भवनों | – | – | | इस योजनार्न्तगतसंघटकसंस्थान**गोपेश्वरमें** निर्माणाधीनअनावासीय भवन की लक्ष्य पूर्तिहेतु। | 89 %पूर्ण | राज्य मेंतकनीकीशिक्षाकाउन्नयन एवंविकास के लियेतकनीकीसंस्थानों की स्थापना | 12 माह |

(धनराशिहजार रू0 में)

| क्र0 स0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउटले / बजट | | एस0डी0जी0 | परिकल्पित प्रोजेक्टेड आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.04.2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित प्रोजेक्टेड आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | की सुविधाउपलब्ध कराना। | | | | | | | |
| 03 | 10–तकनीकी संस्थान**टनकपुर** के अनावासीय भवनोंकानिर्माण | तदैव | – | 10000 | | इस योजनार्न्तसंघटकसंस्थान**टनकपुर**निर्माणाधीनअनावासीय भवन की लक्ष्य पूर्तिहेतु। | 65 %पूर्ण | **तदैव** | **12 माह** |
| 04 | 11–तकनीकी संस्थान**बौनउत्तरकाशी** के अनावासीय भवनोंकानिर्माण | तदैव | – | 10000 | | इस योजनार्न्तसंघटकसंस्थान**बौनउत्तकाशीमें**निर्माणाधीनअनावासीय भवन की लक्ष्य पूर्तिहेतु। | 70 %पूर्ण | **तदैव** | **12 माह** |
| 05 | 12–सीमांत तकनीकीसंस्थान**पिथौरागढ़** के अनावासीय भवनोंकानिर्माण | तदैव | – | 10000 | | इस योजनार्न्तसंघटकसंस्थान**पिथौरागढमें**निर्माणाधीनअनावासीय भवन की लक्ष्य पूर्तिहेतु। | 54 %पूर्ण | राज्य मेंतकनीकीशिक्षाकाउन्नयन एवंविकास के लियेतकनीकीसंस्थानों की स्थापना | **12 माह** |
| 06 | 13–तकनीकीसंस्थान**ठुकुरा (सल्ट)** के अनावासीय भवनोंकानिर्माण | तदैव | – | 10000 | | इस योजनार्न्तसंघटकसंस्थानठुकुरासल्ट के निर्माणाधीनअनावासीय एवंआवासीय भवन की लक्ष्य पूर्तिहेतु। | प्रक्रियात्मककार्यप्रगतिपर | **तदैव** | **36 माह** |
| | | | | **50000** | | | | | |

# आउटकम बजट 2019–20

विभाग का नाम–दून विश्वविद्यालय,उच्च शिक्षा विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0 – 04

अनुदान स0–11

(धनराशि लाख रूपये में)

| क्र. स. | योजना का नाम व उददेश्य | योजना का उददेश्य | आउटले | | एस0डी0 जी0 | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 1. | **दून विश्वविद्यालय का अधिष्ठान व्यय** | अधिष्ठान व्यय | 1100.00 | | | कुल 93 फैकल्टी व 85 अन्य पदों पर वेतन व्यय, सप्तम वेतन आयोग के आधार पर | | छात्र/छात्राओं हेतु उचित शैक्षिक मानव संसाधन का निर्माण | वित्तीय वर्ष 2019–20 में |
| 2. | **दून विश्वविद्यालय में छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना** | दून विश्वविद्यालय में छात्र–छात्राओं को अध्ययन के क्षेत्र में कौशल, ज्ञान एवं दक्षता के साथ तैयार करना एवं विभिन्न सेवाओं में नौकरी/ उद्यमिता के लिय तैयार करना। | 340.21 | | **4.3**<br>1.उच्च शिक्षा में नामांकन में महिला पुरूष अनुपात ( लैंगिक समानता सूचकांक )<br><br>2. छात्र शिक्षक अनुपात<br><br>3.रोजगार सम्भाविता का अनुमान<br><br>4. वर्कशाप/ सैमीनार का | (GPI) 1:1<br><br>20:1<br><br>06 | 1:1<br><br>25:1 | लैंगिक समानता व महिलाओं को उच्च शिक्षा में पर्याप्त अवसर देना।<br><br>छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना | शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के अन्त में |

| क्र. स. | योजना का नाम व उददेश्य | योजना का उददेश्य | आउटले | | एस0डी0 जी0 | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| | | | | | आयोजन<br><br>6. परियोजनाओं का संचालन | 38<br><br>दून विश्वविद्यालय के विभिन्न 08 स्कूलों यथा पर्यावरण विज्ञान स्कूल, मैनेजमेन्ट स्कूल, लैग्वेज स्कूल (विदेशी भाषा कार्यक्रम), जनसंचार स्कूल, सामाजिक विज्ञान स्कूल, फिजिकल साइंस स्कूल, टैक्नोलाजी स्कूल, डिजाइन स्कूल, के विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों में लगभग 2200 छात्र/छात्राओं के पंजीकरण/शिक्षणरत होना प्रस्तावित है। | 04<br><br>38<br><br>1945 | विदेशी भाषा ज्ञान अर्जित कर रोजगार की सम्भावना में वृद्धि | |
| 2 | **नयी योजनायें–** | छात्र/छात्राओं के अध्ययनकार्य व सीखने एवं शोध सुविधाओं | – | | | ढॉचागत सुविधओं के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर की मरम्मत, अनुरक्षण | ढ़ाचागत सुविधाऐं हेतु बजट उपलब्ध होने | | वर्ष 2019–20 व आगामी वर्षों में। |

| क्र. स. | योजना का नाम व उददे्श्य | योजना का उददे्श्य | आउटले | | एस0डी0 जी0 | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| | | हेतु ढॉचागत सुविधाओं का विकास करना व दून विश्वविद्यालय परिसर में डा0 हिमालयीय शोध एवं अध्ययन केन्द्र का निर्माण | | 1200.00 | | व सुदृढीकरण<br><br>हिमालयीय शोध व अध्ययन केन्द्र हेतु | पर आगामी वर्षों में। | | |
| | योग | | 1440.21 | 1200.00 | | | | | |

# पंचायतीराज विभाग,

(धनराशि लाख में)

| क्रम सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आऊट ले/बजट | | एस0डी0जी Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आऊटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आऊटकम) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| राज्य सैक्टर | | | | | | | | | |
| 1 | क्षेत्र पंचायत विकास निधि (राजस्व) | क्षेत्र पंचायतों की प्राथमिकता के आधार पर विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्य | 0.01 | – | – | 95 क्षेत्र पंचायतों में विकास कार्य | वर्ष 2018–19 में क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि आवंटित नही। | – | मार्च, 2020 |
| 2 | निर्वाचित प्रतिनिधियेां व कर्मचारियेां का प्रशिक्षण (राजस्व) | त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों व कर्मचारियों को क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा | 50.00 | – | – | लगभग 3951 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जायेगा (तीन दिवसीय प्रशिक्षण) | पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों का विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण | प्रतिनिधि अपने दायित्वों के निर्वहन में सक्षम हो सकेंगे। | मार्च, 2020 |
| 3 | महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण (राजस्व) | त्रिस्तरीय पंचायतों के महिला प्रतिनिधियों को क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा | 50.00 | – | – | लगभग 4007 महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जायेगा (तीन दिवसीय प्रशिक्षण) | महिला प्रतिनिधियों को प्रषिक्षित किया जा रहा है। | प्रतिनिधि अपने दायित्वों के निर्वहन में सक्षम हो सकेंगे। | मार्च, 2020 |
| | केन्द्र सैक्टर | | | | | | | | |
| 5 | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0 ए0) | ग्राम पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं में प्रशिक्षणों के माध्यम से समग्र विकास | 3000.00 | – | – | आगामी पंचायत चुनाव उपरान्त नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का प्रषिक्षण, पंचायत भवन निर्माण, पंचायत भवन रिपेयर, कम्प्यूटर क्रय आदि | – | पंचायत प्रतिनिधि मूल भूत अधिकारों एवं दायित्यों के निर्वहन में सक्षम हो सकेगे। | मार्च, 2020 |

## आउटकम बजट 2019–20

विभाग का नाम–परिवहन विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी–3 एवं 11

(धनराशि लाख रु0 में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले बजट | | एस.डी.जी. | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति बेस लाइन | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | परिवहन आयुक्त/जनपदीय कार्यालयों के अनावासीय भवन भूमि क्रय | परिवहन कार्यालयों को राजकीय भवनों में स्थापित संचालित किया जाना। | — | 200.00 | — | कार्यालय भवन–3 | 1 वर्ष | कार्यालय की राजकीय भवन में स्थापना | 1 वर्ष |
| 2 | किच्छा–खटीमा बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु भूमि अर्जन का प्रतिकर | परिवहन सेवा का सुदृढ़ीकरण। | — | 0.01 | 11.2 ए | रेल लाईन निर्माण | — | यात्रियों के आवागमन हेतु सुविधा। | — |
| 3 | मुजफ्फरनगर–रूड़की रेल लाईन निर्माण | परिवहन सेवा का सुदृढ़ीकरण। | — | 10000.00 | 11.2 ए | रेल लाईन निर्माण | — | यात्रियों के आवागमन हेतु सुविधा। | — |
| 4 | हल्द्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि/भवन का निर्माण | कुमाऊँ क्षेत्र में दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चालकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना। | — | 200.00 | 3.6 | चालक प्रशिक्षण संस्थान–1 (प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित) | 3 वर्ष | दुर्घटनाओं में वर्ष 2020 तक 50 प्रतिशत तक कमी। | 3 वर्ष |
| 5 | ऋषिकेश, हरिद्वार एवं हल्द्वानी में ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना | वाहनों के फिटनैस परीक्षण हेतु। | — | 400.00 | 3.6 | टेस्टिंग लेन–3 ( हरिद्वार एवं हल्द्वानी में भूमि उपलब्ध है तथा ऋषिकेश पर वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही अन्तिम चरण में है।) | 3 वर्ष | दुर्घटनाओं में वर्ष 2020 तक 50 प्रतिशत तक कमी। | 3 वर्ष |
| 6 | चालक परीक्षण हेतु सिमुलेटर का क्रय | चालको की गुणवत्ता परीक्षण हेतु। | — | 50.00 | 3.6 | सिमुलेटर्स–6 | 1 वर्ष | लाईसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता | 1 वर्ष |
| 7 | हल्द्वानी में आईएसबीटी की स्थापना | हल्द्वानी में सभी प्रकार की परिवहन सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाना। | — | 600.00 | 11.2 ए | आईएसबीटी–1 | — | यात्रियों के आवागमन हेतु सुविधा | — |
| 8 | चालकों के परीक्षण हेतु ड्राइविंग ट्रैक्स का निर्माण | दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चालकों का परीक्षण। | — | 300.00 | 3.6 | ड्राइविंग ट्रैक्स–5 (हरिद्वार एवं हल्द्वानी में भूमि उपलब्ध है तथा ऋषिकेश, काशीपुर, रूद्रपुर में भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही अन्तिम चरण में है।) | — | चालकों की कुशलता में वृद्धि फलतः वर्ष 2020 तक दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत तक कमी। | — |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले बजट | | एस.डी.जी. | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019—20 | 1—4—2018 की स्थिति बेस लाइन | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 9 | चालक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण | अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को वाहन प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए रोजगार के अवसर प्रदाना करना। | — | 40.00 | 3.6 | चालक प्रशिक्षण | 1 वर्ष | 500 अभ्यर्थियों को वाहन चालक के रोजगार हेतु प्रशिक्षण। | 1 वर्ष |
| 10 | चालक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षणं | अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को वाहन प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए रोजगार के अवसर प्रदान करना। | — | 15.00 | 3.6 | चालक प्रशिक्षण | 1 वर्ष | 185 अभ्यर्थियों को वाहन चालक के रोजगार हेतु प्रशिक्षण। | 1 वर्ष |
| 11 | उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष के क्रियान्वयन हेतु गठित समिति को अनुदान | सड़क सुरक्षा का सुदृढीकरण | — | 500.00 | 3.6 | — | — | सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता एवं वर्ष 2020 तक दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत तक कमी। | — |
| 12 | परिवहन निगम के कार्मिकों को वी0आर0एस0 हेतु अनुदान | निगम के कार्मिकों को वी0आर0एस0 की सुविधा | — | 0.01 | 11.2बी | परिवहन निगम के कार्मिकों को वी0आर0एस0 हेतु अनुदान | 1 वर्ष | 300 कार्मिकों को वी0आर0एस0 | 1 वर्ष |
| 13 | बसों के क्रय हेतु ऋण के ब्याज हेतु भुगतान | परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना | — | 1000.00 | 11.2ए<br>11.2बी<br>11.2डी<br>11.2जी | उत्तराखण्ड परिवहन निगम के लिए बसों के क्रय हेतु ऋण हेतु ब्याज | 5 वर्ष | 30% | 5 वर्ष |
| 14 | उत्तराखण्ड परिवहन निगम में अंश पूंजी निवेश/ऋण | परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना | — | 0.01 | 11.2ए | परिवहन निगम के लिए नई बसों के क्रय हेतु अंश पूंजी/ऋण | 1 वर्ष | 100% | 1 वर्ष |
| 15 | अल्मोड़ा में आई0एस0बी0टी0 का निर्माण | परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना | — | 200.00 | 11.2ए<br>11.2बी | आई0एस0बी0टी0—1 | 3वर्ष | 30%<br>यात्रियों के आवागमन हेतु सुविधा। | 3 वर्ष |
| 16 | रामनगर में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे की स्थापना | परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना | — | 200.00 | 11.2ए<br>11.2बी | बस अड्डा—1 | 3 वर्ष | 30%<br>यात्रियों के आवागमन हेतु सुविधा। | 3वर्ष |
| 17 | नरेन्द्रनगर में बस अड्डे का निर्माण | परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना | — | 100.00 | 11.2ए<br>11.2बी | बस अड्डा—1 | 3 वर्ष | 25%<br>यात्रियों के आवागमन हेतु सुविधा। | 3वर्ष |
| 18 | बस अड्डों का निर्माण | परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना | — | 800.00 | 11.2ए<br>11.2बी | बस अड्डे | 4 वर्ष | 67%<br>यात्रियों के आवागमन हेतु सुविधा। | 4वर्ष |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले बजट | | एस.डी.जी. | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति बेस लाइन | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 19 | परिवहन निगम की बसों में छात्राओं के निःशुल्क यात्रा की सुविधा की प्रतिपूर्ति | छात्राओं को निःशुल्क यात्रा | 73.00 | — | 11.2बी | छात्राओं को निःशुल्क यात्रा | 1 वर्ष | 9.50 लाख छात्राओं को लाभ | 1 वर्ष |
| 20 | परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर का भुगतान | प्रतिकर भुगतान | 3290.00 | — | 11.2बी | वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं को निःशुल्क यात्रा | 1 वर्ष | 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों एवं 41 हजार महिलाओं को लाभ | 1 वर्ष |
| 21 | उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस स्टैण्डों के निर्माण हेतु अनुदान (30) | सम्बन्धित क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना | — | 200.00 | 11.2ए<br>11.2बी | बस स्टैण्ड | 3 वर्ष | 50%<br>यात्रियों के आवागमन हेतु सुविधा। | 3 वर्ष |
| 22 | उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस स्टैण्डों के निर्माण हेतु अनुदान (31) | परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना | — | 20.00 | 11.2ए<br>11.2बी | बस स्टैण्ड | 3 वर्ष | 30%<br>यात्रियों के आवागमन हेतु सुविधा। | 3 वर्ष |
| 23 | परिवहन सम्बन्धी अधिष्ठान | विभाग के कार्यों के सम्पादन किये जाने सम्बन्धी जनशक्ति हेतु होने वाला व्यय | 3751.53 | — | — | परिवहन सम्बन्धी अधिष्ठान | 1 वर्ष | | 1 वर्ष |
| 24 | राज्य सड़क सुरक्षा परिषद सम्बन्धी अधिष्ठान | राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के अन्तर्गत जन शक्ति हेतु होने वाला व्यय | 12.17 | | 3.6 | राज्य सड़क सुरक्षा परिषद सम्बन्धी अधिष्ठान | 1 वर्ष | | 1 वर्ष |
| 25 | उत्तरारखण्ड परिवहन निगम के पर्वतीय मार्गों में बस संचालन के फलस्वरूप होने वाली हानि की समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति | हानि की प्रतिपूर्ति | 1000.00 | | | उत्तरारखण्ड परिवहन निगम के पर्वतीय मार्गों में बस संचालन के फलस्वरूप होने वाली हानि की समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति | | उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पर्वतीय मार्गों में बस संचालन के फलस्वरूप होने वाली हानि की समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति | |

# पर्यटन विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0–8, 11 एवं 12

## पर्यटन विभाग से सम्बन्धित**SDG's Indicators.**

**SDG 8**– देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना।

**SDG 11**– पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अधिकाधिक रोजगार/स्वरोजगार सृजित करना।

**SDG 12**– राज्य के **GSDP** में पर्यटन सेक्टर के अंश में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करना।

(धनराशि रू0 हजार में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट (2019–20) | | एस0डी0जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| राज्य सेक्टर राजस्व मद | | | | | | | | | |
| 1 | उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् हेतु अनुदान | पर्यटन के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं उत्तराखण्ड में रोप–वे की सम्भावनाओं तथा साहसिक पर्यटन को बढ़ाना देने तथा राष्ट्रीय स्तर की चारधाम यात्रा मार्गो को संचालित करने के उद्देश्य से तीर्थ यात्रियों एंव पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य है। | 350000 | – | – | 1–12 रोप–वे परियोजनाओं की प्रीफिजिबिलिटि स्टडी टी0ई0एफ0एस0 एवं ई0आई0ए0 स्टडी ।<br>2– प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार।<br>3–साहसिक क्रियाकलाप के अन्तर्गत 26 आयोजन।<br>4– परिषद् गठन के अन्तर्गत परिषद् मुख्यालय में कार्यरत कार्मिकों के नियत मानदेय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय आदि।<br>5– आयुक्त गढवाल मण्डल को चारधाम यात्रा मार्गो पर सफाई व्यवस्था आदि।<br>6– कैलाश मानसरोवर यात्रा व्यवस्था हेतु कु0म0वि0नि0 नैनीताल को अनुदान दिया जाना।<br>7– जिला स्तरीय 13 कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय आदि। | – | | 12 माह |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट (2019–20) | | एस0डी0जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | वेतन भत्तों के लिये सहायक अनुदान | पर्यटन विकास । | 52000 | – | – | 107 कार्मिक | – | कार्मिको के वेतन भुगतान | 12 माह |
| 3 | यात्रा प्रशासन संगठन अधिष्ठान | पर्यटन विकास । | 1794 | – | – | 02 कार्मिक | – | कार्मिको के वेतन भुगतान | 12 माह |
| 4 | शासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान (मुख्यालय) | पर्यटन विकास । | 12410 | – | – | 09 कार्मिक | – | कार्मिको के वेतन भुगतान | 12 माह |
| 5 | केदारनाथ विकास प्राधिकरण तथा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण हेतु सहायक अनुदान | –टिहरी एवं केदारनाथ प्राधिकरणों द्वारा पर्यटन और अन्य सहयोगी गतिविधियों के उन्नयन के लिये परिणाम स्वरूप ईको पद्धति के संरक्षण सहित विशेष क्षेत्र हेतु भूमि का अधिग्रहण और महायोजना तैयार करना।<br>–पर्यटकों के लिये सुविधा देना जैसे–सड़क, पानी, सीवेज, अतिथि गृह, होटल, मोटल, दुकान, शॉपिंग मॉल, इम्पोरियम और आवास तथा क्लब इत्यादि के लिये लाइसेन्स उक्त दोनों प्राधिकरणों द्वारा दिया जायेगा। | 50000 | - | – | टिहरी/केदारनाथ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यालयों के आवर्तक व्यय का वहन।<br>केदारनाथ विकास प्राधिकरण एवं टिहरी विकास प्राधिकरण (टाडा) के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधायें विकसित करना। | – | – | 12 माह |
| 6 | केदारनाथ विकास प्राधिकरण तथा टिहरी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हेतु वेतन, भत्ते के लिये सहायक अनुदान | | 10000 | | | | | | |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट (2019–20) | | एस0डी0जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | दीनदयाल मातृ–पितृ तीर्थाटन योजना हेतु अनुदान | 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक स्थलों की यात्रा। | 1 | – | – | बुजुर्गों को निःशुल्क धार्मिक यात्रा | योजनारंभ से लाभान्वित पुरूष–6,085 महिला–6,324 कुल 12,409 | बुजुर्गों को निःशुल्क धार्मिक यात्रा | 12 माह |
| 8 | होटल प्रबन्धन संस्थान नई टिहरी | छात्र–छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। | 12116 | – | **SDG-11** पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन | 67 छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण। | – | रोजगार के अवसर प्रदान करना। | 12 माह |
| 9 | जिला स्तर पर पर्यटन कार्यालयों के अधिष्ठान व्यय हेतु भुगतान | पर्यटन का विकास। | 37250 | – | – | जनपद स्तरीय 13 कार्यालयों में कार्यरत 56 कार्मिकों के वेतन भत्ते पर व्यय। | – | कार्मिको के वेतन भुगतान | 12 माह |
| 10 | ऋण उपादान/ स्वरोजगार योजना | बेरोजगार नवयुवक/ नवयुवतियों को इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित मदों में स्वरोजगार प्रदान करना।<br>**<u>(1) वाहन मदः–</u>**<br>1–बस/टैक्सी क्रय।<br>2–मोटर गैराज की स्थापना।<br>**<u>(2) गैर वाहन मदः–</u>**<br>1–फास्ट फूड सेंटर/योग ध्यान कुटीर/ध्यान केन्द्र की स्थापना।<br>2–होटल/मोटल का निर्माण।<br>3–टैन्टेज आवासीय सुविधा का विकास।<br>4–साहसिक उपकरणों का क्रय।<br>5–स्थानीय वस्तुओं के विक्रय केन्द्र की स्थापना आदि। | 120000 | – | **SDG-11** पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन | 400 बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। | योजनारंभ से लाभान्वित वाहन मद–3,199 गैर वाहन मद–2,920 कुल योग–6,119 | स्वरोजगार प्रदान करना। | 12 माह |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट (2019–20) | | एस0डी0जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6–क्याकिंग / नाव का क्रय एवं संचालन।<br>7–टेरेन बाइक्स का क्रय।<br>8–कैरावैन / मोटर होम।<br>9–एंगलिंग उपकरणों का क्रय।<br>10–स्टार गेजिंग एवं बर्डवाचिंग उपकरण क्रय।<br>11–लॉन्ड्री की स्थापना।<br>12–बैकरी स्थापना।<br>13–स्मरणीय वस्तु युक्त संग्रहालय / स्मारिका का निर्माण एवं उसके विक्रय केन्द्र की स्थापना।<br>14–ट्रैकिंग उपकरण। | | | | | | | |
| 11 | राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान | छात्र–छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। | 45950 | – | पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन | 90 कार्मिकों के वेतन / अधिष्ठान तथा 266 छात्र / छात्राओं को प्रशिक्षण | संस्थान के प्रारंभ से देहरादून–1297 अल्मोडा–566 कुल–1863 | 266 छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाना। | 12 माह |
| 12 | उत्तराखण्ड के योग महोत्सव | देश विदेश से अधिकतम संख्या में पर्यटकों को उत्तराखण्ड की ओर आकर्षित करना। | 10000 | – | – | योग महोत्सव ऋषिकेश में 928 देशी तथा 301 विदेशी कुल 1229 पर्यटकों द्वारा प्रतिभाग। | देशी–928 साधक , विदेशी–301 साधक कुल–1229 साधक | पर्यटन का प्रचार–प्रसार। | 12 माह |
| 13 | पं0 दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना | पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिये यह योजना चालू की गयी है। | 100000 | | | चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में 2,000 आवेदकों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। | अभी तक 764 आवेदकों को पंजीकृत कर | | |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट (2019–20) | | एस0डी0जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | लिया गया है। | | |
| 14 | पर्यटन नीति–2018 हेतु अनुदान | | 50000 | | | | | | |
| | **राज्य सेक्टर पूँजीगत मद** | | | | | | | | |
| 15 | पर्यटन परिषद् के लिये आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण | कार्मिकों हेतु आवासीय व्यवस्था | – | 10000 | – | कार्मिको हेतु आवासीय भवनों का निर्माण। | आवासीय– 48 अनावासीय– 17 कुल– 65 | 21 आवसीय यूनिट पर कार्य निर्माणाधीन है। | 12 माह |
| 16 | पर्यटक आवास गृह / पर्यटन विकास योजनाओं के लिये भूमि अध्याप्ति / क्रय | पर्यटन विकास योजनाओं हेतु भूमि क्रय / अधिग्रहित | – | 10000 | – | पर्यटन विकास योजनाओं हेतु भूमि क्रय / अधिग्रहित | – | | 12 माह |
| 17 | निर्माण कार्य चालू | अधूरी योजनाओं को पूर्ण करना | – | 70000 | – | पर्यटन की विभिन्न चालू योजनाओं हेतु प्रस्तावित। | विभिन्न 57 योजनायें निर्माणाधीन | | 24 माह |
| 18 | विभागीय भवनों की मरम्मत | पुराने विभागीय भवनों का मरम्मत / उच्चीकरण | – | 4000 | – | विभागीय भवनों की मरम्मत। | वित्तीय वर्ष 2018–19 में 04 भवनों की मरम्मत / उच्चीकरण | | 12 माह |
| 19 | पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण | पर्यटन अवस्थापना विकास हेतु | – | 50000 | – | नई योजनाओं हेतु प्रस्तावित। | वित्तीय वर्ष 2018–19 में 14 नई योजनायें | | 12 माह |
| 20 | निजी क्षेत्र की भागीधारी हेतु लैण्ड बैंक की स्थापना | निजी क्षेत्र की सहभागिता से भूमि विकास बैंक की स्थापना | – | 2000 | – | लैण्ड बैंक की स्थापना | – | | 36 माह |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट (2019–20) | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | चारधाम यात्रा मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण | आवासीय सुविधाओं का निर्माण / विस्तार, सुलभ शौचालयों का निर्माण, पार्किंग स्थलों का निर्माण प्रस्तावित है। | – | 10000 | शौचालय निर्माण | चारधाम यात्रा मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं के अन्तर्गत आवासीय सुविधाओं का निर्माण / विस्तार, सुलभ शौचालयों का निर्माण, पार्किंग स्थलों का निर्माण प्रस्तावित है। | कुल शौचालय स्थाई–129 अस्थाई–1446 (पुरूष–845 महिलायें–621) कुल–1575 | पुरूष व महिला यात्रियों को जन सुविधा | 12 माह |
| 22 | ट्रैकिंग मार्गो का सुधार / विकास | ट्रैकिंग मार्गो का सुधार / विकास | – | 20000 | | चयनित 123 ट्रैकिंग रूट में अवस्थापना सुविधायें / सुधार किया जाना प्रस्तावित है। | वर्ष 2018–19 में 03 प्रस्तावित। | ट्रैकिंग पर जाने वाले पर्यटकों को सुविधायें। | |
| 23 | नई टिहरी में होटल मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट (आई0एच0एम0) की स्थापना | नई टिहरी में आई0एच0एम0 की स्थापना | – | 30000 | – | नई टिहरी में आई0एच0एम0 की स्थापना | कार्य अन्तिम चरण में है। | SIHM भवन के निर्माणाधीन कार्य हेतु। | 12 माह |
| 24 | वार्षिक नंदा लोक राजजात के अवस्थापना सुविधाओं का विकास | अवस्थापना सुविधाओं का विकास | – | 5000 | – | अवस्थापना सुविधाओं का विकास | ट्रैक मार्ग के सधार हेतु 03 प्रस्ताव प्रस्तावित। | लोक संस्कृति को बढ़ावा | 12 माह |
| 25 | ऋषिकेश में यात्रियों के रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिट कैम्प का निर्माण (CSR FUND) | (CSR FUND) के अन्तर्गत यात्रियों के रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रंजिट कैम्प का निर्माण | – | 1 | – | (नई मांग के अन्तर्गत) पर्यटको को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। | रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिट कैम्प के निर्माण के अन्तर्गत बाउण्ड्रीवाल का कार्य गतिमान। | पर्यटकों को मूलभूल सुविधायें उपलब्ध कराना | 36 माह |
| 26 | 13 डिस्ट्रिक्ट एवं 13 न्यू डेस्टिनेशन का विकास | 13 न्यू डेस्टिनेशन का विकास | – | 130000 | | (नई मांग के अन्तर्गत) प्रत्येक जनपद में अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों को विकसित कर पर्यटकों को | आई0पी0 ग्लोबल द्वारा थीम | थीम आधारित नवीन | 24 माह |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट (2019–20) | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | आकर्षित करना। | आधारित डेस्टिनेशन के लिये प्री–फिजिबि–लिटी स्ट्डी / सर्वे का कार्य गतिमान। | पर्यटक स्थलों का विकास। | |
| 27 | स्वामी विवेकानंद अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन एवं वैलनेस सिटी का निर्माण | स्वामी विवेकानंद अन्तराष्ट्रीय कन्वेशन एवं वैलनेस सिटी निर्माण | – | 10000 | – | (नई मांग के अन्तर्गत) पर्यटको को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मूलभूत सुविधायें प्रदान करवाना | आई0डी0 पी0एल0 ऋषिकेश की भूमि की 633 एकड़ भूमि पर कन्वेंशन सेंटर / वैलनेस सिटी हेतु टोपोग्राफिकल सर्वे एवं तकनीकी कार्य के लिये कन्सलटेंट के चयन हेतु कार्यवाही गतिमान। | राज्य में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेसन सेंटर का निर्माण | 36 माह |
| 28 | उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना (एकल ग्राम एवं कलस्टर ग्राम) | –ग्रामीणों द्वारा ग्रामीण शैली में अपेक्षित स्तर की आवासीय सुविधा एवं भोजन उपलब्ध कराना।<br>–विभिन्न तरह की गतिविधियों का आयोजन, जिनमें पर्यटक प्रतिभाग कर सके जैसे कि | – | 50000 | | 83 गांवों को चिन्हित कर ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चिहिनत गांवों का विकास। | 03 गाँव–सौड़, (टि0ग0), बंग्लों की काण्डी, (टि0ग0), मावड़ा, | पर्यटन संभावनाओं वाले ग्रामों में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का | 12 माह |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट (2019–20) | | एस0डी0जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | –कैम्पिंग, घुडसवारी, ट्रैकिंग, सांस्कृतिक झलक, कृषि अनुभव, ग्रामीण घरों में बैठक, ग्रामीणों के साथ खेलों का आयोजन, आस–पास के गाँवों की सैर, ग्रामीणों की जीवन शैली से पर्यटकों को रूबरू कराना आदि।<br>–ग्रामीण क्षेत्रों के विकास होने के साथ ही ग्रामीणों को उनके गाँवों में ही स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराना।<br>–उत्तराखण्ड की संस्कृति, खान–पान, हस्तशिल्प, वेश भूषा का प्रचार–प्रसार करना। | | | | | (अल्मोड़ा) में कार्य गतिमान। | विकास। | |
| 29 | वाहय सहायतित परियोजना | उत्तराखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अवस्थापना सुविधाओं को सृजित कर पर्यटकों को सुविधायें प्रदान करना व साहसिक गतिविधियों जैसे– कैफिड बाइकिंग, रिवर राफ्टिंग, क्याकिंग, पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देना, 72 ग्रामों में चयनित अभ्यर्थियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण, योग प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार सुलभ कराना। | – | 700000 | – | विभिन्न 29 स्थलों पर अवस्थापना एवं मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु। | आसन बैराज, हनोल, लाखामण्डल, टिहरी, नौकुचिया–ताल, टी0आर0 एच0 परिचय, पिथौरागढ़ किला, बोर जलाशय, मोस्टमानू में कार्य पूर्ण। कार्तिकेय स्वामी, जिलाधिकारी | एशियन डेवलवमेन्ट बैंक के सहयोग से पर्यटन अवस्थापना सुविधाओ का सृजन। | वर्ष 2020 |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट (2019–20) | | एस0डी0जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | कार्यालय अल्मोड़ा, तहसील भवन चम्पावत, पिथौरागढ़ पार्किंग, कर्ण्वाश्रम झील के कार्य गतिमान। | | |
| 30 | के0एम0वी0एन0 के भवन निर्माण हेतु वन टाईम सहायता। | | – | 20000 | – | | | | |
| | **केन्द्रीय सेक्टरपूँजीगत मद** | | | | | | | | |
| 31 | केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें | स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत टिहरी झील एवं उसके चारों ओर एरिया में ईको–टूरिज्म, एड़वेंचर स्पोर्ट्स से सम्बन्धित गतिविधियों को विकसित करके एवम् कटारमल–जागेश्वर–बैजनाथ–देवीधुरा को हैरिटेज सर्किट के रूप में विकसित करके पर्यटकों को इन गतिविधियों का दर्शन कराना। प्रसाद योजना के अन्तर्गत केदारनाथ में पर्यटन की विभिन्न गतिविधियों को विकसित करके पर्यटकों को इनका लाभ पहुँचाना। | – | 1 | – | पर्यटन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्वदेश दर्शन योजना तथा प्रसाद योजना के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं के सृजन।<br><u>(1)–स्वदेश दर्शन योजना :–</u><br>1. Integrated Development of Eco-Tourism, Adventure Sports Associated Tourism Related Infrastructure for Development of **Tehri Lake** and Surroundigs As New Destination District-Tehri, Uttarakhand. **Total Sanction Rs.8037.34 Laks**<br>2- Integrated Development | वर्ष 2019–20 में **प्रसाद योजनान्तर्गत** गंगोत्री, यमुनोत्री तथा **स्वदेशयोजनान्तर्गत** महाभारत सर्किट के कॉन्सेप्ट नोट पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति हेतु | भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की वित्तीय सहायता से पर्यटन विकास। | 36 माह |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट (2019–20) | | एस0डी0जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | of Heritage Circuit in Kumaon Region-**Katarmal-Jageshwar-Baijnath-Devidhura** in Uttarakhand under Swadesh Darshan **Total Sanction Rs.8193.71 Laks**<br>**(2)-**प्रसाद योजना :–<br>Integrated Development of **Kedarnath** under the PRASAD Scheme<br>**Total Sanction Rs 3478.48 Laks**<br>2-Integrated Development of **Badrinath** under the PRASAD Scheme<br>**Total Sanction Rs 3923.00Laks**<br>उक्त योजनाओं के कार्य गतिमान हैं। | प्रेषित। | | |
| 32 | पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं का निर्माण | उत्तराखण्ड में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार की सहायता से अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जाना। | – | 10000 | – | विभिन्न पर्यटक स्थलों एवं यात्रा मार्गो पर मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का सृजन करना। | केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं हेतु सेन्टेंज सार्जेंज / राज्यांश की धनराशि दी जानी प्रस्तावित है। | मूलभूत सुविधाओं का सृजन | 36 माह |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट (2019–20) | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | अल्मोड़ा में फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट की स्थापना | छात्र–छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। | – | 25000 | पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन | छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संस्थान की स्थापना। | भवन का कार्य गतिमान है। | रोजगार प्रदान करना। | 12 माह |
| | अनुदान सं0–30 | | | | | | | | |
| 34 | वीर चन्द्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार योजना | अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करना। | – | 20000 | पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन | वीर चन्द्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु राजसहायता का वितरण। | वर्ष 2018–19 में 40 आवेदकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है। | स्वरोजगार प्रदान करना। | 12 माह |
| 35 | दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना | अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के बेरोजगारों को अनुदान प्रदान करना। | – | 10000 | पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन | दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु राजसहायता का वितरण। | – | पर्यटन के विकास के साथ ही स्वरोजगार प्रदान करना। | 12 माह |
| 36 | पर्यटन विकास की नई योजनाएं | पर्यटन विकास की नई योजनाएं | – | 5000 | – | अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन विकास की नई योजनाओं का सृजन। | 03 स्थलों को विकसित करने का लक्ष्य है। | पर्यटन का विकास | 12 माह |
| | अनुदान सं0–31 | | | | | | | – | |
| 37 | वीर चन्द्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार योजना | अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करना। | – | 10000 | **SDG-11** पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन | वीर चन्द्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु राजसहायता का वितरण। | वर्ष 2018–19 में 10 आवेदकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है। | स्वरोजगार प्रदान करना। | 12 माह |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट (2019–20) | | एस0डी0जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 38 | दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना | जनजातिय क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत बेरोजगारों को अनुदान प्रदान करना। | – | 5000 | पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन | दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के अन्तर्गत जनजातिय क्षेत्र उपयोजना के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु राजसहायता का वितरण। | – | पर्यटन के विकास के साथ ही स्वरोजगार प्रदान करना। | 12 माह |
| 39 | पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना | पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना | – | 5000 | **SDG-11** होम स्टे योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार सृजन | अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के उद्यमियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता। | | स्वरोजगार प्रदान करना। | 12 माह |

**SDG (Indicators)संकेतकः–**

1– कुल पर्यटकों की संख्या (देशी)माह–दिसम्बर, 2018 में – 366.98 लाख
2– कुल पर्यटकों की संख्या (विदेशी) माह–दिसम्बर, 2018 में – 1.55 लाख
3– प्रतिशत बढोतरी पर्यटक (देशी) वर्ष 2018 (दिसम्बर तक) के सापेक्ष –6.12 प्रतिशत
4– प्रतिशत बढोतरी पर्यटक (विदेशी) वर्ष 2018 (दिसम्बर तक) के सापेक्ष – 8.74प्रतिशत
5– पर्यटन क्षेत्र में कुल रोजगार सृजन –(क) वीर चन्द्र सिंह गढवाली योजना (अबतक) – 6,137
(ख) रिवर राफ्टिग में कुल पंजीकृत फर्म/संस्था (2018)– 271
6– होम स्टे में कुल रोजगार सृजन वकुल ग्रामीण परिवार जो होम स्टे से जुडे हैं (अब तक) – 843
7– कुल Accomodation Unit– 208
8– ग्रामीण पर्यटक हेतु चिन्हित ग्राम – 83 ग्राम
9– पर्यटक क्षेत्रों में शौचालय निर्माण – स्थाई–129 एवं अस्थाई–1446

## पशुपालन विभाग

| क्रं0 सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य/आउटकम | आउट ले/बजट (लाख रू०) | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2019–20 | 1.04.2018 की स्थिति (वेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | केन्द्र पोषित योजना– | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद–50 प्र.के.पां. | राज्य में पशुचिकित्साविदों का पंजीकरण कार्य करना। | 9.49 | 0.00 | **Sustainable Development Goals:** Goal-2: Zero Hunger **Indicators**: 1-Increasing Productivity of Milk per animal (Indigenous Cow) per day. 2-Increasing Productivity of Egg per bird per year. 3- Increasing Productivity of Meat (Goat) per animal. 4- Increasing Productivity of Wool per animal per year. | पशुचिकित्साविदों का पंजीकरण। नवीनीकरण/स्थायी पंजीकरण/अस्थाई पंजीकरण | पशुचिकित्साविदों का पंजीकरणः नवीनीकरण–63 स्थायी पंजीकरण– 101 | पशुचिकित्साविदों हेतु वैधानिक संस्था का गठन कर उत्तराखण्ड़ के पशुचिकित्साविदों का पंजीकरण कर पशुपालकों को स्तरीय पशुचिकित्सा सेवा देना। | निरन्तर |
| 2 | रिन्डरपेंस्ट उन्मूलन योजना (100 प्र.के.पो.) | रिन्डरपेंस्ट रोग की उन्मूलन तथा सर्विलेंस करना। | 9.50 | 0.00 | | डेबुक निरीक्षण तथा ग्राम सर्विलेंस कार्यक्म। | ग्राम सर्विलंस–5436, डेबुक निरीक्षण–7979 | प्रदेश को आर.पी. रोग से मुक्त रखना (शून्य इन्सीडेन्स)। | निरन्तर |
| 3 | पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (90 प्र.के.पो) | पशुओं हेतु विभिन्न रोगों से बचाव हेतु लाजिस्टिकस वैक्सीन का क्रय/ गोष्ठियों का आयोजन। | 85.00 | 0.00 | | 190 ब्लाकस्तर एंव 13 जनपद स्तरीय गोष्ठियों का आयोजन/टीकाकरण। | HS-3.01 लाख, BQ-1.47 लाख, ARV-0.56 लाख, FP-0.55 लाख, RD-0.58 लाख। | 1.प्रदेश के पशुओं को संक्रमित रोगों से रोग मुक्त करना। 2. पशुओं की चिकित्सा कर उनका उत्पादन बढाना। 3. पशुपालकों में संक्रामक रोगों के प्रति जागरूकता। | निरन्तर |
| 4 | पशु रोग सूचना तंत्र (100 प्र. के.स.) | ब्लाक स्तर से राष्ट्र स्तर पर सूचनाओं का इन्टरनेट के माध्यम से प्रेषण। | 5.00 | 0.00 | | 95 ब्लाक स्तरीय 13 जनपद स्तरीय 02 राज्य स्तरीय कार्यालयों में ब्राड बैण्ड सुविधायुक्त कम्प्यूटर की उपलब्धता। | पशु रोग संबंधी त्वरित सूचनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर संवहन तथा शीघ्र रोग की रोकथाम। सूचना संवहन–58 कार्यरत। | पशु रोग सम्बन्धी त्वरित सूचनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर संवहन तथा शीघ्र रोग की रोकथाम। सूचना संवहन–95 ब्लाक। | निरन्तर |
| 5 | वर्तमान पशु चिकित्सालयों एवं पशु औषधालयों की स्थापना एंव सुदृढीकरण | विभागीय संस्थाओं को राजकीय भवन में व्यवस्थित करना एवं वर्तमान भवनों का सुदृढ़ीकरण कर अवस्थापना विकास। | 14.00 | 81.00 | | पशु चिकित्सालयों/पशुऔषधालयों के भवन निर्माण/सुदृढीकरण। | पशुपालक को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से निकटस्थ स्थान पर उचित चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना। | पशुपालक को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से निकटस्थ स्थान पर उचित चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना। | निरन्तर |
| 6 | ब्रूसैला रोग नियंत्रण की योजना–90 प्र.के.स. | ब्रूसैला रोग नियंत्रण। | 10.00 | 0.00 | | रोग नियंत्रण। | जूनौटिक महत्व के ब्रूसेला का रोग नियंत्रण। | जूनौटिक महत्व के ब्रूसेला का रोग नियंत्रण। | – |
| 7 | पशुधन स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रम–90 प्र.के.स. | पी.पी.आर रोग पर नियंत्रण। | 53.00 | 0.00 | | रोग नियंत्रण। | पी0 पी0 आर0–4.17 लाख | भेड एवं बकरियों की मृत्यु दर में नियंत्रण कर उत्पादकता में वृद्धि। | – |
| 8 | खुरपका मुँहपका रोगों पर नियंत्रण की योजना | एफ0एम0डी0 रोग पर नियंत्रण | 570.00 | 0.00 | | एफ0एम0डी0 रोग नियंत्रण। | पशु टीकाकरण–40.71 लाख | | निरन्तर |
| 9 | नेशनल पशुधन मिशन–के0स0 | नेशनल पशुधन मिशन का संचालन। | 955.00 | 0.00 | | पशुओं का बीमा, इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिवटी, चारा विकास, भेड़ विकास। | पशुओं का बीमा–16283 चारा विकास कार्यक्रम – 47 | रिस्क मैनेजमेन्ट (पशु बीमा) चारा विकास, भेड़ विकास, कौशल विकास, मदर कुक्कुट पालन इकाई स्थापना। वर्ष 2020 तक अण्डा उत्पादन में 20.78 प्रतिशत की वृद्धि | निरन्तर |
| 10 | प्रदेश में पशुगणना का कार्य के.स. | पशुगणना संबंधी कार्यों का सम्पादन। | 100.00 | 0.00 | | राज्य में 20वीं पशुधन संगणना 2017 का कार्य सम्पादन। | विभिन्न कार्यक्रमों हेतु पशु संख्या संबंधी आंकडे एकत्रित करना तथा उनका उपयोग राज्य विकास हेतु करना। | विभिन्न कार्यकमों हेतु पशु संख्या संबंधी ऑकडे एकत्रित करना तथा उनका उपयोग राज्य विकास हेतु करना। | निरन्तर |

## पशुपालन विभाग

| क्रं0 सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य/आउटकम | आउट ले/बजट (लाख रू०) | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2019–20 | 1.04.2018 की स्थिति (वेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 11 | सांख्यिकीय इकाई की स्थापना | पशुजन्य उत्पादों के अनुमानों का ऑगणन। | 109.08 | 0.00 | **Sustainable Development Goals:**<br>Goal-2: Zero Hunger<br>Indicators:<br>1-Increasing Productivity of Milk per animal (Indigenous Cow) per day.<br>2-Increasing Productivity of Egg per bird per year.<br>3- Increasing Productivity of Meat (Goat) per animal.<br>4- Increasing Productivity of Wool per animal per year. | 29 कार्मिकों का अधिष्ठान।<br>पशुजन्य पदार्थों के ऋतुवार अनुमान निकालना।<br>वर्ष 2019–20 हेतु अनुमानित लक्ष्यः–<br>दुग्ध उत्पादन–2006 ह0मी0टन।<br>अण्डा उत्पादन–4719 लाख संख्या।<br>ऊन उत्पादन– 601 ह0कि0ग्रा0।<br>मीट उत्पादन– 308 लाख कि0ग्रा0। | 29 कार्मिकों का अधिष्ठान पशुजन्य पदार्थों के ऋतुवार अनुमान निकालना।<br>दैनिक दुग्ध उत्पादन प्रति दूध दे रही स्वदेशी गाय–<br>2.156 कि0ग्रा0।<br>वार्षिक अण्डा उत्पादन प्रति मुर्गी–219।<br>वार्षिक ऊन उत्पादन प्रति भेड़–1.518 कि0ग्रा0।<br>मॉस उत्पादन प्रति बकरी–15.280 कि0ग्रा0।<br>दुग्ध उत्पादन–1741.68 ह०मी०टन।<br>अण्डा उत्पादन–4297.55 लाख संख्या।<br>मीट उत्पादन–294.47 लाख कि०ग्रा०।<br>ऊन उत्पादन–564.07 ह०कि०ग्रा०। | योजनाओं के आधारभूत आंकडें जुटा कर भविष्य की योजनायें बनाना। | निरन्तर |
| 12 | राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना | | 0.01 | 0.00 | | | | | निरन्तर |
| 13 | नकुल स्वास्थ्य पत्र | पशुपालक के द्वार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। | 37.98 | 0.00 | | पशुओं को यू.आई.डी.(टैग एप्लीकेटर, हैल्थ कार्ड) उपलब्ध कराना। | हेल्थ कार्ड–1.50 लाख, टैग–1.50 लाख,<br>टैग एप्लीकेटर–552 | दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। वर्ष 2020 तक अनुमानित उत्पादन–2006 ह0मी0टन। | निरन्तर |
| 14 | ई–पशुधन हाट | पशु क्रय–विक्रय हेतु ई मार्केट का विकास। | 0.01 | 0.00 | | पशुधन प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध पशुधन का डाटा ई पोंटल पर अपलोड करना। | – | प्रक्षेत्रों पर विक्रय हेतु पशु उपलब्धता को पोर्टल पर सार्वजनिक करना। | निरन्तर |
| 15 | राष्ट्रीय देशी जेनोमिक केन्द्र | देशी नस्ल की प्रजाति का संवर्धन व संरक्षण का कार्य। | 0.01 | 0.00 | | कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य उत्पादन। | – | देशी प्रजाति के संरक्षण व संरक्षण हेतु न्यूक्लियस हर्ड को व्यवस्थित करना। | निरन्तर |
| 16 | लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन | | 20.00 | 0.01 | | | | | |
| | **योग केन्द्र पोषित योजना** | | **1978.08** | **81.01** | | | | | |
| **SDG: Goal-2: Zero Hunger** | | | **Indicators** | | **दुग्ध उत्पादकता** | 2.29 कि०ग्रा० प्रति पशु (देशी गाय) | 2.156 कि०ग्रा० प्रति पशु (देशी गाय) | राज्य के वर्ष 2019–20 के पशुजन्य उत्पादों के ऑकडों को भारत सरकार की तकनीकि समिति (TCD) द्वारा माह अप्रैल 2020 के पश्चात सम्पादित बैठक में अंतिम रूप दिया जाना है। | निरन्तर |
| | | | | | **अण्डा उत्पादकता** | 239 अण्डे प्रति पक्षी | 219 अण्डे प्रति पक्षी | | |
| | | | | | **मीट उत्पादकता** | 16.00 कि०ग्रा० प्रति पशु (बकरी) | 15.280 कि०ग्रा० प्रति पशु (बकरी) | | |
| | | | | | **ऊन उत्पादकता** | 1.80 कि०ग्रा० प्रति भेड | 1.518 कि०ग्रा० प्रति भेड | | |

# पशुपालन विभाग

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य/आउटकम | आउट ले/बजट (लाख रू0) | | एस0डी0जी0 **Goals/Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2019–20 | 1.04.2018 की स्थिति (वेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| *राज्य सैक्टर* | | | | | | | | | |
| 1 | निदेशालय (अधिष्ठान) | विभागीय संस्थाओं हेतु औषधि/पशुधन हेतु आहार आदि की व्यवस्था तथा राज्य मण्डल तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों के कार्यो का संचालन। | 20773.40 | 0.00 | **Sustainable Development Goals:** Goal-2: Zero Hunger Indicators: 1-Increasing Productivity of Milk per animal (Indigenous Cow) per day. 2-Increasing Productivity of Egg per bird per year. 3- Increasing Productivity of Meat (Goat) per animal. 4- Increasing Productivity of Wool per animal per year. | लगभग 3000 कार्मिकों का अधिष्ठान | – | राज्य के पशुचिकित्सालयों व भेड़, पशुधन, सूकर, बकरी प्रक्षेत्रों व संस्थाओं के नैतिक कार्यों का संचालन व उपचार तथा रोग नियंत्रण से उत्पादकता में वृद्धि। | निरन्तर |
| 2 | प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण | कार्मिकों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर कार्यकुशलता में वृद्धि करना। | 10.00 | 0.00 | | प्रशिक्षणों की संख्या/कार्मिक संख्या। | प्रशासनिक एवं तकनीकि कार्य कुशलता, दक्षता में वृद्धि कर रोग नियन्त्रण व पशु उत्पादकता में वृद्धि कर आय सृजन। प्रशिक्षणों की संख्या – 19, कार्मिकों की संख्या – 170। | कार्मिकों को आधुनिक तकनीकि से प्रशिक्षित कर कार्य कुशलता, दक्षता में वृद्धि करना। | निरन्तर |
| 3 | पशु चिकित्सालयों में शल्य चिकित्सा आदि की सुविधा | राज्य में गम्भीर रूप से बीमार व दुर्घटनाग्रस्त पशुओं को शल्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। | 30.00 | 0.00 | | योजनान्तर्गत पाँच पशु चिकित्सालयों द्वारा एक्सरे/अल्ट्रासाउण्ड आदि सुविधा प्रदान करने हेतु आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था। | पशुचिकित्सालय–05, एक्स रे–413, अल्ट्रासाउन्ड–78 व शल्य चिकित्सा–1550 | असाध्य एवं गम्भीर रोगों के उपचार/निदान की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु आधुनिक शल्य केन्द्रों की स्थापना करना, जिससे पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि हो। | निरन्तर |
| 4 | पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना (रा0सै0) | पशुपालक के पशुओं को सभी विभागीय सुविधायें निकटतम स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु कार्मिकों की पदस्थापना एवं औषधि इत्यादि की व्यवस्था। | 262.59 | 0.00 | | 118 कार्मिकों का अधिष्ठान योजनान्तर्गत दो पशु चिकित्सालय एवं 110 पशु सेवा केन्द्र। | 118 कार्मिकों का अधिष्ठान योजनान्तर्गत पशु चिकित्सालय 05 एवं 110 पशु सेवा केन्द्र व 39.03 लाख पशुओं की चिकित्सा। | पशुपालकों को अपने निवास के निकट संस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर तकनीकी सुविधायें उपलब्ध कराकर **"सेवा का सघनीकरण"** करना। | निरन्तर |
| 5 | राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य | नवसृजित निदेशालय के कार्यालय/आवासीय भवन की व्यवस्था। | 0.00 | 0.00 | | निदेशालय/मण्डल स्तरीय भवन निर्माण। | – | कार्यालय एवं आवास हेतु अवस्थापना विकास। | एक वर्ष |
| 6 | पशु चिकित्सालयों, पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण (रा0सै0) | विभागीय भवनों का निर्माण कर पशुपालकों को तकनीकी सेवा/आकस्मिक सेवायें उपलब्ध कराना। | 0.00 | 100.02 | | 02 पशु सेवा केन्द्रों को विभागीय भवनों में व्यवस्थित करना, अवस्थापना विकास। | पशु सेवा केन्द्रों – 05 | विभागीय भवनों में आधुनिक उपकरण स्थापित कर आधुनिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना। | एक वर्ष |
| 7 | पशुलोक में व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु डेयरी यूनिट की स्थापना | पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान कराना। | 16.00 | 0.00 | | डेयरी यूनिट–एक गायों की संख्या–75 दुग्ध उत्पादन– 30 हजार कि.ग्रा. | डेयरी यूनिट–एक गायों की संख्या–81, दुग्ध उत्पादन–39880 कि.ग्रा. | प्रशिक्षु प0प्र0अ0 व सेवारत कार्मिकों को तकनीकी व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर कार्य कौशलता में वृद्धि। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि | निरन्तर |
| 8 | बद्री नस्ल के गायों के संरक्षण एंव संवर्धन की योजना | उत्तराखण्ड की बद्री प्रजाति की गाय का संरक्षण व संवर्धन। | 85.00 | 0.00 | | बद्री गाय का रख–रखाव। | चयनित प्रजनन से उच्च गुणवत्ता परक बद्री सॉडों का वितरण व स्थानीय नस्ल की दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि। | चयनित प्रजनन से उच्च गुणवत्ता परक बद्री सॉडों का वितरण व स्थानीय नस्ल की दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि। | निरन्तर |
| 9 | राज्य पशुधन एवं कृषि संबंधी प्रक्षेत्र | 01 योजनान्तर्गत अंगोरा बकरी प्रक्षेत्र एवं 02 पशुधन प्रक्षेत्रों के पशुओं हेतु आवश्यक दवा, पशु आहार आदि की व्यवस्था। | 705.62 | 0.00 | | लगभग 70 कार्मिकों का अधिष्ठान। प्रक्षेत्रों को मॉडल यूनिट के रूप में पशुपालकों के भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु विकसित कर नवीनतम तकनीकि जानकारी उपलब्ध कराना। | कृषि प्रक्षेत्रों से चारा बीज/जडों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं उत्तम नस्ल के सांड/बकरा सांड/अंगोरा, पशुपालकों हेतु उपलब्ध कराना व पशुपालकों के कौशल विकास में वृद्धि। अंगोरा प्रक्षेत्र–5 पशुधन प्रक्षेत्र–4 | कृषि प्रक्षेत्रों से चारा बीज/जडों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं उत्तम नस्ल के सांड/बकरा सांड/ अंगोरा, पशुपालकों हेतु उपलब्ध कराना व पशुपालकों के कौशल विकास में वृद्धि। योजनान्तर्गत अंगोरा बकरी प्रक्षेत्र–1 पशुधन प्रक्षेत्र–2। | निरन्तर |
| 10 | पशुओं को विभिन्न रोगों के संक्रमण से बचाने की योजना | पशुपालक के पशुओं का संक्रामक बीमारियों से बचाव तथा रोग नियंत्रण। | 20.00 | 0.00 | | आकस्मिकता की स्थिति में जीवन रक्षक औषधि इत्यादि का क्रय व भण्डारण। | आकास्मिक/आपदा/विशेष क्षेत्र में किसी बिमारी की फेलने की स्थिति में होने वाला व्यय। | प्रदेश के पशुओं को संक्रमित रोगों से रोग मुक्त करना। | निरन्तर |
| 11 | गौसदनों की स्थापना– | निराश्रित/गौवंशीय पशुओं को संरक्षण प्रदान करना। | 250.00 | 0.00 | | पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं, गौसदनों के पशुओं के भरणपोषण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। | पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था – 21 | बीमार, अशक्त, पशुओं को उचित शरणस्थली प्रदान करना तथा दुर्धटना आदि को रोकना जनस्वास्थ्य एवं यातायात को प्रभावित होने से रोकना, गौवंश संरक्षण। | निरन्तर |

## पशुपालन विभाग

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य/आउटकम | आउट ले/बजट (लाख रू०) | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2019–20 | 1.04.2018 की स्थिति (वेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | विकासखण्ड धारचूला /मुनस्यारी के पशुपालकों की आजीविका उत्थान | अति दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को पशुपालन की ओर प्रोत्साहित कर आजीविका उत्थान। | 20.00 | 0.00 | | पशुपालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराकर पशुपालकों की आर्थिकी में सुधार लाना। गाय, बकरी, भेड, खच्चर, बकरा सॉड, कुक्कुट व मेढा इकाई की स्थापना करना | पशुपालन में स्वरोजगारउपलब्ध कराकर पशुपालकों की आर्थिकी में सुधार लाना। गाय–10, बकरी–06 भेड–04, खच्चर–10, बकरा सांड–10, कुक्कुट इकाई . 18 इकाईयों की स्थापना। | पशुपालन में स्वरोजगार से आर्थिकी में सुधार व पलायन पर अंकुश हेतु। भेड़, बकरी प्रजाति में नस्ल सुधार कर पशुपालक की पोषकता में वृद्धि के साथ ही संतुलित आहार की उपलब्धता। | एक वर्ष |
| 13 | महिला बकरी पालन योजना | अशक्त, विधवा महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। | 78.40 | 0.00 | | 224 बकरी पालन इकाईयों स्थापना। | आजीविका उत्थान व स्वरोजगार उपलब्ध कराना। मांस उत्पादन में प्रतिशत की वृद्धि। 85 बकरी पालन इकाईयों स्थापना। | आजीविका उत्थान व स्वरोजगार उपलब्ध कराना। मॉस उत्पादन– 0.174 लाख कि0ग्रा0, दुग्ध उत्पादन–0.100 हजार मी0टन, उत्पन्न संतति–864। | एक वर्ष |
| 14 | राज्य में ऊन कतरन एंव विपणन योजना | नवीन तकनीक से कौशल वृद्धि। | 37.20 | 0.00 | | भेड पालकों को प्रशिक्षण,ऊन क्रय हेतु रिवाल्विंग फंड की व्यवस्था | | स्थानीय ऊन का क्रय व विपणन की व्यवस्था व भेड पालकों का कौशल विकास। | एक वर्ष |
| 15 | बकरी पालन योजना | कृषकों को बकरी पालन की ओर प्रोत्साहित कर आजीविका उत्थान व स्वरोजगार उपलब्ध कराना। | 280.00 | 0.00 | **Sustainable Development Goals:** Goal-2: Zero Hunger Indicators: 1-Increasing Productivity of Milk per animal (Indigenous Cow) per day. 2-Increasing Productivity of Egg per bird per year. 3- Increasing Productivity of Meat (Goat) per animal. 4- Increasing Productivity of Wool per animal per year. | 443 लाभार्थियों को बकरी पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराना। | बकरी पालन ईकाई की स्थापना – 175 | बकरी पालन को बढावा देना व स्वरोजगार उपलब्ध कराना। मांस उत्पादन में वृद्धि करना। वर्ष 2020 तक मांस उत्पादन में 11. 59 प्रतिशत की वृद्धि | निरन्तर |
| 16 | भेड़ पालन योजना | कृषकों को भेड़ पालन की ओर प्रोत्साहित कर आजीविका उत्थान व स्वरोजगार उपलब्ध कराना। | 101.94 | 0.00 | | 161 लाभार्थियों को भेड़ पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराना। | भेड पालन ईकाई की स्थापना – 88 | भेड पालन को बढावा देना व स्वरोजगार उपलब्ध कराना साथ ही ऊन, में वृद्धि करना। वर्ष 2020 तक ऊन उत्पादन में 17. 15 प्रतिशत की वृद्धि | निरन्तर |
| 17 | गो पालन योजना | कृषकों को गौपालन की ओर प्रोत्साहित कर आजीविका उत्थान व स्वरोजगार उपलब्ध कराना। | 240.00 | 0.00 | | 666 लाभार्थियों को गौ पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराना। | गौ पालन ईकाई की स्थापना – 652 | गौ पालन को बढावा देना व स्वरोजगार उपलब्ध कराना, दुग्ध उत्पादन में वर्ष 2020 तक 21.14 प्रतिशत की वृद्धि | निरन्तर |
| 18 | चारा बैंकों (भण्डारण एंव वितरण गृह) की स्थापना | न्याय पंचायत स्तर पर संपीडित सुपाच्य चारा उपलब्ध कराना। | 150.00 | 0.00 | | 8 न्याय पंचायतों में चारा बैंको की स्थापना करना। | न्याय पंचायतों में चारा बैंको की स्थापना। | सुपाच्य संपीडित चारा निकटस्थ स्थान पर उपलब्ध कराकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। | निरन्तर |
| 19 | भेड प्रजनन प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण व आधुनिकीकरण/अन्य नाबार्ड पोषित योजना | नाबार्ड पोषित योजनाओं का संचालन | 450.00 | 500.00 | | | | | |
| | **योग राज्य सैक्टर** | | **23510.15** | **600.02** | | | | | |
| | **कुल योग 2403– (राज्य सैक्टर, केन्द्र पोषित एवं नाबार्ड)** | | **25488.23** | **681.03** | | | | | |
| | **SDG: Goal-2: Zero Hunger** | | **Indicators** | | **दुग्ध उत्पादकता** | 2.29 कि०ग्रा० प्रति पशु (देशी गाय) | 2.156 कि०ग्रा० प्रति पशु (देशी गाय) | राज्य के वर्ष 2019–20 के पशुजन्य उत्पादों के ऑकडों को भारत सरकार की तकनीकि समिति (TCD) द्वारा माह अप्रैल 2020 के पश्चात सम्पादित बैठक | निरन्तर |
| | | | | | **अण्डा उत्पादकता** | 239 अण्डे प्रति पक्षी | 219 अण्डे प्रति पक्षी | | |
| | | | | | **मीट उत्पादकता** | 16.00 कि०ग्रा० प्रति पशु (बकरी) | 15.280 कि०ग्रा० प्रति पशु (बकरी) | | |
| | | | | | **ऊन उत्पादकता** | 1.80 कि०ग्रा० प्रति भेड | 1.518 कि०ग्रा० प्रति भेड | | |

# आउटकम बजट 2019—20

## विभाग का नाम : — ऊर्जा विभाग

## पॉवर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पिटकुल)।

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0 — एस0डी0जी0—7

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले (रू0 लाख में) | | एस0 डी0 जी0 / GOAL/ Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट) 2019—20 | दिनॉक 1/4/18 की स्थिति | समय सीमा | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | पूँजीगत | | | राजस्व | पूँजीगत | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1 | उत्तराखण्ड इन्टीग्रेटीड ट्रासमिशन सिस्टम (ए0डी0बी0 वित्तपोषित योजना) | उत्तराखण्ड इन्टीग्रेटीड ट्रासमिशन सिस्टमके माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्रो को आवंटित विद्युत परियोजनाओं के द्वारा उत्पादित ऊर्जा का सुचारू निष्कासन किया जाना है। | | **14100.00** | एस0 डी0 जी0 7 | उत्तराखण्ड इन्टीग्रेटीड ट्रासमिशन सिस्टम के अन्तर्गत अलकनन्दा बेसिन में 400 डी0सी0 के0वी0 खन्दूखाल — रम्मपुरा लाईन निमार्ण की परियोजना मुख्य है। | विद्युतलाईन<br>1. 132 के0वी लाईन 1575.02 सर्किट कि0मी0।<br>2. 220 के0वी लाईन 795.91 सर्किट कि0मी0।<br>3. 400 के0वी0 लाईन 422.12 सर्किट कि0मी0। | **1 वर्ष** | | अलकनन्दा बेसिन में विभिन्न हाइड्रो परियोजनाओं द्वारा उत्पादित ऊर्जा सीधे प्रदेश के औद्यौगिक क्षेत्र से जुडेगी तथा प्रदेश के उपभोक्ताओं को कम लागत की जल विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होगी। | **2.5 वर्ष** |
| 2 | राज्य सेक्टर (आर0ई0सी व पी0एफ0सी पोषित योजना) | आर0ई0सी तथा पी0एफ0सी0 पोषित योजनाओं के माध्यम से पारेषण लाईनों तथा उपसंस्थानों का निर्माण, | | **33701.00** | एस0 डी0 जी0 7 | उत्तराखण्ड ट्रासमिशन सिस्टम हेतु (आर0ई0सी व पी0एफ0सी वित्त पोषित योजना) राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट | उपसंस्थान<br>1. 132 के0वी0 उपसंस्थानों की संख्या 29 नग।<br>2. 220 के0वी0 उपसंस्थानों की | **1 वर्ष** | | विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा एवम् वोल्टेज में सुधार के साथ गुणवत्ता युक्त विद्युत आपूर्ति प्रदेश | **2 वर्ष** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सुदृढ़ीकरण तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्रो को आवंटित विद्युत परियोजनाओं के द्वारा उत्पादित ऊर्जा का सुचारू निष्कासन किया जाना है। | | | | लाईन 400 उपसंस्थान, पीपलकोटी से श्रीनगर (तीन पैकेजों में) लाईन का निर्माण कार्य,<br>220 के0वी0 जी0आई0एस0 उपसंस्थान रूद्रपुर (ब्रहमवारी) एवंम सम्बन्धित (दो पैकेजों में) लाईन का निर्मार्ण कार्य तथा<br>400 के0वी0 तपोवन – विष्णुगाढ – पीपलकोटी लाईन तथा पीपलकोटी पर 400 के0वी0 विष्णगाढ मुजफ्फरनगर लिलो का निर्माण कार्य के अतिरिक्त 220 के0वी0 डबल सर्किट लखवाड़–देहरादून लाईन तथा व्यासी पर लीलो लाईन कार्य,<br>220 के0वी0 उपसंस्थान बह्म तथा सम्बन्धित लाईन,<br>220 के0वी0 उपस्थान जाफरपुर तथा सम्बन्धित लाईनों का निर्माण कार्य,<br>132 के0वी0 उपस्थान बागेश्वर तथा सम्बन्धित लाईन का निर्माण कार्य (30 एम0वी0ए0)<br>132 केवी0 उपसंस्थान, पतंजलि, हरिद्वार तथा सम्बन्धित लाईनें,<br>132 के0वी0 उपस्थान लोहाघाट तथा सम्बन्धित लाईन का निर्माण कार्य | संख्या 8 नग।<br>**3.** 400 के0वी0 उपसंस्थानों की संख्या 3 नग | | | के उपभोक्ताओं को प्राप्त होगी। | |

## आउटकम बजट 2019–2020

## अनुदान संख्या–10 लेखाशीर्षक 2055–पुलिस एवं 4055–पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

| क0 सं0 | योजना | योजना का उदेश्य | आउट ले (रू0 हजार में) | | एस0डी0जी0 Goal/Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्डेट) आउट | 1.04.2018 की स्थिति (वेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | केन्द्र/राज्य/जिला सेक्टर/केन्द्र पोषित/वाह्य | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2055–001–01–0101 साईबर काईम | प्रदेश में पुलिस विभाग पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रभावी नियंत्रण। | 1800 | | 5.1–सभी जगह महिलाओं एवं बच्चों के साथ भेदभाव को समाप्त करना।<br>5.1.1–प्रत्येक 100000 महिला जनसंख्या पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर।<br>5.2–सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रो में लेगिक एवं अनेतिक देहव्यापार एवं अन्य उत्पीडन एम्मलित करते हुए महिलाओं एवं लडकियों पर होने वाले सभी अपराधों का उन्मूलन।<br>5..2.2–योन अपराध का अनुपात।<br>5.2.3 कू्रता का अनुपात।<br>5.2.4–कलेडर वर्ष के दौरान बच्चों के खिलाफ कुल अपराध।<br>5.2.6–वर्तमान में 14–49 वर्ष की आयु की लडकियों और महिलाओं का प्रतिशत जिन्होने पिछले माह में अपने साथी के साथ शाररिक और योन हिंसा का अनुभव किया।<br>5.–सभी हानिकार प्रथाओं जैसे कि बाल विवाह,जवरदस्ती का विवाह एवं जल्द विवाह को | साईबर काईम हेतु | साईबर क्राईम के प्रशिक्षण हेतु | साईबर क्राईम के प्रशिक्षण हेतु | 01 वर्ष |
| 2 | 2055–001–03–मुख्यालय | प्रदेश में पुलिस विभाग पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रभावी नियंत्रण। | 471380 | | | | पुलिस मुख्यालय एवं गढवाल तथा कुमार्यू परिक्षेत्र कार्यालयों में नियुक्त अधि0/कर्म0 के वेतन हेतु | अधिष्ठान में नियुक्त अधि0/कर्म0के वेतन आदि हेतु | 01 वर्ष |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2055–001–04–अग्नि से संरक्षण | राज्य में आपात स्थिति में पुलिस के साथ सहयोग प्रदान करना तथा अग्निकाड पर प्रभावी नियत्रणं करना। | 702982 | | | | जनपदों में नियुक्त अग्निशमन अधि0 के अधि0 / कार्मिको के वेतन आदि हेतु | जनपदों में नियुक्त अग्निशमन अधि0 के अधि0 / कार्मिको के वेतन आदि हेतु | 01 वर्ष |
| 4 | 2055–001–05–राज्य आन्दोलनकारी कल्याण परिषद | राज्य निमार्ण आन्दोलनकारियों के कल्याण हेतु परिषद का गठन। | 2135 | | | | आन्दोलकारी कलयाण परिषद में मनानीत सदस्य एवं सहवर्ती टाफ के वेतन हेतु | आन्दोलकारी कलयाण परिषद में मनानीत सदस्य एवं सहवर्ती टाफ के वेतन हेतु | 01 वर्ष |
| 5 | 2055–001–06–राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकारण | पुलिस विभाग में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद प्रान्त हाने वाले शिकायती पत्रों की प्रभावी जॉच करना। | 16420 | | | | प्राधिकारण में नियुक्त अधि0 / कर्म0 के वेतन हेतु | प्राधिकरण में नियुक्त माननीय सदस्यों एवं कार्मिको के वेतन हेतु | 01 वर्ष |
| 6 | 2055–001–07–राज्य पुलिस सुधार आयोग | राज्य पुलिस की कार्यक्षमता बढाये जाने हेतु सुझाव देना | 7 | | | | वर्तमान में टोकन की व्यवस्था | | 01 वर्ष |
| 7 | 2055–001–08–राज्य महिला सहायता प्रकोष्ठ | राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के बिरूद प्राप्त हाने वाली शिकायतों को प्राथमिकता पर निस्तारण करना। | 6300 | | | | महिला सहायता प्रकोष्ठ हेतु | जनपदों में गठित महिला सहायता प्रकोष्ठ हेतु | 01 वर्ष |
| 8 | 2055–001–10–अवैध खनन सतर्कता निरोधक इकाई | राज्य में हाने वाले अवैध खनन पर प्रभावी नियत्रंण। | 18 | | | | लोकतंत्र सेनानियों के पेंशन प्रदान की जाती है। | | 01 वर्ष |
| 9 | 2055–001–11–राज्य आन्दोलनकारी कल्याण कोष | राज्य आन्दोलनकरियों के कल्याण हेतु कोष का गठन। | 200 | | | | आन्दोलकारीयो के कल्याण हेतु | | 01 वर्ष |
| 10 | 2055–001–12–यातायात व्यवस्था | राज्य में सुगम यातायात व्यव्स्था बनाये रखना। | 40000 | | | | यातयात व्यवस्था के सुद्वणीकरण हेतु | राजय के 13 जनपदों में यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु | 01 वर्ष |
| 11 | 2055–001–14–राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरों | राज्य में धटित होने वाले अपराधिक आकडों को सुरक्षित रखना तथा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरों को आपराधों के आकडों प्रदान करना। | 4713.80 | | | | राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरों में नियुक्त कार्मिको के वेतन आदि हेतु | राजय अपराध अभिलेख ब्यूरों में नियुक्त अधि0कर्म0 के वेतन आदि हेतु | 01 वर्ष |
| 12 | 2055–001–15–लोक त्रंत सेनानी तथा उनके आश्रितों को पेंशन योजना | लोकतंत्र सेनानियों तथा उनके आश्रितों को शासन द्वारा निधारित पेंशन प्रदान करना। | 67900 | | | | लोकतंत्र सेनानियों के पेंशन प्रदान की जाती है। | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2055—001—16—कुम्भ मेला व्यवस्था | महाकुम्भ मेला 2021 का सफलतापूर्वक आयेाजन | 29060 | | | | कुम्भ मेला व्यस्था के संचालन हेतु | कुम्भ मेला व्यवस्था 2021 केसफल संचालन हेतु | |
| 14 | 2055—001—17—चारधाम यात्रा व्यवस्था | चारधाम यात्रा को सुगम बनाना तथा सडक मार्ग बाधित होने पर रहने की व्यव्स्था करना । | 10000 | | | | चारधाम यात्रा मार्ग में यात्राकाल के दोरान सडक बाधित होन पर यात्रियों को सुरक्षित सीानों पर पहुचाना | यात्राकाल के दौरान तीर्थ यात्रियों को संडक मार्ग वाधित होने पर जलपान हेतु | |
| 15 | 2055—003—04—शिक्षा और प्रशिक्षण | राज्य पुलिस में नियुक्त राजवत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों को उनके कार्यक्षमता में च1द्वि हेतु तथा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करना। | 138113 | | | | प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्त कार्मिको के वेतन हेतु | पी0टी0सी0 एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्त कार्मिको के वेतन आदि हेतु | |
| 16 | 2055—01—0102—नारकोटिक्स पदार्थो की तस्करी | नारकोटिक्स पदार्थो की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण करना। | 4223 | | | | नारकोटिक्स पदार्थो की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण करना। | भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुरूप व्यय किया जायेगा। | |
| 17 | 2055—101—03—अभिसूचना अधिष्ठान | कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस विभाग को गोपनीय तरीके से प्राप्त सूचनाओं को प्रदान करना। विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र ,पासपोर्ट,आदि के सत्यापन का कार्य करना। | 878364 | | | | अभिसूचना अधि0 में नियुक्त अधि / कम्र0 के वेतन आदि हेतु | अभिसूचना मुख्यालय,13 जनपदों एवं एस0पी0आर,देहरादून एवं हल्द्वानी में नियुक्त अधि0 / कर्म0 के वेतन भत्तों पर व्यय किया जायेगा। | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2055—101—04—सुरक्षा व्यवस्था | राज्य में महामहिम, राज्यपाल, मा0 मुख्यमंत्री, मा0मंत्रीगण,राज्य सचिवालय,विधान सभा, माननीय उच्च न्यायालय की त्रुटिपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना। | 275309 | | | | सुरक्षा व्यवस्था में नियुक्त अि0/कर्म0 के वेतन हेतु | माननीय उच्च न्यायालय,सचिवालय,राजभवन की सुूरक्षा में नियुक्त अधि0/कर्म0 के वेतन आदि पर व्यय किया जायेगाा | |
| 19 | 2055—101—05—सी0आई0डी0 | पुलिस विभाग द्वारा स्थानान्तरित विभिन्न प्रकार के अपराधों की गहनता से जॉच करना। | 139085 | | | | अपराध अनुसेंधान विभाग में नियुक्त कार्मिको के वेतन का भुगतान | अपराध अनुसेधान विभाग मुख्यालय एवं सेकटरों में नियुक्त कार्मिका का वेतन आदि पर व्यय किया जायेगा | |
| 20 | 2055—101—06—भारत नेपाल सीमा पर अभिसूचना तंत्र का सुदढीकरण | भारत की अर्न्तराष्टीय सीमा नेपाल से लगी होने के कारण सीमा पर नियुक्त एस0एस0बी0 के साथ गापेनीय सूचनाओं का आदान प्रदान कर नियुमित पुलिस को प्रदान करना। | 28566 | | | | भारत नेपाल सीमा पर नियुक्त कार्मिको के वेतन का आहरण | भारत नेपाल सीमा पर अभिसूचना विभाग के कार्मिको के वेतन आदि पर व्यय किया जोयेगा। | |
| 21 | 2055—101—07—पासपोर्ट सेवा तंत्र का सुदढीकरण | विभिन्न प्रकार के पासपोट की जॉच करना। | 2900 | | | | पासपोर्ट की जाच कर | पासपोर्ट की जाच कार्य पर व्यय किया जोयगा। | |
| 22 | 2055—104—03—पी0ए0सी0 | विभन्न प्रकार के महत्वूपर्ण अति महत्वपूर्ण सीानों जैसे माननीय उच्च न्यायालय,नैनीताल,विधान भवन,राजभवन,राज्य सचिवालय,आदि में सुरक्षा गार्द डयूटी करना,तथा निर्वाचन में भारत सरकार की मोंग पर अन्य राज्यों में निवाचन डयूटी करना तथा विभन्न प्रकार के कानून व्यव्स्था बनाये रखने में पुलिस को अपेक्षित सहायेाग प्रदान करना। | 2391433 | | | | 03 पी0ए0सी0 वाहनी में नियुक्त अधि0कम्र0 के वेतन हेतु | उत्तराखण्ड राज्य में सीापित 03 वाहनियों में नियुक्त कार्मिको के वेतन आदि पर व्यय किया जायेगा। | 01 वर्ष |
| 23 | 2055—104—04—आई0आर0बी0 की स्थापना | विभन्न प्रकार के महत्वूपर्ण अति महत्वपूर्ण सीानों जैसे माननीय उच्च न्यायालय,नैनीताल,विधान भवन,राजभवन,राज्य सचिवालय,आदि में सुरक्षा गार्द डयूटी करना,तथा निर्वाचन में भारत सरकार की मोंग पर अन्य राज्यों में निवाचन डयूटी करना तथा विभन्न प्रकार के कानून व्यव्स्था बनाये रखने में पुलिस को अपेक्षित सहायेाग प्रदान करना। | 1040749 | | | | 02 आई0आर0बी0 पर व्यय | राज्य की 02 वाहनियों में नियुक्त कार्मिको के वेतन आदि पर व्यय किया जायेगा। | 01 वर्ष |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2055–104–05–एस0टी0एफ0 | विभिन्न प्रकार के संगठित अपराधों की जॉच करना।<br>जघन्य किस्म अपराधों की जॉच करना। संविलासं का कार्य,वन्य जीव अपराधों की रोकथाम करना,साईबर काइम की जॉच करना,सोसल मीडिया पर प्रतिबधित पोस्ट की जॉच करना। | 46441 | | | | एस0टीएफ0 में नियुक्त अधि0/कर्म0 के वेतन हेतु | एस0टी0एफ0 में नियुक्त अधि0कर्म0 के वेतन हेतु | 01 वर्ष |
| 25 | 2055–108–02–निर्वाचन | राज्य में सभी प्रकार के निर्वाचन सम्पादित कराना। | 200000 | | | | विभिन्न निर्वाचनों पर होने वाले व्यय हेतु | विभिन्न निर्वाचनों में होने वाले व्यय पर | 01 वर्ष |
| 26 | 2055–108–03–अपराध से पीडित सहायता कोष | अपराध से पीडित महिलाओं एवं बच्चों को माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि का भुगतान करना। | 30000 | | | | अपराध से पीडित सहायता | अपराध से पीडित व्यक्तियो को माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित दरों पर मुआवजे के भुगतान पर व्यय किया जायेगा। | 01 वर्ष |
| 27 | 2055–108–04–एस0डी0आर0एफ0 | वर्ष 2013 में श्री कदेारनाथ धाम में आपदा के वाद राज्य में राज्य आपदा प्रतिपादन बल का गठन किया गया है।जो आपदा के समय तत्काल प्रभावितों की सहायता करता है।वर्तमान में राज्य आपदा प्रतिवादन बल द्वारा श्री नन्दा देवी राज जात ,चारधाम याता, आदि में उल्लेखनीय कार्य किया है।उक्त के अतिरिक्त उच्च हिमालयी क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य करने में सक्षम है। | 386760 | | | | एस0डी0आर0एुफ0 वाहनी पर व्यय | एस0डी0आर0एफ0 वाहिनी में नियुक्त अधि0/कर्म0 के वेतन का भुगतान किया जायेगा | 01 वर्ष |
| 28 | 2055–109–03–जिला पुलिस मुख्य | राज्य पुलिस बल की सबसें बडी शाखा है। इसका मुख्य कार्य अपराधों पर नियंत्रण करना है।<br>विभिन्न प्रकार की धार्मिक यात्र्ााओं, मेलों, त्योहारों, धरना प्रदर्शन में कानून व्यवस्था बनाये रखना। | 9564604 | | | | 13 जनपदों में नियुक्त पुलिस अधि0/कम्र0 के वेतन हेतु | प्रदेश के 13 जनपदों में नागरिक पुलिस जिला पुलिस,यातायात व्यवस्था आदि में नियुक्त अधि0कर्म0 के वेतन का भुगतान किया जायेगा। | |
| 29 | 2055–109–04–रेडियों अधिष्ठान | पुलिस विभाग में प्रभावी ढेंग से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। | 608583 | | | | जनपदों में नियुक्त रेडियों अधिष्ठान के कार्मिको के वतन आदि हेतु | जनपदों एवं वाहनियों में नियुक्त रेडियों विभाग के अधि0/कर्म0 के वेतन आदि हेतु | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2055–109–05–मोटर परिवहन अधिष्ठान | पुलिस विभाग में वाहनों का संचालन करना तथा उनका रखरखाव करना। | 451656 | | | | जनपदों में नियुक्त चालको के वेतन हेतु | जनपदों में नियुक्त मोटर परिहवन अधिष्ठान के कार्मिको का वेतन आदि पर व्यय किया जोयगा | 01 वर्ष |
| 31 | 2055–109–07–घुडसवार पुलिस इकाई | विभिन्न प्रकार के जुलस,धरना प्रदर्शन मेलों,भगदण आदि में भीड पर नियंत्रण करना। | 44696 | | | | घुडसवार पुलिस पर व्यय हेतु | घुडसवार पुलिस इकाई के अधि0एवं घोडों पर व्यय किया जायेगा। | 01 वर्ष |
| 32 | 2055–109–08–यातायात व्यवस्था | सुगम एवं प्रभावी यातायात व्यव्स्था बनाये रखना। | 4150 | | | | यातयात व्यवस्था के सुद्वणीकरण हेतु | यातायात व्यवस्था के सुधार पर व्यय किया जायेगा‍। | 01 वर्ष |
| 33 | 2055–109–09–जल पुलिस | राज्य के विभिन्न नदी,तालावों,झीलों में डूबने पर तत्काल सहायता प्रदान करना। | 625 | | | | जल पुलिस के विभिन्न उपकरणों आदि पर व्यय | जल पुलिस हेतु विभिन्न उपरणों आदि पर व्यय किया जायेगा। | 01 वर्ष |
| 34 | 2055–109–11–श्वान दल | विभिन्न प्रकार के अपराधों में पुलिस को सहयोग प्रदान करना। | 1620 | | | | वान पर व्यय | वानों के भाजन आदि पर व्यय किया जायेगा। | 01 वर्ष |
| 35 | 2055–109–13–थाना विविध आवश्यक कार्य निधि | राज्य के सभी 156 पुलिस थानों में उक्त धनराशि का आवंटन किया जाता है जिससे तत्काल आवश्यकता पडने पर वाहनों का किराया किसी भी प्रकार की दुर्घटना पर तत्काल अस्पताल पहुचाना,पोस्टमार्डम हेतु वाहन की व्यव्सथा करना आदि ।राज्य के सभी 13 जनपदों में 155 थानों 02 राजकीय रेलवे के थाने तथा 01 साईबर क्राईम पुलिस स्टैशन को उक्त मद से आवंटित किया जाता है। | 30000 | | | | थानों को तत्काल होने वाले व्यय हेतु | राज्य के सभा 158 पुलिस थानों को तत्काल होने वाले व्यय हेतु आंवटित किया जायेगा। | 01 वर्ष |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2055–109–14–जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकारण | राज्य में 02 जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया गया है जो देहरादून एवं हल्क्षनी जनपद नैनीताल में सीापित है,जो जनपदों से प्राप्त पुलिस से सम्बधित शिकायता का निस्तारण करता है। | 21642 | | | | शिकायत प्राधिकरण पर व्यय | राज्य के 02 जिला शिकायत प्राधिकरणों में नियुक्त माननीय अध्यक्षों एवं सदस्य एवं सहवर्ती स्टाफ के वेतन आदि पर व्यय किया जोयगा। | 01 वर्ष |
| 37 | 2055–109–16–टेफिक लाईट के संचालन हेतु | राज्य के महानगरों में सुगत यातायात व्यव्स्था बनाये रखने हेतु ट्रेफिक लाइट का संचालन करना | 3200 | | | | राज्य के अन्तर्गत विभिन्न चौराहों पर टेफिक लाईट का संचालन करना। | राज्य के विभन्न चौराहो पर अधिष्ठापित टेफिक लाइटों के रखरखाव पर व्यय किया जोयगा। | 01 वर्ष |
| 38 | 2055–110–03–ग्राम पुलिस | राज्य में नियुक्त लगभग 3980 ग्रम चोकीदारों को उनके वतेन का भुगातन किया जाता हैं उनके द्वारा ग्राम स्तर की सूचनाओं को पुलिस विभाग को प्रदान करायी जाती हैं | 54877 | | | | राज्य में नियुक्त गोम चौकीदारों के`वतन का भुगतान | राज्य में नियुक्त ग्राम चौकीदारों के वेतन आदि पर व्यय किया जायेगा। | 01 वर्ष |
| 39 | 2055–111–03–रेलवे पुलिस | राज्य में सुरक्षित रेलयात्रा के समय उचित कानून व्यव्स्था बनाये रखना। | 173867 | | | | राज्य के जी0आर0पी0 कार्मिको के वेतन आदि हेतु | राज्य के जी0आर.0पी0 में नियुक्त अधि0कर्म0 का वेतन आदि का भुगतान किया जोयगा। | 01 वर्ष |
| 40 | 2055–113–04–चिकित्सालय व्यय | राज्य के विभिन्न जनदों एवं वाहनियों में सीापित चिकित्सालयों द्वारा पुलिस विभाग के कार्मिको एवं उनके परिवारजनों को आवश्यक उपचार करना। | 43737 | | | | राज्य के पुलिस चिकित्सालयों में नियुक्त स्टाफ के वेतन आदि हेतु | राज्य के पुलिस अस्पतालों में नियुक्त स्टाफ के वेतन आदि पर व्यय किया जोयगा। | 01 वर्ष |
| 41 | 2055–113–05–खेलकूद निधि | पुलिस विभाग में नियुक्त कार्मिको को खेलकूद की उच्च कोटि की कोचिग व्यवस्था प्रदान करना तथा पुलिस कामिको द्वारा अर्न्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहुचाना। | 10000 | | | | पुलिस विभाग में खेलकूद की आधार भूत सुबिधा उपलब्ध कराना। | पुलिस विभाग के कुशल खिलाडियों को खेल सामग्री आदि पर व्यय किया जोयगा। | 01 वर्ष |
| 42 | 2055–113–09–कल्याण निधि | पुलिस विभाग के कामिको के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना । | 22500 | | | | पुलिस विभाग में नियुक्त कार्मिको के कल्याण हेतु | पुलिस कामिर्को के कलयाण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जोयगा। | 01 वर्ष |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2055—113—10—मुठभेढ में मृत्यू | मुठभेड में मृत्यू होने पर सहायता प्रदान करना | 2000 | | | | मुठभेड में मृत्यू होने पर शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि का सम्बधित को भुगतान किया जाता है। | भुठभेड आदि में मृत्यु होने पर शासन द्वारा निर्धारित अनुमन्य सहायता प्रदान करना। | 01 वर्ष |
| 44 | 2055—115—01—0103—केन्द्र पुरोनिधानित योजना | भारत सरकार द्वारा पुलिस विभाग की गतिशीलता बनाये रखने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना । | 45001 | | | | भारत सरकार द्वारा 90—10 की दर से अनुदान का आवंटन किया जाता है उक्त योजना | भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुरूप व्यय किया जायेगा। | |
| 45 | 2055—115—01—0103—सी0सी0टी0एन0एस0 योजना | भारत सरकार द्वारा राज्यों से आपराधिक प्रवित्त के व्यक्तियों के आपराधिक रिकार्ड को दूसरे राज्यों से साझा करना । | 11100 | | | | भारत सरकार द्वारा सी0सी0टी0एन0 एस0 योजना हेतु । | भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुरूप व्यय किया जायेगा। | |
| 46 | 2055—116—03—विधि विज्ञान प्रयोगशाला | पुलिस विभाग को विभिन्न अपराधों में वेज्ञानिक तरीके से साक्ष्य उपलब्ध कराना। | 39540 | | | | विधि विज्ञान प्रयोगशाला पर व्यय | विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नियुक्त अधि0/कम्र0 के वेतन आदि पर व्यय | 01 वर्ष |
| 47 | 2055—117—01—0101—एन0ई0आर0एस0 योजना | | 1 | | | | | | |
| 48 | 2055—117—01—0101—छात्र पुलिस केडैट योजना | राज्य में स्कूली छात्रों को पुलिस की कार्यप्रणाली को समझने हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि का आवंटन किया जाता है। | 1 | | | | | | |
| 49 | 2055—117—01—02—आन्तरिक सुरक्षा हेतु केन्द्रीय पुलिस बिल को भुगतान | राज्य में केन्द्रीय अर्द्व सेनकि बलों के व्यव्सथापन पर हुए व्यय का भुगतान किया जाता है। | 450000 | | | | केन्द्रीय पुलिस बलो की देयता पर व्यय | राज्य में आन्तरिक सुरक्षा में नियुक्त केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर व्यय किया जायेगा | 01 वर्ष |
| 50 | 2055—117—03—राज्य सुरक्षा आयोग | | 5 | | | | | | |
| 51 | 2055—117—04—ई0आर0एस0एस0 | राज्य के अन्दर सभी टोल फ्री नम्बरों को डायल 112 के सुचारू संचालन करना | 2600 | | | | ई0आर0एस0एस0 पर व्यय | ई0आर0एस0एस0 पर व्यय किया जोयगा। | 01 वर्ष |
| 52 | 4055—207—02—अग्निशमन एवं आपात सेवा | अग्निशमन एवं आपात सेवा के प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों का निर्माण | 0 | 20000 | | | अग्निशमन अधिष्ठान के निमार्ण कार्य हेतु | अग्निशमन के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का | 01 वर्ष |
| 53 | 4055—210—02—पी0टी0सी0 की स्थापना | पुलिस प्रशिक्षण कालेज में आवासीय अनावासीय भवनों का निमार्ण | 0 | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 4055–211–03–आवा0अना0भवनों का निर्माण(चालू कार्य) | पुलिस विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवन जिनका निमार्ण कार्य प्रचलित है को पूरा करना। | 0 | 90000 | | | पुलिस विभाग के चालू कार्य पर व्यय | पुलिस विभाग के चालू कार्यो को पूरा करना। | 01 वर्ष |
| 55 | 4055–211–04–आ0अना0भवनो का निमार्ण नये कार्य | पुलिस विभाग के नये आवासीय एवं अनावासीय भवन निमार्ण कार्य प्रचलित है। | 0 | 70000 | | | पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों का निमार्ण | पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों का निमार्ण | 01 वर्ष |
| 56 | 4055–211–06–आई0आर0बी0निमार्ण | इण्डिया रिर्जव वाहिनी में आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निमार्ण कार्य | 0 | 30000 | | | आइ0 आर0बी0 का निमार्ण | आइ0आर0बी0 द्वितीय का मिनार्ण | 01 वर्ष |
| 57 | 4055–211–08–एस0डी0आर0एफ0 | एस0डी0आर0एफ0 वाहिनी में आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निमार्ण कार्य | 0 | 10000 | | | एस0डी0आर0एफ0 का निमार्ण | उस0डी0आर0ए0 का निमाग्र कार्य पर व्यय | 01 वर्ष |
| 58 | 4055–211–09–पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निमार्ण | पुलिसविभाग में आवासीय भवनों का निमार्ण | 0 | 30000 | | | पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निमार्ण | पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निमार्ण | 01 वर्ष |
| | | योग | 18496150 | 250001 | | | | | |

# पेयजल विभाग का वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु **Outcome Budget**

विभाग का नाम पेयजल विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0...................

(धनराशि रू0 लाख में)

| क0सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्‌देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | दिनांक 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | पूंजीगत | | पूंजीगत | |
| 01 | ग्रामीण पेयजल योजनायें | ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पेयजल उपलब्ध कराना। | 8610.01 | 30840.01 | 6.1 वर्ष 2030 तक ग्रामीण जनसंख्या को मानकों के अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना (40एलपीसीडी)। | वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु कुल 850 आंशिक सेवित (पी.सी.) ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्रोत कार्य, पाईप लाईन, जलाशय आदि कार्यो को सम्पादित कराना। 3863 ग्रामीण गुरूत्व व 330 ग्रामीण पम्पिंग पेयजल योजनाओं का रखरखाव किया जा रहा है। 50 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार/मरम्मत/रखरखाव, 750 हैण्डपम्प अधिष्ठापन, 150 आयन रिमूवल किट का अधिष्ठापन। | कुल आंशिक सेवित बस्तियों की संख्या–16843 थी। वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 710 बस्तियों को पेयजल से लाभान्वित किए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 512 बस्तियों को लाभान्वित किए जाने से पूर्ण सेवित बस्तियों की संख्या 22963 हो चुकी है। | 850 आंशिक सेवित (पी.सी.) ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्रोत कार्य, पाईप लाईन, जलाशय आदि कार्यो को सम्पादित कराने से लगभग 24000 बस्तियां पूर्ण सेवित श्रेणी में आ जाएगी। 3863 ग्रामीण गुरूत्व व 330 ग्रामीण पम्पिंग पेयजल योजनाओं का रखरखाव किया जा रहा है। 50 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार/मरम्मत/रखरखाव, 750 हैण्डपम्प अधिष्ठापन, 150 आयन रिमूवल किट का अधिष्ठापन। इन सभी कार्यो से राज्य की ग्रामीण पेयजल व्यवस्था सुदृढ किया जा सकेगा। | एक वर्ष |
| 02 | वाहय सहायतित परियोजना | पैरी अरबन क्षेत्रों में नगरीय मानकों के अनुरुप पेयजल व्यवस्था | 1200.00 | 9500.00 | 6.1 वर्ष 2030 तक सभी को मानकों के अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना (135एलपीसीडी)। | 35 सेन्सस टाउन को विश्व बैंक सहायता से शहरी मानको के अनुसार 135 पेयजल एल0पी0सी0डी0 की दर से पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु अवशेष गठित होने वाली डी.पी.आरों. का गठन तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्य आवंटित करना। | पैरी अर्बन के अन्तर्गत इएपी में चयनित 35 नग सेन्सस टाउन में उपलब्ध पेयजल मानकों (135 एलपीसीडी) से कम है। | 35 सेन्सस टाउन को विश्व बैंक सहायता से शहरी मानको के अनुसार 135 पेयजल एल0पी0सी0डी0 की दर से पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु अवशेष गठित होने वाली डी.पी.आरों. का गठन तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्य आवंटित कर चयनित 35 सेन्सस टाउन में से 1 टाउन की पेयजल वर्ष 2019–20 में सुदृढ की जायेगी। | |
| | | नगरीय क्षेत्र में मानको के अनुरुप पेयजल व्यवस्था। | | 2000.00 | 6.1 वर्ष 2030 तक सभी को मानकों के अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना (135एलपीसीडी)। | 32 समस्याग्रस्त नगरों को मानको के अनुरुप (135 एल.पी.सी.डी.) पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 1045.00 करोड़ के ऋण हेतु प्रथम चरण में डी0पी0आर0 विरचन हेतु आवश्यक कार्यवाही। | अर्बन के अन्तर्गत इएपी में चयनित 32 नग टाउन में उपलब्ध पेयजल मानकों (135 एलपीसीडी) से कम है। | 32 समस्याग्रस्त नगरों को मानको के अनुरुप (135 एल.पी.सी.डी.) पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 1045.00 करोड़ के ऋण हेतु प्रथम चरण में डी0पी0आर0 विरचन हेतु आवश्यक कार्यवाही। | |
| | | नगरीय जलोत्सारण व्यवस्था। | | 4000.00 | 6.6 वर्ष 2030 तक सभी प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों को प्रदुषण मुक्त करना। | हरिद्वार एवं ऋषिकेश नगरों को पूर्ण रुप से जलोत्सारण सुविधा से आच्छादित किये जाने हेतु डी0पी0आर0 विरचन | हरिद्वार एवं ऋषिकेश नगर में कई क्षेत्रों में सीवर नेटवर्क उपलब्ध नही है। | हरिद्वार एवं ऋषिकेश नगरों को पूर्ण रुप से जलोत्सारण सुविधा से आच्छादित किये जाने हेतु डी0पी0आर0 विरचन | |

| क0सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | दिनांक 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | पूंजीगत | | पूंजीगत | |
| 03 | नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनायें | नगरीय क्षेत्र में जनता को पेयजल एवं जलोत्सारण व्यवस्था करना। | 3715.00 | 5350.00 | 6.1 वर्ष 2030 तक सभी को मानकों के अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना (135एलपीसीडी)। 6.6 वर्ष 2030 तक सभी प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों को प्रदूषण मुक्त करना। | 6 आंशिक शहरों में पेयजल व्यवस्था एवं 4 आंशिक शहरों में जलोत्सारण व्यवस्था। | चयनित नगरों में शत प्रतिशत सीवर नेटवर्क उपलब्ध नही है। | 6 आंशिक शहरों में पेयजल व्यवस्था एवं 4 आंशिक शहरों में जलोत्सारण व्यवस्था। | |
| 04 | नमामि गंगे | नदियों को प्रदूषण मुक्त करना। | 1579.00 | 550.00 | 6.6 वर्ष 2030 तक सभी प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों को प्रदूषण मुक्त करना। | 'नमामि गंगे परियोजना' के अन्तर्गत गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे स्थित प्राथमिकता के 15 नगरों में पूर्व निर्मित एस.टी.पी. के उच्चीकरण, नवीन एस.टी.पी. के निर्माण तथा गन्दे नालों के एस.टी.पी. में Diversion से सम्बन्धित 19 परियोजनाऍ लागत रू0 945.21 करोड़ तथा विभिन्न स्थानों पर 21 स्नानघाट एवं 21 शमशानघाट के निर्माण के कार्य लागत रू0 171.45 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से अधिकांश पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कार्य तेजी से कराये जा रहे हैं। अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर वर्ष 2020 तक गंगा नदी की मुख्य धारा में अपरिशोधित सीवर अथवा अन्य प्रदूषित जल के जाने पर पूर्ण रोक लगा देने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। | – | 'नमामि गंगे परियोजना' के अन्तर्गत गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे स्थित प्राथमिकता के 15 नगरों में पूर्व निर्मित एस.टी.पी. के उच्चीकरण, नवीन एस.टी.पी. के निर्माण तथा गन्दे नालों के एस.टी.पी. में Diversion से सम्बन्धित 19 परियोजनाऍ लागत रू0 945.21 करोड़ तथा विभिन्न स्थानों पर 21 स्नानघाट एवं 21 शमशानघाट के निर्माण के कार्य लागत रू0 171.45 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से अधिकांश पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कार्य तेजी से कराये जा रहे हैं। अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर वर्ष 2020 तक गंगा नदी की मुख्य धारा में अपरिशोधित सीवर अथवा अन्य प्रदूषित जल के जाने पर पूर्ण रोक लगा कर गंगा नदी की रोकथाम की जा सकेगी। | |
| 05 | स्वच्छ भारत मिशन | ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थाई स्वच्छता सुविधाओं को बढावा देते हुये खुले में शौच की प्रथा से राज्य को पूर्णतया मुक्त कर निर्मल राज्य घोषित करना। | 1400.00 | 11800.00 | 6.2 वर्ष 2030 तक सभी को स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराना। | वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वच्छता के स्तर को बनाये रखे जाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अतर्गत 200 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबन्धन गतिविधियों के माध्यम से आधार भूत ढॉचों को निर्मित किया जाने का प्रस्ताव है। | – | वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वच्छता के स्तर को बनाये रखे जाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अतर्गत 200 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबन्धन गतिविधियों के माध्यम से आधार भूत ढॉचों को निर्मित किया जाने का प्रस्ताव है। | 31 मार्च 2019 |
| 06 | विद्युत देयको का भुगतान, ग्रेच्युटी भुगतान | विद्युत देयकों का भुगतान, ग्रेच्युटी भुगतान | 22200.00 | 0.00 | – | विद्युत देयकों का भुगतान, ग्रेच्युटी भुगतान | – | पेयजल उत्पादन में प्रयुक्त विद्युत देयकों का भुगतान, कार्मिकों का ग्रेच्युटी का भुगतान। | |

# प्रारम्भिक शिक्षा

(धनराशि रू0 लाख मे)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले/ बजट | | एस.डी.जी. Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट वर्ष 2019–20) | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **प्रारम्भिक शिक्षा** | | | | | | | | | |
| **केन्द्रपोषित योजनायें** | | | | | | | | | |
| 1 | **मध्याह्न भोजन योजना** | 1. प्रारम्भिक स्तर पर राजकीय, स्थानीय निकाय, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा मदरसों में कक्षा 1–8 तक अध्ययनरत बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार करना।<br>2. अपवंचित समूहों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने तथा कक्षा–कक्ष गतिविधियों में सम्मिलित होने को प्रोत्साहित करना। | 18600.00 | | धारण दर (retention rate)<br>प्राथमिक 90<br>उच्च प्राथमिक 99 | 17652 विद्यालयों में योजना संचालित की जायेगी।<br>749596 विद्यार्थी<br>625553 भोजनमाता | धारण दर (retention rate)<br>प्राथमिक 88<br>उच्च प्राथमिक 99 | धारण दर बढ़ाना व बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास करना व कुपोषण में कमी लाना | 02 वर्ष |
| **राज्य योजनायें** | | | | | | | | | |
| 1 | **निदेशन एवं प्रशासन** | 1. विभागीय नीति का निर्धारण करना।<br>2. अधीनस्थ कार्यालयों का नियंत्रण, निरीक्षण, मार्ग दर्शन एवं समन्वय।<br>3. मण्डलीय अपर निदेशक तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का संचालन।<br>4. विकेन्द्रित नियंत्रण, अनुश्रवण एवं समस्याओं के निराकरण। | 5620.97 | | शुद्व नामांकन दर (N.E.R.)<br>प्राथमिक 91.00<br>उच्च प्राथमिक 75.00 | बेसिक निदेशालय की स्थापना।<br>110 कार्यालयों एवं 12378 प्राथमिक एवं 2770 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण। | शुद्व नामांकन दर (N.E.R.)<br>प्राथमिक 90.00<br>उच्च प्राथमिक 73.00 | विद्यालयों हेतु नीति निर्धारण, निरीक्षण एवं आयु आधारित कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित करना | 02 वर्ष |
| 2 | **विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण** | 1. प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।<br>2. प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। | 700.00 | | शालात्यागी दर (drop out rate)<br>प्राथमिक–(boys-3.5, girls-3.5,sc-7.5,st-7.5)<br>उच्च प्राथमिक (boys-1, girls-3.5,sc-7.0, st-8.0) | 180194 बालकों को<br>पाठय् पुस्तकें उपलब्ध कराना। | शालात्यागी दर (drop out rate)<br>प्राथमिक–(boys-4, girls-4,sc-8, st-8)<br>उच्च प्राथमिक (boys-2,girls-4,sc-7.5,st-9) | शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ना व बच्चों को प्रोत्साहित करना | 02 वर्ष |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण** | 1. प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। | 252253.23 | | प्रशिक्षित अध्यापको का प्रतिशत<br>प्राथमिक 100%<br>उच्च प्राथमिक 100% | 12378 राजकीय प्राथमिक, 2770 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संचालन | प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत<br>प्राथमिक 95%<br>उच्च प्राथमिक 100% | राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के राष्ट्रीय औसत से अधिक उपलब्धि प्राप्त करना | 02 वर्ष |
| 4 | **सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता** | 1. प्रारम्भिक शिक्षा की उपलब्धता में निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करना। | 14255.04 | | प्रशिक्षित अध्यापको का प्रतिशत<br>प्राथमिक 100%<br>उच्च प्राथमिक 100% | 221 सहायता प्राप्त विद्यालयों का संचालन | प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत<br>प्राथमिक 95%<br>उच्च प्राथमिक 100% | राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के राष्ट्रीय औसत से अधिक उपलब्धि प्राप्त करना | 02 वर्ष |
| 5 | **शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति** | शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्राविधानों का कियान्वयन सुनिश्चित करना। | 5500.00 | | लैगिक समानता दर (G.P.I) प्राथमिक 1 उच्च प्राथमिक 1<br>शालात्यागी दर (drop out rate)<br>प्राथमिक–(boys-3.5, girls-3.5,sc-7.5, st-7.5)<br>उच्च प्राथमिक (boys-1, girls-3.5,sc-7.0, st-8.0) | 95922<br>विद्यार्थी | लैगिक समानता दर (G.P.I) प्राथमिक 0.89<br>उच्च प्राथमिक 0.91<br>शालात्यागी दर (drop out rate)<br>प्राथमिक–(boys-4, girls-4,sc-8, st-8)<br>उच्च प्राथमिक (boys-2,girls-4,sc-7.5,st-9) | आर्थिक रूप से पिछड़े व अपवंचित वर्ग के बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना | 02 वर्ष |
| 6 | **बच्चों को प्रोत्साहन** | 1. विद्यार्थियों का चौमुखी विकास करना।<br>2. विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रूचि विकसित करना।<br>3.विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना का विकास<br>4. शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने में निजी सहभागिता | 112.70 | | धारण दर (retention rate)<br>प्राथमिक 90<br>उच्च प्राथमिक 99 | 18 खेलों हेतु 109 प्रतियोगितायें | धारण दर (retention rate)<br>प्राथमिक 86.15<br>उच्च प्राथमिक 98.62 | राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों द्वारा प्रतिभागिता सुनिश्चित करना | 02 वर्ष |
| 7 | **विविध कार्य** | 1– ई–पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों एवं छात्रों का डाटा रखना।<br>2– ऑनलाइन विद्यालयों का अनुश्रवण करना।<br>3– भोजन माताओं हेतु वर्दी। | 356.68 | | धारण दर (retention rate)<br>प्राथमिक 90<br>उच्च प्राथमिक 99 | ई–पोर्टल का संचालन | धारण दर (retention rate)<br>प्राथमिक 88<br>उच्च प्राथमिक 99 | अध्यापकों व छात्रों सम्बन्धी आधारभूत सूचनाओं का संकलन व विद्यालयों को | 02 वर्ष |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4– मध्याह्न भोजन योजना का सुदृढ़ीकरण<br>5– कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में जूनियर प्रभाग | | | | | | पश्चपोषण देना | |
| 8 | **मॉडल स्कूलों का संचालन** | 1– गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।<br>2– आधुनिकतम शैक्षिक तकनीक का उपयोग करना।<br>3– भौतिक संसाधनों एवं शैक्षिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।<br>4– कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। | 500.00 | | भाषा में अधिगम स्कोर<br>कक्षा–V 67<br>गणित 61<br>भाषा में अधिगम स्कोर<br>कक्षा–VIII 61<br>गणित में अधिगम स्कोर<br>कक्षा– VIII 44 | प्रत्येक विकासखण्ड में 3 विद्यालयों की स्थापना<br>(02 प्राथमिक व 01 जूनियर)<br>कुल 285 विद्यालय | भाषा में अधिगम स्कोर<br>कक्षा– V 66<br>गणित 60<br>भाषा में अधिगम स्कोर<br>कक्षा– VIII 60<br>गणित में अधिगम स्कोर<br>कक्षा– VIII 43 | भौतिक संसाधनों व मानवीय संसाधनों में अभिवृद्धि के द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करना | 02 वर्ष |
| 9 | **बेसिक शिक्षा अन्तर्गत पूंजीगत कार्य** | 1–निदेशालय भवनों का निर्माण<br>2–नाबार्ड वित्त पोषित ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि अन्तर्गत निर्माण कार्य।<br>3–प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण | 1200.00 | | शालात्यागी दर (drop out rate)<br>प्राथमिक–(boys-3.5, girls-3.5,sc-7.5, st-7.5)<br>उच्च प्राथमिक (boys-1, girls-3.5,sc-7.0, st-8.0) | विद्यालयों के भवनों का निर्माण करना। | शालात्यागी दर (drop out rate)<br>प्राथमिक–(boys-4, girls-4,sc-8, st-8)<br>उच्च प्राथमिक (boys-2,girls-4,sc-7.5,st-9) | अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कर शिक्षण कार्य को सुदृढ़ करना | 02 वर्ष |

# माध्यमिक शिक्षा

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट वर्ष 2019–20) | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| केन्द्रपोषित योजनायें | | | | | | | | | |
| 1 | समग्र शिक्षा | 1. शिक्षा की पहुँच उपलब्ध कराना।<br>2. शुद्ध नामांकन दर को 100 प्रतिशत प्राप्त करना।<br>3. धारण दर शतप्रतिशत तथा शालात्यागी दर शून्य प्राप्त करना।<br>4. विद्यालयों को भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना।<br>5. लिंग भेद व सामाजिक भेद को कम करना।<br>6. शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।<br>7.हाईस्कूल स्तर की शिक्षा की सर्वसुलभता।<br>8.विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना।<br>9.अध्यापकों एवं अभिकर्मियों की क्षमता विकास।<br>10.शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बालिका छात्रावास का निर्माण<br>11.जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।<br>12. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना।<br>13. शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था करना।<br>14. संकाय विकास एवं शोध।<br>15 .राजाराम मोहन राय पुस्तकालय हेतु मैचिंग ग्राण्ट | 98200.60 | 13100.00 | पेयजल सुविधा युक्त विद्यालयों का प्रतिशत<br>प्राथमिक 100<br>उच्च प्राथमिक 100<br>शौचालय युक्त विद्यालयों का प्रतिशत<br>प्राथमिक 100<br>उच्च प्राथमिक 100<br>विद्युत सुविधा युक्त विद्यालयों का प्रतिशत<br>प्राथमिक 80<br>उच्च प्राथमिक 85<br>रैम्प सुविधा युक्त विद्यालयों का प्रतिशत<br>प्राथमिक 75<br>उच्च प्राथमिक 65<br>लैगिक समानता दर (G.P.I)<br>प्राथमिक 0.92<br>शुद्ध नामांकन दर (NER)<br>माध्यमिक–51.5 %<br>उच्चतर माध्यमिक–44.5%<br>शालात्यागी दर | आवा0 छात्रा0 50 बच्चे –3<br>आवा0 छात्रा0 100 बच्चे –3<br>एस्कोर्ट सुविधा–969<br>आउट ऑफ स्कूल–3499<br>निःशुल्क पा0पु0–519168<br>गणवेश–615844<br>अध्यापक वेतन–8469<br>शिक्षक प्रशिक्षण–29426<br>बी0आर0सी0–95<br>सी0आर0सी0–994<br>विद्यालय अनुदान–14332<br>के.जी.बी.वी. आवासीय हॉस्टल 50 बच्चों हेतु–28<br>बालिका छात्रावास 20, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष 21, विज्ञान प्रयोग0 16, कम्प्यूटर कक्ष–12, आर्ट एण्ड क्राफ्ट कक्ष 12, पुस्तकालय कक्ष 14 एवं 5 शौचालयों का निर्माण।<br>3383 अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण, 159175 छात्रों को शैक्षिक भम्रण | पेयजल सुविधा युक्त विद्यालयों का प्रतिशत<br>प्राथमिक 98.2<br>उच्च प्राथमिक 94.5<br>शौचालय युक्त विद्यालयों का प्रतिशत<br>प्राथमिक 97.00<br>उच्च प्राथमिक 96.00<br>विद्युत सुविधा युक्त विद्यालयों का प्रतिशत<br>प्राथमिक 73.2<br>उच्च प्राथमिक 82.5<br>रैम्प सुविधा युक्त विद्यालयों का प्रतिशत<br>प्राथमिक 66.1<br>उच्च प्राथमिक 59.5लैगिक समानता दर (G.P.I)<br>प्राथमिक 0.89<br>शुद्ध नामांकन दर (NER)<br>माध्यमिक–51 | विद्यालयों को मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराना, शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करना व धारण दर को शत–प्रतिशत प्राप्त करना। विद्यालयों की पहुंच सुनिश्चित करना नामांकन में वृद्धि व सामाजिक व लैंगिक समानता, गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा।<br>सकल नामांकन दर 90 प्रतिशत शुद्ध नामांकन दर 55 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्तर से हाईस्कूल स्तर स्तरोन्यन 99 प्रतिशत<br>ड्राप आउट दर 5 प्रतिशत तक लाना | 02 वर्ष |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (Drop out rate) माध्यमिक– (boys-9.85, girls-8.9,sc-16.25, st-9.5) उच्चतर माध्यमिक (boys-2, girls-1,sc-4.1,st-1.05) लैंगिक समानता दर (G.P.I) 0.93 | कराया जायेगा | % उच्चतर माध्यमिक–44% शालात्यागी दर (Drop out rate) माध्यमिक–(boys-9.9, girls-9,sc-16.5, st-9.75) उच्चतर माध्यमिक (boys-2.15, girls-1.12,sc-4.2, st-1.1) लैंगिक समानता दर (G.P.I) 0.92 | | |
| **राज्य योजनायें** | | | | | | | | | |
| 1 | **निदेशन, प्रशासन एवं निरीक्षण** | 1 विभागीय नीति का निर्धारण करना।<br>2 अधीनस्थ कार्यालयों का नियंत्रण, निरीक्षण, मार्ग दर्शन एवं समन्वय।<br>3. मण्डलीय अपर निदेशक तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का संचालन।<br>4. विकेन्द्रित नियंत्रण, अनुश्रवण एवं समस्याओं के निराकरण। | 7856.28 | | शुद्व नामांकन दर (NER) माध्यमिक–51.5 % उच्चतर माध्यमिक–44.5% | 110 कार्यालयों एवं 2592 राजकीय/सहायता प्राप्त हाई. एवं इण्टर कॉलेजों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण | शुद्व नामांकन दर (NER) माध्यमिक–51 % उच्चतर माध्यमिक–44% | विद्यालयों हेतु नीति निर्धारण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, अकास्मिक अनुश्रवण | 02 वर्ष |
| 2 | **प्रशिक्षण** | 1. शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था।<br>2. पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक निर्माण।<br>3. विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु सामग्रियों का निर्माण।<br>4. शैक्षिक तकनीकी आदि में शोध।<br>5. अधिकारी एवं कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं के संचालन, अनुश्रवण आदि के प्रशिक्षण।<br>6. शैक्षिक प्रशासन व प्रबन्धन का प्रशिक्षण। | 1269.85 | 250.00 | शालात्यागी दर (Drop out rate) माध्यमिक–(boys-9.85, girls-8.9,sc-16.25, st-9.5) उच्चतर माध्यमिक (boys-2, girls-1,sc-4.1, st-1.05) | एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा 35 नचाचारी कार्यक्रम 11 कम्प्यूटर प्रशिक्षण व 100 शोध एवं क्रियात्मक शोध सम्पन्न किये जायेंगे। सीमेट द्वारा 20 प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन 10 शोध मूल्यांकन कार्यशालायें।<br>13 डायटों में सम्बद्ध विद्यालयों का संचालन | शालात्यागी दर (Drop out rate) माध्यमिक–(boys-9.9, girls-9,sc-16.5, st-9.75) उच्चतर माध्यमिक (boys-2.15, girls-1.12,sc-4.2, st-1.1) | अध्यापकों के सेवा पूर्व एवं सेवारत् प्रशिक्षण की व्यवस्था।<br>अधिकारियों के सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था। (प्रोफेशनल डवलेपमेंट क्षमता संवर्द्धन) | 02 वर्ष |
| 3 | **छात्रवृत्तियां एवं प्रोत्साहन** | 1. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। | 1818.63 | | शालात्यागी दर (Drop out rate) | 80 खेल छात्रवृत्ति 6800 बी0पी0एल0 छात्रवृत्ति | शालात्यागी दर (Drop out | शालात्यागी दर को 9.65 प्रतिशत तक लाना। | 02 वर्ष |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा की मेरिट में आने वाले छात्रों को प्रोत्साहन।<br>3. उत्तराखण्ड मूल के बच्चों को आर.आई.एम.सी. विद्यालय में अध्ययन हेतु प्रोत्साहन।<br>4. राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर स्कूली खेलों में स्वर्ण रजत एवं कांस्य पदक विजेता खिलाडियों को प्रोत्साहन।<br>5. सैन्य स्कूलों पढाई हेतु प्रोत्साहन।<br>6. अनु0 जाति, जन जा0 एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को प्रोत्साहन।<br>7. अच्छे शैक्षिक प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहन।<br>8. प्रतिभाशाली बच्चों की खोज एवं प्रोत्साहन।<br>9. उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रोत्साहन।<br>10. माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु बालिका प्रोत्साहन साइकिल योजना का आरम्भ | | | माध्यमिक–(boys-9.85, girls-8.9,sc-16.25, st-9.5)<br>उच्चतर माध्यमिक (boys-2, girls-1,sc-4.1, st-1.05) | 277 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति<br>46 छात्र–छात्राओं को दीन दयाल उपाध्याय पुरस्कार<br>12 आर0आई0एम0सी0 छात्रवृत्ति<br>10000 बालिकाओं को इनसैन्टिव फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन<br>5 सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति<br>56901 कक्षा–9 में अध्ययनरत बालिकाओं को साईकिलों का वितरण किया जायेगा। | rate)<br>माध्यमिक–(boys-9.9, girls-9,sc-16.5, st-9.75)<br>उच्चतर माध्यमिक (boys-2.15, girls-1.12,sc-4.2, st-1.1) | राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता। शैक्षिक गुणवत्ता हेतु प्रोत्साहन। माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। | |
| 4 | **परीक्षायें** | 1. परीक्षा का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण<br>2. राज्य में परिषदीय व विभागीय परीक्षाओं का आयोजन कराना।<br>3. मूल्यांकन के संबंध में परिषद मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करना।<br>4. अशासकीय विद्यालयों का नियमन। | 1844.85 | | बोर्ड रिजल्ट | 280000 बोर्ड परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा सम्पादित करना। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय व एकलव्य विद्यालय हेतु प्रवेश परीक्षा संचालित। | बोर्ड रिजल्ट | छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन व ज्ञान में अभिवृद्धि। उच्च कोटि के अध्यापकों की उपलब्धता | वार्षिक |
| 5 | **राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कॉलेजों का संचालन एवं स्थापना** | 1. असेवित क्षेत्रों में हाई स्कूलों तथा इण्टर कॉलजों की स्थापना।<br>2. स्थापित विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास।<br>3. विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना।<br>4.नाबार्ड पोषित ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य | 289368.48 | 3000.00 | लैंगिक समानता दर (G.P.I) 1 | 932 राजकीय हाईस्कूल एवं 1401 राजकीय इण्टर कॉलेजों का संचालन। 81 निर्माणाधीन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी। | लैंगिक समानता दर (G.P.I) 1 | सकल नामांकन 70 प्रतिशत्<br>(हाईस्कूल)<br>100 प्रतिशत क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना | 02 वर्ष |
| 6 | **आवासीय विद्यालयों का संचालन** | 1. ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना | 2799.80 | 900.00 | लैंगिक समानता दर (G.P.I) 1 | 3232 विद्यार्थियों की आवासीय शिक्षा | लैंगिक समानता दर (G.P.I) 1 | ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा | 02 वर्ष |
| 7 | **गैर सरकारी विद्यालयों को** | 1. शिक्षा की व्यवस्था में गैर सरकारी भागीदारी को प्रोत्साहन। | 44260.00 | | | 398 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का | | जनसहभागिता से विद्यालयों का संचालन | वार्षिक |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सहायता | | | | | संचालन | | | |
| 8 | सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को अनुरक्षण/संचालन निधि हेतु अनुदान | 1. सैनिक स्कूल को सहायता प्रदान करना। | 510.00 | 50.00 | | वार्षिक अनुरक्षण करना। 530 छात्रों को शिक्षण/आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। | | छात्रों को गुणवत्तायुक्त आवासीय शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना। सशास्त्र सेनाओं हेतु छात्रों को तैयार करना। | वार्षिक |
| 9 | स्काउट एवं प्रदर्शनियां | 1. स्काउट–गाइड की गतिविधियों का संचालन। 2- गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकियों का प्रदर्शन 3- जिला मण्डल एवं राज्य स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन 4- लोक संस्कृति दिवस का आयोजन। | 66.50 | | शालात्यागी दर (Drop out rate) माध्यमिक–(boys-9.9, girls-9,sc-16.5, st-9.75) उच्चतर माध्यमिक (boys-2.15, girls-1.12,sc-4.2, st-1.1) | प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रमों, बेसिक कोर्स व एडवांस कोर्स में स्काउट व गाइड द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। | शालात्यागी दर (Drop out rate) माध्यमिक–(boys-9.9, girls-9,sc-16.5, st-9.75) उच्चतर माध्यमिक (boys-2.15, girls-1.12,sc-4.2, st-1.1) | विद्यार्थियों में सामुदायिकता एवं सहयोग की भावना का विकास कर छात्रों का सर्वांगीण विकास एवं अनुशासन। | 02 वर्ष |
| 10 | खेलों का आयोजन | 1. विद्यार्थियों का चहुँमुखी विकास करना। 2. विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रूचि विकसित करना। | 100.00 | | शालात्यागी दर (Drop out rate) माध्यमिक–(boys-9.9, girls-9,sc-16.5, st-9.75) उच्चतर माध्यमिक (boys-2.15, girls-1.12,sc-4.2, st-1.1) | राष्ट्रीय, राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर खेलों का आयोजन। | शालात्यागी दर (Drop out rate) माध्यमिक–(boys-9.9, girls-9,sc-16.5, st-9.75) उच्चतर माध्यमिक (boys-2.15, girls-1.12,sc-4.2, st-1.1) | विद्यार्थियों को खेलों की ओर आकृष्ट करना, सहभागिता सुनिश्चित करना। | 02 वर्ष |
| 11 | विद्यालयों को अनुसमर्थन | 1. मॉडल स्कूलों का संचालन 2. ज्ञान प्रयोगशाला | 292.15 | 350.00 | शालात्यागी दर (Drop out rate) माध्यमिक–(boys-9.9, girls-9,sc-16.5, st-9.75) उच्चतर माध्यमिक (boys-2.15, girls-1.12,sc-4.2, st-1.1) | 19 विकासखण्डों में मॉडल स्कूलों का निर्माण, | शालात्यागी दर (Drop out rate) माध्यमिक–(boys-9.9, girls-9,sc-16.5, st-9.75) उच्चतर माध्यमिक (boys-2.15, | मॉडल स्कूलों में संसाधन उपलब्ध कर शैक्षिक गुणवत्ता में अभिवृद्धि। | 02 वर्ष |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | girls-1.12,sc-4.2, st-1.1) | | |
| 12 | **पुस्तकालय** | 1.सार्वजनिक पुस्तकालयों के भवन उपकरण एवं पुस्तकीय सहायता प्रदान करना।<br>2.राजकीय जिला एवं शाखा पुस्तकालयों का संचालन।<br>3. दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर की स्थापना<br>4. आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। | 243.96 | 100.00 | | 26 पुस्तकालयों को पुस्तकीय सहायता | | पुस्तकों के माध्यम से छात्रों के ज्ञान में अभिवृद्धि व उनमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ने की रूचि उत्पन्न करना।<br>प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना। | वार्षिक |
| 13 | **अनुसूचित जाति जनजाति छात्र–छात्राओहेतु प्रोत्साहन** | 1. अनुसूचित जाति जनजाति छात्र–छात्राओं हेतु निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों की व्यवस्था।<br>2. असेवित क्षेत्र में विद्यालयों की स्थापना। | 2934.40 | 450.00 | शालात्यागी दर (Drop out rate) माध्यमिक–(boys-9.9, girls-9,sc-16.5, st-9.75)<br>उच्चतर माध्यमिक (boys-2.15, girls-1.12,sc-4.2, st-1.1) | 83383 अनु0जाति व जन जाति के छात्रों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। | शालात्यागी दर (Drop out rate) माध्यमिक–(boys-9.9, girls-9,sc-16.5, st-9.75)<br>उच्चतर माध्यमिक (boys-2.15, girls-1.12,sc-4.2, st-1.1) | अनु0जाति व जन जाति के छात्रों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। | 02 वर्ष |

## प्राविधिक शिक्षा

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0.....................

(धनराशि लाख में )

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| अनुदान सं0–11 | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01– | निदेशालय प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड 2203–00–001–03–00 | निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को समय से वेतन भुगतान किया जा सके। | 252.37 | – | | निदेशालय में कार्यरत 13 अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन इत्यादि के लिए | निदेशालय में कार्यरत 13 अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन इत्यादि के लिए | बजट प्राप्त होने से निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को समय से वेतन भुगतान किया जाएगा। | निरन्तर |
| 02– | राजकीय पालीटेक्निक संस्थान उत्तराखण्ड 2203–00–105–03–00 | समस्त पालीटेकिनक संस्थाओं में पठन पाठन का कार्य सम्पादित किया जा सके तथा उत्तीर्ण छात्रों को उद्यमिता विकास से जोडा जा सके एवं रोजगार के नये अवसर प्रदान किये जा सकें। | 12058.85 | – | By 2030 ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education, including university<br><br>**INDICATOR**<br>1-Share of diploma seats for women (% fo total)<br>2-Number of diploma seats for women<br><br>By 2030 increase by 75 percent the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skill, for employment, decent jobs and entrepreneurship<br><br>**INDICATOR**<br>1-Number of students taking technical education in polytechnics<br>2-Number of polytechnics<br>3-Number of polytechnics in backward/rural areas<br>4-Students/teachers ratio in technical education | राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में 11421 छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिये गये। | पालीटेक्निकों में कार्यरत 938 अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन इत्यादि के लिए<br><br>30%<br>6300<br><br>20604<br>131<br>34<br>20:1<br>25% | समस्त पालीटेकिनक संस्थाओं में 35 डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जाना संचालित है, छात्र एवं शिक्षक अनुपात 15:1 किया जाना है तथा उत्तीर्ण छात्रों को उद्यमिता विकास से जोडा गया है तथा रोजगार उद्यमिता में तकनीकी समावेष 5:1 करने का लक्ष्य है। जिसके लिये 35 डिप्लोमा पाठयक्रम का संचालन तथा छात्र शिक्षक अनुपात 15:1 तथा नई तकनीक 5:1 किया जाना है जिसमें रा0पा0 संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को तकनीकी रूप से कुशल बनाया जा सके व रोजगार के अवसर बढ़ सकें। | निरन्तर |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | | | | 5-Entrepreneurship (no. of EDPs) in Higher Education 6-Employability ratio | | 44% | | |
| 03– | अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता– के0एल0 पालीटेक्निक को अनुदान 2203–00–104–03–00 | के0एल0पालीटेक्निक में पठन पाठन का कार्य सम्पादित किया जा सके तथा उत्तीर्ण छात्रों को उद्यमिता विकास से जोडा जा सके एवं रोजगार के नये अवसर प्रदान किये जा सकें। | 406.5 | – | | 885 छात्र–छात्राओं को प्रवेश | | के0एल0 पालीटेक्निक, रूड़की में 06 पाठयक्रम संचालित है। छात्र एवं शिक्षक अनुपात 15:1 किया जाना है तथा उत्तीर्ण छात्रों को उद्यमिता विकास से जोडा जाना है तथा रोजगार उद्यमिता में तकनीकी समावेष 5:1 करने का लक्ष्य है। | निरन्तर |
| 04– | स्किल डेवलपमैन्ट योजना 2203–00–800–04–00 | – | 0.04 (टोकन) | – | – | – | – | – | 13वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। |
| 05– | उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति 2203–00–001–01–02 | – | 0.01 (टोकन) | – | – | – | – | – | – |
| **अनुदान सं0–031** | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06– | टी0एस0पी 2203–00–105–03–00 | अनु0जनजाति के छात्र–छात्राओं को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण तथा ज्ञान प्रदान किया जा सके। | 35.00 | | | अनु0 जनजाति के 450 छात्र–छात्राओं | रा0पा0 सहिया, गौचर, नैनीताल, श्रीनगर एवं पित्थूवाला में अध्ययनरत् अनु0 जनजाति के 450 छात्र–छात्राओं | अनु0जनजति के छात्र–छात्राओं को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण तथा ज्ञान प्रदान करना। | निरन्तर |
| **अनुदान सं0–030** | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07– | एस0सी0एस0पी0 2203–00–105–03–00 | अनु0जाति के छात्र–छात्राओं को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण तथा ज्ञान प्रदान किया जा सके। | 39.00 | | छात्र–छात्राओं को आधुनिक पुस्तकें एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु। | ॅ अनु0जाति के 2170 छात्र–छात्राओं को | – | अनु0जाति के छात्र–छात्राओं को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण तथा ज्ञान प्रदान करना। | निरन्तर |
| **अनुदान सं0–011** | | | | | | | | | |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 08– | फार्मेसी पालीटेक्निक का उच्चीकरण 2203–00–105–01–03 | रा0पा0नैनीताल के फार्मेसी का उच्चीकरण हेतु। | 120.00 | | – | 01 संस्था | – | फार्मेसी पालीटेक्निक का उच्चीकरण । | निरन्तर |
| अनुदान सं0–011 | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09– | पालीटेक्निकों हेतु भूमि क्रय / भवन निर्माण 4202–02–104–16–00 | संस्थाओं में ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार भूमि अर्जन तथा भवन निर्माण किया जा सके। | – | 0.01 | 07 संस्थाओं एवं निदेशालय में भूमि अर्जन / भवन निर्माण। | 07 संस्थाओं | – | ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार भूमि अर्जन तथा भवन निर्माण किया जाना है। | निरन्तर |
| 10– | केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजना (100 प्रतिशत) 4202–02–104–01–03 | छात्राओं के लिये आवासीय व्यवस्था होने से उनकी सुरक्षा तथा अध्ययन पर ध्यान केन्दित किया जाना। | – | 200.00 | अपने आवास से दूर अध्ययनरत छात्राओं के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। | 03 संस्थाओ | – | छात्राओं के लिये आवासीय व्यवस्था होने से उनकी सुरक्षा तथा अध्ययन पर ध्यान केन्दित किया जाना। | निरन्तर |
| 11– | केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजना (100 प्रतिशत) 4202–02–104–01–01 | ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में 03 संस्थाओं के अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जाना है तथा रा0पा0 नैनीताल में डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम के उन्नयन हेतु निर्माण कार्य किया जाना है। | – | 163.25 | सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में असेवित योजना के अन्तर्गत 03 संस्थाओं तथा रा0पा0 नैनीताल में डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम के उन्नयन हेतु निर्माण कार्य किया जाना है। | 03 संस्थाओं | – | 03 संस्थाओं | निरन्तर |
| 12– | राजकीय पालीटेक्निकों हेतु भवन निर्माण (नाबार्ड) 4202–02–104–98–01 | एआईसीटीई की मान्यता तथा आवश्यक इंजी0 पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु | – | 1800.00 | नवस्थापित 21 संस्थाओं में एआईसीटीई के मानकानुसार निर्माण कार्य हेतु। | नवस्थापित 21 संस्थाओं | नवस्थापित 21 संस्थाओं में | एआईसीटीई की मान्यता तथा आवश्यक इंजी0 पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु | निरन्तर |
| 13– | एस0पी0ए0 4202–02–104–03–00 | एआईसीटीई की मान्यता तथा आवश्यक इंजी0 पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु | – | 2005.54 | नवस्थापित 23 संस्थाओं में एआईसीटीई के मानकानुसार निर्माण | नवस्थापित 23 | – | एआईसीटीई की मान्यता तथा आवश्यक इंजी0 पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु | निरन्तर |
| 14– | सी0डी0टी0पी0 / अपग्रेडेशन 2203–00–105–01–02 | 15 संस्थाओं में संचालित सी0डी0 टी0पी0 योजना के अन्तर्गत DROP OUT गरीब छात्र– छात्राओ के प्रशिक्षण हेतु तथा अपग्रेडेशन योजना के | | 1268.06 | 15 संस्थाओं में संचालित सी0डी0 टी0पी0 योजना के अन्तर्गत DROP OUT गरीब छात्र– छात्राओ के प्रशिक्षण हेतु तथा अपग्रेडेशन | 15 संस्थाओं | 15 संस्थाओं | 15 संस्थाओं में संचालित सी0डी0 टी0पी0 योजना के अन्तर्गत DROP OUT गरीब छात्र– छात्राओ के प्रशिक्षण हेतु तथा अपग्रेडेशन योजना के | निरन्तर |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | अन्तर्गत मशीन, साज–सज्जा एवं पुस्तकों इत्यादि के क्रय हेतु। | | | योजना के अन्तर्गत मशीन, साज–सज्जा एवं पुस्तकों इत्यादि के क्रय हेतु। | | | अन्तर्गत मशीन, साज–सज्जा एवं पुस्तकों इत्यादि के क्रय हेतु। | |
| **अनुदान सं0–030** | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15– | (एस0सी0एस0पी0) 4202–02–104–03–00 | राजकीय पालीटेक्निक काशीपुर में विद्यमान पुस्तकालय को ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार बनाया जाना है। | – | 50.00 | | SC के लगभग 300 छात्र/छात्राएं | – | राजकीय पालीटेक्निक काशीपुर में SC के लगभग 300 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं। संस्था में विद्यमान पुस्तकालय का साइज बहुत कम है एवं ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार नहीं है। अतः पुस्तकालय सम्बन्धी सुविधाओं के विकास इत्यादि को ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार बनाया जाना है। | निरन्तर |
| **अनुदान सं0–031** | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16– | टी0एस0पी0 4202–02–104–03–00 | अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को आधुनिक उपरकरण एवं पुस्तकें उपलब्ध कराकर रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जा सके। | – | 100.00 | | 02 राजकीय पालीटेक्निकों (रा0पा0 श्रीनगर एवं रा0म0पा0 देहरादून) में अध्ययनरत् अनु0 जाति के छात्रों के प्रशिक्षण मशीनरी/कम्प्यूटर आदि का व्यवस्था हेतु। | – | अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को आधुनिक उपरकरण एवं पुस्तकें उपलब्ध कराकर रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जा सके। | निरन्तर |

# उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र. सं | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य / नाम | आउट ले | | एस. डी. जी. Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (वेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | 08– कार्यालय व्यय | संस्थान के समस्त कार्यालय व्यय का भुगतान | 14 | | | | | कार्यालय व्यय के अन्तर्गत व्यय | 01 वर्ष |
| | 16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान | व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं को भुगतान | 6.50 | | | | | सी.ए., अनुबंधित फर्मों, वाहन किराया एवं अन्य कार्यालय से संबंधित व्यय | 01 वर्ष |
| | 20– सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता | कार्यशाला कार्यक्रमों का आयोजन | 5 | | | 04 कार्यशालाएं | | युवाओं में लोकभाषाओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रशिक्षण / कार्यशालाओं का आयोजन | 01 वर्ष |
| | | शोध परियोजनाओं को अनुदान | 5 | | | 03 (भाषा सर्वेक्षण, चरित कोष, स्थान नामों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन) | | लोकभाषाओं के प्रचार–प्रसार हेतु स्थानीय भाषाओं का सर्वेक्षण कर ग्रंथ के रूप में निर्माण | 01 वर्ष |
| | | विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिये वित्तीय सहायता योजना | 8 | | | 40 पुस्तकों के लिए सहयोग | | निर्धन साहित्यकारों को आर्थिक सहायता द्वारा पुस्तक प्रकाशन हेतु अनुदान | 01 वर्ष |
| | | राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन | 10 | | | 04 राज्य<br>01 राष्ट्रीय | | स्थानीय लोकभाषाओं में कार्य कर रहे साहित्यकारों की जयन्ती, एवं लोकभाषाओं में विविध कार्यक्रमों का आयोजन | 01 वर्ष |
| | | पुस्तकालय स्थापना एवं पुस्तकों का क्रय | 1 | | | 01 पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण | | लोकभाषाओं के प्रचार–प्रसार हेतु पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण | 01 वर्ष |
| | | साहित्यकारों का सम्मान | 10 | | | लोक भाषा के साहित्यकार लगभग 20 | | लोक साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे साहित्यकारों को सम्मान प्रदान करना | 01 वर्ष |
| | | संस्थान की शोध | 2 | | | 04 अंक | | संस्थान द्वारा लोकभाषाओं पर | 01 वर्ष |

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र. सं | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य/नाम | आउट ले | | एस. डी. जी. Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (वेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | पत्रिका का प्रकाशन | | | | उद्गाता | | त्रैमासिक शोध पत्रिका का प्रकाशन कर लेखकों को मंच उपलब्ध कराना। | |
| | 43– वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान | | 40 | | | | | संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रतिनियुक्ति एवं संविदा पर कर्मचारी कार्यरत हैं, अतः उनका वेतन आहरण किया जाता है। | 01 वर्ष |
| | **योग** | | **101.5** | | | | | | |
| | संस्थान एवं उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी के भवन निर्माण कार्यों हेतु | भूमि उपलब्धता के आधार पर चाहर दिवारी/वृहद निर्माण कार्य | | 50 | | – | | संस्थान के भवन निर्माण कार्यों हेतु | 01 वर्ष |
| **महा योग** | | | **151.5** | | | | | | |

# उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी, देहरादून

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र. सं | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य/नाम | आउट ले | | एस. डी. जी. **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (वेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 08– कार्यालय व्यय | अकादमी के समस्त कार्यालय व्यय का भुगतान | 13 | – | – | | | कार्यालय व्यय के अन्तर्गत व्यय | 01 वर्ष |
| 2 | 16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान | व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं को भुगतान | 6 | – | – | | | सी.ए., अनुबंधित फर्मो, वाहन किराया एवं अन्य कार्यालय से संबंधित व्यय | 01 वर्ष |
| 3 | 20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | उत्कृष्ट पुस्तक प्रकाशन योजना | 26.5 | – | – | 20 पुस्तकों के लिए सहयोग | – | निर्धन साहित्यकारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर पंजाबी के प्रचार–प्रसार हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना। | 01 वर्ष |
| | | पंजाबी साहित्यकारों की संगोष्ठी | | – | – | 2 राज्य स्तरीय | – | इस योजना के अन्तर्गत पंजाबी साहित्यकारों की जयन्ती, पंजाबी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। | 01 वर्ष |
| | | राष्ट्रीय सम्मेलन | | – | – | 01 सम्मेलन | – | पंजाबी भाषा के प्रचार–प्रसार एवं संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन किया जाना है। | 01 वर्ष |
| | | पंजाबी पुस्तकालय की स्थापना एवं पुस्तकों का क्रय | | – | – | लगभग 1000 पुस्तकें क्रय | – | पंजाबी भाषा के प्रचार–प्रसार हेतु पुस्तकालय की स्थापना की जानी है। | 01 वर्ष |
| | | प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना | | – | – | 50 | – | पंजाबी भाषा/साहित्य की पढ़ाई कर रहें छात्रों का सम्मान किया जाना । | 01 वर्ष |
| | | पंजाबी शब्दावली | | – | – | 01 पुस्तक | – | जनमानस तक पंजाबी भाषा | 01 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निर्माण/अनुवाद योजना | | | | 01 शब्दावली निर्माण | | के प्रचार–प्रसार के लिए पंजाबी पुस्तकों का अनुवाद किया जाना। | वर्ष |
| 4 | 43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान | | 5 | – | – | – | | अकादमी में पदों का ढ़ाचा स्वीकृत होने की प्रत्याशा में बजट मांग | 01 वर्ष |
| योग | | | 50.5 | | | | | | |

# उत्तराखण्ड लोक भाषा बोली अकादमी, देहरादून

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र. सं | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य/नाम | आउट ले | | एस. डी. जी. Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (वेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 08– कार्यालय व्यय | अकादमी के समस्त कार्यालय व्यय का भुगतान | 12.5 | – | – | | | कार्यालय व्यय के अन्तर्गत व्यय | 01 वर्ष |
| 2 | 16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान | व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं को भुगतान | 5.5 | – | – | | | सी.ए., अनुबंधित फर्मों, वाहन किराया एवं अन्य कार्यालय से संबंधित व्यय | 01 वर्ष |
| 3 | 20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | उत्कृष्ट पुस्तक प्रकाशन योजना | 1.5 | – | – | 20 पुस्तकों के लिए सहयोग | | निर्धन साहित्यकारों को आर्थिक सहायता द्वारा पुस्तक प्रकाशन हेतु अनुदान। | 01 वर्ष |
| | | लोकभाषा व बोली में साहित्यकारों की संगोष्ठी | 2 | – | – | 03 जनपदीय | | स्थानीय लोकभाषाओं में कार्य कर रहे साहित्यकारों की जयन्ती, एवं लोकभाषाओं में विविध कार्यक्रमों का आयोजन। | 01 वर्ष |
| | | राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय लोकभाषा सम्मेलन | 5 | – | – | 01 राज्य/01 राष्ट्रीय | | लोकभाषाओं का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु सम्मेलन का आयोजन। | 01 वर्ष |
| | | लोकभाषा व बोली अकादमी हेतु पुस्तकालय की स्थापना एवं पुस्तकों का क्रय | 2 | – | – | लगभग 1000 पुस्तकें क्रय | | लोकभाषा व बोली के प्रचार–प्रसार हेतु पुस्तकालय की स्थापना। | 01 वर्ष |
| | | प्रतिभावान युवाओं को पुरस्कृत करना | 2 | – | – | 30 | | लोकभाषा व बोली एवं साहित्य की पढ़ाई कर रहें छात्रों का सम्मान किया जाना । | 01 वर्ष |
| | | उत्तराखण्ड लोकभाषा व बोली शब्दावली निर्माण/ अनुवाद योजना | 2.5 | – | – | 01 पुस्तक 01 शब्दावली निर्माण | | जनमानस तक लोकभाषा व बोली के प्रचार–प्रसार के लिए लोकभाषा पुस्तकों का अनुवाद किया जाना। | 01 वर्ष |

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र. सं | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य/नाम | आउट ले | | एस. डी. जी. **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (वेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 4 | 43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान | | .01 | – | – | – | | अकादमी में पदों का ढ़ाचा स्वीकृत होने की प्रत्याशा में बजट मांग | 01 वर्ष |
| | **योग** | | **33.01** | | | | | | |

## डॉ.पी.द.ब.हिन्दी अकादमी उत्तराखण्ड, देहरादून।

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य/ नाम | आउट ले (रू0 लाख में) राजस्व | पूंजी गत | एस.डी. जी. Goal/ Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष–2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (वेस लाइन) | परिल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08–कार्यालय व्यय | अकादमी के समस्य कार्यलय व्यय हेतु भुगतान | 13.8 | | | – | | कार्यालय वयय के अन्तर्गत व्यय | 01 वर्ष |
| 2 | 16–व्यवसायिक और विशेष सेवायें | सी.ए. अनुबंधित फमों का व्यय हेतु भुगतान | 6 | | | – | | सी.ए. अनुबंधित फमों का व्यय हेतु भुगतान | 01 वर्ष |
| 3 | 20–सहायक अनुदान/अंशदन/ राज सहायता | शोध पत्रिका केदामानस को प्रकाशन एवं मौलिक ग्रन्थ प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता प्रकाशन | 3.75 | | | 01 ग्रन्थ एवं 04 अंक केदारमानस प्रकाशन | | इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के महान विद्वानों के साहित्य का संकलन/ग्रन्थावली प्रकाशन कार्य किया जाएगा।अकादमी की त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका ''केदारमानस'' का प्रकाशन का कार्य किया जाना है। | 01 वर्ष |
| | | राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन प्रतियोगिताओं का आयोजन | 7 | | | हिन्दी दिवस, 04 समारोह | | इस योजना के अन्तर्गत साहित्यकारों की जयन्ती, हिन्दी दिवस, बाल दिवस, हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन, प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। | 01 वर्ष |
| | | संकलन/प्रकाशन योजना | 10 | | | 04 साहित्य संकलन | | इस योजना के अन्तर्गत पूर्व वर्षों में हिन्दी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित पत्रिकाओं को संरक्षण/संकलन कर उनका प्रकाशन कराना। | 01 वर्ष |
| | | हिन्दी पुस्तकालय हेतु पुस्तक क्रय | 1 | | | पुस्तकों का क्रय | | राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार हेतु पुस्तकालय को सुदृढ़ किया जाएगा। | 01 वर्ष |
| | | लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम | .45 | | | 02 लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम | | हिन्दी भाषा के व्यवहारिक प्रयोग, रचनात्मक लेखन, अनुवाद, हिन्दी शोध प्रविधि प्रशिक्षण, हिन्दी पत्रकारिता प्रशिक्षण संबंधी लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन | 01 वर्ष |
| 4 | 43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान | अधिकारी/कर्मचारियों का वेतन भुगतान | 35 | | | – | | अकादमी अधिकारी/कर्मचारियों का वेतन भुगतान | 01 वर्ष |
| | | योग | 77 | (सतहत्तर लाख रुपये ) मात्र | | | | | |

# उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी, देहरादून

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र. सं. | योजना | योजना का नाम | आउट ले (रू0 लाख में) | | एस.डी.जी. Goal Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | 01.04.2018 की स्थिति (वेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 08–कार्यालय व्यय | अकादमी के समस्त कर्यालय व्यय हेतु भुगतान | 15 | – | | | | अकादमी के समस्त कर्यालय व्यय हेतु भुगतान | 01 वर्ष |
| 2 | 16–व्यवसायिक और विशेष सेवायें | सी.ए. अनुबंधित फर्मों का व्यय हेतु भुगतान | 6 | – | | | | सी.ए. अनुबंधित फर्मों का व्यय हेतु भुगतान | 01 वर्ष |
| 3 | 20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता | उर्दू साहित्यकारों की जयन्ती पर उर्दू साहित्यकारों का सम्मान एवं मुषायरें आदि का आयोजन | 2 | – | | 03 मुशायरों/कवि सम्मेलन आयोजन | | उर्दू के विभिन्न साहित्यकारों की जयन्ती मुशायरों द्वारा उर्दू भाषा का प्रचार–प्रसार करना | 01 वर्ष |
| | | उर्दू अकादमी की पत्रिका का प्रकाषन | 2.5 | – | | 02 अंक का प्रकाशन | | उर्दू भाषा के प्रसार–प्रसार हेतु अर्द्ध वर्षिक पत्रिका का प्रकाशन पर लेखकों को मंच उपलब्ध कराना। | 01 वर्ष |
| | | उत्कृष्ट पुस्तक प्रकाषन योजना के अन्तर्गत आर्थिक अनुदान तथा मदरसों/उर्दू मीडियम स्कूलों में छात्रों के उपयोगार्थ उत्कृश्ट पुस्तकों की अनुवाद योजना | 2 | – | | उत्तराखण्ड के मदरसों एवं उर्दू मीडियम स्कूलों में उत्कृष्ट पुस्तकों की अनुवाद योजना | | उर्दू भाषा के प्रचार–प्रसार एवं संबंर्धन हेतु मदरसों एवं उर्दू स्कूलों में आर्थिक अनुदान प्रदान करना | 01 वर्ष |
| | | उर्दू साहित्यकारों के साथ षोध संगोष्ठी, विचार–गोष्ठी, सम्मेलन आदि का आयोजन | 1.5 | – | | 02 शोध संगोष्ठी, 02 विचार–गोष्ठि, | | उर्दू के प्रचार–प्रसार हेतु उर्दू साहित्य पर विचार–गोष्ठी एवं सम्मेलन का आयोजन | 01 वर्ष |
| | | राष्ट्रीय एंव अन्तर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन | 2 | – | | 02 राज्य स्तरीय | | उर्दू के प्रचार–प्रसार हेतु राष्ट्रीय स्तर पर भाषा | 01 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना | योजना का नाम | आउट ले (रू0 लाख में) | | एस.डी.जी. Goal Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | 01.04.2018 की स्थिति (वेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | | | | | सम्मेजल | | सम्मेलन का आयोजन | |
| | | उर्दू पुस्तकालय की स्थापना एवं पुस्तकों का क्रय | 5 | – | | लगभग 1000 पुस्तकों का क्रय | | उर्दू भाषा के प्रचार–प्रसार हेतु उर्दू पुस्तकालय की स्थापना | 01 वर्ष |
| 4 | 43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान | अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान | 10 | – | | | | अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान | 01 वर्ष |
| | | **योग** | **46** | (छियालिस लाख रुपये) मात्र | | | | | |

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0– 2, 4 एवं 5

(रू0 लाख में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले 2019-20 | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेट) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेट) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | **अनुदान संख्याः 15** | | | | | | | | |
| 01 | 0101–आई0सी0डी0एस0 योजना में मेडीसिन किट्स एवं प्री–स्कूल किट्स तथा साड़ी/सूट की आपूर्ति (90 प्रतिशत के0सहा) | भारत सरकार के मानकानुसार प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्रो पर एक प्री–स्कूल किटस व एक मेडिसिन किट्स तथा दो साडी की आपूर्ति हेतु। | 1546.07 | 0.00 | SDG Goal 4<br>4.2a<br>4.2b | 14947 आंगनबाडी तथा 5120 मिनी केन्द्रो पर 20067 मेडिसिन किट 20067 प्री–स्कूल किट तथा<br>35014 आंगनबाड़ी कर्मियों हेतु पोषाक। | ICDS/MWCD 16 Average % | • प्री–स्कूल किट के लाभार्थी– 1.73 लाख।<br>• मेडिसिन किट के लाभार्थी– 7.80 लाख।<br>• यूनिफार्म–35014 | 31 मार्च, 2020 |
| 02 | 0102– समन्वित बाल विकास योजना (90 प्रतिशत के0सहा) | 103 बाल विकास परियोजनाओं का अधिष्ठान व्यय। | 41364.76 | 0.00 | SDG Goal 2<br>2.1h<br>2.2a<br>2.2b<br>2.2c<br>2.2d<br>2.2e | 103 बाल विकास परियोजना कार्यालय 756 कार्मिक<br>30251 आंगनबाड़ी कार्मिकों का मानदेय<br>8.20 लाख अनुपूरक पोषाहार लाभार्थी।<br>0.18 लाख बच्चें अतिकुपोषित। | 1070839<br>26.60%<br>33.50%<br>19.50%<br>41.50%<br>54.90% | • 103 बाल विकास परियोजनाओं का अधिष्ठान व्यय।<br>• 30251 महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति।<br>• पोषाहार लाभार्थी– 7.80 लाख लभान्वित होगे।<br>• 0.18 लाख बच्चें अतिकुपोषित की श्रेणी से मुक्ति होगी। | 31 मार्च, 2020 |
| 03 | 0104– समन्वित बाल विकास योजना के लिये जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (90 प्रतिशत के0सहा) | 13 जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालयों का अधिष्ठान। | 412.61 | 0.00 | | 13 जनपद। | | 13 जनपदों के माध्यम से 103 परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्याकंन होगा। | 31 मार्च, 2020 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 0108– आंगनवाडी कार्यकर्ती/सहायिकाओं आदि को प्रशिक्षण के दौरान राशन आदि की व्यवस्था (90 प्रतिशत के0सहा) | आंगनबाडी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं तथा मिनी कार्यकर्त्रियों की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण का आयोजन। | 350.00 | 0.00 | | 1203 AWW को कार्य प्रशिक्षण,<br>5282 AWW को रिफ्रेशर प्रशिक्षण,<br>2401 AWH को ओरियेण्टेशन प्रशिक्षण,<br>6476 AWH को रिफ्रेशर प्रशिक्षण,<br>337 सुपरवाईजर रिफ्रेशर प्रशिक्षण<br>21140 अन्य प्रशिक्षण | | • 15699 कार्मिक प्रशिक्षित होगे।<br>• 21140 एम0आई0एस0, ई0सी0सी0ई0 मॉडयूल के प्रशिक्षण से लाभार्थी प्रशिक्षित होगे। | 31 मार्च, 2020 |
| 05 | 0110–अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (90 प्रतिशत के0सहा) | भारत सरकार के निर्देशानुसार आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन। | 301.01 | 0.00 | | 14947–आंगनबाड़ी केन्द्र<br>5120–मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र | | 20067 आंगनबाड़ी केन्द्र। | 31 मार्च, 2020 |
| 06 | 0114–सूचना, शिक्षा तथा संचार (90 प्रतिशत के0सहा) | सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण की गतिविधियों द्वारा समुदाय में आई0सी0डी0एस0 की सेवाओं की मांग बढाना। | 200.67 | 0.00 | | 14947–आंगनबाड़ी केन्द्र<br>5120–मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र | | 20067 आंगनबाड़ी केन्द्र। | 31 मार्च, 2020 |
| 07 | 0124–आई.सी.डी.एस. परियोजना/कार्यालय/आंगनबाडी केन्दों पर अवसंरचना सुविधाएं (90 प्रतिशत के0सहा) | नई परियोजनाओ तथा नए आंगनबाडी केन्द्रों पर अनावर्तक व्यय हेतु। | 1500.00 | 0.00 | | 14947–आंगनबाड़ी केन्द्र<br>5120–मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र | | 20067 आंगनबाड़ी केन्द्र। | 31 मार्च, 2020 |
| 08 | 0126–प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (90 प्रतिशत के0स0) | गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टीकाकरण, आईएफए टेबलेट सेवन, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जाँच, स्तनपान, बच्चों का टीकाकरण आदि मापदण्डों की पूर्ति कर समर्थ बनाने हेतु योजना संचालित है। | 1041.50 | 0.00 | SDG Goal 22.1f2.1g | 50000 गर्भवती महिलाएं133 – कार्मिक | %202630 | लगभग 50000 गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होगी।133 – कार्मिकों को रोजगार | 31 मार्च, 2020 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 0127– महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय मिशन (90 प्रतिशत के0सहा) | महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुये उनका कौशल विकास, रोजगारोपार्जनोमुख, प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना। | 683.00 | 0.00 | | • महिलाओं के लिये जारूकता शिविर, नारी के चौपाल का आयोजन करना।<br>• महिलाओं / किशोरियों को सरकारी कार्यक्रमों / योजनाओं / सेवाओं एवं महिलाओं से सम्बन्धित कानुनी विषयों आदि पर जानकारी उपलब्ध कराना।<br>• विभिन्न सरकारी / विभागीय योजनाओं के साथ समन्वयन स्थापित करना।<br>• महिलाओं एवं किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराना। | | • महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनेंगी।<br>• महिलाओं में कानून एवं अधिकारों की जागरूकता आयेगी।<br>• बालिकाओं के घटते लिंगानुपात में सुधार आयेगा।<br>• विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ समन्वयन स्थापित होगा।<br>• HBD जनपदों में महिलाएं / किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार। | 31 मार्च, 2020 |
| 10 | 0130–उज्ज्वला योजना (80 प्रतिशत के0स0) | व्यापारिक यौन शौषण के लिए तरकरी से पीड़ित महिलाओं का बचाव, एवं अनैतिक व्यापार से जुडी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनको आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से योजना संचालित है। | 131.98 | 0.00 | | • उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत सुधार– गृह–05 | | • उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत सुधार– गृह–05 | 31 मार्च, 2020 |
| 11 | 0132–स्वधार गृह योजना (90 % के0स0) | बिना किसी सामाजिक व आर्थिक समर्थन के कठिन परिस्थितियों में जीवन–यापन कर रही उपेक्षित महिलाओं / लड़कियों के लिए आश्रय, खाद्य, कपड़ा व देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। | 117.20 | 0.00 | | • स्वधार गृहों की संख्या–05 | | • स्वधार गृहों की संख्या–05 | 31 मार्च, 2020 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0133–निर्भया फण्ड (90 % के0स0) | महिलाओं एवं किशोरियों के बचाव एवं सुरक्षा हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। | 72.00 | 0.00 | | 05–जनपद | | 05–जनपद | 31 मार्च, 2020 |
| 13 | 0134–राष्ट्रीय क्रेच योजना (80 % के0स0) | क्रेच केन्द्रों के माध्यम से कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल एवं स्कूल पूर्व शिक्षा आदि की व्यवस्था कर कामकाजी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। | 370.00 | 0.00 | | क्रेच केन्द्रों की संख्या–56 | | • संचालित क्रेच केन्द्रों की संख्या–56 | 31 मार्च, 2020 |
| 14 | 0135–राष्ट्रीय पोषण मिशन (90 % के0स0) | मातृ एवं शिशु कुपोषण रोकन हेतु क्रियान्वयन किया जायेगा। | 4500.00 | 0.00 | SDG Goal 2<br>2.2a<br>2.2b<br>2.2c<br>2.2d<br>2.2e | 13–जनपद<br>105–परियोजनाएं<br>8.20 लाख लाभार्थी<br>0.18 लाख अतिकुपोषित बच्चें | 26.60%<br>33.50%<br>19.50%<br>41.50%<br>54.90% | • पोषाहार लाभार्थी– 8.20 लाख लभान्वित।<br>• 0.18 लाख बच्चें अतिकुपोषित की श्रेणी से मुक्ति | 31 मार्च, 2020 |
| 15 | 0136–किशोरी बालिका योजना (SAG)(90 प्रतिशत के0सहा) | इस योजना के तहत् पंजीकृत 11–14 वर्ष की आयुवर्ग की स्कूल छोड़ चुकी प्रत्येक किशोरी को पूरक पोषण प्राप्त करवाना। | 1500.40 | 0.00 | | 4–जनपद35–बाल विकास परियोजना60000 किशोरियां। | | 60000 लाभान्वित होगी। | 31 मार्च, 2020 |
| 16 | 0101–बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं आदि विभिन्न योजनाओं का संचालन (100 प्रतिशत के0सहा) | • लैंगिग भेद–भाव के आधार पर शिशु जन्म को चयनित करने का समापन।<br>• अपराध से पीड़ित महिलाओं को सहयोग हेतु 24X7 राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन न0 181 (टोल फ्री) Telecom Service प्रदान करना।<br>• वन स्टॉप सेंटर (OSC) एकल खिडकी प्रणाली (Single window system) के समान कार्य करेगा, जहां दुर्व्यवहार/अपराध से पीड़ित महिलाओं को | 0.01 | 0.00 | SDG Goal 5<br>5.1 a<br>5.1 b<br>SDG Goal 2<br>2.2d | 13–जनपद<br>105–परियोजनाएं | 888<br><br>41.50% | • लिंगानुपात में सुधार।<br>• बालिकाओं की शिक्षा एवं पोषण स्तर में सुधार।<br>• महिलाओं को आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन स्थिति में कानूनी, चिकित्सीय, मनौवैज्ञानिक परामर्श आदि सेवायें प्राप्त होंगी। | 31 मार्च, 2020 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सहायता प्रदान की जायेगी। | | | | | | | |
| 17 | 4235-01-08 आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण/ उच्चीकरण/अनुरक्षण ा (90 प्रतिशत के0सहा0) | आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवायें बेहतर ढंग से लाभार्थियों को प्रदान करने में सुविधा होगी, केन्द्र बच्चों के लिए आकर्षक बनेगे एवं भवन किराये की बचत होगी। | 0.00 | 1515.00 | | 1608 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण।<br>500 आंगनबाड़ी केन्दों का अनुरक्षण। | | 1608 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण एवं<br>500 आंगनबाड़ी केन्दों के भवनों का अनुरक्षण कर भवन किराये की बचत होगी। | 31 मार्च, 2020 |
| 18 | 4235-05-00 मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी भवन निर्माण एव उच्चीकरण योजना (रा0यो0) | आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवायें बेहतर ढंग से लाभार्थियों को प्रदान करने में सुविधा होगी, केन्द्र बच्चों के लिए आकर्षक बनेगे एवं भवन किराये की बचत होगी। | 0.00 | 700.00 | | नवीन योजना | | नवीन योजना | 31 मार्च, 2020 |
| 19 | 09–00– तीलू रौतेली पुरस्कार (रा0यो0) | निर्दिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ठ कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मान स्वरूप पुरस्कार दिया जाता है | 3.78 | 0.00 | | 13 महिलाओं/किशोरियां। | | 13 महिलाओं/किशोरियां पुरस्कृत। | 31 मार्च, 2020 |
| 20 | 11–00– अनुपूरक पोषाहार का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (रा0यो0) | अनुपूरक पोषाहार के नियमित अनुश्रवण हेतु संविदा पर कार्मिक की व्यवस्था की जानी है। | 10.00 | 0.00 | | 13–जनपद<br>105–परियोजनाएं | | लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार दिये जाने के अनुश्रवण से पात्र लाभार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार आयेगा एवं कुपोषण से मुक्ति मिलेगी। | 31 मार्च, 2020 |
| 21 | 12–00–उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास परियोजना (रा0यो0) | महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन तथा उनका कार्यबोझ कम करने हेतु योजना संचालित है। | 200.00 | 0.00 | | • 64 विकासखण्ड<br>• 1624 स्वयं सहायता समूह एवं 6000 महिला लाभार्थि | | • महिलाओं का कार्यबोझ कम होगा। साथ ही उनका सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण होगा।<br>• रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। | 31 मार्च, 2020 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 14–00– पोषण मापक स्तनपान योजना (रा0यो0) | राज्य में कुपोषण स्तर पर निगरानी रखने तथा स्तनपान को प्रोत्साहित करने हेतु शोध एवं प्रशिक्षण हेतु कार्य किया जाता है। | 12.00 | 0.00 | | 13–जनपद 105–परियोजनाएं 1.81 लाख गर्भवर्ती धात्री | | 4.30 लाख बच्चें कुपोषण की श्रेणी से बाहर होगे। | 31 मार्च, 2020 |
| 23 | 15–00–निदेशालय /जनपद/परियोजना हेतु स्टॉफ व्यवस्था (रा0यो0) | राज्य सरकार के द्वारा निदेशालय/ जनपद/परियोजना हेतु स्टॉफ व्यवस्था। | 1410.27 | 0.00 | | निदेशालय13–जनपद105 –परियोजनाएं | | निदेशालय/जनपद/परियोजना अधिष्ठान। साथ ही विभागीय योजनाओं का उचित संचालन एंव अनुश्रवण होगा। | 31 मार्च, 2020 |
| 24 | 0303– समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय (रा0यो0) | आं0बा0 कार्यकर्तीयों/ सहायिकाओं को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त मानदेय प्रदान करने उद्देश्य से योजना संचालित है। | 7928.00 | 0.00 | | 30251 आंगनबाडी कार्मिक। | | 30251 आंगनबाड़ी कार्मिक मानदेय प्राप्त करेगे। | 31 मार्च, 2020 |
| 25 | 103.10.00– राज्य महिला आयोग की स्थापना (रा0यो0) | महिला अधिकारों के संरक्षण हेतु वैधानिक संस्था गठित है जिसका व्यय आयोजनत्तर मद से किया जा रहा है। | 119.30 | 0.00 | | महिला आयोग द्वारा दर्ज प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा एवं जनपदों में महिला अधिकार कैम्प आयोजित किये जायेंगें। | | महिला अधिकारों के प्रति राज्य में सकारात्मक वातावरण में वृद्धि होगी तथा महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों की प्राप्ति होगी। | 31 मार्च, 2020 |
| 26 | 103–13–00 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा बाल विवाह एवं धरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (रा0यो0) | सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों में महिला कार्मिकों के साथ अभ्रदता, आपत्तिजनक व्यवहार को रोकना। | 99.33 | 0.00 | | जनपद/राज्य स्तरीय समिति, संरक्षण अधिकारी, सेवाप्रदाता, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा केन्द्र आदि के माध्यम से अधिनियम का सफल क्रियान्वयन होगा। | | राज्य में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा तथा बाल विवाह रोकने हेतु जागरूकता प्राप्त होगी। | 31 मार्च, 2020 |
| 27 | 103–18–00 कामकाजी महिला छात्रावासों पर स्टॉफ की व्यवस्था (रा0यो0) | कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास संचालन हेतु स्टॉफ की व्यवस्था आदि हेतु योजना का संचालन। | 50.00 | 0.00 | | 03 छात्रावासों का संचालन। | | देहरादून, हरिद्वार एवं उत्तरकाशी में महिला छात्रावास का संचालन होगा। | 31 मार्च, 2020 |
| 28 | 103–26 राज्य महिला कल्याण सशक्तिकरण परिषद (रा0यो0) | महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु। | 0.01 | 0.00 | | – | | – | 31 मार्च, 2020 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 103–27 किशोरी बालिकाओं हेतु सैनेटरी नैप्कीन की व्यवस्था (रा0यो0) | किशोरी बालिकाओं को स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु योजना प्रारम्भ की गयी है। | 250.00 | 0.00 | | 1.20 लाख किशोरिया। | | 1.20 लाख किशोरियां लाभान्वित होगी। | 31 मार्च, 2020 |
| 30 | 103–29 नन्दा गौरा योजना (रा0यो0) | राज्य की गरीब परिवारों की बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य हेतु। | 7500.00 | 0.00 | SDG Goal 5<br>5.1 a<br>5.1 b<br>SDG Goal 2<br>2.1g | 1.80 लाख बालिकाएं। | 888<br>202630 | • लगभग 1.80 लाख पात्र परिवारों की बालिकाएं लाभान्वित होगी।<br>• लिंगानुपात में कमी।<br>• शिक्षा प्राप्त करने के प्रति जागरूकता एवं बालिका के जन्म को बढ़ावा मिलेगा।<br>• बाल विवाह पर रोकथाम। | 31 मार्च, 2020 |
| 31 | 103–30 पं0 दीनदयाल सामाजिक सुरक्षा कोष (रा0यो0) | गरीब परिवारों की महिलाओं को आत्मनिर्भरता हेतु स्वरोजगार सृजन एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ करना। | 100.00 | 0.00 | | 100 महिलाएं। | | गरीब परिवारों की 100 महिलाएं लाभान्वित होगी। | 31 मार्च, 2020 |
| 32 | 103–31उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति योजना (राज्य योजना) | भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित योजनाओं के कार्यान्वयन संचालन हेतु। | 12.00 | 0.00 | | नवीन योजना | | नवीन योजना | 31 मार्च, 2020 |
| 33 | 4235-10-00-कार्यशील महिला छात्रावासों का निर्माण (एस0पी0ए0) | कार्यशील महिला छात्रावासों का निर्माण। | 0.00 | 400.00 | | 2 छात्रावास। | | उधमसिंह नगर एवं कोटद्वार में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण। | 31 मार्च, 2020 |
| 34 | 06– महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास भवनों का निर्माण (रा0यो0) | निदेशालय भवन के परिवर्धन हेतु। | 0.00 | 60.00 | | निदेशालय भवन में आवश्यकतानुसार परिवर्धन/रखरखाव किया जायेगा। | | निदेशालय भवन की स्थिति सही रहेगी। | 31 मार्च, 2020 |
| 35 | 0602–बाल दिवस समारोह (रा0यो0) | अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस समारोह का आयोजन एवं बाल अधिकारों की जागरूकता का प्रसार करना। | 5.00 | 0.00 | | 13–जनपदों के बच्चे। | | बाल दिवस के आयोजन से बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करना। | 31 मार्च, 2020 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0605– बाल संरक्षण आयोग (रा0यो0) | बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग स्थापित है। | 72.79 | 20.00 | | उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संचालन। | | बाल अधिकारों का संरक्षण प्राप्त होगा। | 31 मार्च, 2020 |
| 37 | 21-00- आंगनबाड़ी कर्मियों हेतु कल्याण कोष की स्थापना (रा0यो0) | आंगनबाड़ी कर्मियों की मानदेय सेवा से मुक्त होने के समय उन्हे एकमुश्त आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाना। | 300.00 | 0.00 | | 100 आंगनबाड़ी कार्मिक। | | लगभग 75–100 सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी कार्मिकों | 31 मार्च, 2020 |
| 38 | 2300–निर्भया योजना (रा0यो0) | राज्य में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपराध से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु योजना का संचालन। | 100.00 | 0.00 | | 13 जनपद। | | 13 जनपद। | 31 मार्च, 2020 |
| 39 | 1600–मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना (रा0यो0) | राज्य के कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्ति हेतु संचालन। | 1000.00 | 0.00 | SDG Goal 2<br>2.2a<br>2.2b<br>2.2c<br>2.2e | 20348–कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चे। | 26.60%<br>33.50%<br>19.50%<br>54.90% | राज्य के लगभग 20348 कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चे कुपोषण की श्रेणी से बाहर आयेगे। | 31 मार्च, 2020 |
| 40 | 1800–मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना (रा0यो0) | 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध कराये जाने पर कुपोषण मुक्ति। | 1000.00 | | | नवीन योजना | | नवीन योजना | 31 मार्च, 2020 |
| 41 | 0600–मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण अभियान योजना (रा0यो0) | राज्य की वृद्ध महिलाओं के संबंध में सकारात्मक पारम्परिक पद्धतियों के द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बढ़ावा देना। | 100.00 | 0.00 | | – | | – | 31 मार्च, 2020 |
| 42 | 2400–मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना (रा0यो0) | राज्य की विधवा, निराश्रित, निर्बल वर्ग की महिलाओं/किशोरियों के आजीविका एवं आर्थिक विकास होगा। | 250.00 | 0.00 | | 3500 विधवा, निराश्रित, निर्बल वर्ग महिला एवं किशोरिया। | | राज्य की लगभग 3500 विधवा, निराश्रित, निर्बल वर्ग की महिलाओं/ किशोरियों के आर्थिक एवं स्वरोजगार की प्राप्ति। | 31 मार्च, 2020 |
| | **अनुदान संख्या 15 का योग** | | **74613.69** | **2695.00** | | | | | |

अनुदान संख्याः 30

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अनुसूचित जाति उपयोजना | | | | | | | | |
| 43 | 0202–अनुसूचित जाति केन्द्रों पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय (रा0यो0) | अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों / वार्डो में आंगनबाडी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय की योजना संचालित है। | 930.24 | 0.00 | | 3525 आंगनबाड़ी कार्मिक। | | 3525 आंगनबाड़ी कार्मिक मानदेय प्राप्त करेगे। | 31 मार्च, 2020 |
| 44 | 0101– समन्वित बाल विकास योजना (90 प्रतिशत के0सहा0) | अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों / वार्डो में आंगनबाडी कर्मियों को केन्द्र सहायतित मानदेय, पुष्टाहार की व्यवस्था की जाती है। | 5510.74 | 0.00 | SDG Goal 2<br>2.2a<br>2.2b<br>2.2c<br>2.2d<br>2.2e | 3525 आंगनबाड़ी कार्मिक। 1.60 लाख लाभार्थी। | 26.60%<br>33.50%<br>19.50%<br>41.50%<br>54.90% | • अनुसूचित जाति परियोजनाओं का अधिष्ठान व्यय।<br>• 3525 महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति।<br>• पोषाहार लाभार्थी– 1.60 लाख | 31 मार्च, 2020 |
| 45 | 4235-0101-आंगनबाड़ी केन्द्रो का भवन निर्माण / अनुरक्षण (90 प्रतिशत के0सहा0) | आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन में सुविधा होगी एवं भवन किराये की बचत होगी। | 0.00 | 0.02 | | – | | – | 31 मार्च, 2020 |
| | **अनुदान संख्या 30 का योग** | | **6440.98** | **0.02** | | | | | |
| | **अनुदान संख्याः 31** | | | | | | | | |
| | **जनजातिय क्षेत्र उपयोजना** | | | | | | | | |
| 46 | 796–04–00–समन्वित बाल विकास योजनाएं अनुसूचित जनजातीय केन्द्रों पर राज्य सरकार मानदेय (रा0यो0) | अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों / वार्डो में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय की योजना संचालित है। | 331.29 | 0.00 | | 1238 आंगनबाड़ी कार्मिक। | | 1238 आंगनबाड़ी कार्मिक मानदेय प्राप्त करेगे। | 31 मार्च, 2020 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 796–01–02 समन्वित बाल विकास योजनायें– जनजातीय क्षेत्र (90 प्रतिशत के0सहा0) | अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों / वार्डो में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को केन्द्र सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय एवं पुष्टाहार की व्यवस्था की जाती है। | 2004.87 | 0.00 | SDG Goal 2<br>2.2a<br>2.2b<br>2.2c<br>2.2d<br>2.2e | 1238 आंगनबाड़ी कार्मिक। 0.47 लाख लाभार्थी। | 26.60%<br>33.50%<br>19.50%<br>41.50%<br>54.90% | • अनुसूचित जनजाति परियोजनाओं का अधिष्ठान व्यय।<br>• 1238 महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति।<br>• पोषाहार लाभार्थी– 0.47 लाख | 31 मार्च, 2020 |
| 48 | 4235-796-01 आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण (90 प्रतिशत के0सहा0) | आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन में सुविधा होगी एवं भवन किराये की बचत होगी। | 0.00 | 0.02 | | – | | – | 31 मार्च, 2020 |
| | **अनुदान संख्या 31 का योग** | | **2336.16** | **0.02** | | | | | |
| | **अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31** | | **83390.83** | **2695.04** | | | | | |

# युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउटले (धनराशि हजार रू0 में) | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| एन0एस0एस0 सामान्य कैम्प | एन0एस0एस0 स्वयं सेवकों के लिए 01 दिवसीय कैम्पों का आयोजन | 14775 | 0 | – | राज्य में 749 यूनिटों के द्वारा 59100 युवाओं का 01 दिवसीय कैम्पों का आयोजन | यूनिट 749 59100 युवाओं | युवाओं के व्यक्तित्व विकास द्वारा एक आदर्श समाज व राष्ट्र का निर्माण | 01 वर्ष |
| एन0एस0एस0 विशेष कैम्प | एन0एस0एस0 स्वयं सेवकों के लिए 07 दिवसीय कैम्पों का आयोजन | 13298 | 0 | – | राज्य में 749 यूनिटों के द्वारा 29550 युवाओं का 07 दिवसीय कैम्पों का आयोजन | यूनिट 749 29500 युवाओं | युवाओं के व्यक्तित्व विकास द्वारा एक आदर्श समाज व राष्ट्र का निर्माण | 01 वर्ष |
| एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ | एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ में कार्यरत कार्मिकों का वेतनादि | 3228 | 0 | – | एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ में 07 कार्यरत कार्मिकों का वेतनादि | 07 कार्मिक | एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ में कार्यरत कार्मिकों का वेतनादि | 01 वर्ष |
| खेलो इंडिया खेल प्रतियोगिता | खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत विकासखण्ड, जनपद, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को प्रतिभाग कराना। | 2500 | 0 | – | खेलो इंडिया प्रतियोगिता में राज्य के 150 खिलाड़ियों को प्रतिभाग कराना। | – | खेलो इंडिया प्रतियोगिता के अंतर्गत ग्रामीण खिलाड़ियों का मनोबल बनाए रखने तथा खेलों के प्रति जागरूक बनाना | 01 वर्ष |
| खेलो इंडिया खेल अवस्थापना | तहसील/ब्लाक एवं जनपद मुख्यालयों पर खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास। | 0 | 100000 | – | भारत सरकार/राज्य सैक्टर के अंतर्गत खेल अवस्थापनाओं के विकास हेतु 03 खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास | – | राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों हेतु खेल मैदानों एवं खेल सुविधाओं का विकास करना। | 01 वर्ष |
| युवा छात्रावासों का विकास | विभाग के अंतर्गत संचालित युवा छात्रावासों के रखरखाव एवं सुदृढ़ीकरण पर व्यय | 3000 | 0 | – | राज्य के 04 युवा छात्रावासों का रखरखाव एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। | 04 के सापेक्ष 01 में का कार्य | युवा छात्रावासों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण। | 01 वर्ष |
| सीमा स्पर्श योजना | युवाओं को राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं से रूबरू करवाना | 600 | 0 | – | राज्य के 30 युवाओं को राज्य की सीमाओं की जानकारी देना | – | सांस्कृतिक गतिविधियों से रूबरू करवाते हुए 10 दिवसीय शिविर का आयोजन | 01 वर्ष |
| राष्ट्रीय युवा महोत्सव | उत्तराखण्ड राज्य में प्रथम बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव के आयोजन से युवाओं को लाभान्वित करना | 500 | 0 | – | उत्तराखण्ड के युवाओं को भारतवर्ष की संस्कृति/सांस्कृतिक गतिविधियों से रूबरू कराने हेतु सभी राज्यों का प्रतिभाग। | राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नहीं हुआ | उत्तराखण्ड के युवाओं को भारतवर्ष की संस्कृति/सांस्कृतिक गतिविधियों से रूबरू कराना | 01 वर्ष |
| सहसिक प्रषिक्षण केन्द्र रखरखाव/ प्रषिक्षण | युवाओं को साहसिक पर्यटन की ओर आकर्षित करने हेतु व्हाईट रिवर राफ्टिंग गाईड तैयार करना, आपदा प्रबंधन, ट्रैकिंग का ज्ञान। | 900 | 0 | – | राज्य के 200 युवाओं को साहसिक गतिविधियों में प्रशिक्षित करना। | 164 युवाओं को प्रशिक्षण। | साहसिक पर्यटन सम्बन्धी स्वरोजगार/रोजगार से युवाओं को जोडना। | 01 वर्ष |
| ग्रामीण स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना | ग्रामीण क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को खेल से जोड़ने हेतु विकासखण्ड | 5000 | 0 | ब्लाक स्तर पर 380 खेल प्रशिक्षक | लगभग 380 खेल प्रशिक्षक की तैनाती करने का प्रस्ताव। | – | ग्रामीण क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों की | 01 वर्ष |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउटले (धनराशि हजार रू0 में) | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | स्तर पर खेल प्रशिक्षक की तैनाती। | | | की तैनाती करना | | | तैनाती करना। | |
| युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन | राज्य में खेलों को बढ़ावा देने एवं प्रतिभाओं को खोजने के उद्देश्य से न्याय पंचायत, ब्लाक, जनपद एवं राज्य स्तर पर खेल महाकुम्भ का आयोजन। | 80000 | 0 | – | राज्य के लगभग 400000 युवाओं को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराना। | लगभग 380000 युवाओं द्वारा प्रतिभाग। | ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का प्रचार प्रसार करना एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों का चिन्हीकरण करना। | 01 वर्ष |
| युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा शारीरिक विकास एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण | राज्य के युवाओं को अर्द्धसैनिक बल, सेना एवं अन्य सेनाओं में भर्ती से पूर्व प्रशिक्षित लोगों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना। | 5000 | 0 | सेना [illegible] पूर्व [illegible] 5 [illegible] विकासखण्ड वार 500 युवाओं को प्रदान करना | प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से 500 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। | – | ग्रामीण युवाओं को विभिन्न सेनाओं में भर्ती हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें भर्ती हेतु जानकारी उपलब्ध करना। | 01 वर्ष |
| पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों का अर्द्धसैन्य प्रशिक्षण | राज्य के युवाओं को 15 दिवसीय एवं 22 दिवसीय पी0आर0डी0 सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना | 2500 | 0 | 600 पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को अर्द्धसैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना | राज्य के कुल 600 महिला एवं पुरुषों को पी0आर0डी0 का 15 एवं 22 दिवीसीय प्रशिक्षण। | 300 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। | ग्रामीण युवाओं को 15 दिवसीय एवं 22 दिवसीय पी0आर0डी0 सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना। | 01 वर्ष |
| युवा दलों को आर्थिक सहायता | राज्य के महिला एवं युवक मंगल दलों को आर्थिक सहायता प्रदान कर स्वावलम्बी एवं स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना। | 3000 | 0 | 60 दलों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना | राज्य के 60 महिला एवं युवक मंगल दलों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। | – | महिला एवं युवक मंगल दलों को आर्थिक स्थिति में सुधार करने का लक्ष्य। | 01 वर्ष |
| निर्वाचनों में तैनात पी0आर0डी0 जवानों हेतु बजट की व्यवस्था | राज्य में आयोजित होने निर्वाचनों में प्रशासन एवं पुलिस के सहायतार्थ पी0आर0डी0 जवानों को ड्यूटी हेतु तैनात करना। | 43875 | 0 | – | प्रशासन एवं पुलिस की मांग के अनुरूप 5600 पी0आर0डी0 जवानों को ड्यूटी तैनात करना। | 110 पी0आर0डी0 जवानों को तैनात | – | – |
| प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण संबंधी अधिष्ठान | कर्मचारियों/ अधिकारियों के वेतन आदि का भुगतान | 201165 | 0 | – | निदेशालय एवं जनपदों में 70 कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन आदि का भुगतान। | 70 कार्मिक | – | – |
| राज्य युवा कल्याण परिषद को अनुदान | परिषद के विविध व्यय एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान | 3500 | 0 | – | परिषद के विविध व्यय एवं 02 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान। | 02 कर्मचारियों का भुगतान | – | – |
| आवासीय भवनों का रखरखाव | पूर्व निर्मित विभागीय आवासीय भवनों के रखरखाव/सुदृढीरण का कार्य किया जाना। | 0 | 1000 | – | पूर्व निर्मित 24 विभागीय आवासीय भवनों के रखरखाव/सुदृढीरण का कार्य। | – | पूर्व निर्मित आवासीय भवनों के रखरखाव/सुदृढीरण हेतु | 01 वर्ष |
| ग्रामीण मिनी स्टेडियमों का निर्माण एवं रखरखाव | राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास हेतु मिनी स्टेडियमों का निर्माण एवं रखरखाव। | 0 | 50000 | – | 02 मिनी स्टेडियमों का निर्माण एवं रखरखाव। | – | ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे–छोटे खेल मैदानों का निर्माण कर ग्रामीण युवाओं की खेल में रूचि पैदा करना। | 01 वर्ष |
| आउटडोर फील्ड/ | आउटडोर फील्ड एवं इंडोर हॉल, ट्रैक | 0 | 20000 | – | 02 आउटडोर फील्ड एवं इंडोर | 01 निर्माण | राज्य के युवाओं को खेलों के | 01 वर्ष |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउटले (धनराशि हजार रू0 में) | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| इंडोर हॉल व मिनी स्टे0 का निर्माण | आदि का निर्माण कर खेलों के प्रति युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना | | | | हॉल, ट्रैक का निर्माण | कार्य प्रगति पर। | प्रति जागरूक करना। | |
| त्रैपन सिंह नेगी राज्य स्तरीय युवा विकास केन्द्र की स्थापना | राज्य के युवाओं के कौशल विकास हेतु राज्य स्तरीय युवा विकास केन्द्र स्थापित किया जाना | 0 | 20000 | – | 01 प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना | 01 निर्माण कार्य गतिमान। | नई टिहरी के बौराड़ी में युवाओं के कौशल विकास हेतु केन्द्र की स्थापना | 01 वर्ष |
| प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का कौडियाला एवं गुलरभोज में व्यवसायिक प्रशिक्षण | प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को विभिन्न व्यवसायिक ट्रेडों में प्रषिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं हेतु लघु निर्माण | 3000 | 0 | – | कुल 02 केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव | 01 निर्माण कार्य प्रारम्भ | युवाओं को साहसिक गतिविधियों में प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ना | 01 वर्ष |
| एस0सी0पी0 के अंतर्गत युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण | अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करना | 10000 | 0 | अनु0जाति के 30C 6 ओं को स्व रपरक प्रशिक्षण प्रदान कराना | 400 अनुसूचित जाति के युवाओं के प्रशिक्षण का लक्ष्य | 160 युवाओं का प्रशिक्षण | अनुसूचित जति के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। | 01 वर्ष |
| अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में मिनी स्टे0 निर्माण | अनुसूचित जाति के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उन्हें खेल अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना | 0 | 5000 | – | 02 खेल अवस्थापना सुविधाओं अथवा मिनी स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य। | – | अनुसूचित जाति क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना | 01 वर्ष |
| अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मिनी स्टे0 निर्माण | अनुसूचित जनजाति के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उन्हें खेल अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना | 0 | 5000 | – | 01 खेल अवस्थापना सुविधाओं अथवा मिनी स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य। | – | अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना | 01 वर्ष |
| | | **395841** | **201000** | | | | | |
| | | **596841** | | | | | | |

# विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट)

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0 8एवं 9

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व (धनराशि ₹ लाख में) | पूंजीगत | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | शोध अनुसंधान एवं विकास<br>• राज्य स्तरीय विज्ञान कांग्रेस<br>• सेमिनार / संगोष्ठी / अधिवेशन / कार्य शाला<br>• यात्रा अनुदान<br>• समन्वयक इकाईयों की स्थापना तथा उनका सबलीकरण | परिषद द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों को प्रायोजित कर इच्छुक समुहों द्वारा रचनात्मक क्रियाकलापों के लिये मंच प्रदान कराया जाता है। | 75 | – | **Target 9.5**<br>**Indicator –**<br>b) Number of Research and Innovations taken up by S&T<br>c) Number of Tinkering and Incubation Centres | 15<br>1 | | | 01 वर्ष |
| 2 | विज्ञान एवं लोकव्यापीकरण<br>• युवा वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>• उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना तथा ग्रीष्मकालीन स्कूल<br>• विज्ञान तथा | आम जनता, विशेष रूप से युवा वर्ग में विज्ञान लोकव्यापीकरण द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए परिषद द्वारा विज्ञान | 50 | – | **Target 9.5**<br>**Indicator –**<br>h) Number of Persons Covered in Trainings/ Workshops | 10,000 (लाभार्थी) | | | 01 वर्ष |

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0 8एवं 9

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट | | एस0डी0जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व (धनराशि ₹ लाख में) | पूंजीगत | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | प्रौद्योगिकी विकास अध्ययन<br>• नये क्षेत्रों की पहचान<br>• सेवानिवृत्त वैज्ञानिक कार्यक्रम<br>• अनवेषी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का कार्यक्रम<br>• विज्ञान धाम तथा तारामंडल की स्थापना<br>• लोकप्रिय व्याख्याना श्रृंखला<br>• पुस्तकालय–सह–प्रलेखन केन्द्र<br>• प्रकाशन<br>• जनसम्पर्क तथा सूचना<br>• विज्ञान शिक्षा तथा प्रसार<br>• कार्यक्रम केलेण्डर<br>• विज्ञान लोकप्रियकरण कार्यक्रम<br>• उत्तराखण्ड सांइस फोरम<br>• राज्य स्तरीय | लोकव्यापीकरण कार्यक्रम संचालित कराये जाते हैं। | | | | | | | |

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0 8एवं 9

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट | | एस0डी0जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व (धनराशि ₹ लाख में) | पूंजीगत | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | पुरस्कार | | | | | | | | |
| 3 | <u>उद्यमिता विकास/ अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं एवं अन्य कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु कार्यक्रम</u><br>• उद्यमिता विकास कार्यक्रम<br>• विज्ञान तथा समाज कार्यक्रम महिलाओं तथा कमजोर वर्ग के लिए | राज्य की वैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुरूप नयी तकनीकों का उपयोग करते हुए आज जन में उद्यमिता भावना को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। समाज में महिलाओं, कमजोर वर्ग, एस0सी0, एस0टी0 एवं ग्रामीण वर्गों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ–साथ विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना। | 20 | – | **Target 9.5**<br>**Indicator –**<br>c) Number of Tinkering and Incubation Centres<br>**Target 8.5**<br>**Indicator –**<br>d) Genderwise, social group wise youth trained (ST, SC, OBC, Women, PWD) | 1<br><br>30 (लाभार्थी) | | | 01 वर्ष |
| 4 | <u>हिमालयन सिस्टम साइंस</u><br>• प्राकृतिक संसाधन व्यवस्थापन | राज्य की स्थलाकृति में उच्च स्थलों की पारिस्थितिकी, हिमनद, चारागाह, जैव विविधता, ताल तथा कृषि व्यवस्था | 12 | – | **Target 17.7**<br>**Indicator –**<br>a) Number of eco friendly and resource efficient | 5 | | | 01 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट | | एस0डी0जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व (धनराशि ₹ लाख में) | पूंजीगत | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | • औषधीय एवं सुगंध वनस्पतियों का संरक्षण<br>• प्रौद्योगिकी प्रबंधन | से संबंधित शोध कार्यो को सहायता प्रदान करना। | | | technologies promoted by S&T dept.<br><br>b) Number of Common Facilitation Centres promoted by S&T Departments | 1 | | | |
| 5 | बौद्धिक सम्पदा अधिकार केन्द्र की स्थापना<br><br>• बौद्विक सम्पदा अधिकार प्रबन्ध | राज्य में बौद्धिक सम्पदा अधिकार विषय में जागरूकता विकसीत करने हेतु। | 10 | – | **Target 9.5**<br><br>**Indicator –**<br><br>d) Number of Intellectual Property Facilitation Centres and Innovation Labs<br><br>g) Number of Patents IPR issued against filed | 1<br><br>10 | | | 01 वर्ष |
| 6 | तकनीकी संसाधन केन्द्र की स्थापना | स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक | 8 | – | **Target 17.7**<br><br>**Indicator –** | | | | 01 वर्ष |

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0 8एवं 9

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट | | एस0डी0जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व (धनराशि ₹ लाख में) | पूंजीगत | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | • प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम<br>• प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र तथा ग्रामीण तकनीक मिशन की स्थापना | संसाधनों के दोहन के लिये प्रयुक्त की जा रही तकनीकों के विकास एवं उच्चीकरण के कार्य हेतु। | | | b) Number of Common Facilitation Centres promoted by S&T Departments | 1 | | | |
| 7 | निदेशन एवं प्रशासन | – | 300 | – | **Target 9.5**<br><br>**Indicator –**<br><br>f) R&D Persons in S&T Departments | 10 | | | 01 वर्ष |
| 8 | परिषद रख–रखाव | – | 25 | – | | | | | |
| | कुल योग – | | 500 | – | | | | | |

आउटकम बजट प्रारूप 2019–20

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट | | एस0डी0जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व (धनराशि ₹ लाख में) | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | विज्ञान धाम परियोजना – परिषद द्वारा विज्ञान धाम, झाझरा में आंचलिक विज्ञान केन्द्र को आमजन एवं छात्र–छात्राओं हेतु खोला गया। तत्पश्चात विभिन्न स्कूलों के **छात्र–छात्राओं एवं आमजन के साथ–साथ अति विशिष्ठ जनों द्वारा आंचलिक विज्ञान केन्द्र का भ्रमण** किया जा रहा है। केन्द्र के माध्यम से आगन्तुकों को विज्ञान के रोचक तथ्यों के साथ–साथ विज्ञान को समझने एवं विज्ञान के प्रति रूचि को बढ़ाये जाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही यह राज्य में एक वैज्ञानिक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित हो चुका है। | मानवशक्ति / कार्मिक पर व्यय | 84 | | **Target 9.5**<br><br>e) Number of Science Centres in the State | 1 | | | 01 वर्ष |
| | | विद्युतकर / जलकर पर व्यय | 21 | | | | | | |
| | | उपकरण पर व्यय | 20 | | | | | | |
| | | पेट्रोल / डीजल / टी0ए0 / डी0ए0 एवं अन्य व्यय | 7 | | | | | | |
| | | मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय | 30 | | | | | | |
| | | प्रकाशन / प्रचार एवं प्रसार पर व्यय | 12 | | | | | | |
| | | इनोवेशन हब पर व्यय | 12 | | | | | | |
| | | सांइस सिटी की स्थापना | 100 | | | | | | |
| 2 | उप–क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, अल्मोड़ा की स्थापना | | 14 | | | 1 | | | 01 वर्ष |
| | **कुल योग –** | | 300 | | | | | | |

# उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र

(धनराशि हजार में)

| योजना का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले | | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | | समय सीमा | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | | **(4)** | | **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| अ | वैज्ञानिक योजनाएं | नॉन प्लान | प्लान | नॉन प्लान | प्लान | | | |
| डिजिटल डाटाबेस क्रियेशन एवं विजुअल इन्टरप्रेटेशन एवं इमेज प्रोसेसिंग | उत्तराखण्ड जियोस्पाशियल सर्विसेज पोर्टल का सृजन। राज्य में जनपद/ब्लॉकवार विविध सूचनाओं यथा– भू–उपयोग, शहरी विकास, आधारभूत संरचनाओं, जल संसाधनों, भू–अपघटन, वन घनत्व/प्रकार आदि का विभिन्न स्केलों पर मानचित्रों का सृजन एवं प्रकाशन। | | 1500.00 | | 1500.00 | | 1500.00 | |
| लैण्ड यूज एण्ड रूरल/अर्बन प्लानिंग | हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा से राज्य के प्रमुख शहरों/नगरों यथा –देहरादून, कोटद्वार, रूड़की, रूद्रपुर एवं हल्द्वानी की लार्ज स्केल मैपिंग करना तथा उपलब्ध भू–रिकार्डो तथा मल्टी–टेम्पोरल, उपग्रह आंकड़ों की मदद से शहरी क्षेत्रों में हो रहे विस्तार का मानचित्र तैयार कर अर्बन इंफोर्मेशन सिस्टम तैयार करना। | – | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| वाटर रिर्सोस मैनेजमेन्ट | उत्तराखण्ड राज्य के अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, धौलीगंगा, गौरीगंगा बेसिन के हिमाच्छादित क्षेत्रों का उपग्रहीय आकड़ों (AwIFS) की सहायता से अध्ययन एवं किन्हीं दो बेसिन का फील्ड सर्वे का कार्य कर रिपोर्ट का सृजन करना। | – | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| वानिकी–पारिस्थितिकीय एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (क) | 1–नियर रियल टाइम मोनिटरिंग ऑफ़ फारेस्ट फायर, हैजार्ड ज़ोनेसन मैपिंग, बर्न्ट एरिया मैपिंग एवं ग्राउंड सर्वे द्वारा वेलिडेशन करना।<br>2– जंगल के उचित प्रबंधन के लिए वन प्रकार की सूची, कार्बन स्टॉक, एनटीएफपी (गैर लकड़ी के वन उत्पाद), और जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण की निरंतर निगरानी एवं ग्राउंड सर्वे द्वारा वेलिडेशन और मानचित्रण करना। | – | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3–जंगलों के समुचित प्रबंधन के लिए आक्रामक प्रजातियों की संभावित क्षेत्रों की पहचान जियोस्पासियल तकनीकी एवं ग्राउंड सर्वे द्वारा वेलिडेशन कर मानचित्रण करना। | | | | | | | |
| (ख) | 1–उत्तराखण्ड में स्थित प्राकृतिक स्थलों/देव स्थलों की जैव विविधता/प्राकृतिक तंत्र सेवाओं का आंकलन।<br>क)– प्राकृतिक स्थलों की स्थिति व पारम्परिक ज्ञान/विश्वास का दस्तावेजीकरण करना।<br>ख)–प्राकृतिक स्थलों में स्थित जैव विविधता की स्थिति का आंकलन।<br>2–उत्तराखण्ड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas) का भू–स्थानिक वानस्पतिक जैव विविधता अध्ययन करना।<br>क)– संरक्षित क्षेत्र का प्रजातिवार वानस्पतिक मानचित्रण करना<br>ख)– संरक्षित क्षेत्र में विभिन्न दबाव स्थिति (चरान, चुगान एवं कटान) का आंकलन करना। | – | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| एग्रीकल्चर एण्ड हॉर्टीकल्चर | स्पेस बेस्ड असेस्मेंट ऑफ पोटेंशियली इकोनोमिक हॉर्टीकल्चर ऐंड एग्रीकल्चर कॉप्स इन उत्तराखण्ड<br>1–उत्तराखण्ड के तीन जिलो में जियोस्पेशियल तकनीक द्वारा समशीतोष्ण फ्रूट कॉप के पोटेंशियल जोन्स का साइट सुटेबिलिटी असेस्मेंट करना।<br>2–जियोस्पेशियल तकनीक द्वारा उत्तराखण्ड के 2 जिलो में मंडुवा तथा झंगोरे की कॉप का चिन्हिकरण तथा पोटेंशियल जोन्स की पहचान करना।<br>3–उत्तराखण्ड के 2 जिलो (उधमसिंह नगर व हरिद्वार) में गन्ने की फसल की कटाई से पूर्व क्षेत्रफल तथा उत्पादन का आंकलन करना। | – | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| आपदा प्रबन्धन | विज्ञान उत्तरजीविता (science of survival) प्रदेश के विभिन विद्यालयो में छात्र/ छात्राओं को मल्टीमीडिया के माध्यम से आपदा प्रबन्धन की विस्तृत जानकारी एवं उनसे बचाव के तरीको पर क्षमता विकास करना। | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्पाशियल एण्ड आई. टी. पॉलिसी डिविजन | हेल्दी माइण्ड एण्ड बॉडी विद स्पेस टैक्नोलॉजी सामान्य व गंभीर बीमारियों से बार–बार ग्रसित होने वाले क्षेत्रों का जियोस्पाशियल डाटाबेस तैयार करना।<br>स्पेस बेस्ड इंफोर्मेशन सपोर्ट फॉर पावर प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत जियोस्पाशियल डेटाबेस तैयार करना। | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| पुस्कालय | 1–ऑनलाइन एण्ड ऑफलाइन वैज्ञानिक, शोध जर्नल्स हेतु सब्सक्रिप्शंस।<br>2–विषय विशिष्ट पुस्तकों का क्रय।<br>3–अन्य पुस्तकालय संसाधन | – | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | |
| आन्तरिक (इन–हाउस) अनुसंधान एवं क्षमता विकास | 1–वैज्ञानिकों/शोधार्थियों का विभिन्न कार्यशालाओं, सम्मेलनों, प्रशिक्षणों (राष्ट्रीय/राजकीय स्तर) में प्रतिभाग द्वारा क्षमता विकास।<br>2– वैज्ञानिकों/शोधार्थियों को आधुनिक भू–स्थानिक तकनीकी सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान कराना। | – | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| राष्ट्रीय जियोइन्फार्मेटिक्स मीट –उत्तराखण्ड | 1–केन्द्र द्वारा किए गए कार्यो को राज्य के विभिन्न रेखीय विभागों, राजकीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों तक पहुंचाना।<br>2–विभिन्न रेखीय विभागों की प्रतिक्रिया प्राप्त कर भविष्य की योजनाओं में सम्मिलित करना। | | 1000.00 | | 1000.00 | | 1000.00 | |
| सेमिनार, वर्कशॉप एवं संगोष्ठी इत्यादि | 1– नवीनतम अन्तरिक्ष एवं उपग्रही सुदूर संवेदन तकनीकी तथा सामान्य एवं पारम्परिक तकनीकी के समन्वय से उत्तराखण्ड के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों एवं आधारभूत सुविघाओं यथा – भू–आवरण/भू–उपयोग, वनावरण प्रकार, कृषि एवं चारागाह, आपदा प्रबन्धन, बर्फ एवं हिमनद एवं विभिन्न प्राकृतिक विषयों के प्रबन्धन पर विभिन्न रेखीय विभागों, विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं हेतु विभिन्न जनपदों में कार्यशालाओं , संगोष्ठियों, सेमिनारों एवं ब्याख्यानों का आयोजन करना।<br>2– सुदूर संवेदन एवं जी आई एस प्रणाली पर अधारित विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण ब्याख्यानों, संगोष्ठियों, | | 1200.00<br>300.00 | | 1200.00<br>300.00 | | 1200.00<br>300.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कार्यशालाओं / सेमिनार में सहभागिता / सहयोग प्रदान करना। | | | | | | | |
| हार्डवेयर इत्यादि का प्रापण | • वर्कस्टेशन – 4.50 लाख<br>• डिस्प्ले सिस्टम – 3.00 लाख<br>• यू.पी.एस – 5.00 लाख<br>• जी.पी.एस घड़ी – 0.50 लाख<br>13.00 लाख | | 1300.00 | | 1300.00 | | 1300.00 | |
| | कुल | | 7550.00 | | 7550.00 | | 7550.00 | |
| ब | आवर्तक व्यय | | | | | | | |
| प्रशासन एवं निर्देशन | इस मद के अन्तर्गत केन्द्र के समस्त आवर्तक व्ययों यथा– वेतन भत्ते, भवन किराया, ट्रान्सपोर्ट, यात्रा भत्ता, ऑफिस अपकीप एवं मैन्टीनेन्स आदि व्ययों के वहन हेतु। | – | 25600.00 | | 25600.00 | | 25600.00 | |
| | कुल | | 25600.00 | | 25600.00 | | 25600.00 | |
| स | | | | | | | | |
| अनुदान संख्या 23, आयोजनागत, 4859 दूर संचार, 02 इलेक्ट्रोनिक, 800 अन्य व्यय, 11 उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र का भवन निर्माण, 35 पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान | | | | | | | | |
| कार्यालय भवन, प्रयोगशाला आदि का निर्माण | | | | | | | | |
| उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र भवन एवं परिसर निर्माण | भवन निर्माण की अनुमोदित राशि रू. 494.95 लाख में से केन्द्र को अब तक रू. 214.00 लाख अवमुक्त हो चुके हैं तथा रू. 100.00 लाख वर्ष 2018–19 में अवमुक्त होने शेष हैं। शेष राशि रू. 181.00 लाख अनुबन्ध की शर्तानुसार कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाना है। | – | 18100.00 | | 18100.00 | | 18100.00 | |
| | कुल | | 18100.00 | | 18100.00 | | 18100.00 | |
| | महायोग (अ+ब+स ) | | 51250.00 | | 51250.00 | | 51250.00 | |

# राज्य योजना आयोग

( धनराशि लाख रू0 में)

| योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | समय सीमा | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | |
| अनुदान संख्या–07<br>राज्य सेक्टर<br>3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें<br>092–अन्य कार्यालय<br>03–नियोजन अधिष्ठान | राज्य की नीति एवं नियोजन की प्रक्रिया हेतु | 442.23 | | राज्य योजना आयोग में 102 कार्मिकों के अधिष्ठान के व्यय हेतु | 01 वर्ष | नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य पर विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन एवं विकास कार्यों में आवश्यक परामर्श प्रदान करना। | 01 |
| 04–आयोजनागत विकास कार्यों का मूल्यांकन<br>16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | प्रदेश में कराये गये अवस्थापना निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु एवं भविष्य में सुधार के लिए तकनीकी जांच/मूल्यांकन कार्य विशेषज्ञ संस्थाओं से नियमित रूप से सम्पादित कराये जा रहे है। | 200.00 | | नव सृजित राज्य की आर्थिक स्थिति, संसाधनों, जनआकाक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अनुसार कार्यक्रमों का गहन परीक्षण, मूल्यांकन, सीलीय सत्यापन व व्यापक सर्वेक्षण एवं लक्ष्य प्राप्त करना। | 01 वर्ष | अवस्थापना निमार्ण कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु। | 01 |
| 07 परियोजना विकास निधि का गठन<br>20–सहायक अनुदान अंशदान/राज सहायता | राज्य में पी0पी0पी0 के अन्तर्गत परियोजनाओं का सम्यक् विकास एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु राज्य में PPP enabling framework सृजित किये जाने हेतु। | 50.00 | | अधिक से अधिक विभागों की सटीक परियोजना प्रतिवदनों एवं व्यहार्यता रिपोर्ट की संरचना। | 01 वर्ष | ससमय परियोजनाओं का प्रारम्भ निर्बाध क्रियान्वयन एवं चरणबद्ध रूप में पूर्ण किया जाना। | 01 |
| 99–पी0पी0पी0 प्रकोष्ठ का गठन<br>20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता (Viability) अनुदान योजना के अन्तर्गत राज्य में सार्वजानिक निदेश के पूरक के तौर पर आवश्यक निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार्य (Viable) परियोजनाओं के चिन्हन, प्रोजेक्त निरूपण, फिजिविलिटी रिपोर्ट का परीक्षण। | 200.00 | | अधिक से अधिक संख्या में विभागों को पी.पी.पी. परियोजनाओं के Concept Note तैयार करने, RFP डाक्यूमेण्ट तैयार करने निविदा प्रक्रिया सम्पन्न करने में सहयोग। | 01 वर्ष | पी.पी.पी. मोड में अधिक से अधिक निजी निवेश प्राप्त करना तथा गुणवत्तायुक्त Service Delivery का लक्ष्य प्राप्त करना। | 01 |
| 08–उत्तराखण्ड स्टेट सेन्टर फार पब्लिक पालिसी एण्ड गुड गवर्नेस (सी0पी0पी0जी0जी0) का गठन<br>20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | राज्य के सत्त विकास हेतु नियोजन एवं नीति नियोजन को प्रभावी, उपयोगी तथा अकादमिक संस्थाओं एवं विषय विशेषज्ञों के सहयोग से क्रियात्मक शोध एवं नीति प्रपत्र तैयार किया जाना। | 100.00 | | नियोजित विकास हेतु नीतियों का निर्माण | 01 वर्ष | समय–समय पर नीतियों का क्रियान्वयन हेतु कार्यवृद्धिया | 01 |
| कुल योग | | 992.23 | | | | | |

# लघु सिंचाई विभाग

एस0डी0जी0 :– 2 (सिंचन क्षमता में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि)

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01–04–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| केन्द्रपोषित योजना | | | | | | | | | |
| 1 | त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम / प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। | सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई हौज एवं पाईपलाईन, सिंचाई गूल तथा छोटे वियर का निर्माण प्रस्तावित है। | - | 6200.00 | SDG-2 | 320 किमी0 सिंचाई गूल, 340 हौज एवं पाइप लाईन व 01 छोटे गेटेड वियर का निर्माण | 30711 कि0मी0 सिंचाई गूल, 38784 सिंचाई हौज, 1448 हाईड्रम, 55784 बोरिंग पम्पसेट, 840 भूस्तरीय पम्पसेट, 731 मध्यम / गहरे नलकूप, 41 छोटे गेटेड वियर, 355 आर्टीजन कूप एवं 529150 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन | 4290 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का अतिरिक्त सृजन | 1 वर्ष |
| 2 | त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम / प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना –टी0एस0पी0 | अनूसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई हौज एवं पाईपलाइन, सिंचाई गूल तथा छोटे वियर का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। | - | 700.00 | | 40 किमी0 सिंचाई गूल, 34 हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण | | 640 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का अतिरिक्त सृजन | 1 वर्ष |
| 3 | त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम / प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–एस0सी0एस0पी0 | अनूसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई हौज एवं पाईपलाइन, सिंचाई गूल तथा छोटे वियर का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है। | - | 1500.00 | | 74 किमी0 सिंचाई गूल, 60 हौज एवं पाइप लाईन का निर्माण | | 1115 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का अतिरिक्त सृजन | 1 वर्ष |
| 4 | कृत्रिम भू–जल संचय | टोकन मनी | - | 0.01 | | | | - | |
| 5 | हाई0 सुदृढ़ीकरण अनुरक्षण | टोकन मनी | - | 0.01 | | | | - | |
| 6 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | टोकन मनी | 0.01 | - | | | | - | |
| 7 | ड्रिप / स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई | टोकन मनी | | 0.01 | | | | - | |
| 8 | लघु सिंचाई संगणना | लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना | 378.10 | - | | . | . | - | . |
| | | **योग केन्द्रपोषित योजना** | **378.11** | **8400.03** | | | | 6045 हैक्टेयर | 1 वर्ष |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01–04–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| राज्य सेक्टर | | | | | | | | | |
| 1 | जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत आर्टीजन कूपों का निर्माण | जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने हेतु आर्टीजन कूपों का निर्माण प्रस्तावित है। | - | 50.00 | | 4 आर्टीजन कूपों का निर्माण | | 80 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन | 1 वर्ष |
| 2 | जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत गूल, हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण | जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जल श्रोतों को खेतों में पहुंचाकर, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। | - | 80.00 | | 6 किमी0 सिंचाई गूल, 4 हौज एवं पाइप लाईन का निर्माण | | 40 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन | 1 वर्ष |
| 3 | जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत गहरी बोरिंग हेतु अनुदान | जनजाति क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु गहरी बोरिंग पर अनुदान। | - | 30.00 | | 17 गहरी बोरिंग हेतु अनुदान | | 200 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन | 1 वर्ष |
| | | **योग टी0एस0पी0** | | **160.00** | | | | **320 हैक्टेयर** | |
| 4 | अनुसूचित जाति लाभार्थ गूल, हौज एवं पाईपलाईन का निर्माण | अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में जल श्रोतों को सिंचाई गूल एवं सिंचाई हौज पाईनलाईन द्वारा खेतों में पहुंचाकर, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। | - | 200.00 | SDG-2 | 15 किमी0 सिंचाई गूल, 12 हौज एवं पाइप लाईन का निर्माण | | 100 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन | 1 वर्ष |
| 5 | अनुसूचित जाति क्षेत्र के अन्तर्गत गहरी बोरिंग हेतु अनुदान | अनुसूचित जाति क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु गहरी बोरिंग हेतु अनुदान प्रस्तावित | - | 110.00 | | 55 गहरी बोरिंग हेतु अनुदान | | 660 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन | 1 वर्ष |
| | | **योग एस0सी0एस0पी0** | | **310.00** | | | | **760 हैक्टेयर** | |
| 6 | नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण | आर्टीजन कूप, चैक डेम आदि लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। | - | 800.00 | | नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण | | 400 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन | 1 वर्ष |
| 7 | लघु सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण | सृजित सिंचन क्षमता का उपयोग सुनिश्चित किये जाने हेतु योजनाओं की सामान्य मरम्मत एवं अनुरक्षण | 400.00 | - | | योजनाओं की सामान्य मरम्मत एवं अनुरक्षण | | योजनाओं की सामान्य मरम्मत एवं अनुरक्षण | 1 वर्ष |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01–04–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 8 | लघु सिंचाई अधिष्ठान | अधिष्ठान, नियोजन, प्रशासन | 3666.00 | - | | | | | 1 वर्ष |
| 9 | सलाहकार समिति | | 19.76 | - | | | | | 1 वर्ष |
| | | **योग राज्य सेक्टर** | **4085.76** | **1270.00** | | | | **1480 हैक्टेयर** | |
| | **योग लघु सिंचाई** | | **4463.87** | **9670.03** | | | | **7525 हैक्टेयर** | |

# आउटकम बजट 2019–20

विभाग का नाम – लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0

धनराशि ₹ लाख में

| क्र0सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले/बजट (प्रस्तावित बजट प्राविधान) | | एस.डी.जी. Goals/Indicators (KM) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | नाबार्ड | मार्गो का नव निर्माण,पुनः निर्माण एवं सेतुओं का नव निर्माण कर यातायात उपलब्ध कराना। | – | 50000.00 | a) Road Length Per Lakh Population (km) | नव निर्माण – 179 किमी.<br>पुनः निर्माण – 242 किमी.<br>सेतु – 46 नं0 | 335.03 | 852 किमी. मार्गो का नव निर्माण कर 155 ग्रामों का संयोजन, 1040 किमी. मार्गो का पुनः निर्माण कर सर्वऋतु योग्य मार्ग उपलब्ध कराना, 80 सेतुओं का नव निर्माण कर मोटर एवं पैदल यातायात सुलभ कराना। | 03/2020 |
| 2 | राज्य सेक्टर | | – | 135670.02 | b) Access to all- weather roads (% villages) | नव निर्माण – 545 किमी.<br>पुनः निर्माण – 744 किमी.<br>सेतु – 24 नं0 | | | |
| 3 | अनुसूचित जाति उपयोजना | | – | 10000.00 | | नव निर्माण – 81 किमी.<br>पुनः निर्माण – 31 किमी.<br>सेतु – 8 नं0 | | | |
| 4 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना | | – | 6330.00 | c) total length of state highway roads | नव निर्माण – 47 किमी.<br>पुनः निर्माण – 23 किमी.<br>सेतु – 2 नं0 | | | |
| 5 | केंन्द्र पोषित योजनायें तथा विशेष आयोजनागत सहायता | पूर्व निर्मित मार्गो का सुदृढ़ीकरण कर सुलभ यातायात उपलब्ध कराना। | - | 6000.02 | | – | | मार्गो को सुदृढ़ कर सुलभ एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराना। | 03/2020 |
| 6 | ए.डी.बी. वित्त पोषित कार्य (यू.एस.आर.आई.पी.) | | - | 7000.00 | | – | | | |
| | योग, पूंजीगत मदें | | | **215000.04** | | नव निर्माण – 852 किमी.<br>पुनःनिर्माण – 1040 किमी.<br>सेतु – 80 नं0 | **335.03** | | |

# आउटकम बजट 2019–20

विभाग का नाम – लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0

धनराशि ₹ लाख में

| क्र0सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले / बजट (प्रस्तावित बजट प्राविधान) | | एस.डी.जी. Goals/Indicators (KM) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | प्रदेश के मार्गो / सेतुओं का अनुरक्षण | मार्गो का नवीनीकरण तथा वार्षिक रखरखाव। | 48000.00 | - | | नवीनीकरण – 795 किमी. + क्रैक सीलिंग – 465 किमी0 | | विभिन्न श्रेणी के मार्गो का एस.डी. बी.सी., पी.सी. , पी.2. द्वारा नवीनीकरण कर सुलभ एवं सुरक्षित यातायात हेतु उपलब्ध कराना। | 03 / 2020 |
| 7 | राष्ट्रीय राजमार्गो का अनुरक्षण | राष्ट्रीय राजमार्गो का अनुरक्षण एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गो का पुनर्निर्माण। | 4000.00 | - | d) total length of national highway roads | 2091 किमी. | | 1568 किमी0 लम्बाई में राष्ट्रीय राजमार्गो का सामान्य अनुरक्षण एवं क्षतिग्रस्त मार्गो की पुर्नस्थापना | 03 / 2020 |
| 8 | परियोजना संरचना एवं कन्सलटैन्सी भुगतान, लोकार्पण / शिलान्यास, प्र. अभि. अधिकार क्षेत्र, न्यायालय की अज्ञाप्तियों का भुगतान, राज्य तथा जिला मार्गो का अनुरक्षण आऊटसोर्सिंग व्यवस्था द्वारा आदि विविध राजस्व मदें | महत्वपूर्ण मोटर मार्गो का अनुरक्षण प्रदान करते हुए स्तरीय सड़क यातायात सुविधा प्रदान करने के साथ–2 रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना। | 5000.00 | - | | आउट सोर्सिंग माध्यम से 4345 किमी0 राज्य राजमार्गो तथा 2091 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्गो का अनुरक्षण एवं रख–रखाव | | राज्य राजमार्गो के अनुरक्षण हेतु 217 आउटसोर्सिंग कार्मिकों (मेट एवं बेलदार) तथा राष्ट्रीय राजमार्गो के अनुरक्षण हेतु 72 आउट सोर्सिगत कार्मिकों का रोजगार सृजन | 03 / 2020 |

# आउटकम बजट 2019—20

विभाग का नाम — लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0

धनराशि ₹ लाख में

| क्र0सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले / बजट (प्रस्तावित बजट प्राविधान) | | एस.डी.जी. Goals/Indicators (KM) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019—20 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | **आवासीय / अनावासीय भवनों का अनुरक्षण** (राजभवन देहरादून एवं नैनीताल के आवासीय / अनावासीय भवनों सहित) | विभागीय कार्यालय भवनों, आवासीय भवनों, निरीक्षण भवनों तथा सर्किट हाउस का सामान्य अनुरक्षण एवं विशेष मरम्मत कार्य। | 1500.00 | - | | 7 सर्किट हाउस, 150 निरीक्षण भवनो, 186 विश्रामगृहों व 100 से अधिक कार्यालय भवनो के रख—रखाव के साथ—साथ विभागीय आवासीय भवनों (कुर्सी क्षेत्रफल 69476.41 वर्गमीटर) भवनों का अनुरक्षण व रख—रखाव | | विभागीय आवासीय तथा अनावासीय भवनों का रख—रखाव किये जाने के फलस्वरूप राजकीय सम्पति को संरक्षित किया गया तथा महामहिम राजभवन परिसर देहरादून तथा नैनीताल का अनुरक्षण एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया गया | 03 / 2020 |
| 10 | **अधिष्ठान** | विभागीय अधिष्ठान में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान तथा अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य मदों का भुगतान। | 61625.00 | - | | विभाग में कार्यरत 865 राजपत्रित अधिकारियो तथा 8388 अराजपत्रित कार्मिकों अर्थात विभागीय अधिष्ठान में कार्यरत कुल 8631 कार्मिकों के वेतन व अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों का प्राविधान | | विभाग में कार्यरत 9496 अधिकारियों एवं कर्मचारियो को रोजगार का लाभ प्राप्त होने के साथ—साथ राज्य के अवस्थापना विकास में तकनीकि क्षमता का उपयोग | 03 / 2020 |
| | योग, राजस्व मदें | | **120125.00** | - | | **3351 किमी0** | | | |
| | कुल योग, (पूंजीगत+राजस्त मदें) | | **120125.00** | **215000.04** | **0.00** | नव निर्माण — 852 किमी.<br>पुनःनिर्माण — 1040 किमी.<br>सेतु — 80 नं0 | **335.03** | | |

# वन विभाग

## (1) प्रशासन एवं क्षमता विकास :–

| योजना | योजना का उद्देश्य | आउट ले (₹हजार में) | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| राज्य सेक्टर योजनायें | | | | | | | | |
| सामान्य अधिष्ठान, | प्रशासन, क्षमता विकास एवं लीसा विदेहन | 4270305 | – | **SDGs Goal-15 :- Sustainabiy manage forest combat desertification halt and reverse land degradation halt biodiversity loss**<br><br>**Indicators :-**<br>**A-Enhancement of Forest Cover.**<br>**B- Enhencement of Tree Cover.**<br>**C-Enhancement in number of Tigers** | विभाग में स्वीकृत पदो के सापेक्ष वेतन भत्तों आदि का भुगतान तथा प्रशासनिक व्यय | | वेतन भत्तों का भुगतान | 31–3–2020 |
| वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति | | 12 | | | | | | |
| लीसा | | 348632 | – | | लीसा उत्पादन – 1,00,000 कुन्तल | | लीसा उत्पादन | |
| उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद | | 10450 | – | | बांस एवं रेशा विकास परिषद के प्रशासनिक व्यय | | बांस एवं रेशा विकास परिषद के प्रशासनिक व्यय | |
| अधिकारियों और कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास | | 7975 | – | | प्रशिक्षण केन्द्रो का रखरखाव –03 स0, प्रशासनिक व्यय– ल0स0 पुस्तको का कय – ल0स0 | | अधिकारियों, कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास | |
| कार्य योजना का निर्माण एवं पुनरीक्षण कार्य | | 2277 | | | कार्य योजना का निर्माण एवं पुनरीक्षण कार्य पर होने वाले व्यय हेतु | | कार्य योजनाओं का निर्माण एवं पुनरीक्षण कार्य | 31–3–2020 |
| उत्तराखण्ड वन पंचायत सलाहकार परिषद | | 11 | | | उत्तराखण्ड वन पंचायत सलाहकार परिषद के प्रशासनिक व्यय हेतु | | प्रशासनिक व्यय | 31–3–2020 |
| उत्तराखण्ड पारिस्थितकीय पर्यटन सलाहकार परिषद | | 10 | | | उत्तराखण्ड पारिस्थितकीय पर्यटन सलाहकार परिषद के प्रशासनिक व्यय हेतु | | प्रशासनिक व्यय | 31–3–2020 |
| | योग | 4639672 | – | | | | | |

## (2) वनीकरण एवं संरक्षण :–

| योजना | योजना का उद्देश्य | आउट ले (₹ हजार में) | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| **राज्य सेक्टर योजनायें** | | | | | | | | |
| बांस तथा बायोफ्यूल प्रजातियों का रोपण | वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण | 20001 | – | **SDGs Goal-15 :- Sustainabiy manage forest combat desertification halt and reverse land degradation halt biodiversity loss**<br><br>**Indicators :-**<br>**A-Enhancement of Forest Cover.**<br>**B- Enhencement of Tree Cover.**<br>**C-Enhancement in number of Tigers** | वृक्षारोपण –300 है0<br>अग्रिम मृदा कार्य –60 है0<br>अनुरक्षण –17 है0 | 317248 Ha | भविष्य में वनावरण में वृद्धि एवं वनों की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ–साथ पर्यावरण में सुधार होगा जिससे जल संरक्षण में वृद्धि होगी। | वृक्षारोपणों का पर्यावरण एवं फोरेस्ट कवर में दीर्घकालीन परिणाम परिलक्षित होते है अतः वर्तमान में किये गये वृक्षारोपणों का प्रभाव 10–15 वर्षो के बाद परिलक्षित होगा |
| औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्द्धन | | 3651 | 10000 | | वृक्षारोपण – 210 है0<br>अग्रिम मृदा कार्य –200 है0<br>भू0सं0कार्य–195 स0<br>वृक्षारोपण अनुरक्षण–185 है0<br>पौध उगान –120000 स0<br>हर्बल गार्डन रखरखाव –02<br>वृक्षारोपण का रखरखाव–15है0<br>अन्य कार्य ल0स0 | | | |
| बहुउददेशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण | | 147102 | 265000 | | वृक्षारोपण – 6000 है0<br>अग्रिम मृदाकार्य –6523 है0<br>वृक्षारोपण अनुरक्षण–3000 है0<br>ए0एन0आर0 – 200 है0<br>भू0सं0कार्य – 2185 स0<br>लधु अभियान्त्रिकी कार्य–665 स0<br>कोर अवरोधक–300 स0<br>अन्य कार्य –ल0स0 | | | |
| कैम्पा के अन्तर्गत वन भूमि का निवन वर्तमान मुल्य एवं दण्डित वन भूमि का विल वर्तमान मुल्य | | 1500000 | | | | | | |
| कैम्पा के अन्तर्गत कैट प्लान | | 300000 | | | | | | |
| कैम्पा के अन्तर्गत समेकित जल एवं भूमि प्रबन्धन कार्यक्रम | | 230000 | | | | | | |
| कैम्पा के अन्तर्गत अन्य वृक्षारोपण सुरक्षित क्षेत्र विकास, वृद्वों का पातन चार दिवारी एवं अन्य 1 एवं अन्य 2 | | 150000 | | | | | | |
| वोमेन कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य | | 3300 | - | | महिला पौधा0की स्थापना –ल0 स0<br>प्रशिक्षण–8<br>अन्य कार्य ल0स0 | | | |
| ईको–टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण | | - | 36500 | | वृक्षारोपण –400 है0 अग्रिम मृदा कार्य 700 है0 तथा फोर्स का अन्य प्रशासनिक व्यय | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्धन | | 16000 | - | | बंग्यालो में भू0सं0कार्य– 165 स0<br>मीडोज की सुरक्षा –40 स0<br>व्यू पंइन्ट –03 स0<br>हट/चहल निर्माण –195 स0<br>अन्य कार्य –ल0स0 | LS | | बुग्यालों का संरक्षण होगा |
| बागान | | 7000 | - | | पौध अनुरक्षण कार्य | | | |
| हमारा पेड़ हमारा धन | | 11000 | - | | पौध रोपण –42683 पौध | 764 sq mt. | ग्रामीणों के माध्यम से खाली पड़ी भूमि में रोपण करवाने से भविष्य में आय में वृद्धि होगी तथा ग्रामीणो में वृक्षारोपण हेतु जागरुकता बढेगी। | वृक्षारोपणों के परिणाम दीर्घकालीन होते है पौध रोपण से भविष्य में पर्यावरण के साथ साथ ग्रामीणें की आय में वृद्धि होगी |
| हमारा स्कूल हमारा वृक्ष | | 6050 | - | | पौध उगान– 444900 पौध<br>अन्य कार्य ल0स0 | 5.03 | पौध स्कूल के छात्रों को रोपण हेतु पौध उपलब्ध कराने से वृक्षो के प्रति जागरुकता उत्पन्न होगी। | भविष्य में छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरुकता उत्पन्न होगी |
| वर्षा जल संरक्षण योजना | | 20000 | 15000 | | जलाशय/जल कुन्ड/चालखाल –675 स0<br>भू0स0कार्य0–2315 स0<br>बाटर टेंक –30 स0<br>तटबन्ध निर्माण –15 स0<br>अन्य कार्य–ल0स0 | 1465 | जलाशय, जल कुन्डो का निर्माण तथा जल स्रोतों का पुनरुद्वार करने से पर्वतीय क्षेत्रों में नमी रहने से वन्य जन्तुओ के साथ साथ ग्रामीणो को पानी उपलब्ध होगा। | परिणाम भविष्य में परिलक्षित होगे। |
| नाबार्ड पोषित क्लाईमेट चेन्ज अनुदान | | 1 | | | - | | | |
| भू–क्षरण की रोकथाम | | 10000 | 10000 | | भू–क्षरण की रोकथाम सम्बन्धी विभिन्न कार्य | | भू–क्षरण की रोकथाम हो सकेगी। | भू–क्षरण की रोकथाम हो सकेगी। |
| हरेला कार्यक्रम में पौध वितरण योजना | | 7000 | | | पौध उगान– 86420 लाख सं0 लगभाग व अन्य कार्य | | | |
| **केन्द पोषित योजनायें** | | | | | | | | |
| राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम (केन्द्र पोषित) | | 23 | 7 | | भारत सरकार द्वारा लक्ष्य आवंटित होना है। | | वृक्षारोपण कर वनावरण में वृद्धि के साथ साथ वनो की गुणवत्ता बढेगी | वनावरण में वृद्धि होगी परिणाम भविष्य में प्राप्त होगे। |
| नेशनल रीवर कन्जरवेसन प्रोग्राम (केन्द्र पोषित) | | 4 | - | | - | | | |
| राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बास मिशन (केन्द्र पोषित) | | 70000 | - | | - | | | |
| | योग | 2501132 | 336507 | | | | | |

## (3) वनों की सुरक्षा :–

| योजना | योजना का उद्देश्य | आउट ले (₹ हजार में) | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| **केन्द्र पोषित योजनायें** | | | | | | | | |
| इन्टेसिफिकेशन ऑफ फोरेस्ट मेनेजमेन्ट | वनों की अग्नि से सुरक्षा, अतिक्रमण,अवैध शिकार, अवैध कटान तथा अवैध खनन में नियंन्त्रण | 225857 | 1 | **SDGs Goal-15 :- Sustainabiy manage forest combat desertification halt and reverse land degradation halt biodiversity loss**<br><br>**Indicators :-**<br>**A-Enhancement of Forest Cover.**<br>**B- Enhencement of Tree Cover.**<br>**C-Enhancement in number of Tigers** | फायर लाईनों का रखरखाव–16000 कि0मी0,<br>कन्ट्रोल बर्निंग– 184165 है0,<br>फायर वाचर–8970 स0<br>वाटर टेंक निर्माण –105 स0<br>अग्नि सुरक्षा गोष्ठी –95 स0<br>वाच टावर निर्माण –25 स0<br>क्रू स्टेसन रखरखाव –485 स0<br>अन्य कार्य –ल0स0 | 50872<br><br>159993<br>10203<br>147 | अग्नि दुर्धटनाओं से वन संम्पदा को कम क्षति विगत वर्षो की तुलना में अग्नि दुर्धटनाओं में कमी | 31–3–2020 |
| **राज्य सेक्टर योजनायें** | | | | | | | | |
| आरक्षित वनों की अग्नि से सुरक्षा | | 117801 | 15000 | | | | | |
| सिविल/सोयम वन पंचायतों में अग्नि से सुरक्षा | | 45050 | | | | | | |
| वनों की सुरक्षा | | 35250 | 20000 | | बाउन्ड्री पिलर निर्माण –300 स0<br>बाउन्ड्रपिलर रखरखाव– 600 स0<br>चैक पोस्टो का सुदृढीकरण–100 स0<br>चैक पोस्टो का रखरखाव– 60 स0<br>ट्रेच खुदान – 56546 है0<br>पेट्रोलिग पाथ का रखरखाव– 340 कि0मी0<br>संवेदनशील क्षेत्रों में अग्रिम मृदाकार्य–50 है0<br>संवेदनशील क्षेत्रों में वृक्षारोपण–150 है0 | 989<br><br>50 | वनों की सुरक्षा जैसे अतिक्रमण अवैध कटान, अवैध शिकार में विगत वर्षो के सापेक्ष नियन्त्रण करना | |
| सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण | | 2451 | - | | सूचना प्रौद्याेगिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण एवं जी0आई0एस0 यूनिट का रखरखाव –01 स0 | | सूचना प्रौघोगिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण एवं अग्नि दुर्धटनाओं के जी.आई.एस.माघ्यम से ज्ञात कर तत्काल कार्यवाही | |
| वन बंदोबस्त | | 702 | | | | | | |
| इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरण द्वारा निकाली गई वन उपज | | 9000 | | | | | | |
| | योग | 436111 | 35001 | | | | | |

(4) <u>ईकोटूरिज्म</u> :–

| योजना | योजना का उद्देश्य | आउट ले (₹ हजार में) | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| **राज्य सेक्टर योजना** | | | | | | | | |
| ईको–टूरिज्म योजना | ईकोटूरिज्म के माध्यम से पर्यटन को बढ़ाना एवं राजस्व वृद्धि। | 21831 | 1 | **SDGs Goal-15 :- Sustainabiy manage forest combat desertification halt and reverse land degradation halt biodiversity loss**<br><br>**Indicators :-**<br>**A-Enhancement of Forest Cover.**<br>**B- Enhencement of Tree Cover.**<br>**C-Enhancement in number of Tigers** | पर्यटन स्थलों का रखरखाव व सौन्दर्यकरण–03 स0<br>वन विश्राम भवन का जीणोद्धार –15स0<br>ट्रेकरुट/ब्राइडल पाथ जीणोद्धार –170 कि0मी0<br>व0वि0भ0 रखरखाव– 50 स0<br>शोचालय निर्माण–06 स0<br>ट्रक रुट निर्माण–6.5 कि0मी0<br>नेचर ट्रेल निर्माण –03 कि0मी0<br>होम स्टे – 02 स0<br>अन्य कार्य – ल0स0 | – | पर्यटकों की संख्या में वृद्धि कर राजस्व में वृद्धि के साथ–साथ जनता में जैवविधिता के प्रति आकर्षण होगा।<br>रोजगार के अवसरों में वृद्धि कराना। | 31–3–2020 |
| पारिस्थितिकीय पर्यटन निगम | | - | 5000 | | – | | | |
| ग्रामीण ईको–पर्यटन योजना | | 351 | | | – | | | |
| | **योग** | 22182 | 5001 | | | | | |

## (5) वन्य जीव प्रबन्ध तथा पार्को एवं पक्षी विहारों का विकास

| योजना | योजना का उद्‌देश्य | आउट ले (₹ हजार में) | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| **राज्य सेक्टर योजनायें** | | | | | | | | |
| वन्यजीवों के वास स्थलों का विकास | वन्यजीवों के वास स्थलों का सुधार तथा वन्य जीवों का संरक्षण | 20000 | 15000 | **SDGs Goal-15 :- Sustainabiy manage forest combat desertification halt and reverse land degradation halt biodiversity loss**<br><br>**Indicators :-**<br>**A-Enhancement of Forest Cover.**<br>**B- Enhencement of Tree Cover.**<br>**C-Enhancement in number of Tigers** | वन्य जन्तुओं के वास स्थलो में सुधार हेतु भू0सं0कार्य – 10215 स0<br>वाटर होल निर्माण –90 स0<br>जल कुन्ड निर्माण – 20 स0 | – | वन्यजीवो के वास स्थल में सुधार होने पर वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि। वर्ष 2008 की गणना में बाघों की संख्या 164 थी जो वर्ष 2010 में बढ़कर 226 हो गयी है। नवीनतम गणना के आधार पर वर्तमान में बाधों की संख्या 340 हो गयी है। उत्तराखण्ड में हाथियो की संख्या में भी वृद्धि हुई है वर्तमान में प्रदेश में कुल 1797 हाथी है। इससे परिलक्षित होता है कि वास स्थल सुधार से वन्य जन्तुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। जनता में वन्यजीवो के प्रति ब उत्पन्न होगा। | वास स्थलों में सुधार के परिणाम दीर्घ कालिक होते है जिसका परिणाम आगामी वर्षो में परिलक्षित होगा। |
| हल्द्वानी में जू निर्माण | | | 39870 | | हल्द्वानी जू निर्माण (आशिक) – 01 | – | | |
| वन्यजन्तु परिरक्षण, बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रों का विकास | | 36200 | 15000 | | जू का रखरखाव – 03 स0<br>वन चेतना केन्द्रों का रखरखाव–12 स0<br>भू0स0कार्य – 06 स0<br>लेन्टाना उन्मूलन– 100 है0<br>नेचर इन्टर प्रिटेसन सेन्टर– 15 स0<br>पर्यटन केन्द्रो का रखरखाव–10 स0<br>अन्य कार्य – ल0स0 | – | | |
| मालसी मिनी जू का विस्तारीकरण एवं सुद्ढ़ीकरण | | - | 10000 | | मालसी''जू''सुदृढीकरण एवं उसमें रखे जानवरों का रखरखाव | – | | |
| जगली सूअरों के आखेट हेतु कारतूसों का वितरण | | 350 | - | | As per incident | – | | |
| वाइल्डलाईफ बोर्ड को सहायता | | 10004 | - | | वाईल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता | – | | |
| कॉर्बेट एवं राजाजी टाईगर रिजर्व का संरक्षण एवं विकास योजना | | 100000 | | | | | | |
| **केन्द्र पोषित योजनायें** | | | | | | | | |
| नन्दादेवी बायोस्फेयर रिजर्व की स्थापना | | 17104 | 20000 | | नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व का रखरखाव एवं विकास कार्य –01 | – | | |
| प्राकृतिक संसाधनों का ईको सिस्टम एवं संरक्षण | | 8 | 1 | | नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व का रखरखाव एवं विकास कार्य – | – | | |
| प्रोजेक्ट एलीफेन्ट | | 24840 | 1300 | | राजाजी पार्क एवं अन्य क्षेत्रों में हाथी के विकास स्थलों में सुधार कार्य | – | | |
| प्रोजेक्ट टाईगर | | 172384 | 30000 | | प्रदेश के 02 टाईगर रिजर्वो का रखरखाव | 340 सं0 | | |
| इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ वाईल्ड लाईफ हेबीटेट | | 216101 | 40000 | | वाईल्ड लाईफ सेन्चुरियों/पार्क में वन्य जन्तु के वास स्थलों का विकास एवं रखरखाव | | | |
| | **योग** | 596991 | 171171 | | | | | |

## (6) अवस्थापना विकास (भवन तथा सड़के)

| योजना | योजना का उद्देश्य | आउट ले (₹ हजार में) | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| **राज्य सेक्टर योजनायें** | | | | | | | | |
| वन मोटर मार्गों तथा अश्व मार्गो का सुदृढ़ीकरण | वन मोटर मार्गो, अश्वमार्गो का सुदृढ़ीकरण एवं कर्मचारियों हेतु आवासो की व्यवस्था | - | 100000 | **SDGs Goal-15 :-**<br>**Sustainabiy manage forest combat desertification halt and reverse land degradation halt biodiversity loss**<br>**Indicators :-**<br>**A-Enhancement of Forest Cover.**<br>**B- Enhencement of Tree Cover.**<br>**C-Enhancement in number of Tigers** | वन मोटर मार्गो का सुदृढीकरण एवं जीणोद्धार – 300 कि0मी0<br>पैदल मार्ग/अश्वमार्गो का जीणोद्धार– 940 कि0मी0<br>पुलिया निर्माण –8 स0<br>पुलिया/काजवे/ब्रस्टवाल निर्माण– 40 स0<br>भवनों एवं वन विश्राम भवनो का रखरखाव – 110<br>भवन निर्माण – 42 भवन ,<br>वन रक्षक चौकी निर्माण– 04<br>आवासीय भवन निर्माण– 06 स0<br>बिजली एवं पानी की व्यवस्था – 37स0 | 17 किमी. | वन मोटर मार्गो एवं अश्वमार्गो के रखरखाव से विभाग को वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा में सहायता, वन निगम द्वारा वन उपज की निकासी में सहायक एवं वनों के नजदीक निवास करने वाले ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। | 31–3–2020 |
| वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनो का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण | | - | 36701 | | | 695 किमी.<br>ल.स. | | 31–3–2020 |
| वन संचार साधन–पुल, टेलीफोन तथा भवन | | 20000 | - | | | | | 31–3–2020 |
| उत्तराखण्ड वन विकास निधि का गठन | | 2000 | - | | | 49 सं. | | 31–3–2020 |
| | योग | 22000 | 136701 | | | | | |

(7) रिसर्च एवं टेक्नोलोजी :–

| योजना | योजना का उद्देश्य | आउट ले (₹ हजार में) | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| राज्य सेक्टर योजनायें | | | | **SDGs Goal-15 :- Sustainabiy manage forest combat desertification halt and reverse land degradation halt biodiversity loss**<br>**Indicators :-**<br>**A-Enhancement of Forest Cover.**<br>**B- Enhencement of Tree Cover.**<br>**C-Enhancement in number of Tigers** | | | | |
| रिसर्च एवं टेक्नोलोजी डवलपमेन्ट | अनुसंधान के माध्यम से वानिकी का विकास | 8576 | 5000 | | विभिन्न वानिकी अनुसंधानों के माध्यम से वानिकी तथा वन्य जीवों के वास स्थल सुधार करने हेतु नवीनतम तकनीकी का प्रयोग किया जाना। | | अनुसंधान के परिणामों के आधार पर वनों एवं वन्यजीवों का विकास | आगामी वर्षो में परिणाम परिलक्षित होगे |
| | **योग** | **8576** | **5000** | | | | | |

(8) वन पंचायतो का सुदृढीकरण :–

| योजना | योजना का उद्देश्य | आउट ले (₹हजार में) | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| राज्य सेक्टर योजनायें | | | | | | | | |
| वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण | प्रदेश की 12,089 वन पंचायतों को चरणबद्ध रुप से सुदृढ़ीकरण करना | 12050 | 6000 | **SDGs Goal-15 :- Sustainabiy manage forest combat desertification halt and reverse land degradation halt biodiversity loss**<br>**Indicators :-**<br>**A-Enhancement of Forest Cover.**<br>**B- Enhencement of Tree Cover.**<br>**C-Enhancement in number of Tigers** | वृक्षारोपण –425 है0<br>अ0मृ0कार्य –660 है0<br>चारागाह विकास– 245 है0<br>भू0सं0कार्य0 –1995 स0<br>बाउन्ड्री पिलर निर्माण – 960 स0<br>पेदल मार्ग – 53 कि0मी0<br>Entry point Activity –30 स0 | - | वन पंचायतों में जारुकता वृद्धि जिससे वन पंचायते वनो की सुरक्षा में रुचि उत्पन्न हो रही है तथा वन पंचायतें वनों के प्रति जागरुक हो रही है। | आगामी वर्षों में बजट की उपलब्धता पर |
| | **योग** | **12050** | **6000** | | | | | |

(9) पुर्नवास तथा कल्याणकारी कार्यक्रम :–

| योजना | योजना का उद्देश्य | आउट ले (₹ हजार में) | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| राज्य सेक्टर योजनायें | | | | | | | | |
| जंगली जानवरों द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता की जान–माल नुकसान पर क्षतिपूर्ति | जंगली जानवरों द्वारा जान–माल की क्षतिपूर्ति हेतु अनुग्रह राशि, गूजरों के पुर्नवास हेतु कल्याणकारी कार्य, वन्यजीवों से खेती सुरक्षा तथा मानव–वन्यजीव संघर्ष रोकथाम आदि | 180001 | - | **SDGs Goal-15 :- Sustainabiy manage forest combat desertification halt and reverse land degradation halt biodiversity loss** **Indicators :- A-Enhancement of Forest Cover. B- Enhencement of Tree Cover. C-Enhancement in number of Tigers** | As per insidence | - | जान–माल नुकसान की क्षतिपूर्ति | 31–3–2020 |
| मुठभेड़ में मृत्यु होने तथा शासकीय कार्यों हेतु वनाधिकारियों / कर्मचारियों को सहायता / पुरुस्कार | | 2000 | - | | As per insidence | - | वनाधिकारियों / कर्मचारियों को पुरुस्कृत करना | 31–3–2020 |
| गूजर एवं अन्य प्रभावित पुर्नवास योजना | | 20200 | - | | पुनर्वासित गूजर बस्तियों में अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्य एवं उनका रखरखाव तथा पुनर्वास सम्बन्धी अन्य विविध व्यय | - | गूजरों का विस्थापन एवं गूजर बस्तियों में सुविधा उपलब्ध कराना तथा सुरक्षा के लिये लाभ होगा। | 31–3–2020 |
| मानव–वन्यजीव संघर्ष रोकथाम योजना | | 47001 | - | | मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में कमी करने हेतु एलीफेन्ट प्रूफ ट्रेन्च,–5 कि0मी0, हाथी रोधक दीवाल – 9.7 कि0मी0<br>सोलर फैसिंग– 19 कि0मी0<br>खाई खुदान– 22 कि0मी0<br>हेबीटेट इम्प्रूवमेन्ट –1340 है0<br>मुआवजा वितरण –ल0स0<br>अन्य कार्य – ल0स0 | - | मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में विगत वर्षे की तुलना में कमी आयी है। | परिणाम भविष्य में परिलक्षित होगे। |
| मानव–वानर संघर्ष न्यूनीकरण योजना | | 27847 | 1650 | | उत्पाती बन्दरों का बान्ध्याकरण हेतु केन्द का निर्माण एवं रखरखाव – 4 स0<br>बन्दरों को पकडकर दूरस्थ वनों में छोडना | - | उत्पाती बन्दरो से जनता को निजात दिलाना | परिणाम भविष्य में परिलक्षित होगे। |
| मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीवों से खेती सुरक्षा योजना | | 41000 | 20000 | | खेती सुरक्षा हेतु सूअर रोधी दीवाल निर्माण हाथी एवं अन्य वन्य जन्तुओ के खेती की सुरक्षा हेतु दीवाल – 6.7 कि0मी0<br>हाथी / नील गाय रोधी खाई– 15 कि0मी0,<br>अन्य कार्य –ल0स0 | - | अभी योजना प्रारम्भ हुई है जिसके सार्थक परिणम प्राप्त हो रहे है। | |
| पर्यावरण निदेशालय का गठन | | 5500 | - | | जन जागरुकता एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण निदेशालय का गठन किया जाना | - | पर्यावरण निदेशालय का गठन होने से पर्यावरण के प्रति जागरुकता उत्पन्न होगी | |
| राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र | | 4851 | - | Sustainable Development Goal - 13 | Sustainable Development Goal - 13 के परिणामों को प्राप्त करना है, जिससे राज्य के विज़न 2030 के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चत हो सके। | - | Sustainable Development Goal - 13 के परिणामों को प्राप्त करना है, जिससे राज्य के विज़न 2030 के उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। | |
| | योग | 328400 | 21650 | | | | | |

## (10) बायोडाईवासिटी कन्जरवेशन एण्ड रुरल लाईवलीहुड इम्प्रूवमेंन्ट प्रोजेक्ट (बाह्य सहायतित योजना) :–

| योजना | योजना का उद्देश्य | आउट ले (₹ हजार में) | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| **ई0ए0पी0 योजनायें** | | | | **SDGs Goal-15 :- Sustainabiy manage forest combat desertification halt and reverse land degradation halt biodiversity loss**<br>**Indicators :-**<br>**A-Enhancement of Forest Cover.**<br>**B- Enhencement of Tree Cover.**<br>**C-Enhancement in number of Tigers** | अस्कोट वन्यजीव विहार में जैवविधिता संरक्षण तथा आजीविका सुधार कार्यक्रम | - | अस्कोट लेन्ड स्केप में बायोडाईवरसिटी कन्जरवेशन तथा आजीविका बढाने के कार्य एवं माईक्रोप्लानिग तथा प्रशिक्षण कार्य | आगामी वर्षो में परिणाम परिलक्षित होगे |
| बायोडाईवार्सिटी कन्जरवेशन एण्ड रुरल लाईवलीहुड इम्प्रूवमेंन्ट प्रोजेक्ट | बायोडाईवार्सिटी कन्जरवेशन | 80500 | - | | | | | |
| | योग | **80500** | **-** | | | | | |

## (11) उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (बाह्य सहायतित योजना) :–

| योजना | योजना का उद्देश्य | आउट ले (₹ हजार में) | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| **ई0ए0पी0 योजनाये** | | | | | | | | |
| उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (जायका पोषित) | वनो के आसपास क्षेत्रों के गाांव वालो की आजीविका में सुधार एवं आय में वृद्धि कर वनों पर निर्भरता कम करना | 1000001 | 1 | **SDGs Goal-15 :- Sustainabiy manage forest combat desertification halt and reverse land degradation halt biodiversity loss**<br>**Indicators :-**<br>**A-Enhancement of Forest Cover.**<br>**B- Enhencement of Tree Cover.**<br>**C-Enhancement in number of Tigers** | वृक्षारोपण क्षेत्रों का सर्वे एवं डिमार्केशन, अवांछित वीड उन्मूलन, सिल्वीकल्वर एक्टीविटी, अग्रिम मृदा कार्य, नर्सरी कार्य, आधुनिक नर्सरी का तैयार करना, चाल–खाल, तालाबों का सुदृढ़ीकरण, जैव विविधता के संरक्षण हेतु ग्राम का चयन, एवं उनका क्षमता विकास, भू–क्षरण रोकथाम कार्य | - | वन पंचायतो में आजीविका के साधन उपलब्ध होने के साथ साथ पंचयतों में वनावरण में वृद्धि होगी | परिणाम आगामी वर्षो में परिलक्षित होगे |
| **राज्य सेक्टर योजनाये** | | | | | | | | |
| आई0टी0 पार्क देहरादून में एन0टी0एफ0पी0 सेन्टर आफ एक्सीलेन्स का निर्माण | | | 1 | | एन0टी0एफ0पी0 सेन्टर आफ एक्सीलेन्स का निर्माण | - | | |
| | योग | 1000001 | 2 | | | | | |

# विपिन त्रिपाठी कुमायूॅ प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट (जनपद–अल्मोड़ा)उत्तराखण्ड।

## आउटकम बजट 2019–20

धनराशि (रू. लाख में)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले/बजट | | एस.डी.जी. Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018–19 | समय सीमा | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| अ | अनुदान संख्या–20 | | | | | | | | |
| 1 | टाईप–IV के 44 आवासों का निर्माण। | संस्थान में स्वीकृत 83 शिक्षकों के पदों हेतु 39 आवासीय भवन निर्मित है। अवशेष 44 नग आवासों का निर्माण किया जाना है। | 0.00 | 600.00 | ....... | 600.00 | एक वर्ष | 600.00 | |
| 2 | 100 छात्रों का छात्रावास निर्माण। | संस्थान में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के अनुरूप 100 छात्रों के आवास हेतु 01 (एक) छात्रावास का निर्माण किया जाना है। | 0.00 | 200.00 | ....... | 200.00 | एक वर्ष | 200.00 | |
| 3 | स्टेडियम निर्माण। | संस्थान में निर्माणाधीन स्टेडियम के अवशेष कार्यो का निर्माण किया जाना है। | 0.00 | 50.00 | ....... | 50.00 | एक वर्ष | 50.00 | |
| 4 | स्थायी जलापूर्ति। | संस्थान में निर्मित पेयजल योजना की जीवन अवधि वर्ष 2008 मं समाप्त हो गई है। पाइपलाईन की स्थिति जीर्ण–क्षीण हो चुकी ह, जिसका जीर्णोधार किया जाना आवश्यक है। | 0.00 | 375.00 | ....... | 375.00 | एक वर्ष | 375.00 | |
| 5 | आन्तरिक सडकों में बिटुमिन पेन्टिग का कार्य। | संस्थान के आन्तरिक सड़कों की स्थिति जीर्ण–क्षीण हो चुकी है, जिनमें बिटुमिन पेन्टिग का कार्य किया जाना आवश्यक है। | 0.00 | 50.00 | ....... | 50.00 | एक वर्ष | 50.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | आवासीय परिसर एवं छात्रावासों में मरम्मत कार्य। | संस्थान में आवीस परिसर में निर्मित आवासीय परिसर एवं छात्रावासों का निर्माण लगभग 15 से 20 वर्ष पूर्व हुआ है, जिनमें मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है। | 0.00 | 100.00 | ....... | 100.00 | एक वर्ष | 100.00 | |
| 7 | बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण। | निर्माणाधीन बाउन्ड्रीवॉल के निर्माण हेतु स्वीकृत आगणन के सापेक्ष अवशेष धनराशि की आवश्यकता होगी। | 0.00 | 170.30 | ....... | 170.30 | एक वर्ष | 170.30 | |
| 8 | पिछड़ी जाति के 78 छात्राओं एवं 100 छात्रों हेत छात्रावास निर्माण। | समाज कल्याण विभाग द्वारा इस कार्य हेतु स्वीकृत लागत रू. 378.23 लाख के सापेक्ष रू. 249.20 लाख अवमुक्त किया जा चुका है, अवशेष धनराशि रू. 119.03 (उत्तराखण्ड तकनीकी विभाग द्वारा देय) की आवश्यकता होगी। | 0.00 | 119.03 | ....... | 119.03 | एक वर्ष | 119.03 | |
| | | **योग :** | | **1664.33** | | **1664.33** | | **1664.33** | |
| **ब** | **अनुदान संख्या– 30 एवं 31** | | | | | | | | |
| 1 | अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के अर्न्तगत 100 छात्रों के छात्रावास का निर्माण। | संस्थान में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्र/छात्राओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए एक छात्रावास के निर्माण की आवश्यकता होगी। | 0.00 | 200.00 | ....... | 200.00 | एक वर्ष | 200.00 | |
| 2 | उपकरण क्रय हेतु वांछित धनराशि | | 100.00 | | ....... | | | | |
| | | **योग :** | **100.00** | **200.00** | | **200.00** | | **200.00** | |
| | | **कुल योग (अ एवं ब)** | **100.00** | **1864.33** | | **1864.33** | | **1864.33** | |

# विभाग का नामः उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क)

## राज्य सेक्टर

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0
(धनराशि लाख रू0 में)

| क0 सं0 | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4 2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा का प्रसार **Technology Enabled Science Education in the State** | राज्य के समस्त जिलो एवं विशेष रूप से दुर्गम पहाड़ी स्थानों में तकनीकी के द्वारा विज्ञान एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार, प्रतिष्ठित विद्धानों एवं विषय विशेषज्ञों के व्याख्यानों को प्रसारित कर एवं विभिन्न विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराना। | 19.00 | | 09 Target 9.5 | कार्यक्रम– 13 प्रतिजनपद–01 | 04–कार्यक्रम | लाभन्वित विद्यालयों/महाविद्यालयों की संख्या– 25 | 01 वर्ष |
| | **a)** उत्तराखण्ड ज्ञान–विज्ञान कोष पोर्टल हेतु (**www.ukb.org.in**) | विद्यार्थियों, शोधार्थियों, अध्यापकों हेतु विभिन्न विषयों पर जानकारी, ज्ञान व विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। (2 लाख) | | | | पोर्टल–1 | लाभार्थी छात्र–400 से अधिक | लाभार्थी छात्र–1000 | |
| | b) प्रौद्योगिकी एवं नवाचार कार्यक्रम | विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों एवं आम जनमानस इन्नोवेटिव विचारों को आमन्त्रित कर प्रदेश के नवाचारी एवं प्रतिभाशाली छात्रों को मार्गदर्शन एवं सुविधायें प्रदान करना। (2 लाख) | | | | कार्यक्रम–03 | 100 से अधिक व्याख्यानों की रिकॉर्डिंग | लाभान्वित छात्र–200 | |
| | c) विज्ञान शिक्षा हेतु इलेक्ट्रानिक पाठ्य सामग्री को विकसित करना | उत्तराखण्ड में विज्ञान शिक्षा के प्रसार हेतु विज्ञान सम्बन्धी e-content को विकासित कर राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक प्रसारित किया जायेगा। इस हेतु विषय विशेषज्ञों को मानदेय (Honorarium), भत्ता इत्यादि दिया जायेगा। (5 लाख) | | | | 200 व्याख्यान | | 10000 लाभार्थी | |
| | d) मेंटरशिप कार्यकम इनोवेटिव एण्ड | उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों को देश–विदेश के | | | | पोर्टल–1 | लाभार्थी | लाभार्थी छात्र–1200 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **क्रिएटिव टेलेन्ट मेन्टरिंग कार्यक्रम** | विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों एवं प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के सहयोग से मेंटरशिप पोर्टल के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान कराना एवं शोध शिक्षा को सशक्त बनाना। उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद से प्रतिभावान विद्यार्थियों का चयन कर उनके भविष्य निर्धारण हेतु मेंटरशिप कार्यक्रम के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करना। (5 लाख) | | | | | छात्र–250 से अधिक | | |
| | e) **डिजिटल वॉलेण्टिरों को तैयार करना** | प्रदेश में सरकार द्वारा चलायी गयी विभिन्न लाभकारी योजनाओं को विद्यार्थियों ,समुदायों, ग्रामीण तक पहुंचाने के लिये डिजिटल वॉलेण्टियर प्रोग्राम प्रारम्भ किया जा रहा है। (5 लाख) | | | | कार्यक्रम + पोर्टल | | लाभार्थी जनमानस–2000 डिजिटल स्वयं सेवक–1000 | |
| 2 | विभिन्न एकेडमिक विषयों के पाठ्यक्रमों व शिक्षा तकनीकियों का निर्माण एवं संचालन | विषय विशेषज्ञों के परामर्श के उपरान्त चिन्हित एकेडमिक विषयों पर पाठ्यक्रम का निर्माण एवं संचालन तथा विषय विशेषज्ञों के तकनीकी सहयोग से प्रदेश में FOSS, GIS आधारित विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों के संचालन हेतु। (5 लाख) | 5.00 | | | कार्यक्रम–05 | | लाभार्थी छात्र–500 | 01 वर्ष |
| 3 | **पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम**<br>a) स्मार्ट ईको क्लब का संचालन | पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न विद्यालयों के छात्रों के सहयोग से स्मार्ट ईको क्लब (10 लाख) | 17.00 | | | कुल आच्छादित विद्यालय–65 कार्यक्रम–03 | नयी योजना | छात्र–3250 | 01 वर्ष |
| | b) जूनियर ईको टास्क फोर्स का संचालन | जूनियर ईको टास्क फोर्स के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन। (3 लाख) | | | | कार्यक्रम–03 | नयी योजना | छात्र– 400 | |
| | c) ईको वॉलेण्टियर | पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदेश में युवाओं को स्वेच्छा से जन–जागरण हेतु एवं पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों हेतु ईको वॉलेण्टियर के रुप में जोड़ना। (2 लाख) | | | | कार्यक्रम–02 | नयी योजना | ईको वॉलेण्टियर–1000 | |
| | d) पारिस्थितिकीय सेवाओं (Ecosystem Services) पर्यावरण एवं जैवविविधता संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन | अधिकारियों, शोद्यार्थियों एवं ग्रामीण समुदायों को Ecosystem Services पर्यावरण एवं जैवविविधता संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन के बारे में जागरूक करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। (2 लाख) | | | | कार्यक्रम–1 प्रशिक्षण –1 | 02 –कार्यक्रम | लाभार्थी जनमानस–500 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **आउटरीच कार्यक्रम (Outreach Programme)** | | 35.00 | | | | | | 01 वर्ष |
| | a) "Science of Survival" कार्यक्रम (SOS) कार्यक्रम | उत्तराखण्ड में विशेष रूप से दुरूह भौगोलिक क्षेत्र के विद्यालयों में प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा के उपाय एवं जीवन रक्षा के लिये विषय विशेषज्ञो की मदद से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। (5 लाख) | | | | कार्यक्रम–05 | कार्यक्रम– 01 | लाभार्थी जनमानस–500 | |
| | b) 'यूसर्क लेक्चर सीरीज' कार्यक्रम | लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिको एवं विषय विशेषज्ञों के द्वारा व्याख्यानों का आयोजन कर विद्यार्थियों एव युवा वैज्ञानिकों में ज्ञानवर्धन एवं क्षमता वृद्धि करना। (2 लाख) | | | | व्याख्यान–10 | व्याख्यान–12 | लाभार्थी–300 विधार्थी | |
| | c) राज्य के विकासोन्मुखी विषयों पर विचारमंथन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं के आयोजन हेतु | राज्य के विकासोन्मुखी विषयों, आवश्यकताओं, नीतियों के निर्धारण हेतु विचार मंथन सत्रों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना। (10 लाख) | | | | विचार मंथन सत्र–02<br>प्रशिक्षण कार्यक्रम–02<br>कार्यशाला–02 | कार्यक्रम–08 | लाभार्थी–1000 विधार्थी | |
| | e) राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवसों का आयोजन | राज्य में विज्ञान की शिक्षा के प्रति जागरूकता, संरक्षण एवं प्रचार–प्रसार हेतु समस्त राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवसों का आयोजन करना। (5 लाख) | | | | कार्यक्रम–15 | 12 दिवसों का आयोजन | लाभार्थी–600 विधार्थी | |
| | f) पर्वतीय राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण विषय पर कार्यशालाओं का आयोजन | प्रदेश के ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों के शिक्षण संस्थाओं एवं ग्रामीणों मध्य लोगो को जल गुणवत्ता व इसके स्वास्थ्य प्रभाव के साथ–साथ प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता प्रदान करना। (5 लाख) | | | | कार्यक्रम–05 | कार्यक्रम–01 | जनमानस जागरुकता–1000 लाभार्थी | |
| | g) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संवर्द्धन एवं उपयोग हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना | उत्तराखण्ड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों– सौरऊर्जा, जलविद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास आदि के उपयोग एवं संवर्द्धन हेतु विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाओं का आयोजन करना। (5 लाख) | | | | कार्यक्रम–05 | | लाभार्थी–600 विधार्थी | |
| | h) मंदाकिनी की आवाज कम्यूनिटी साइंस रेडियों के माध्यम से विज्ञान एवं शिक्षा का प्रचार | स्थानीय निवासियों, विधार्थियों एवं किसानों हेतु वैज्ञानिक कृषि एवं राज्य के उन्नयन हेतु विषयों की जानकारी उपलब्ध कराना। (3 लाख) | | | | कार्यक्रम–03 | | जनमानस जागरुकता–5000 लाभार्थी | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन** | राज्य के विकास हेतु एवं राज्य हित में आधारित विषयों पर विभिन्न पुस्तकों, मैनुएल, प्रशिक्षण सामग्री एवं पोस्टरों का प्रकाशन करना। विज्ञान को सरल स्वरूप में आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु यूसर्क द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित छमाही हिन्दी पत्रिका विज्ञान क्षितिज का प्रकाशन।<br>(5 लाख) | 5.00 | | | 03 | 02 | | 01 वर्ष |
| **6** | **शोध एवं विकास (R&D) गतिविधियों हेतु** | राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित कर अग्रणी शोध को बढ़ावा देना व राज्य परक शोध के विषय की पहचान करना। विभिन्न विज्ञान विषयों में शोधार्थियों/विद्यार्थियों द्वारा internship के माध्यम से शोध। (20 लाख) | 20.00 | | | कार्यक्रम–05 | 01 | लाभार्थी–500 विधार्थी | 01 वर्ष |
| 7 | **सचल प्रयोगशाला वाहन के संचालन हेतु** | उत्तराखण्ड के दूरस्थ शिक्षण संस्थानों में प्रयोगात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु।<br>(5 लाख) | 5.00 | | | जनपद–13 | 01 | लाभार्थी–5000 विधार्थी | 01 वर्ष |
| 8 | **प्रयोगशालाओं की सुदृढ़ीकरण एवं संचालन**<br>a) यूसर्क परिसर में बेसिक साइंस हेतु बहुउपयोगी प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण एवं संचालन | • राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विधार्थियों को प्रयोगात्मक ज्ञान करने के लिये बेसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हेतु।<br>• राज्य के शोद्यार्थियों को प्रारम्भिक शोध की सुविधा प्रदान करना।<br>• विद्यार्थियों को प्रयोगाात्मक ज्ञान से अवगत कराना।<br>(विभिन्न विज्ञान विषयों– भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण सम्बन्धी उपकरणो का कय किया जाना) (10 लाख) | 20.00 | | | विषय–04 | | लाभार्थी–1000 विधार्थी | 01 वर्ष |
| | b) उत्तराखण्ड के प्राकृतिक जल स्रोतो की **वाटर क्वालिटी अध्ययन हेतु** Water Quality Laboratory का संचालन | उत्तराखण्ड के नदी जल, भूजल, सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली तथा अन्य प्राकृतिक जल स्रोत जैसे की झरने, झील, तालाब, नौलों इत्यादि की जल गुणवत्ता के स्तर का निर्धारण किया जा सकेगा। अभी वर्तमान में यूसर्क में Water Quality Laboratory की स्थापना के अन्तर्गत | | | | शैम्पलिंग स्थल –50 | 25 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | विभिन्न उपकरणों को स्थापित किया गया है तथा अभी कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों को स्थापित किये जाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि भविष्य में भारत सरकार के विभिन्न जल से जुड़े विभागों से प्रोजैक्टों को संचालित करने में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। (10 लाख) | | | | | | | |
| 9 | अध्यापक/विज्ञान कॉनकेलव/कान्फ्रेंस का आयोजन | उत्तराखण्ड के समस्त विज्ञान अध्यापकों एवं विज्ञान उन्मुख शिक्षकों को विचारों के आदान प्रदान एवं विज्ञान में हो रहे विकासों से अवगत करवाने हेतु अध्यापक विज्ञान कान्कलेव का आयोजन करना। (5 लाख) | 5.00 | | | कार्यक्रम–01 | कार्यक्रम01 | लाभार्थी–500 | 01 वर्ष |
| 10 | महिला वैज्ञानिक कॉनक्लेव/उत्कृष्ट महिला सम्मान कार्यक्रम हेतु | महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने हेतु महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव का आयोजन। (5 लाख)<br><br>राज्य में विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में अद्वितीय कार्य करने वाली महिलाओं की पहचान करना, उन्हें प्रोत्साहन एवं बढावा देने हेतु अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित करना। (1 लाख) | 6.00 | | | कार्यक्रम–02 | कार्यक्रम–01 | | 01 वर्ष |
| 11 | उत्तराखण्ड की नदियों का पुर्नजीवीकरण व शोध एवं जागरुकता कार्यक्रम | उत्तराखण्ड की विभिन्न विलुप्ति के कगार पर खड़ी नदियों यथा– रिस्पना, कोसी, बिंदाल आदि के पुर्नजीवीकरण हेतु वैज्ञानिक शोध एवं जागरूकता। (15 लाख) | 15.00 | | | कार्यक्रम– 15 | कार्यक्रम– 06 | जनमानस जागरुकता–5000 लाभार्थी | 01 वर्ष |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | **यूसर्क द्वारा स्थापित केन्द्रों के संचालन हेतु**<br>a) उत्तराखण्ड स्कूल ऑफ मैथेमेटिक्स | • विद्यार्थियों में गणित विषय पर रूचि एवं बढ़ावा देने हेतु विद्यार्थियों को रोचक विधियों से व्याख्यानों, शिक्षण कार्यकम, कार्यशालाओं का आयोजन करना, ओलम्पियाड जैसे कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा गणित में प्रतिभावान विद्यार्थियों का चयन एवं अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन (10 लाख) | 32.00 | | | कार्यक्रम–05 | कार्यक्रम–02 कार्यक्रम | लाभार्थी–500 विद्यार्थी | 01 वर्ष |
| | b) उत्तराखण्ड क्लाईमेट चेन्ज | • जलवायु परिवर्तन एवं शिक्षा पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला, सेमिनारों एवं विचार मंथन सत्रों का आयोजन करना, राज्य में जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित घटनाओं का विषद् अध्ययन एवं आंकड़े उपलब्ध कराना। (10 लाख) | | | | कार्यक्रम–05 | कार्यक्रम–02 | जनमानस जागरुकता–1000 लाभार्थी | |
| | c) सेंटर फार वैदिक इनफोरमेटिक्स | वेदों पर शोध एवं अध्ययन सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन। (5 लाख) | | | | कार्यक्रम–03 | | लाभार्थी–500 विद्यार्थी | |
| | d) आउटरीच सेंटर गंगोलीहाट | सीमान्त क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रमों के संचालन हेतु स्थापित आउटरीच सेंटर के कार्यक्रमों हेतु। (7 लाख) | | | | कार्यक्रम–02 | कार्यक्रम–01 | लाभार्थी–1000 विद्यार्थी | |
| 13 | **उत्तराखण्ड ज्ञान विज्ञान अभियान एवं उत्तराखण्ड में सशक्त विज्ञान कॉरिडोर की स्थापना करना** | इस अभियान के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के ग्रामीण विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु विज्ञान/गणित यात्राओं का आयोजन किया जायेगा जिससे की छात्र–छात्राओं में विज्ञान के प्रति रूचि को बढाया जा सकें।<br>• माणा से मुनस्यारी तथा आराकोट से असकोट तक विज्ञान कोरिडोर की स्थापना करना।<br>• यूसर्क का उद्देश्य ब्लॉक व ग्राम स्तर पर Science Volunteer तैयार करने हेतु वर्तमान युग की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में Science Volunteer का नेटवर्क स्थापित करना जो कि कार्यक्रमों व परियोजनाओं के संचालन हेतु प्रभावी सिद्ध हो पायेगा। (10 लाख) | 10.00 | | | कार्यक्रम–10 | | लाभार्थी–2000 विद्यार्थी | 01 वर्ष |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | यूसर्क के अंतर्गत दिव्यांग केन्द्र (centre for people with special needs) के संचालन हेतु | केन्द्र के द्वारा विशेष शिक्षा एवं दिव्यांग क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को चिन्हित कर उनके मध्य समन्वय स्थापित कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से दिव्यांगों के समावेशी विकास हेतु निम्न कार्य किये जायेगेः–<br>1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा दिव्यांगजनों के समावेशी विकास, जागरुकता सृजन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन।<br>2. विषय विशेषज्ञों द्वारा शिक्षकों अभिभावकों व विद्यार्थियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराना। (10 लाख) | 10.00 | | | कार्यक्रम–03<br>कार्यशाला–03<br>विचार मंथन–02<br>व्याख्यान –05<br>प्रकाशन–01 | कार्यक्रम–02 | लाभार्थी–100 विधार्थी | 01 वर्ष |
| | | | 204.00 | | | | | | |
| | निदेशन एवं प्रशासन | | 134.32 | | | | | | |
| | कुल योग<br>(तीन करोड़ अड़तीस लाख बत्तीस हजार मात्र) | | 338.32 | | | | | | |

# शहरी विकास विभाग

## विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित एस०डी०जी० : एस०डी०जी० – 6 व 11

(धनराशि लाख रु0 में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | प्रस्तावित आउट ले | | एस०डी०जी० Goals / Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| राज्य सेक्टर | | | | | | | | | |
| | | शहरी विकास निदेशालय कार्यालय अधिष्ठान | 324-50 | – | – | निदेशालय के अधिकारियों हेतु का वेतन भुगतान तथा कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यय | | | |
| 1 | नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास | इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय निकायो की सीमान्तर्गत मूल–भूत नागरिक सुविधाये यथा– ड्रैनेज व्यवस्था, सड़क, गलियों, नालियों का निर्माण/सुधार विषयक परियोजनाए आदि हेतु नगर निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। स्वीकृत की जाती है। | 160-00 | 2000-00 | – | प्रदेश की 92 स्थानीय निकायो मे मूल–भूत नागरिक का निर्माण/सुधार। | 45 निकायो को 623 कार्य हेतु जैसे सी0सी0 खण्डजा, नाली, दीवार नि0, आदि | जिससे नगरीय क्षेत्रों में खराब नाले,सड़को,ड्रेनेज सुविधा सुदृड़ होगी तथा पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ हो जायेगी। | 2019–20 |
| 2 | आवारा श्वान पशु बध्याकरण | आवारा निराश्रित श्वानवंशीय पशुओं की जनसंख्या नियंत्रण हेतु आवारा श्वानवंशीय बंध्याकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा ए0बी0सी0 कैम्पस (Animal Birth Control) की स्थापना की गयी है। | 200-00 | 300.00 | – | नगर निगम, देहरादून, नगर पालिका परिशद, मंसूरी एवं नैनीताल में ए0बी0सी0 कैम्पस की स्थापना व संचालन। हल्दवानी और रुद्रपुर निर्माण में प्रगति पर है। तथा हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, कोटद्वार, नगर निगम, में निर्माण का प्रतावित | नगर निकाय देहरादून, नैनीताल ,मसूरी में 6000 श्वान पशुओं की बाध्यकरण शल्य चिकित्सा तथा कार्यक्रम मे अब तक कुल 17680 पशुओं की बाध्यकरण शल्य चिकित्सा की कर ली गई है I | ए0बी0सी0 कैम्पस की स्थापना के उपरान्त निकाय क्षेत्र में आवारा घूम रहे श्वान पशुओं की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण सम्भव हो सकेगा। | 2019–20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (UA-URIF) उत्तरांखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि | योजना के अन्तर्गत उन न्रगर निकायो को प्रोत्साहनस्वरूप प्रतिवर्श पुरूस्कृत किया जाएगा, जिनके द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण, पृथक्कीकरण, जैविक अपशिष्ट का उपचार, अजैविक अपशिष्ट का पुनर्चक्रीकरण एवं पुर्नउपयोग तथा शेष बचे अपशिष्ट का वैज्ञानिक भू–भरण करके निकाय क्षेत्र को स्वच्छ रखने का प्रयास करेगें। | 100.00 | 0 | – | शहरी स्थानीय निकायों को अभिनव कार्यों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया जाता है ताकि उनके निकाय क्षेत्र में बेहतर काम करने का प्रयास कर सकें। | 03(चमोली गोपेश्वर, जोशीमठ, हर्बटपुर) निकाय को वित्तीय 2017–18 में पुरूष्कृत किया गया। | शहरी स्थानीय निकायों को अभिनव कार्यों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृित किया जाना हैं। | 2019–20 |
| 4 | पार्को की स्थापना | राज्य में स्थित नगरों को सुन्दर बनाने के दृष्टिगत समस्त नगर निकायों को एक बार पार्को के निर्माण तथा वर्तमान में स्थित पार्को को सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक नगर निकाय को रू0 10.00 लाख की वित्तीय सहायता अनुमन्य की जायेगी। | .01 | 0.00 | – | गढ़वाल मण्डल की प्रत्येक निकाय में दयानन्द भारती नाम से एक पार्क व कुमांऊ मण्डल की स्थानीय निकायों में खुषीराम के नाम से पार्क का निर्माण/जीर्णोद्वार । | धनराशि अवमुक्त नहीं की गई | नगरों को सुन्दर बनाने एवं नगर निकायों में एक बार पार्को के निर्माण तथा वर्तमान में स्थित पार्को का सुदृढ़ीकरण। | 2019–20 |
| 5 | सड़क पर रेड़ी, फेरी, भिक्षावृत्ति, कूड़ा बिनने वाले सपेरा आदि को सहायता | राज्य सरकार द्वारा फेरी नीति का विख्यापन किया गया है, जिसके अनुसार नगर निकायो में फेरी एवं रेडी लगाने वाले वेडरों का सर्वेक्षण कराकर उन्हें एक निश्चित पर रेडी फेरी लगाने हेतु स्थान उपलब्ध कराया जायेगा । | 10-0 | 0 | – | नगर निकायो में फेरी एवं रेडी लगाने वाले वेडरों को एक निश्चित पर रेडी फेरी लगाने हेतु स्थान उपलब्ध कराया जायेगा | धनराशि अवमुक्त नहीं की गई | फेरी एवं रेडी लगाने वाले वेडरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदात करते हुये रोजगार में संवर्द्धन। | |
| 6 | रैन बसेरो का निर्माण | इस योजनार्न्तगत नगर निकायो में आश्रयहीन लोगों के लिए रैन बसेरों का निर्माण कराया जाता है। प्रशनगत योजना के अन्तर्गत नवगठित 5 नगर निकायों में रैन बसेरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। | – | 200.00 | – | नगर निकायो में आश्रयहीन लोगों के लिए रैन बसेरों का निर्माण | धनराशि अवमुक्त नहीं की गई | शहरी क्षेत्रों में आश्रयहीन गरीब लोगों को रात्रि विश्राम, ठहरने हेतु स्थान उपलब्ध कराना तथा शौचालय, बिस्तर, पानी आदि की निःशुल्क व्यवस्था होगी | |
| | सफाई कर्मचारियों हेतु पारितोषिक | नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के कार्य की विषमता को दृष्टिगत रखते हुए उनको पारितोषिक इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना है | 20.00 | 0.00 | – | नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को पारितोषिक | धनराशि अवमुक्त नहीं की गई | नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को पारितोषिक तथा सामाजिक सुरक्षा ताकि वे बेहतर काम करने का प्रयास कर सकें। | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | | | | | | | | |
| | सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना | नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हितों की रक्षा के दृष्टिगत ये योजना प्रारम्भ की गई है | 20.00 | 0.00 | – | नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हितों की रक्षा | धनराशि अवमुक्त नहीं की गई | नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हितों की रक्षा ताकि वे बेहतर काम करने का प्रयास कर सकें। | |
| | कांवड़ मेले के आयोजन हेतु अनुदान | प्रतिवर्ष सम्पन्न होने वाले कांवड़ मेंले के सफल आयोजन हेतु मेंले आने वाले श्रद्धालुओं को उचित व्यवस्था व अन्य मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी होती है। इस हेतु कांवड़ मेले के आयोजन हेत | 300.00 | 0.00 | – | कांवड़ मेंले मे आने वाले श्रद्धालुओं हेतु उचित व्यवस्था व अन्य मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराना | धनराशि अवमुक्त नहीं की गई | कांवड़ मेंले मे आने वाले श्रद्धालुओं हेतु उचित व्यवस्था व अन्य मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा मेंले का सफल आयोजन | |
| 5 | (बाह्य सहायतित) नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | ADB के सहयोग से 06 शहरो में नगरीय अवस्थाना जैसे सीवरेज, वॉटर सप्लाई तथा स्लम का सुदृढ़ीकरण व विकास किया जायेगा। | 1100 | 3600 | – | देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार ,रूड़की, रामनगर, हल्द्वानी में सीवरेज व पेयजल योजना का निर्माण कार्य पूर्ण | 05 जल शोधन संयत्र का निर्माण एवं कमिशनिंग, 370 कि0मी0 लम्बी जलापूर्ति पाईप लाईन के बिछाने का कार्य, का कार्य पूर्ण 6 नये पम्प हाऊस निर्माण 206 कि0मी0 सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण, 32362 घरों में जलापूर्ति पाईप लाईन का संयोजन। | देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, रूड़की, रामनगर, हल्द्वानी में सीवरेज व पेयजल योजना का निर्माण कार्य से वहां के निवासरित लोगों को बेहतर पेयजल व ड्रेनेज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जलापूर्ति एवं सीवरेज सुविधाओं के लिये वृहद् नियोजन किया गया है। जलापूर्ति के कार्यों का उद्देष्य 100: घरेलू जलापूर्ति कनेक्षन 24/7 पेयजल की आपूर्ति एवं पानी के अपव्यय को 60: से घटाकर 20: से कम पर लाना है। सीवरेज कार्यों के उद्देष्य सीवरेज वितरण प्रणाली को बिछाकर सीवरेज का सोधन करना है जिससे प्रदूशित हो रहे नदी, नालों का संरक्षण हो तथा जन–स्वास्थ्य में वृद्धि हो सके। षहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के कार्यों का उद्देष्य घर–घर से कूड़ा | 2019–20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | इकट्ठा कर उसका उचित ट्रांसपोर्टेषन, डिस्पोज़ल और ट्रीटमेन्ट करना है।<br>एवं<br>परियोजना के अन्तर्गत अगले 30 वर्षो में जलपूर्ति सम्बन्धी कार्यो से लगभग 16 लाख एवं सीवरेज कार्यो से लगभग 12 लाख लोगो को लाभ होना अनुमानित है। | |

आउटकम बजट 2019 – 20

शहरी विकास विभाग

विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित एस०डी०जी० : एस०डी०जी० – 1

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | प्रस्तावित आउट ले | | एस०डी०जी० Goals / Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (NULM)** | शहरी क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक व आर्थिक क्षमता विकास करते हुये प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना एवं उनकी आजीविका को मजबूत करना है। जिससे वह सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। | 1220-00 | 400.0 | No of homeless household<br><br>Functional SHGs to total SHGs formed<br><br>Share of credit linked SHGs under NULM to total SHGs | 1. सामाजिक संगठन एवं संस्थान विकास (एस0एम0 एन्ड आई0डी0), के अन्तर्गत 400 स्वयं सहायता समूह तथा 10 क्षेत्र स्तरीय संघो का निर्माण।<br>2. कौशल विकास एवं प्लेसमेन्ट द्वारा रोजगार (ई0एस0टी0पी0 एन्ड पी), के अन्तर्गत 5000 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ना।<br>3. स्वरोजगार कार्यक्रम (एस0ई0पी0), के अन्तर्गत 1400 व्यक्तिगत ऋण, 100 समूह ऋण तथा 160 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज।<br>4. शहरी बेघरों हेतु आवास योजना (एस0यू0एच0), के अन्तर्गत शहरी बेघरों हेतु 8 एस0यू0एच0 का निर्माण एवं संचालन। | **356 स्वयम् सहायता समूह का गठन**<br><br>**08 क्षेत्र स्तरीय संघों को गठन**<br><br>**4055 लाभार्थियों को प्रशिक्षण**<br><br>**1187 लाभार्थियों को रोजगार हेतु व्यक्तिगत ऋण**<br><br>**5238 स्ट्रीट वेण्डर को पहचान पत्र वितरित।** | ➢ राज्य में शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह क्षेत्र स्तरीय नगर स्तरीय संघ के माध्यम से उनकी आजीविका में सुधार लाना एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। 7500 समुह का गठन वर्ष 2020 तक किया जाएगा।<br>➢ कौशल विकास प्रशिक्षणों के माध्यम से बेरोजगारों हेतु मांगानुरूप प्रशिक्षण आयोजित कर 50 प्रतिशत लाभार्थियों को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ना तथा उनकी आजीविका में सुधार लाना तथा इससे वर्ष 2020 तक 75000 लाभार्थी लाभान्वीत होंगे। तथा 10,000 लोगों को ऋण के माध्यम से लाभान्वीत किये जाने का लक्ष्य।<br>➢ संस्थागत ऋण उपलब्ध होगा एवं सामाजिक सुरक्षा तथा स्वरोजगार के माध्यम से शहरी गरीबों का आजीविका के स्तर को बढ़ावा मिलेगा।<br>➢ शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका हेतु उन्हें उपयुक्त स्थान, संस्थागत<br>➢ ऋण,सामाजिक सुरक्षा एवं कौशल उपलब्ध होगा।<br>➢ स्ट्रीट वेण्डरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदात करते हुये रोजगार में संवर्द्धन। | 2019–20 |

# आउटकम बजट 2019 – 20

## शहरी विकास विभाग

## विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित एस०डी०जी० : एस०डी०जी० – 11 व 12

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | प्रस्तावित आउट ले | | एस०डी०जी० Goals / Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 2 | अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन | 1. भारत सरकार द्वारा 6 नगर निगमों (देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी–काठगोदाम, काशीपुर, रूद्रपुर) तथा नैनीताल में अमृत योजना संचालित की जायेगी। परियोजना में यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवेज कनैक्शन उपलब्ध हो।<br>2. हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना । | 500.00 | 10000.00 | "No. of cities covered/investment : 07 शहरों (देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी व नैनीताल) में रु० 593.02 करोड़ का परिव्यय<br><br>No. of low cost houses for EWS Fuel efficient public transport system (investment and number)" वर्तमान में लागू नही है,<br><br>No. of cities with waste management and sewage treatment plants वर्तमान में 04 शहरों काशीपुर, रुद्रपुर, नैनीताल व हल्द्वानी में एस०टी०पी० प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। | 1. जलापूर्ति (37 योजना)–331.72 करोड़ (06 ओ0एच0टी0 कुल क्षमता–4300 के0एल, 14 ट्यूबवेल, 04 पम्पहॉउस, 200 किलोमीटर जलापूर्ति पाईप लाईन)।<br>2. सीवरेज (42 योजना)–127.56 करोड़ (57.52 किलोमीटर सीवर लाईन)।<br>3. ड्रेनेज (07 योजना)–22.98 करोड़ (2.8 किलोमीटर ड्रेनेज लाईन)।<br>4. पार्क (39 योजना)–13.16 करोड़ (10000 वर्ग मीटर क्षेत्र की ग्रीन स्पेस/पार्क विकसित। | **2 पेयजल की योजनाएं, 02 सीवर की योजनाएं, 02 पार्क की योजना पूर्ण हो चूकी है।** | परियोजना के अन्तर्गत निम्नवत् परिसम्पत्तियों अर्जित कर ली जायेंगीं।<br>06 ओ0एच0टी0 (कुल क्षमता–4300के0एल0)।<br>14 ट्यूबवेल।<br>4 पम्पहाउस।<br>100 किलो0मी0 जलापूर्ति पाईप लाईन।<br>57.52 किलो0मी0 सीवर लाईन।<br>2.8 किलो0मी0 ड्रेनेज लाईन।<br>80704 वर्ग मीटर क्षेत्र की ग्रीन स्पेस/पार्क विकसित।<br>उक्तानुसार कुल 15752 परिवारों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। | 2019–2020 |

## आउटकम बजट 2019 – 20

## शहरी विकास विभाग

विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित एस०डी०जी० : एस०डी०जी० – 01, 06 व 11

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | प्रस्तावित आउट ले | | एस०डी०जी० Goals / Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 9 | **प्रधानमन्त्री आवास योजना** | परियोजनान्तर्गत सभी नगर निकायों में निवासरत लोगों को बेहतर सुख–सुविधाओं के साथ आवास उपलब्ध कराना है। इस योजनान्तर्गत जिनके व्यक्तियों के पास अपना आवास नही है तथा जीर्ण–शीर्ण दशाओं में रहते है की दशा में सुधार करने के लिये एक दृष्टिकोण अपनाते हुए लाभान्वित करते हुए बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं जैसेः–बेहतर समेकित विकास, जलापूर्ति– सफाईसुविधा, आदि उपलब्ध करने प्रयास करना है। परियोजना का प्रारम्भ वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रारम्भ किया गया । | 9100.00 | 0.00 | % age HH covered in Urban areas वर्तमान में 05 प्रतिशत जोकि 1.04 लाख है को योजना में लाभांवित किया जाना है।<br><br>% age of households by IHHL (urban) स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत लाभांवित किया जाना है।<br><br>% age of slum areas covered - 30 प्रतिशत | योजना अंतर्गत लाभार्थी आधारित घटक अंतर्गत 106 परियोजनाएं में 16700 आवास स्वीकृत तथा जिस में से 6000 घरो का निर्माण पूर्ण कर लिया जायेगा, वर्तमान में 5613 मकान का काम प्रगति पर है और 375 पूर्ण हैं। | 297 आवस पूर्ण | इस परियोजना के अन्तर्गत 104200 आवासों का निर्माण करते हुए शहरी क्षेत्र लोगों को अपना आवास उपलब्ध हो जायेगा | 2019–20 |

# आउटकम बजट 2019 – 20

## शहरी विकास विभाग

## विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित एस०डी०जी० : एस०डी०जी० – 01, 06, 11 व 12

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | | एस०डी०जी० Goals / Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018–19 | 01.04.2018 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 10 | स्वच्छ भारत मिशन | स्वच्छ भारत मिशन के मुख्य उद्देश्य ''खुले में शौच'' की प्रवृत्ति का उन्मूलन। मैला ढोने की प्रवृत्ति का उन्मूलन। आधुनिक और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।स्वच्छता से सम्बन्धित जन व्यवहार में परिवर्तन।स्वच्छता के प्रति तथा स्वच्छता के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता लाना। नगर निकायों की क्षमता अभिवृद्धि करना है। | 3000.00 | 4000.00 | % age of households by IHHL (urban) शेष 04 प्रतिशत जनसंख्या का आच्दित किया जाना है।<br><br>% age of door to door waste collection- 93 प्रतिशत डोर – 2 – डोर कुडा संग्रहण किया जा रहा है। | 1– 14400 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण<br>2–1000 सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालय का निर्माण<br>3– 500 सार्वजनिक मूत्रालय का निर्माण<br>4.ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन /सिटी सेनीटेशन प्लेन का विकास। | वर्तमान मे 11250 व्यक्तिगत शौचालय 419 सीट के सार्वजनिक शौचालय व 65 मुत्रालय निर्मित | 1. परियोजना के माध्यम से शुश्क शौचालय को धारा प्रवाहित शौचालय में परिवर्तित किया जायेगा।<br>2. जिन घरों में शौचालय नहीं थे उन घरों में शौचालय का निर्माण किया जायेगा।<br>3. नगरों में खुले में शौच की प्रवृत्ति का उन्मूलन किया जाना है।<br>4. नगरों में स्वच्छता और सफाई की सुनिश्चिता। | 2019–20 |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | | एस०डी०जी० Goals / Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018–19 | 01.04.2017 की स्थिति | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 8 | **स्मार्ट सिटी योजना** | स्मार्ट सिटी के अर्न्तगत देहरादून का शहर का चयन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अर्न्तगत षहर सुनियोजित विकास किया जायेगा | 1000.00 | 15000.00 | | एम0डी0डी0ए0 द्वारा देहरादून नगर का सुनियोजित विकास। | **कार्य प्रारंभ किया जाना** | इस परियोजना के अन्तर्गत देहरादून नगर का सुनियोजित विकास होगा जिससे बेहतर पेयजल व्यवस्था सीवरेज, यातायात की सुविधा निवासियों को उपलब्ध होगी। | 2019–20 |

# श्रम विभाग

(धनराशि लाख रू0 में)

| क0 सं0 | लेखाशीर्षक / योजना का नाम | वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु आउट ले | | एस0डी0 जी0 **Goal Indicator** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेट ) आउटपुट | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेट ) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | लेखानुदान सं0 –16 2230–श्रम तथा रोजगार 001– निदेशन तथा प्रशासन | 343.39 | 0 | –– | 40 विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन / भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय | 40 अधिकारी / कर्मचारी | विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन / भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय | 01 वर्ष |
| 2 | लेखानुदान सं0 –162230–श्रम तथा रोजगार 101– औद्योगिक संबंध 03– विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन का अधिष्ठान | 855.05 | 0 | –– | 112 विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन / भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय | 112 अधिकारी / कर्मचारी | विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन / भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय | 01 वर्ष |
| 3 | लेखानुदान सं0 –16 2230–श्रम तथा रोजगार 101– औद्योगिक संबंध 04– राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड | 58.04 | 0 | –– | 6 बोर्ड के अध्यक्ष तथा कर्मचारियों के वेतन / भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय | 06 अधिकारी / कर्मचारी | बोर्ड के अध्यक्ष तथा कर्मचारियों के वेतन / भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय | 01 वर्ष |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | लेखानुदान सं0 –16 2230–श्रम तथा रोजगार 101– औद्योगिक संबंध 05– औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का अधिष्ठान | 161.41 | | –– | 38 पीठासीन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन/भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय | 40 अधिकारी/ कर्मचारी | पीठासीन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन/भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय | 01 वर्ष |
| 5 | लेखानुदान सं0 –16 2230–श्रम तथा रोजगार 101– औद्योगिक संबंध 06– औद्योगिक संबंध सुद्ढ़ीकरण, आयोगों का सम्मेलन | 0.40 | 0 | –– | आयोगों के सदस्यों के यात्रा भत्तो तथा बैठक मे जलपान व्यय | – | आयोगों के सदस्यों के यात्रा भत्तो तथा बैठक मे जलपान व्यय | 01 वर्ष |
| 6 | लेखानुदान सं0 –16 2230–श्रम तथा रोजगार 101– औद्योगिक संबंध 07– कामकाजी महिलओं की सुरक्षा हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता समिति | 0.30 | 0 | –– | समिति के सदस्यों के यात्रा भत्तो तथा बैठक मे जलपान व्यय | – | समिति के सदस्यों के यात्रा भत्तो तथा बैठक मे जलपान व्यय | 01 वर्ष |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | लेखानुदान सं0 –16 2230–श्रम तथा रोजगार 102– कार्य की परिस्थितियॉ तथा सुरक्षा 03– निरीक्षण का अधिष्ठान | 115.95 | 0 | –– | 12 विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन / भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय | 12 अधिकारी / कर्मचारी | विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन / भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय | 01 वर्ष |
| 8 | लेखानुदान सं0 –16 2230–श्रम तथा रोजगार 103–सामान्य श्रम कल्याण 03–श्रम कल्याण की विविध योजनायें / कल्याण केन्द्र | 55.04 | 0 | –– | 07 विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन / भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय | 07 अधिकारी / कर्मचारी | विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन / भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय | 01 वर्ष |
| 9 | लेखानुदान सं0 –16 2230–श्रम तथा रोजगार 103–सामान्य श्रम कल्याण 07–श्रम विभाग के प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण एवं विकेन्द्रीकरण | 15.00 | 0 | –– | श्रम आयुक्त कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं विकेन्द्रीकरण | 22 कार्यालय | श्रम आयुक्त कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं विकेन्द्रीकरण | 01 वर्ष |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | लेखानुदान सं0 –16<br>2230–श्रम तथा रोजगार<br>103–सामान्य श्रम कल्याण<br>09–असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का सर्वेक्षण एवं चिन्हिंकरण | 50.00 | 0 | –– | 40 हजार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के चिन्हींकरण के कार्य हेतु | 40000 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के चिन्हींकरण | असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण। | 01 वर्ष |
| 11 | लेखानुदान सं0 –16<br>2230–श्रम तथा रोजगार<br>103–सामान्य श्रम कल्याण<br>10–असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ऑन लाइन पंजीकरण / नवीनीकरण | 50.00 | | –– | 40 हजार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ऑन लाइन पंजीकरण तथा स्मार्ट कार्ड प्रदान किये जाने हेतु | 40000 चिन्हींत श्रमिकों का ऑन लाइन पंजीकरण कर स्मार्ट कार्ड प्रदान करना | असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण। | 01 वर्ष |
| 12 | लेखानुदान सं0 –16<br>2230–श्रम तथा रोजगार<br>103–सामान्य श्रम कल्याण<br>12–विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत ऑन लाइन पंजीकरण / नवीनीकरण | 10.00 | | –– | 5 श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत ऑन लाइन पंजीकरण / नवीनीकरण तथा बैकलॉग का कार्य किया जाना। | 5 श्रम अधिनियम | विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत ऑन लाइन पंजीकरण / नवीनीकरण तथा बैकलॉग का कार्य किया जाना। | 01 वर्ष |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | लेखानुदान सं0 –16<br>2230–श्रम तथा रोजगार<br>103–सामान्य श्रम कल्याण<br>13– दीन दयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना | 0.001 | 0 | –– | असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा बीमा दिया जाना प्रस्तावित है। | सर्वेक्षण प्रस्तावित | असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा बीमा दिया जाना प्रस्तावित है। | 01 |
| 14 | लेखानुदान सं0 –16<br>2230–श्रम तथा रोजगार<br>103–सामान्य श्रम कल्याण<br>16– आम आदमी बीमा योजना | 1137.15 | 0 | –– | 665000 गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुखिया हेतु आम आदमी बीमा योजना का संचालन हेतु | 665000 बी0पी0एल. परिवार | गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। | 01 वर्ष |
| 15 | लेखानुदान सं0 –16<br>2230–श्रम तथा रोजगार<br>103–सामान्य श्रम कल्याण<br>17–भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर की वापसी | 500.00 | 0 | –– | शासकीय खाते में जमा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर की धनराषि को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा कराने हेतु | 1 | उपकर की धनराषि को बोर्ड के खाते में जमा किया जाना | 01 वर्ष |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | लेखानुदान सं0 –16<br>4216– आवास एवं पूंजीगत परिव्यय<br>80– सामान्य<br>001– निदेशन तथा प्रशासन<br>03–श्रम आयुक्त के अधीन आवासीय/अनावायीय भवन/भूमि क्रय | 0 | 100.00 | –– | 02 भवन जनपद देहरादून में उप श्रम आयुक्त कार्यालय भवन, श्रम आयुक्त कार्यालय का विस्तार तथा श्रम न्यायालय काषीपुर के कार्यालय भवन निर्माण की अवषेष धनराषि हेतु | 02 भवन | विभाग का अपना कार्यालय भवन बनाना | 01 वर्ष |
| | | 3351.75 | 100.00 | | | | | |

राजस्व मद – 335175000.00
पूंजीगत मद – 10000000.00
योग – 345175000.00 (रू0 चौतीस करोड़ इक्यावन लाख पिचहत्तर हजार मात्र)

# श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

एस0डी0जी0–04

(धनराशि लाख रु0 में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 गोल्स / इंण्डीकेटर्स | परिकल्पित आउटपुट | 01–04–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | श्री देव सुमन विश्वविद्यालय अधिष्ठान | 1. विश्वविद्यालय के कार्मिकों का वेतन भुगतान<br>2. पंजीकृत परीक्षार्थियों की परीक्षाओं का संचालन | 700.00 | 00 | **4.3d** GER at Higher Education | 129 सृजित पद | 42.8 | 01 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षाऐं सम्पन्न होंगी। 139 राजकीय महाविद्यालय एवं निजी संस्थान सम्बद्ध होंगे जिससे जी0ई0आर0 में सुधार होगा तथा एस0डी0जी0 के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षकों की भर्ती कर शिक्षक अनुपात में सुधार होगा तथा एस0डी0जी0 पर सेमीनार आयोजित किया जायेगा | 01 वर्ष |
| | | | | | **4.3e** NER at Higher Education | 139 सम्बद्ध संस्थानों में अध्ययनरत 35 हजार परीक्षार्थी | NA | | |
| | | | | | **4.3f** Pupil Teacher Ratio at Higher Education | | 142:1 | | |
| | | | | | **4.7a** Number of seminars /workshops/trainings on SDGs | 30 हजार व्यक्तिगत परीक्षार्थी | NA | | |
| 2 | श्री देव सुमन विश्वविद्यालय की पूंजीगत | विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विभिन्न निर्माण | 00 | 50.00 | | विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अभिलेखागार–01, | | अभिलेखागार बनने से परीक्षा अभिलेख सुरक्षित एवं | 02 वर्ष |

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 गोल्स/ इंण्डीकेटर्स | परिकल्पित आउटपुट | 01–04–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | परिसम्पत्तियों का सृजन | कार्य | | | | कुलपति आवास–01, अतिथि गृह–01 एवं देहरादून में शैक्षिक परिसर का निर्माण तथा विश्वविद्यालय के गोपेश्वर परिसर का निर्माण कार्य | | व्यवस्थित रहेगे। शैक्षिक परिसरों हेतु अकादमिक भवन में अध्यापन का कार्य कराया जायेगा जिससे एस0डी0जी0 हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होगी। | |

# आउट–कम बजट वर्ष 2019–20

विभाग का नाम– संस्कृत शिक्षा विभाग

(धनराशि लाख में)

| क्र.सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| निदेशालय/परिषद/जनपद इकाई/संस्कृत विद्यालय | | | | | | | | | |
| 1. | 03– संस्कृत शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान | 1. निदेशालय अधिष्ठान में सृजित 18 पदों के सापेक्ष अधिकारी/कर्मचारियों के वेतनादि पर व्यय हेतु प्रस्तावित 2. संस्कृत शिक्षा निदेशालय हेतु आवंटित भूमि की चाहरदीवारी हेतु व्यय प्रस्तावित | 87.42 | 0 | 04 | निदेशालय अधिष्ठान पर व्यय प्रस्तावित | 1 वर्ष | निदेशालय अधिष्ठान में स्वीकृत विभिन्न संवर्ग के 18 पदों पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतनादि एवं कार्यालय अधिष्ठान पर व्यय। | 1 वर्ष |
| 2. | 03–राजकीय संस्कृत पाठशाला | 1. 06 राजकीय विद्यालयों में कार्यरत विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत 90 पदों के सापेक्ष कार्यरत शिक्षक/शिक्षर्णेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि पर व्यय प्रस्तावित। 2. राजकीय संस्कृत विद्यालयो हेतु शौचालय निर्माण कार्य में व्यय प्रस्तावित। | 192.72 | 0 | – | 1–राजकीय विद्यालयों में विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत 90 पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों के वेतनादि पर व्यय प्रस्तावित। 2–संस्कृत विद्यालयों में लघु निर्माण कार्यों हेतु व्यय। | 1 वर्ष | 1. अधिष्ठान वेतनादि पर व्यय 2. संस्कृत विद्यालयों में लघु निर्माण कार्यों हेतु व्यय | 1 वर्ष |
| 3. | 04– संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान | 1. 75 अशाासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों हेतु विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत 506 पदों के सापेक्ष कार्यरत शिक्षक/ शिक्षर्णेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि पर व्यय प्रस्तावित। 2. 75 अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के काष्ठोपकरण एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था पर कार्यरत शिक्षकों के मानदेय दिये जाने हेतु | 2240.00 | 0 | – | 1–अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत 506 पदों पर व्यय प्रस्तावित 2–प्रबन्धकीय व्यवस्था पर कार्यरत शिक्षकों के मानदेय दिये जाने हेतु प्रस्तावित। | 01 वर्ष | 1–अधिष्ठान वेतनादि पर व्यय 2–प्रबन्धकीय व्यवस्था पर कार्यरत शिक्षकों के मानदेय दिये जाने हेतु प्रस्तावित। | 1 वर्ष |

| क्र.सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | प्रस्तावित। | | | | | | | |
| 4. | 06– जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण | 1. 13 जनपदों में स्वीकृत 13 सहायक शिक्षा निदेशक एवं 13 कनिष्ठ सहायकों के सापेक्ष कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतनादि पर व्यय प्रस्तावित<br>2. जनपद कार्यालय हेतु भवन किराये पर लिये जाने के दृष्टिगत मानक मद 17–किराया उपशुल्क मद में नई मांग के माध्यम से धनराशि रूपये 2.00 लाख प्रस्तावित। | 73.26 | 0 | – | 13 जनपदों में स्वीकृत सहायक शिक्षा निदेशकों एवं कनिष्ठ सहायकों के अधिष्ठान पर व्यय प्रस्तावित। | 1 वर्ष | अधिष्ठान वेतनादि पर व्यय | 1 वर्ष |
| 5. | 07– संस्कृत पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण एवं निःशुल्क वितरण | संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 01 से कक्षा 12 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को पाठ्यपुस्तकों के क्रय हेतु डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि का आवंटन पर व्यय प्रस्तावित। | 25.00 | 0 | – | संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राओं को पाठ्यपुस्तकों के क्रय हेतु डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि का आवंटन पर व्यय प्रस्तावित। | 1 वर्ष | डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि का आवंटन पर व्यय प्रस्तावित। | 1 वर्ष |
| 6. | 08– उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन | 1. परिषद् अधिष्ठान में सृजित 19 पदों के सापेक्ष कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतनादि एवं वर्ष 2019 की संस्कृत विद्यालयों की पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की परिषदीय परीक्षाओं के आयोजन पर व्यय प्रस्तावित।<br>2. नई मांग के माध्यम से परिषदीय परीक्षाओं के सफल आयोजन हेतु विभागीय एक | 91.95 | 0 | – | 1– परिषद् अधिष्ठान पर व्यय प्रस्तावित<br>2– 2019 की परिषदीय परीक्षा पर व्यय प्रस्तावित।<br>3– विभागीय एक वाहन क्रय पर व्यय प्रस्तावित। | 1 वर्ष | परिषद् अधिष्ठान में स्वीकृत पदों पर अधिकारी/कर्मचारियों के वेतनादि तथा वर्ष 2019 की परिषदीय परीक्षा, वाहन क्रय एवं कार्यालय अधिष्ठान पर व्यय | 1 वर्ष |

| क्र.सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | वाहन क्रय हेतु धनराशि रूपये 8.00 लाख प्रस्तावित। | | | | | | | |
| 7. | 09– संस्कृत महाविद्यालयों को अनुदान | 13 'क' वर्गीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पद सृजन के उपरान्त वेतनादि पर व्यय प्रस्तावित। | 0.01 | 0 | – | 13 'क' वर्गीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पदसृजन के उपरान्त वेतनादि पर व्यय प्रस्तावित | 1 वर्ष | अधिष्ठान वेतनादि पर व्यय | 1 वर्ष |
| 8. | 08–राजकीय संस्कृत आवासीय विद्यालयों की स्थापना | राज्य में अवस्थित संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु दोनों मण्डलों (कुमायूं एवं गढ़वाल) में एक–एक राजकीय आवासीय संस्कृत विद्यालय की स्थापना/भवन निर्माण हेतु व्यय प्रस्तावित | 0 | 50.00 | – | आवासीय विद्यालयों के भवन/छात्रावास निर्माण कार्य हेतु। | 1 वर्ष | शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर संवर्ग के कार्मिकों के वेतनादि का भुगतान तथा कार्यालय व्यय, कार्यालय फर्नीचर, लेखन सामग्री, भोजन व्यय आदि तथा आवासीय विद्यालयों के भवन/छात्रावास निर्माण कार्य हेतु। | 1 वर्ष |
| 9. | 02– मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति | पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण 10–10 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने पर व्यय प्रस्तावित। | 3.00 | 0 | – | वर्ष 2019 में पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण 10–10 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने पर व्यय प्रस्तावित। | 1 वर्ष | पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण 10–10 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने पर व्यय प्रस्तावित। | 1 वर्ष |
| | | **योग–** | **2713.36** | **50.00** | | | | | |
| **उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार** | | | | | | | | | |
| 10. | वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान | संस्कृत के प्रचार–प्रसार एवं संवर्द्धन आदि हेतु | 86.26 | 0 | – | उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार में कार्यरत कार्मिकों के वेतन पर व्यय प्रस्तावित। | 1 वर्ष | उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार के लिए स्वीकृत पदों पर कार्यरत कार्मिकों के वेतन–भत्ते आदि पर व्यय हेतु | **1 वर्ष** |
| 11. | सहायकअनुदान/अंशदान/राजसहायता | संस्कृत के प्रचार–प्रसार एवं संवर्द्धन आदि हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन | 100.00 | 0 | – | 1. कार्यालय अधिष्ठान इत्यादि पर व्यय<br>2. उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार द्वारा विविध प्रतियोगिताओं, विविध प्रकाशन, सम्मान एवं | 1 वर्ष | संस्कृत भाषा के प्रचार–प्रसार एवं संवर्धन | **1 वर्ष** |

| क्र.सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले | | एस0डी0जी0 Goals/Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | पुरस्कार, सम्मेलन, गोष्ठियॉं, संस्कृत नाट्य प्रशिक्षण इत्यादि एवं पुस्तकालय पर व्यय | | | |
| 12. | अकादमी के निर्माण कार्य | संस्कृत के प्रचार–प्रसार एवं संवर्द्धन आदि हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजनार्थ | 0 | 200.00 | – | रू0 1084.24 लाख के स्वीकृत लागत से आडिटोरियम का निर्माण हेतु | 1 वर्ष | संस्कृत भाषा के प्रचार–प्रसार से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनार्थ | 1 वर्ष |
| योग | | | **186.26** | **200.00** | | | | | |
| उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार | | | | | | | | | |
| 13. | वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान | राज्य में संचालित संस्कृत महाविद्यालयों को मान्यता दिया जाना एवं उन पर नियंत्रण तथा संस्कृत में उच्च शिक्षा प्रदान किया जाना | 600.00 | 0 | – | विश्वविद्यालय के कार्मिकों के वेतन पर व्यय प्रस्तावित | 1 वर्ष | संस्कृत शिक्षा में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। | 1 वर्ष |
| 14. | सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता | | 150.00 | 0 | – | 1. विश्वविद्यालय के कार्यालय व्यय इत्यादि पर व्यय प्रस्तावित है।<br>2. छात्रों की संख्या में वृद्वि करना। | 1 वर्ष | विश्वविद्यालय के संचालन हेतु | 1 वर्ष |
| 15. | विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य | विश्वविद्यालय के प्रशासकीय/छात्रावास निर्माण कार्यों के संचालनार्थ | 0 | 300.00 | प्रशासनिक भवन के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करना। | विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य। | 2 वर्ष | विश्वविद्यालय का अवस्थापना विकास | 2 वर्ष |
| योग | | | **750.00** | **300.00** | | | | | |
| महायोगः– | | | **3649.62** | **550.00** | | | | | |

# संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड
## आउटकम बजट
## (वर्ष 2019–20)

( धनराशि लाख ₹ में)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देष्य | आउट ले | | एस0डी0 जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजी | | | | | |
| 1. | अनुदान संख्या–11 2205–कला एवं संस्कृति–00–001– निदेषन तथा प्रषासन 03–सांस्कृतिक कार्य निदेषालय | संस्कृति विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्यों के सम्पादन एवं नियंत्रण तथा विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संस्कृति निदेषालय की स्थापना। प्रदेष की लुप्तप्रायः लोक संस्कृति के संवर्द्धन, संरक्षण एवं उन्नयन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। | 735.73 | – | संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्द्धन | 1–अधिष्ठान व्यय अधिकारी/नियमित कर्मचारियों की संख्या–20 आऊटसोर्स–26<br>2–600 सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रदेष एवं प्रदेष के बाहर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम | 560 सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रदेष एवं प्रदेष के बाहर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम | विभागीय योजनाओं का सफल संचालन एवं संस्कृति से जुड़े कलाकारों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार एवं संस्कृति का प्रचार–प्रसार। | 2 वर्ष |
| 2. | 04–कलाकार कल्याण कोष | लोक कलाकारों के कल्याण हेतु कोष की स्थापना। | 30 | | – | एन0जेड0सी0सी0 द्वारा प्रदेष के लोक कलाकारों को बुलाये जाने पर कॉरपस फण्ड की धनराषि के ब्याज से कलाकारों को मानदेय भुगतान, किराया एवं भोजन आदि की व्यवस्था एन0जेड0सी0सी0 द्वारा की जाती है। | – | – | – |
| 3. | 05–धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अधिष्ठान | प्रदेश में स्थित विभिन्न धार्मिक स्थलों, तीर्थों के रख–रखाव एवं संचालन। | 84.20 | | – | 1–अधिष्ठान व्यय<br>2– पौराणिक धरोहरों का रख–रखाव–10 | – | धार्मिक एवं पौराणिक तीर्थों के रख–रखाव से पर्यटन को बढ़ावा। | 2 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देष्य | आउट ले | | एस0डी0 जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019—20 | 1—4—2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजी | | | | | |
| 4. | 101—ललित कला षिक्षा— 03— भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय | भारतीय षास्त्रीय संगीत एवं लोक संस्कृति के प्रति छात्र—छात्राओं में अभिरूचि बनाये रखने के उद्देष्य से भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय , अल्मोड़ा, देहरादून एवं पौड़ी की स्थापना। | 315.53 | | ष्षास्त्रीय संगीत में विभिन्न विधाओं में मानक षिक्षा प्रदान करना। | 1—कर्मचारी / षिक्षकों का अधिष्ठान व्यय नियमित—29 आउटसोर्स—20 2—कुल 650 छात्र—छात्राओं को मानक षिक्षा प्रदान करना | 625 छात्र—छात्रायें | षास्त्रीय संगीत से उत्कृष्ट कलाकार, संगीतज्ञ एवं षिक्षक तैयार किये जायेंगे। | 8 वर्ष |
| 5. | 03—स्वायत्तषासी संस्थाओं को अनुदान | लोक संगीत, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, वेष—भूषा एवं ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण, संवर्द्धन एवं उन्नयन में अनवरत रूप से कार्यरत व्यक्तियों /गैर सरकारी संगठनों को आर्थिक अनुदान। | 45 | | — | 40 | 31 | कला का संरक्षण एवं संवर्द्धन | 3 वर्ष |
| 6. | 04—स्व0 गो0ब0 पन्त लोक कला संस्थान | लोक कलाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, विकास, षोध, संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन तथा भावी पीढ़ी के लिये संजोए रखने के उद्देष्य से अल्मोड़ा में लोक कला संस्थान की स्थापना। | 18.42 | | — | अधिष्ठान व्यय— 02 कर्मचारी | — | लोक कलाओं को प्रकाष में लाना। | 2 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देष्य | आउट ले | | एस0डी0 जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजी | | | | | |
| 7. | 06–साहित्यिक कला परिषद की स्थापना | साहित्य, संस्कृति, संगीत, लोक गीत, लोक नृत्य, प्रदेष की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं सुनियोजित विकास हेतु देहरादून में संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना। | 20 | | – | अधिष्ठान व्यय | – | प्रदेष की समृद्धषाली कला एवं संस्कृति को अक्षुण्ण रखा जा सकेगा। | 2 वर्ष |
| 8. | 08–रंगमण्डल स्थापना | विभिन्न अंचलों में प्रचलित लोक गीत, लोक नृत्य एवं लोक नाटकों के वास्तविक रूप को जीवन्त रखने के उद्देष्य से देहरादून एवं अल्मोड़ा में रंगमण्डल की स्थापना। | 20 | | – | 1–अधिष्ठान व्यय आउटसोर्स–3<br>2–नाट्य महोत्सव–01 कार्यषाला–3 | 04 | अभिनय कला का कार्यषालाओं के माध्यम से प्रषिक्षण प्रदान कर प्रषिक्षुओं को रोजगार परक बनाना। | 2 वर्ष |
| 9. | 09–वृद्ध कलाकारों, लेखकों को मासिक पेंषन | प्रदेष की लोक सांस्कृतिक विरासत के उन्नयन एवं संवर्द्धन में अनवरत रूप से जुड़े कलाकार एवं लेखक जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा वृद्धावस्था एवं अस्वस्थता के कारण अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हो गये हों, ऐसे वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों, लेखकों एवं साहित्यकारों को मासिक पेंषन का भुगतान। | 50 | | – | 200 कलाकार/ लेखक | 173 | कलाकार/लेखकों का भविष्य आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित रहेगा। | 2 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देष्य | आउट ले | | एस0डी0 जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजी | | | | | |
| 10. | 12–षहीद स्मारक | षहीदों की चिरस्मृति संजोए रखने के उद्देष्य से षहीद स्मारकों का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण। | 20 | | – | 3 षहीद स्मारकों का जीर्णोद्धार | 03 | जन सामान्य 3 षहीदों के त्याग व बलिदान से परिचित होंगे। | 2 वर्ष |
| 11. | 13–उदय षंकर नृत्य अकादमी का संचालन | भारत की विभिन्न लोक एवं षास्त्रीय नृत्यों पर आधारित अभिनय कला के नियमित प्रषिक्षण दिये जाने हेतु अल्मोड़ा में उदयषंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना। | 48 | | – | अकादमी भवन का रख–रखाव एवं संचालन। | 01 | पं0 उदयशंकर की विषिष्ट षैली के अध्ययन/ प्रषिक्षण से भावी पीढ़ी लाभान्वित होगी। | 2 वर्ष |
| 12. | 19–सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का क्रय | सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं जो आज भी जनमानस के नियंत्रण में हैं, ऐसे बहुमूल्य कलाकृतियों एवं पुरावषेषों को संरक्षित एवं प्रदर्षित करने के उद्देष्य से क्रय किया जाना। | 30 | | – | 10 दुर्लभ एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का क्रय। | – | पुरासम्पदा के महत्व के बारे में आम जनमानस को जानकारी प्राप्त होगी। | 3 वर्ष |
| 13. | 23–महान विभूतियों की वर्षगांठ का आयोजन | देष एवं प्रदेष के महान विभूतियों के योगदान को भावी पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देष्य से उनकी स्मृति में उनके जन्म दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों एवं गोष्ठियों का आयोजन। | 10 | | – | 02 महान विभूतियां | 02 महान विभूतियां | महान विभूतियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से आम जनमानस प्रेरित होगा। | 1 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देष्य | आउट ले | | एस0डी0 जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजी | | | | | |
| 14. | 25–कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति योजना | कनिष्ठ कलाकारों को आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित करने तथा वरिष्ठ कलाकारों को उनकी सृजनात्मक कृतियों के लिये छात्रवृत्ति एवं जीवन पर्यन्त उपलब्धि पुरस्कार दिया जाना। | 15 | | – | 10 | – | युवाओं में अपनी संस्कृति के प्रति अभिरूचि उत्पन्न होगी। | 3 वर्ष |
| 15. | 32–देहरादून में ललित कला एवं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना | प्रदेश में साहित्य, संस्कृति, लोक संगीत, लोक गीत, लोक नृत्य, रंगमंच, नाट्य कला, षास्त्रीय संगीत तथा ललित कला के संरक्षण, संवर्द्धन एवं उन्नयन हेतु देहरादून में ललित कला एवं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। | 10 | | – | 4 कार्यषालायें | 4 | ललित कला एवं संगीत का प्रचार–प्रसार | 2 वर्ष |
| 16. | 33– लेखकों को पुस्तक प्रकाषन हेतु वित्तीय सहायता | आर्थिक रूप से विपन्न ऐसे लेखक, कवि एवं साहित्यकार जिनकी कृतियां धनाभाव के कारण प्रकाषित नहीं हो पाती हैं, उन्हें पुस्तक प्रकाषन हेतु वित्तीय सहायता। | 15 | | – | 40 लेखक/ साहित्यकार/कवि | 11 | संस्कृति के क्षेत्र में नई पीढ़ी को ज्ञान मिलेगा। | 3 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देष्य | आउट ले | | एस0डी0 जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजी | | | | | |
| 17. | 34– धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेष के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता। | प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासी जिनके द्वारा कैलाष मानसरोवर यात्रा पूर्ण की जाती है, को रू0 25 हजार धनराषि आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करना। | 4 | | – | 30 स्थाई निवासी | 8 | धार्मिक यात्राओं के माध्यम से संस्कृति से रू–ब–रू एवं पर्यटन को बढ़ावा देना। | 2 वर्ष |
| 18. | 35–मेला समितियों को पारम्परिक एवं अन्य मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता | मेला समितियों को संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रदेष के पौराणिक एवं ऐतिहासिक मेलों के आयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्रदान करना है। | 100 | | – | 60 मेला समितियां | 73 | मेलों के आयोजन से प्रदेष की लोक संस्कृति, रहन–सहन एवं रीति–रिवाज समृद्ध होगी। | 2 वर्ष |
| 19. | 36–संस्कृति के विभिन्न आयामों का आडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण | प्रदेश की लुप्तप्रायः संस्कृति तथा मूर्धन्य कलाकारों की कृतियों को भावी पीढ़ी के लिये संजोए रखने के उद्देष्य से ऑडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण द्वारा संरक्षित किया जाना। | 20 | | – | 8 अभिलेखीकरण कार्य | 10 | भावी पीढ़ी लुप्तप्रायः संस्कृति तथा मूर्धन्य कलाकारों की कृतियों से प्रेरित होगी। | 2 वर्ष |
| 20. | 38–बद्री–केदार उत्सव | देश के चार प्रसिद्ध धामों यथा गंगोत्री, यमुनोत्री, बदरीनाथ एवं केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को प्रदेष की गरिमामयी लोक संस्कृति से रू–ब–रू कराना। | 20 | | – | 8 सांस्कृतिक कार्यक्रम | 8 | प्रदेष के कलाकारों को रोजगार उपलब्ध होगा एवं संस्कृति का प्रचार–प्रसार | 2 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देष्य | आउट ले | | एस0डी0 जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019—20 | 1—4—2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजी | | | | | |
| 21. | 39—हरेला महोत्सव का आयोजन | वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित किये जाने के लिये माह जुलाई में प्रत्येक वर्श हरेला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। | 25 | | — | हरेला महोत्सव | हरेला महोत्सव | जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता | 3 वर्ष |
| 22. | 40—राज्य स्तरीय लोक संगीत/लोक कला प्रतियोगिता का आयोजन | माह नवम्बर के प्रथम सप्ताह में राज्य स्तर पर लोक संगीत एवं लोक कला प्रतियोगिता का वृहद स्तर पर आयोजन जिसमें प्रदेष के खान—पान, लोक कला, वेष—भूषा, क्राफ्ट आदि का समावेष किया जाता है। | 20 | | — | प्रतियोगितायें | — | लोक संस्कृति से जुड़ी हुई समस्त विधाओं से आम जनमानस परिचित होंगे। | 2 वर्ष |
| 23. | 41—प्रदेष की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्द्धन | प्रदेश की लोक भाषाओं गढ़वाली—कुमाऊँनी भाषा के संरक्षण, संवर्द्धन, भाषा की लिपि आदि में षोध कार्य, पर्वतीय रामलीला, होली, जागर, रम्माण, पाण्डवाणी, लोक गाथायें इत्यादि का संरक्षण, संवर्द्धन एवं इस क्षेत्र में कार्यरत कलाकारों, लेखकों को आर्थिक सहायता/ छात्रवृत्ति दिया जाना। | 30 | | — | 30 | 27 | प्रदेश की लोक भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्द्धन। | 3 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देष्य | आउट ले | | एस0डी0 जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजी | | | | | |
| 24. | 42–चैतुला फण्ड / चैतुला उत्सव का आयोजन | चैत्र माह के एक गते संक्रांति के दिन से सम्पूर्ण चैत्र मास में चैतुल / फुलदेई उत्सव का आयोजन तथा फुलदेई प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार की धनराषि प्रदान करना। | 20 | | – | 5 कार्यक्रम / प्रतियोगितायें | – | भावी पीढ़ी को लुप्त हो रहे त्योहारों से रू–ब–रू कराना। | 2 वर्ष |
| 25. | 43–राज्योत्सव (राज्य स्तरीय लोक संगीत / लोक कला प्रतियोगिता का आयोजन) | राज्य गठन के अवसर पर माह नवम्बर के प्रथम सप्ताह में प्रदेष में राज्योत्सव मनाया जाता है। | 50 | | – | 4 सांस्कृतिक कार्यक्रम / प्रतियोगितायें | – | लोक संस्कृति से जुड़ी हुई समस्त विधाओं से आम जनमानस को परिचित कराना। | 1 वर्ष |
| 26. | 44–हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र देहरादून का वार्षिक रख–रखाव | गढ़ी कैंट, देहरादून में हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र में राज्य स्तरीय संग्रहालय तथा ऑडिटोरियम के अतिरिक्त इसमें पुस्तकालय, नाट्यषाला, एक वृहद कान्फ्रेंस हॉल, वाह्य एवं आन्तरिक कला दीर्घायें, ललित कला एवं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। | 40 | | – | हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र का वार्षिक रख–रखाव | – | देष–विदेष से पधारने वाले पर्यटकों, षोधार्थियों एवं जन सामान्य को पुरा सम्पदा के सम्बन्ध में आवष्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु। | 2 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देष्य | आउट ले | | एस0डी0 जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजी | | | | | |
| 27. | 45–विषिष्ट षैली/ वास्तुकला में निर्मित भवनों का संरक्षण एवं संवर्द्धन | प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विषेषतः– रवांई, बड़कोट जनपद उत्तरकाषी आदि में विषिष्ट पर्वतीय षैली तथा विषेषतः वास्तु कला के लगभग 200 वर्ष से भी पूर्व के भवन निर्मित हैं। अनुपम बेजोड़ षैली में निर्मित ये भवन हमारी धरोहर हैं, जो कि वर्तमान में जर्जर स्थिति में हैं। इस प्रकार के भवनों का जीर्णोद्धार कर संरक्षित तथा प्रतिस्थापित किया जाना। | 20 | | – | 02 | | पर्वतीय षैली तथा विषेष वास्तुकला के भवनों का संरक्षण। | 3 वर्ष |
| 28. | 46–उत्तराखण्डी बोली भाषा संस्थान | उत्तराखण्ड में प्रचलित तथा बोली जाने वाली गढ़वाली–कुमाऊँनी, जौनसारी आदि लोक भाषाओं में षोध कार्य, लेखन, उन्नयन, साहित्य के संरक्षण, पोषण, संवर्द्धन, भाषा की लिपि आदि तथा लोक भाषाओं के विद्यार्थियों, षोधार्थियों, लेखकों/ साहित्यकारों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु बोली भाषा संस्थान की स्थापना। | 0.01 | | – | – | 1 | लोक भाषाओं का संरक्षण, पोषण तथा संवर्द्धन होगा। | 3 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देष्य | आउट ले | | एस0डी0 जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजी | | | | | |
| 29. | 103–पुरातत्व विज्ञान 0101–पुरावषेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 का कार्यान्वयन (75 प्रतिषत के0स0) | राज्य स्तर पर पुरावषेषों की खोज, सूचीकरण, वर्गीकरण हेतु पुरावषेष षिविरों का आयोजन तथा उनके अभिलेखीकरण व छायांकन तथा पंजीकरण का कार्य करना। | 12.78 | | – | अधिश्ठान व्यय | – | भावी पीढ़ी को अपने अतीत के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। | 1 वर्ष |
| 30. | 103–पुरातत्व विज्ञान 03–पुरातत्व अधिष्ठान | प्रदेश के संरक्षित एवं संरक्षणाधीन स्मारक एवं स्थलों को संरक्षण की दृष्टि से जीर्णोद्धार कर मूल स्वरूप प्रदान करना तथा उनकी सुरक्षा करना। | 195.39 | | – | 1–अधिष्ठान व्यय<br>नियमित–20<br>आउटसोर्स–5<br>2– 10 पुरातात्विक स्थलों का सामान्य अनुरक्षण<br>विषेष अनुरक्षण–9<br>(जीर्णोद्धार)–3 | 10 | ऐतिहासिक धरोहरों के मूल स्वरूप को बनाये रखना। | 2 वर्ष |
| 31. | 104–अभिलेखागार 03–राज्य अभिलेख | जनसामान्य के व्यक्तिगत अधिकार में तथा षासकीय कार्यों से अभिलेखों, दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों का स्थानान्तरण तथा विभाग के पास उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखों एवं दुर्लभ पाण्डुलिपियों को संरक्षित किये जाने हेतु आवष्यक मरम्मत, वाष्पीकरण तथा माइक्रोफिल्मिंग आदि कार्य सम्पादित करना। | 178.31 | | – | अधिश्ठान व्यय<br>नियमित–15<br>आउटसोर्स–9 | – | षोधार्थियों एवं भावी पीढ़ी को प्राचीन अभिलेखों एवं दुर्लभ पाण्डुलिपियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु संरक्षित करना। | 2 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देष्य | आउट ले | | एस0डी0 जी0 **Goals/ Indicators** | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजी | | | | | |
| 32. | 107–संग्रहालय 03–अधिष्ठान व्यय | यत्र–तत्र बिखरे पुरावषेषों को सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित करने के साथ–साथ आम जनमानस के नियंत्रण में उपलब्ध ऐतिहासिक वस्तुओं को क्रय कर संरक्षित एवं प्रदर्षित करना। | 142.27 | | – | अधिष्ठान व्यय<br><br>सर्वेक्षण/ संरक्षण/ प्रदर्षन | – | षोध छात्रों एवं आगन्तुकों हेतु पुरावषेषों एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं उपलब्ध होंगी। | 1 वर्ष |
| 33. | 03–संग्रहालय भवन सम्बन्धी निर्माण | आर्ट गैलरी, सांस्कृतिक परिसर आदि के निर्माण का मुख्य उद्देष्य आधुनिक कला, कलाकृतियां, प्रस्तर प्रतिमाओं, प्राचीन सिक्कों, प्राचीन आभूशणों का प्रदर्षन। | | 300 | – | 05 | 03 | पर्यटकों एवं आम जनमानस हेतु कलाकृतियों, प्रस्तर प्रतिमाओं, प्राचीन सिक्कों, प्राचीन आभूषणों का संरक्षण। | 5 वर्ष |
| 34. | 04–महान विभूतियों की मूर्तियां/षहीद स्मारक का निर्माण | महान विभूतियों की चिर स्मृति को संजोए रखने के उद्देष्य से षहीद स्मारकों का निर्माण एवं मूर्ति स्थापना। | | 200 | – | 11 | 2 | भावी पीढ़ी को महान विभूतियों की जानकारी प्राप्त होगी। | 3 वर्ष |
| 35. | 05–नेहरू हेरिटेज सेन्टर | नेहरू जी की स्मृतियों को संजोए रखने के उद्देष्य से देहरादून के पुराने जेल परिसर स्थित नेहरू वार्ड को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित कर भावी पीढ़ी को परिचित कराना। | | 50 | – | 01 | 01 | स्वाधीनता संग्राम में नेहरू जी के योगदान उनके त्याग व जीवन आदर्षों तथा मार्गदर्षन से आमजनमानस परिचित होंगे। | 2 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देष्य | आउट ले | | एस0डी0 जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजी | | | | | |
| 36. | 06–प्रेक्षागृह का निर्माण | प्रदेष के जिन जनपदों में संस्कृति विभाग की कोई भी संस्था कार्यरत अथवा संचालित नहीं है उन जनपदों में लोक कलाकारों के प्रषिक्षण एवं कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों हेतु प्रेक्षागृहों की स्थापना। | | 400 | – | 05 | 06 | | 3 वर्ष |
| 37. | 07–जागर महाविद्यालय की स्थापना | जन श्रुतियों में प्रचलित पारम्परिक व पौराणिक गाथाओं के माध्यम से ईष्वरीय आह्वाहन विधा के प्रचार–प्रसार हेतु जागर महाविद्यालय की स्थापना। | | 0.01 | – | – | 01 | भावी पीढ़ी के लिये जागर विधा का संकलन कर संरक्षित करना। | 4 वर्ष |
| 38. | 03–सांस्कृतिक परिषद / कला केन्द / विद्याल / ऑडिटोरियम आदि का निर्माण | लोक कलाकारों के प्रषिक्षण एवं कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों हेतु प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना। | | – | – | 03 | 03 | प्रदर्षन कला के लिये कलाकारों को स्थान एवं मंच की उपलब्धता, आर्ट गैलरी तथा पुरा सम्पदा का संरक्षण। | 5 वर्ष |
| 39. | 04–हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र | हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून में राज्य स्तरीय संग्रहालय एवं राज्य स्तरीय प्रेक्षागृह का निर्माण एकीकृत रूप में उत्तराखण्ड पर्यटन परिसर गढ़ी कैंट में किया जा रहा है। | | 1600 | – | – | 02 | प्रदर्षन कला के लिये कलाकारों को स्थान एवं मंच की उपलब्धता, चित्रकारों की चित्रकलाओं को आर्ट गैलरी तथा पुरा सम्पदा को संग्रहालय के माध्यम से जनसामान्य के अवलोकनार्थ | 2 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देष्य | आउट ले | | एस0डी0 जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजी | | | | | |
| 1. | **केन्द्र पोषित** 102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–0102–अभिलेखीय सुरक्षा कोषों, पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों हेतु सहायता | षासकीय एवं गैर सरकारी संगठनों को अभिलेख, पाण्डुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण सूचीपत्र, कापियर्स, कैमरा, रीडर्स तथा भवनों के जीर्णोद्धार एवं सुधार हेतु वित्तीय सहायता दिया जाना। | 10 | | – | 2 गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता | – | भावी पीढ़ी हेतु प्रेरणास्वरूप संरक्षण। | 3 वर्ष |
| 2. | 0103–क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता | षासकीय एवं अषासकीय संग्रहालयों के व्यावसायिक विकास जिसमें वीथिकाओं की मरम्मत, जीर्णोद्धार विस्तार हेतु तथा प्रकाषन, अनुरक्षण प्रयोगषाला, संग्रहालय पुस्तकालय, यंत्र एवं अभिलेखीकरण हेतु वित्तीय सहायता दिया जाना। | 10 | | – | 2 संग्रहालय | – | पुरावषेष एवं बहुमूल्य कलाकृतियों का संरक्षण एवं प्रदर्षन। | 3 वर्ष |
| 3. | 0110–कला एवं अन्य विधाओं से जुड़े ऐसे विपन्न कलाकारों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता | प्रदेष की लोक सांस्कृतिक विरासत के उन्नयन एवं संवर्द्धन में अनवरत रूप से जुड़े विपन्न कलाकार तथा उनके आश्रितों को राज्यांष के रूप में रू0 500 मासिक पेंषन का भुगतान। | 0.25 | | – | 2 कलाकार | 1 कलाकार | जीविकोपार्जन हेतु सहायता | 1 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देष्य | आउट ले | | एस0डी0 जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजी | | | | | |
| 4. | 0102–क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के उन्नयन, स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत ऋषिकेष में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना | संग्रहालय में हिमालयी क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों की अनुकृतियां, हिमालयी क्षेत्र की पारम्परिक वेष–भूषा आभूषण, काष्ठ कला, धातु कला, कृषि यंत्र, वाद्य यंत्र आदि का संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जाना है। | | 400 | – | 01 | 01 | हिमालयी संस्कृति का संवर्द्धन, संरक्षण एवं प्रदर्षन। | 3 वर्ष |
| 5. | 0103–संग्रहालय भवन सम्बन्धी निर्माण | महान विभूतियों की जयन्ती/षताब्दी समारोह के अवसर पर संग्रहालय, मूर्ति स्थापना, स्मारक आदि का निर्माण। | | – | – | – | 01 | स्वामी विवेकानन्द जी की चिर स्मृति को संजोये रखना। | |
| 1. | **अनुदान संख्या–30** 2205–कला एवं संस्कृति– 102– कला एवं संस्कृति का सम्वर्द्धन– 02– अनुसूचित जातियों के लिए स्पेषल कम्पोनेन्ट प्लान–0201– लोक संगीत एवं लोक नृत्य के क्षेत्र में प्रषिक्षण हेतु कार्यषालाओं का आयोजन एवं डाक्यूमेन्टेषन का कार्य | अनूसूचित जाति के कलाकारों को जो अपनी कलाओं में निपुण हैं, उनके द्वारा अपनी जाति के अन्य लाभार्थियों को कार्यषालाओं के माध्यम से प्रषिक्षित करना एवं विषेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित पारम्परिक पर्वों और मेलों के अवसर पर कला प्रस्तुतियों की व्यवस्था एवं इनका अभिलेखन कार्य। | 25 | | – | 12 कार्यषालायें तथा 2 डाक्यूमेंटेषन | 17 | अनुसूचित जाति के लोक कलाकारों की कला पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचेंगी। | 2 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देष्य | आउट ले | | एस0डी0 जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजी | | | | | |
| 2. | 0203–अ0जा0 के व्यक्तियों के लिये पारम्परिक वाद्य यंत्रों एवं वेष–भूषा का क्रय | अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिनकी आय का स्रोत अपनी पारम्परिक कला के माध्यम से होती है तथा जिनके पास वाद्य यंत्र एवं वेष–भूषा नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों एवं लोक कलाकारों को उनके जीवन यापन को सुचारू रूप से चलाने के लिये पारम्परिक वाद्य यंत्र एवं वेष–भूषा क्रय कर निःषुल्क उपलब्ध कराना। | 30 | | – | 100 कलाकार | 603 | लोक कलाकारों को लोक वाद्य, उपकरण एवं वेष–भूषा उपलब्ध कराकर उन्हें संस्कृति के प्रति अभिरूचि उत्पन्न करना तथा रोजगार परक बनाना। | 2 वर्ष |
| 3. | 4202–षिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–04 – कला एवं संस्कृति–800– अन्य व्यय– 03–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन | अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा अनुसूचित जाति के लोक कलाकारों को मंच प्रदान करने हेत सभागार, मिनी ऑडिटोरियम तथा संस्कृति भवन का निर्माण | | 20 | – | 2 सांस्कृतिक भवन | – | अनुसूचित जाति के कलाकारों को उनकी कला के प्रदर्षन हेतु उचित स्थान एवं मंच उपलब्ध कराकर लोक कलाओं को जीवन्त रखना। | 2 वर्ष |
| 1. | **अनुदान संख्या–31** 2205–कला एवं संस्कृति–00– 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना –02–जनजातीय कला एवं संस्कृति का अभिलेखन, संरक्षण तथा उन्नयन हेतु योजना | जनजातीय कला एवं संस्कृति को भावी पीढ़ी के लिये संजोए रखने के उद्देष्य से ऑडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण द्वारा संरक्षित किया जाना। | 35 | | – | 10 | – | अनुसूचित जनजाति के लोक कलाकारों की कला पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचेंगी। | 2 वर्ष |

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देष्य | आउट ले | | एस0डी0 जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2019—20 | 1—4—2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजी | | | | | |
| 2. | 03—पारम्परिक वाद्य यंत्रों एवं वेष—भूषा का क्रय | अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति/ कलाकार जिनकी आय का स्रोत अपनी पारम्परिक कला के माध्यम से होता है तथा जिनके पास वाद्य यंत्र एवं वेष—भूषा नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों एवं लोक कलाकारों को उनके जीवन यापन को सुचारू रूप से चलाने के लिये पारम्परिक वाद्य यंत्र एवं वेष—भूषा क्रय कर निःषुल्क उपलब्ध कराना। | 20 | | — | 100 कलाकार | 360 | लोक कलाकारों को लोक वाद्य, उपकरण एवं वेष—भूषा उपलब्ध कराकर उन्हें संस्कृति के प्रति अभिरूचि उत्पन्न करना तथा रोजगार परक बनाना। | 1 वर्ष |
| 3. | 4202—षिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 04—कला और संस्कृति 800—अन्य व्यय 02—जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में सांस्कृतिक भवन/जन मिलन केन्द्र आदि का निर्माण | अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा अनुसूचित जनजाति के लोक कलाकारों को मंच प्रदान करने के उद्देष्य से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु सांस्कृतिक भवन/जनमिलन केन्द्र आदि का निर्माण। | | 70 | — | 4 सांस्कृतिक भवन | — | अनुसूचित जनजाति के कलाकारों को उनकी कला के प्रदर्षन हेतु उचित स्थान एवं मंच उपलब्ध कराकर लोक कलाओं को जीवन्त रखना। | 2 वर्ष |
| | योग— | | 2474.89 | 3040.01 | | — | | — | — |

# समाज कल्याण विभाग

प्रस्तावित एस.डी.जी.5

केन्द्रपोषित योजनायें–

(धनराशि रू.लाख मे)

| क्र.सं. | योजना का नाम | योजना का उददेश्य | आउटले / बजट | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम | समय सीमा | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1. | आर्थिक रूप से पिछडे वर्गो के विकास की योजना (100प्रशित के0स0) | पिछडे वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क का भुगतान कर आर्थिक सहायता प्रदान करना जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। | 2500.00 | – | | 19000 ( छात्र / छात्रा ) | 5048 (छात्र / छात्रा) | 19000 (छात्र / छात्रा) | शैक्षणिक सत्र |
| 2. | उत्तराखण्ड सुगम्य अभियान (आर.पी.डब्लयू.डी.) के अन्तर्गत बैरियर फ्री की सुविधा उपलब्ध कराना | शासकीय भवनों में दिव्यांगजनों को बैरियर फ्री आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना | 570.00 | | | 1019 (भवन) | – | 1019 (भवन) | वित्तीय वर्ष |
| 3. | समेकित बाल संरक्षण योजना (100 प्रतिशत के0स0) | जे0 जे0 एक्ट में निर्धारित मानकों के प्रेाबेशन सेक्टर के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं का कियान्वन एवं अनुश्रवण करना। | 2400.00 | – | | 785 ( बालक / बालिकायें) | 550 बालक / बालिकायें) | 785 ( बालक / बालिकायें) | वित्तीय वर्ष |
| 4. | डा0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत के0स0) | आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गो को छोडकर) उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता देकर आर्थिक सहायता करना। | 3500.00 | – | | 25000 ( छात्र / छात्रा ) | – | 25000 ( छात्र / छात्रा ) | वित्तीय वर्ष |
| 5. | इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन (100प्रतिशत के0स0) | बी0पी0एल0 निराश्रित वृद्वजनों को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। | 9957.01 | – | 1.3.7(S)-(d) | 235000 ( पेंशनर ) | 224838 ( पेंशनर ) | 235000 ( पेंशनर ) | त्रैमासिक |
| 6. | इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन (100प्रतिशत के0स0) | बी0पी0एल0 दिव्यांगजनों को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। | 175.10 | | 1.3.7(S)-(b) | 3500 ( पेंशनर ) | 3292 ( पेंशनर ) | 3500 ( पेंशनर ) | त्रैमासिक |
| 7. | इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा | बी0पी0एल0 विधवाओं को पेंशन | 1390.50 | | 1.3.7(S)-(c) | 25000 | 23516 | 25000 | त्रैमासिक |

(धनराशि रू.लाख मे)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट | एस.डी.जी. Goals / Indicators | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम | समय सीमा | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | पेंशन (100प्रतिशत के0स0) | देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। | | | | ( पेंशनर ) | ( पेंशनर ) | ( पेंशनर ) | |
| 8. | इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ (100प्रतिशत के0स0) | बी0पी0एल0 परिवार के मुखीया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। | 607.70 | | | 2950 ( परिवार ) | 2392 ( परिवार ) | 2950 (परिवार) | वित्तीय वर्ष |
| 9. | जिला मुख्यालयों में अन्य पिछडे वर्ग के विघार्थियों हेतु छात्रावास का निर्माण ( 50 प्रतिशत के0स0) | पिछडे वर्गो के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से जिला मुख्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आये निर्धन छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। | – | 50.00 | | 1 ( छात्रावास निर्माण ) | – | 1 (छात्रावास निर्माण ) | वित्तीय वर्ष |
| 10. | समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत ग्रहों का निर्माण (100 प्रतिशत के0स0) | जे0 जे0 एक्ट में दिये गये प्राविधानों के अनुसार गृहों का निर्माण कर निराश्रित बालकों को निःशुल्क आवासीय, शिक्षा एंव भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना। | – | 500.00 | | 3 ( निर्माण कार्य ) | – | 3 (निर्माण कार्य) | वित्तीय वर्ष |
| 11. | अनुसूचित जाति के विकास की योजना (100 प्रतिशत के0स0) | अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता देकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करना। | 12100.00 | – | | 65000 ( छात्र / छात्रा ) | 26634 (छात्र / छात्रा) | 65000 (छात्र / छात्रा) | शैक्षणिक सत्र |
| 12. | अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता (100 प्रतिशत के0स0) | अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को स्वतः रोजगार के लिये कम ब्याज दर पर ऋण एंव निर्धारित सब्सीडी देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। | 160.00 | – | | 1500 ( व्यक्तियों को स्वरोजगार ) | 1482 ( व्यक्तियों को स्वरोजगार) | 1500 ( व्यक्तियों को स्वरोजगार ) | वित्तीय वर्ष |
| 13. | बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास का निर्माण (100 प्रतिशत के0स0) | अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सूदूरवर्ती क्षेत्रों से जिला मुख्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आये छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। | – | 1000.00 | | 4 ( निर्माण कार्य ) | – | 4 (निर्माण कार्य) | एक वर्ष |
| 14. | ट्रान्सजेण्डर समुदाय के उत्थान के लिये अम्ब्रैला योजना | ट्रान्सजेण्डर समुदाय को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर समाज की मुख्य धारा में सम्मलित करना | 10.00 | – | | 5 (व्यक्ति) | – | 5 (व्यक्ति) | वित्तीय वर्ष |

## राज्य सेक्टर की योजनायें–

(धनराशि रू.लाख मे)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले/बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1. | मुख्यालय एंव मण्डलीय अधिष्ठान | विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना तथा जनपद स्तरीय इकाईयों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु निर्देशित करना | 443.02 | – | | निदेशक – 1<br>अपर निदेशक– 2<br>संयुक्त निदेशक– 3<br>उप निदेशक– 4<br>मुख्य वित्त नियंत्रक– 1<br>सहायक निदेशक– 2<br>संख्याधिकारी– 1<br>मुख्य प्रशासनिक अधिकारी– 3<br>वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी– 3<br>लेखाकार– 2<br>वरिष्ठ सम्प्रेक्षक– 1<br>सहायक लेखाकार– 2<br>सम्प्रेक्षक/लेखाकार– 1<br>प्रशासनिक अधिकारी– 2<br>प्रधान सहायक– 4<br>वरिष्ठ सहायक– 4<br>कनिष्ठ सहायक– 7<br>वाहन चालक– 6<br>चतुर्थश्रेणीकर्मचारी– 9 | निदेशक – 1<br>उप निदेशक– 2<br>मुख्य वित्त नियंत्रक– 1<br>सहायक निदेशक– 2<br>वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी– 5<br>लेखाकार– 2<br>प्रशासनिक अधिकारी– 2<br>वैयक्तिक अधिकारी– 1<br>वैयक्तिक सहायक 3<br>प्रधान सहायक– 4<br>वरिष्ठ सहायक– 4<br>कनिष्ठ सहायक– 5<br>वाहन चालक– 5<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी– 7 | निदेशक – 1<br>अपर निदेशक– 2<br>संयुक्त निदेशक– 3<br>उप निदेशक– 4<br>मुख्य वित्त नियंत्रक– 1<br>सहायक निदेशक– 2<br>संख्याधिकारी– 1<br>मुख्य प्रशासनिक अधिकारी– 3<br>वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी– 3<br>लेखाकार– 2<br>वरिष्ठ सम्प्रेक्षक– 1<br>सहायक लेखाकार– 2<br>सम्प्रेक्षक/लेखाकार– 1<br>प्रशासनिक अधिकारी– 2<br>प्रधान सहायक– 4<br>वरिष्ठ सहायक– 4<br>कनिष्ठ सहायक– 7<br>वाहन चालक– 6<br>चतुर्थश्रेणीकर्मचारी– 9 | वित्तीय वर्ष |
| 2. | जिला कार्यालयों का अधिष्ठान | जनपद स्तर पर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, सम्पादन एवं अनुश्रवण करना | 1629.95 | – | | जिला समाज कल्याण अधिकारी– 13<br>मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 7<br>सहायक समाज कल्याण अधिकारी– 99<br>वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी– 13<br>प्रशासनिक अधिकारी– 13<br>प्रधानसहायक– 20<br>वरिष्ठसहायक– 30 | जिला समाज कल्याण अधिकारी– 13<br>सहायक समाज कल्याण अधिकारी– 73<br>वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी– 10<br>प्रशासनिकअधिकारी– 9<br>प्रधानसहायक– 20<br>वरिष्ठसहायक– 26<br>कनिष्ठ सहायक– 15 | जिला समाज कल्याण अधिकारी– 13<br>मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 6<br>सहायक समाज कल्याण अधिकारी– 99<br>वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी– 11<br>प्रशासनिक अधिकारी– 8<br>प्रधानसहायक– 20<br>वरिष्ठसहायक– 30 | वित्तीय वर्ष |

(धनराशि रू.लाख मे)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उददे्श्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | | | | | कनिष्ठ सहायक– 26<br>वाहन चालक 13<br>चतुर्थ श्रेणी 26 | | कनिष्ठ सहायक– 26<br>वाहन चालक 13<br>चतुर्थ श्रेणी 26 | |
| 3. | आई0टी0सैल की स्थापना | विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का आनलाईन आवेदन एंव धनराशि के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही करना | 90.20 | – | | प्रोगाम मैनेजर– 1<br>टेक्नीकल लीडर– 1<br>डेवलेपर – 3<br>कनिष्ठ सहायक– 1<br>अनुसेवक– 1 | प्रोगाम मैनेजर– 1<br>डेवलेपर 1<br>कनिष्ठ सहायक– 1<br>अनुसेवक– 1 | प्रोगाम मैनेजर– 1<br>टेक्नीकल लीडर– 1<br>डेवलेपर – 3<br>कनिष्ठ सहायक– 1<br>अनुसेवक– 1 | वित्तीय वर्ष |
| 4. | उत्तराखण्ड बहुउददेशीय वित्त एवं विकास निगम को आर्थिक सहायता | अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वतः रोजगार हेतु ऋण तथा कौशल बृद्वि प्रशिक्षण देकर आर्थिक लाभ प्राप्त कराना। | 50.00 | – | | 50<br>( व्यक्ति ) | | 50<br>( व्यक्ति ) | वित्तीय वर्ष |
| 5. | उत्तरॉचल अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का अधिष्ठान | पिछडे वर्ग के समस्याओं के निराकरण एंव उत्थान करना | 91.20 | – | | सचिव– 1<br>वैयक्तिक सहायक 1<br>वरिष्ठ सहायक– 1<br>लेखाकार – 1<br>वाहन चालक– 1<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी– 1 | सचिव– 1<br>वरिष्ठ सहायक– 1<br>कनिष्ठ सहायक– 1<br>वाहन चालक– 1<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी– 1 | सचिव– 1<br>वैयक्तिक सहायक 1<br>वरिष्ठ सहायक– 1<br>लेखाकार – 1<br>वाहन चालक– 1<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी– 1 | वित्तीय वर्ष |
| 6. | अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति | पिछडे वर्ग के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता देकर उच्च शिक्षा प्राप्त कराना | 3000.00 | – | | 37000<br>( छात्र / छात्रा ) | 9285<br>( छात्र / छात्रा ) | 37000<br>( छात्र / छात्रा ) | शैक्षणिक सत्र |
| 7. | पिछडी जाति | पिछडे वर्ग के | 800.00 | – | | 70000 | – | 70000 | शैक्षणि |

(धनराशि रू.लाख मे)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | के पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को निर्धनता के आधार पर छात्रवृत्ति | निर्धन छात्रों को छात्रवृति एवं तर्दथ अनुदान देकर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करना | | | | ( छात्र / छात्रा ) | | ( छात्र / छात्रा ) | क सत्र |
| 8. | अति पिछडा वर्ग कल्याण परिषद का गठन | पिछडे वर्गो के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का अनुश्रवण एंव कियान्वन करना | 23.60 | – | | – | – | – | वित्तीय वर्ष |
| 9. | कश्मीरी विस्थापितों का पुर्नवासन | कश्मीर से आये विस्थापित परिवारों को उनके भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। | 5.81 | – | | 39 ( परिवार ) | 39 ( परिवार ) | 39 ( परिवार ) | मासिक |
| 10. | विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिये आश्रित कर्मशालायें व प्रशिक्षण केन्द्र | दिव्यांगों को विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। | 112.64 | – | | 150 ( दिव्यांग व्यक्ति ) | 30 ( दिव्यांग व्यक्ति ) | 150 ( दिव्यांग व्यक्ति ) | वित्तीय वर्ष |
| 11. | दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार | दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को उनके द्वारा किये गये | 8.00 | – | | 110 ( दक्ष दिव्यांग व्यक्ति ) | 32 ( दक्ष दिव्यांग व्यक्ति ) | 110 (दक्ष दिव्यांग व्यक्ति ) | प्रत्येक वर्ष |

(धनराशि रू.लाख मे)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | योजना | उत्कृष्ठ कार्य के लिये पुरस्कृत कर प्रोत्साहन देना। | | | | | | | |
| **12.** | दिव्यांग युवक युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन | विवाहित दिव्यांग युवक / युवतियों को समाज की मुख्यधारा से जोडने हेतु पुरस्कृत करना | 50.00 | – | | 200 ( दम्पत्ति ) | 75 ( दम्पत्ति ) | 200 ( दम्पत्ति ) | वित्तीय वर्ष |
| **13.** | दिव्यांगजनों हेतु शिविर एवं सेमीनारों का आयोजन | सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुँचाना | 7.00 | – | | 50 ( शिविर ) | 26 ( शिविर ) | 50 ( शिविर ) | वित्तीय वर्ष |
| **14.** | दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना | दिव्यांगों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित कराना | 40.00 | – | | 2000 ( छात्र / छात्रा ) | 44 ( छात्र / छात्रा ) | 2000 ( छात्र / छात्रा ) | वित्तीय वर्ष |
| **15.** | दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम | दिव्यांग जन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार दिव्यांगों को अधिकतम लाभ पहुँचाना | 35.20 | – | | विधि सहायक 1<br>वरिष्ठ सहायक 1<br>कनिष्ठ सहायक 1<br>वाहन चालक 1<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1 | वरिष्ठ सहायक 1<br>कनिष्ठ सहायक 1<br>वाहन चालक 1<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1 | विधि सहायक 1<br>वरिष्ठ सहायक 1<br>कनिष्ठ सहायक 1<br>वाहन चालक 1<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1 | वित्तीय वर्ष |
| **16.** | दिव्यांगजनों के लिये जीविका अवसर प्रोत्साहन | दिव्यांग व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर | 25.00 | – | | 50 ( व्यक्ति ) | – | 50 ( व्यक्ति ) | वित्तीय वर्ष |

(धनराशि रू.लाख मे)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | योजना | रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना | | | | | | | |
| **17.** | प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना | दिव्यांगों हेतु रैम्प का निर्माण कर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना | 100.00 | – | | 13 ( निर्माण कार्य ) | – | 13 ( निर्माण कार्य ) | वित्तीय वर्ष |
| **18.** | निःशक्त जनों के द्वारा राज्य परिवहन निगम की बसों में की गयी निःशुल्क यात्रा की प्रतिपूर्ति | दिव्यांगों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना | 50.01 | – | | 37400 ( दिव्यांग व्यक्ति ) | 93476 ( दिव्यांग व्यक्ति ) | 37400 ( दिव्यांग व्यक्ति ) | वित्तीय वर्ष |
| **19.** | शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र अनुदान | दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना | 52.00 | – | | 1485 ( दिव्यांग व्यक्ति ) | 330 ( दिव्यांग व्यक्ति ) | 1485 ( दिव्यांग व्यक्ति) | वित्तीय वर्ष |
| **20.** | नेत्रहीन,मूक,बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के भरण पोषण हेतु अनुदान | निर्धन दिव्यांगों को उनके भरण पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना | 9140.00 | – | 1.3.7(s)-(b) | 71750 ( दिव्यांग पेंशनर ) | 69010 ( दिव्यांग पेंशनर ) | 71750 ( दिव्यांग पेंशनर) | त्रैमासिक |
| **21.** | परीवीक्षा सेवा क्षेत्र अधिष्ठान | प्रोबेशन सेक्टर के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का संचालन, | 326.90 | – | | जिला प्रोबेशन अधिकारी– 13<br>प्रोबेशन अधिकारी 2<br>वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी– 4 | जिला प्रोबेशन अधिकारी– 4<br>प्रोबेशन अधिकारी 1<br>वरिष्ठ प्रशासनिक | जिला प्रोबेशन अधिकारी– 13<br>प्रोबेशन अधिकारी 2<br>वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी– 4 | वित्तीय वर्ष |

(धनराशि रू.लाख मे)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | अनुश्रवण एवं क्रियान्वन करना | | | | प्रशासनिक अधिकारी–7<br>वरिष्ठ सहायक– 13<br>प्रधान सहायक– 13<br>कनिष्ठ सहायक– 13<br>चतुर्थश्रेणी कर्मचारी–13 | अधिकारी– 2<br>प्रशासनिक अधिकारी–5<br>वरिष्ठ सहायक–10<br>प्रधान सहायक– 12<br>कनिष्ठ सहायक–10<br>चतुर्थश्रेणी कर्मचारी–5 | प्रशासनिक अधिकारी– 7<br>वरिष्ठ सहायक–13<br>प्रधान सहायक–13<br>कनिष्ठ सहायक–13<br>चतुर्थश्रेणी कर्मचारी– 13 | |
| **22.** | बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना | बालकों का संरक्षण प्रदान करना | 55.25 | – | – | – | – | – | वित्तीय वर्ष |
| **23.** | संस्थानों / गृहों का संचालन | प्रोबेशन सेक्टर के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं का संचालन, क्रियान्वयन एंव अनुश्रवण करना | 879.42 | – | | 1310<br>( बालक,बालिका एंव महिलायें ) | 450<br>( बालक,बालिका एंव महिलायें ) | 1310<br>( बालक,बालिका एंव महिलायें ) | वित्तीय वर्ष |
| **24.** | किशोर न्याय निधि की स्थापना | निधि से असहाय किशोरों को संरक्षण दिया जायेगा। | 20.00 | – | | 1<br>( निधि ) | 1<br>( निधि | 1<br>( निधि ) | वित्तीय वर्ष |
| **25.** | अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अधीन उद्वार संगठनों की स्थापना। | अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 का क्रियान्वयन कर महिलाओं के उद्वार करना | 9.50 | – | | वरिष्ठ सहायक– 1<br>कनिष्ठ सहायक– 1<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–1 | कनिष्ठ सहायक– 1<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–1 | वरिष्ठ सहायक– 1<br>कनिष्ठ सहायक– 1<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–1 | वित्तीय वर्ष |
| **26.** | मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन | मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं को आश्रय एवं समुचित | 203.55 | – | | 120<br>(महिलायें) | 120<br>(महिलायें) | 120<br>(महिलायें) | वित्तीय वर्ष |

(धनराशि रू.लाख मे)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | देखभाल करना | | | | | | | |
| 27. | निराश्रित विधवाओं को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान | निर्धन निराश्रित विधवाओं को उनके तथा बच्चों के भरण पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना | 19755.00 | – | 1.3.7(s)-(c) | 175000 ( विधवा पेंशनर ) | 124902 ( विधवा पेंशनर ) | 175000 ( विधवा पेंशनर ) | वित्तीय वर्ष |
| 28. | विभागीय संस्थाओं से मुक्त अर्न्तवासियों का पुर्नवासन | संस्थाओं में निवासरत संवासियों को पुर्नवासित करना | 20.00 | – | | 25 ( महिलायें ) | 15 ( महिलायें ) | 25 ( महिलायें ) | वित्तीय वर्ष |
| 29. | महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति | बी0पी0एल0 परिवार की महिलाओं को तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान कर प्रोत्साहित करना | 5.00 | – | | 50 ( महिलायें ) | – | 50 ( महिलायें ) | वित्तीय वर्ष |
| 30. | परिवीक्षा क्षेत्र मुख्यालय का अधिष्ठान | महिला कल्याण हेतु संचालित संस्थाओं का अनुश्रवण, कियान्वयन एवं संचालन करना | 76.38 | – | | मुख्य परिवीक्षा अधिकारी– 1<br>शोध अधिकारी / विधि अधिकारी– 1<br>प्रशासनिक अधिकारी– 1<br>लेखाकार 1<br>मुख्य सहायक 1<br>आशुलिपिक 1<br>प्रवर सहायक | प्रशासनिक अधिकारी– 1<br>मुख्य सहायक 1<br>वैयक्तिक सहायक 1<br>आशुलिपिक 1<br>प्रवर सहायक– 1<br>कनिष्ठ सहायक– 2<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी– 5 | मुख्य परिवीक्षा अधिकारी– 1<br>शोध अधिकारी / विधि अधिकारी– 1<br>प्रशासनिक अधिकारी– 1<br>लेखाकार 1<br>मुख्य सहायक 1<br>आशुलिपिक 1<br>प्रवर सहायक 1<br>कनिष्ठ सहायक– 2<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी– 5 | वित्तीय वर्ष |

(धनराशि रू.लाख मे)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | | | | | 1<br>कनिष्ठ सहायक–<br>2<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–<br>5 | | | |
| **31.** | निराश्रित परित्यक्त, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी के भरण पोषण हेतु अनुदान | निराश्रित परित्यक्त, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी के भरण पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता करना | 500.00 | – | | 4200<br>( पेंशनर ) | 3308<br>( पेंशनर ) | 4200<br>( पेंशनर ) | वित्तीय वर्ष |
| **32.** | निराश्रित परित्यक्त महिलाओं को उनकी पुत्रीयो की शादी हेतु अनुदान | निराश्रित परित्यक्त महिलाओं को उनकी पुत्रीयो की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना | 45.00 | – | | 90<br>( पुत्रियों ) | – | 90<br>( पुत्रियों ) | वित्तीय वर्ष |
| **33.** | वृद्व अशक्त व्यक्तियों के लिये आवास गृह | निराश्रित वृद्वजनों को आश्रय उपलब्ध कराना | 143.23 | – | 1.3.6 (a) | 100<br>( वृद्व व्यक्ति) | 21<br>( वृद्व व्यक्ति) | 100<br>( वृद्व व्यक्ति) | वित्तीय वर्ष |
| **34.** | भिक्षावृत्ति का निवारण | भिक्षावृति का निवारण करना | 83.83 | – | | 200<br>( भिक्षुक) | 300<br>( भिक्षुक) | 200<br>( भिक्षुक) | वित्तीय वर्ष |
| **35.** | मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान | अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु | 40.00 | – | | 2<br>( संस्थायें) | 2<br>( संस्थायें) | 2<br>( संस्थायें) | वित्तीय वर्ष |

(धनराशि रू.लाख मे)

| क्र. स. | योजना का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान | | | | | | | |
| **36.** | अनाथों के दाह–दफन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान | विभाग द्वारा लावारिस शवों के दाह–दफन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता | 10.00 | – | | 400 ( व्यक्ति) | 114 ( व्यक्ति) | 400 ( व्यक्ति) | वित्तीय वर्ष |
| **37.** | मनसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों / महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना | विभाग द्वारा ऐसी स्वैच्छिक संस्था जो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों / महिलाओं को आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करा रही है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना | 100.00 | – | | 120 ( महिलायें ) | 120 ( महिलायें ) | 120 ( महिलायें ) | वित्तीय वर्ष |
| **38.** | निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान | निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना | 750.00 | – | | 1500 ( पुत्रियों ) | 559 ( पुत्रियों ) | 1500 ( पुत्रियों ) | वित्तीय वर्ष |
| **39.** | अर्न्तजातीय / अर्न्तधार्मिक विवाह हेतु | समाज में समरसता लाने हेतु | 25.00 | – | | 50 ( दम्पत्ति ) | – | 50 ( दम्पत्ति ) | वित्तीय वर्ष |

(धनराशि रू.लाख मे)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उददे्श्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | अनुदान | अर्न्तजातीय / अर्न्तधार्मिक विवाह को प्रोत्साहन देना | | | | | | | |
| **40.** | विकलांग बेरोजगारों को कौशल बृद्धि प्रशिक्षण योजना | विकलांग बेरोजगार व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना | 20.00 | – | | 40 ( दिव्यांग व्यक्ति ) | – | 40 ( दिव्यांग व्यक्ति ) | वित्तीय वर्ष |
| **41.** | योजनाओं का मूल्यांकन प्रचार–प्रसार | विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध कराना | 20.00 | – | | – | – | – | वित्तीय वर्ष |
| **42.** | समाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्वावस्था पेंशन | निर्धन, निराश्रित वृद्वजनों को उनके भरण–पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना | 51240.00 | – | 1.3.7(s)-(d) | 235000 ( वृद्व पेंशनर ) | 198674 ( वृद्व पेंशनर ) | 235000 (वृद्व पेंशनर ) | त्रैमासिक |
| **43.** | किसान पेंशन योजना | ऐसे निर्धन किसान जो स्वंय की भूमि पर खेती कर रहे है उनको पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना | 3300.00 | – | 1.3.7(s)-(a) | 27500 ( किसान पेंशनर ) | 23454 ( किसान पेंशनर) | 27500 ( किसान पेंशनर) | त्रैमासिक |
| **44.** | पर्वतीय क्षेत्रों में | पुरोहिती का | 100.00 | – | | 800 | – | 800 | त्रैमासि |

(धनराशि रू.लाख मे)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | 60 वर्ष से ऊपर के निवासरत पुरोहितों को पेंशन | कार्य कर रहे पुरोहितों को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना | | | | ( पुरोहित पेंशनर) | | ( पुरोहित पेंशनर) | क |
| **45.** | डंगरियों एवं जगरियों को मासकि पेंशन | डंगरियों एवं जगरियों को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना | 100.00 | – | | 800 ( व्यक्तियों को पेंशन) | – | 800 ( व्यक्तियों को पेंशन) | त्रैमासिक |
| **46.** | पिछडी जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु अंशपूंजी | निगम की अधिकृत अंशपूॅजी की पूर्ति करना | – | 20.00 | | – | – | – | वित्तीय वर्ष |
| **47.** | 10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्य स्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण | किशोरों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा | – | 50.00 | | 2 ( निर्माण कार्य) | – | 2 ( निर्माण कार्य) | वित्तीय वर्ष |
| **48.** | किशोर न्याय बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत ग्रहों का निर्माण | राजकीय सम्प्रेक्षण गृह का निर्माण कर बालकों को आवासीय सुविधा प्रदान की जायेगी। | – | 200.00 | | 2 ( निर्माण कार्य) | – | 2 ( निर्माण कार्य) | वित्तीय वर्ष |
| **49.** | 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं / महिलाओं हेतु राज्यस्तरीय | बालिकाओं को आश्रय दिये जाने हेतु उत्तर रक्षा गृह का निर्माण | – | 100.00 | | 2 ( निर्माण कार्य) | – | 2 ( निर्माण कार्य) | वित्तीय वर्ष |

(धनराशि रू.लाख मे)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण | | | | | | | | |
| 50. | राजकी वृद्ध आश्रम के भवन का निर्माण | निराश्रित वृद्वजनों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना | | 100.00 | | 11<br>( निर्माण कार्य) | – | 11<br>( निर्माण कार्य) | वित्तीय वर्ष |
| 51. | समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना | विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अनुश्रवण करना | 20.00 | – | | सचिव– 1<br>वैयक्तिक सहायक– 2<br>लेखाकार– 1<br>कनिष्ठ सहायक– 2<br>चतुर्थश्रेण कर्मचारी– 1 | सचिव– 1<br>वैयक्तिक सहायक– 1<br>लेखाकार– 1<br>कनिष्ठ सहायक– 1<br>चतुर्थश्रेण कर्मचारी– 1 | सचिव– 1<br>वैयक्तिक सहायक– 2<br>लेखाकार– 1<br>कनिष्ठ सहायक– 2<br>चतुर्थश्रेण कर्मचारी– 1 | वित्तीय वर्ष |
| 52. | अनुसूचित जाति / जनजाति आयोग की स्थापना | अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं के अनुश्रवण तथा समस्याओं के निराकरण हेतु आयोग की स्थापना | 88.25 | – | | सचिव– 1<br>वैयक्तिक सहायक– 1<br>लेखाकार– 1<br>वरिष्ठ सहायक– 1<br>कनिष्ठ सहायक– 1<br>वाहन चालक– 1<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–4 | सचिव– 1<br>वरिष्ठ सहायक– 1<br>कनिष्ठ सहायक– 1<br>वाहन चालक– 1<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–4 | सचिव– 1<br>वैयक्तिक सहायक– 1<br>लेखाकार– 1<br>वरिष्ठ सहायक– 1<br>कनिष्ठ सहायक– 1<br>वाहन चालक– 1<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–4 | वित्तीय वर्ष |
| 53. | औघोगिक आस्थान की स्थापना | अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना | 12.60 | – | | सहायक प्रबन्धक– 1<br>कनिष्ठ सहायक– 1<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–1 | कनिष्ठ सहायक– 1<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–1 | सहायक प्रबन्धक– 1<br>कनिष्ठ सहायक– 1<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–1 | वित्तीय वर्ष |
| 54. | अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति | दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति कर आर्थिक सहायता | 3600.00 | – | | 15000<br>( छात्र / छात्रा) | 42870<br>( छात्र / छात्रा) | 15000<br>( छात्र / छात्रा) | शैक्षणिक सत्र |

(धनराशि रू.लाख मे)

| क्रं. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | उपलब्ध कराना | | | | | | | |
| **55.** | औघोगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन | अनुसूचित जाति के छात्रों को व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना | 341.02 | – | | 456 ( छात्र ) | 296 ( छात्र ) | 456 ( छात्र ) | शैक्षणिक सत्र |
| **56.** | आश्रम पद्वति विघालयों का संचालन | अनुसूचित जाति के निर्धन गरीब परिवारों के बालकों को निःशुल्क आवासीय, भोजन एवं वस्त्र आदि की सुविधा उपलब्ध कराकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। | 639.58 | – | | 620 ( छात्र ) | 329 ( छात्र ) | 620 ( छात्र ) | शैक्षणिक सत्र |
| **57.** | अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व प्रशिक्षण योजना | अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोंचिग प्रदान करना | 75.06 | – | | 300 ( छात्र / छात्रा ) | – | 300 ( छात्र / छात्रा ) | शैक्षणिक सत्र |
| **58.** | अनुसूचित जातियों के लिये छात्रावास | अनुसूचित जाति के छात्रों को निः शुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध | 361.03 | – | | 750 ( छात्र ) | 467 ( छात्र ) | 750 ( छात्र ) | शैक्षणिक सत्र |

(धनराशि रू.लाख मे)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले/बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | करायी जायेगी। | | | | | | | |
| **59.** | अनुसूचित जाति कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति | अनुसूचित जाति के छात्रों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करना | 2500.00 | – | | 320000 ( छात्र/छात्रा ) | 81106 ( छात्र/छात्रा ) | 320000 ( छात्र/छात्रा ) | शैक्षणिक सत्र |
| **60.** | अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु आर्दश आवासीय विघालय की स्थापना | अनुसूचित जाति के छात्रों को अंग्रेजी पैर्टन की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना | 175.62 | – | | 175 ( छात्र ) | 116 ( छात्र ) | 175 ( छात्र ) | शैक्षणिक सत्र |
| **61.** | पुस्तकालयों,पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार | स्वैछिक सस्थायें जिनके द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षित किया जा रहा है को अनुदान देकर लाभान्वित करना | 165.00 | – | | 14 ( संस्थाये) | 14 ( संस्थाये) | 14 ( संस्थाये) | शैक्षणिक सत्र |
| **62.** | अनुसूचित जातियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना | अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना। | 40.00 | – | | 50 ( व्यक्ति) | – | 50 ( व्यक्ति) | वित्तीय वर्ष |
| **63.** | शिल्पी ग्राम योजना | परम्परागत शिल्पीयों को ऋण प्रदान कर स्वरोजगार हेतु आर्थिक | 25.00 | – | | 25 ( व्यक्ति) | – | 25 ( व्यक्ति) | वित्तीय वर्ष |

(धनराशि रू.लाख मे)

| क्.सं. | योजना का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले/बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | सहायता पहुँचाना | | | | | | | |
| 64. | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1956 का कियान्वयन | अत्याचारों से उत्पीडित अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना | 100.00 | – | | 50 ( परिवार) | 30 ( परिवार) | 50 ( परिवार) | वित्तीय वर्ष |
| 65. | अनुसूचित जाति /जनजाति कल्याणार्थ संचालित सेमिनार, कार्यशाला,शोध प्रचार प्रसार | अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का प्रचार– प्रसार करना | 15.00 | – | | 15 ( सेमिनार) | – | 15 ( सेमिनार) | वित्तीय वर्ष |
| 66. | अनुसूचित जातियों के लिये अटल आवास योजना | अनुसूचित जाति के आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना। | 500.00 | – | | 1400 ( परिवार ) | 360 ( परिवार ) | 1400 ( परिवार ) | वित्तीय वर्ष |
| 67. | अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बीमारी तथा प्रार्थियों की पुत्रीयों की शादी हेतु आर्थिक सहायता | अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों को उनकी पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना | 1800.00 | – | | 3600 ( पुत्रियों ) | 3000 ( पुत्रियों ) | 3600 ( पुत्रियों ) | वित्तीय वर्ष |
| 68. | स्वरोजगार अंशपूॅजी | निगम को उसकी अधिकृत अंशपूजी पूर्ण करने हेतु | – | 30.00 | | – | – | – | वित्तीय वर्ष |

(धनराशि रू.लाख मे)

| क्रं. सं. | योजना का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले / बजट | | एस.डी.जी. **Goals / Indicators** | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेसलाईन) | परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | धनराशि का उपलब्ध कराना। | | | | | | | |
| **69.** | अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओं हेतु प्रत्येक जनपद में आवासीय विघालय का निर्माण | अनुसूचित जाति के बालकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना | – | 200.00 | | 1 ( निर्माण कार्य ) | – | 1 ( निर्माण कार्य ) | एक वर्ष |
| **70.** | राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय श्रीनगर गढवाल का भवन निर्माण | आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बालकों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भवन का निर्माण कराना | – | 50.00 | | 1 ( निर्माण कार्य ) | 1 ( निर्माण कार्य ) | 1 ( निर्माण कार्य ) | एक वर्ष |
| **71.** | अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास | अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों मे आधारभूत सुविधाये उपलब्ध कराना | – | 2200.00 | | 150 ( निर्माण कार्य ) | 156 ( निर्माण कार्य ) | 150 ( निर्माण कार्य ) | वित्तीय वर्ष |

# सहकारिता विभाग

प्रस्तावित एस0डी0जी0–01,02 ,15

(धनराशि हजार रू0 में)

| क्र0 सं0 | योजना / मद का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले / बजट (रू0 हजार में) | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 1 | निदेषन तथा प्रषासन–03 | अधिष्ठान व्यवस्था | 385767 | – | | विभाग में स्वीकृत 702 पदों के सापेक्ष कार्यरत 452 विभागीय अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान व कार्यालय सम्बन्धी समस्त अनुमन्य व्ययों का भुगतान करना | 452 पद | विभागीय कार्यों एवं योजनाओं के सफल संचालन के फलस्वरूप सहकारी संस्थाओं के कार्यकलापों से राज्य की जनता / कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। | वार्षिक |
| 2 | निदेषन तथा प्रषासन–05 | अधिष्ठान यवस्था | 10550 | – | | सहकारी न्यायाधिकरंण में न्यायाधीष, सदस्यों तथा न्यायाधिकरंण के अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि एवं अन्य सभी अनुमन्य कार्यालय सम्बन्धी व्ययों का भुगतान करना | 09 पद | सहकारी न्यायाधिकरंण उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम 2003 के अनुसार गठित सहकारिता विभाग के आदेषों एवं निर्णयों के क्रम में प्राप्त अपीलों की सुनवाई से अपीलार्थियों को सुलभ न्याय प्राप्त होगा। | वार्षिक |
| 3 | निदेषन तथा प्रषासन–06 | अधिष्ठान व्यवस्था | 9250 | – | | सहकारी निर्वाचन प्राधिकरंण में ‘षासन द्वारा नामित सदस्यों एवं कार्यालय कर्मचारियों के वेतन/ कार्यालय सम्बन्धी समस्त अनुमन्य व्ययों का भुगतान करना है। | 04 पद | भारत का संविधान 97वें संषोधन के अनुसार गठित निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा राज्य में निर्वाचन योग्य सहकारी संस्थाओं के नियमित निर्वाचन के फलस्वरूप सस्थाओं में प्रजातान्त्रिक प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन किया जायेगा। | |

प्रस्तावित एस0डी0जी0–01,02 ,15

(धनराशि हजार रू0 में)

| क्र0 सं0 | योजना/मद का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले/बजट (रू0 हजार में) | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| **राज्य योजनाः–** | | | | | | | | | |
| 1 | सहकारी प्रषिक्षंण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान | विभागीय कर्मचारियों को प्रषिक्षित करना | 1000 | | – | वित्तीय वर्ष 2018–19 में 50 प्रषिक्षंण कार्यक्रम आयोजित कर लगभग 1500 प्रषिक्षार्थियों को प्रषिक्षंण दिया जायेगा | 500 प्रषिक्षार्थियो को प्रषिक्षित किया गया | प्रषिक्षित विभागीय कर्मचारियों द्वारा विभागीय कार्यो एवं नीतियों के परिपालन में तत्परता एवं पारदर्षिता आयेगी। संस्थाओं के नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण से संस्थाओं की कार्यकुषलता में वृद्वि होगी जिसका स्पष्ट लाभ जनता को मिलेगा। | वार्षिक |
| 2 | पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक पर राज सहायता | उर्वरक आपूर्ति हेतु परिवहन अनुदान | 12500 | | 2 | प्रदेष के कृषकों को कम दर पर 190000 मै0टन उर्वरक पर परिवहन अनुदान उपलब्ध कराया जाना है। | 127323 मै0टन उर्वरक आबंटित किया | उत्तराखण्ड के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में समान दर पर उर्वरक विक्रय हेतु समिति बिक्री केन्द्रो तक उर्वरक आपूर्ति के परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति के पश्चात प्रदेष के लगभग 210000 कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। | वार्षिक |
| 3 | मिनी बैंक निक्षेप गारन्टी योजना(कारपस फण्ड) | मिनी बैंकों/ ग्रामीण बचत केन्द्रों को हानि की प्रतिपूर्ति करना | 4000 | | – | प्रदेष के ग्रामीण बचत केन्द्रों में 633286 लाख रू0 की कुल जमाओं की गारण्टी हेतु 40 लाख रू0 दिया जाना प्रस्तावित हैं। | 913 मिनी बैंक हेतु | 'षासनादेष के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ग्रामीण बचत केन्द्रों में जमा निक्षेपों की गारण्टी हेतु फण्ड उपलब्ध कराने से केन्द्रों में बचत जमा करने हेतु जनता की धनराषि की सुरक्षा रहेगी। | वार्षिक |
| 4 | पं दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना अन्तर्गत | लघु एवं सीमान्त कृ"ाकों को कम दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना | 400000 | | 1 एवं 15 | वर्ष 2018–19 से पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजनान्तर्गत प्रदेष के लगभग 150000 कृषकों को कम दर पर कृषि रू0 74692 लाख ऋण उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। | 38777 लाख ऋण आबंटन किया | उत्तराखण्ड राज्य में सस्ता कृषि ऋण उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन लागत में कमी आयेगी जिसके फलस्वरूप कृषकों को फसल विक्रय पर अधिक लाभ प्राप्त होगा। | वार्षिक |

प्रस्तावित एस0डी0जी0–01,02 ,15

(धनराशि हजार रू0 में)

| क्र0 सं0 | योजना / मद का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले / बजट (रू0 हजार में) | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 5 | राज्य सहकारी परिषद के संचालन हेतु | परिषद का मुख्य उद्देष्य सहकारिता की समीक्षा करना एवं सहकारी समितियों की किया कलापों में समन्वय स्थापित करना | 2500 | | – | सहकारी विकास की नई योजनाओं के कियान्वयन हेतु सहकारी मेले / सहकारी गोष्ठियां एवं प्रकाषन आदि से सहकारिता का प्रचार प्रसार किया जायेगा, जिससे कृषकों एवं समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को मेलों एवं प्रदर्षनी के माध्यम से स्थानीय उपजों का बाजार उपलब्ध कराया जायेगा। | – | उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम 2003 के अन्तर्गत गठित परिषद द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता द्वारा रोजगार परक पहल में स्थानीय स्तर पर सहकारी मेले एवं सहकारी प्रदर्षनियां आयोजित करने से स्थानीय उपज की बिकी हेतु सामूहिक बाजार उपलब्ध कराने पर क्षेत्रवासियों को परिवहन पर बचत एवं अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा। | वार्षिक |
| 6 | उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्यांण निगम के संचालन हेतु | राज्य कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की आवष्यक वस्तुएं बाजार दर से सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना | 1 | | – | राज्य कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की आवष्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने हेतु प्रदेष 13 जनपदों में निगम की‘षाखायें संचालित की जानी है। जिनके आधारभूत ढाँचे के विकास पर प्रस्तावित बजट रू0 20.00 लाख व्यय किया जायेगा। | – | प्रत्येक जनपद में कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना होने पर राज्य के कर्मचारियों को सस्ती दरों पर दैनिक उपयोग की वस्तुए उपलब्ध होने से उनके उपभोग खर्च में कमी आयेगी जिससे जीवन सुधार में प्रगति होगी। | वार्षिक |
| 7 | सहकारी संस्थागत सेवामण्डल हेतु राज सहायता | संस्थागत सेवामण्डल के कार्यों का सफल संचालन | 3000 | | – | राज्य में कार्यरत 10 जिला सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैक के स्टाफ की नियुक्ति, पदोन्नति व अन्य अधि”ठान सम्बन्धी कार्यों के संचालन हेतु कर्मचारियों के वेतन भत्तों व अन्य कार्यालय सम्बन्धी व्ययों के भुगतान हेतु रू0 15.00 लाख व्यय किया जायेगा। | – | संस्थागत सेवामण्डल का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित होने पर जिला सहकारी बैक कर्मचारियों की नियुक्ति / पदोन्नति एवं अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों का समय से निस्तारण किया जायेगा। जिससे जिला सहकारी बैंकों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सकेगा। | स्थायी |

(धनराशि हजार रू0 में)

| क0 सं0 | योजना / मद का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले / बजट (रू0 हजार में) | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 8 | वैद्यनाथन कमेटी | वैद्यनाथन कमेटी क संस्तुतियां लागू करने हेतु टोकन मनी | 1 | – | ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के पुंर्नउद्वार के लिए भारत सरकार द्वारा वैद्यनाथन कमेटी का गठन किया गया है। | – | – | उक्त कमेटी की संस्तुतियां उत्तराखण्ड में लागू करने के सम्बन्ध में 'षासन एवं भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। | टोकन |
| 9 | बाढ / अतिवृष्टि के कारण ब्याज पर राज सहायता | राज्य में वर्ष 2013–14 में विनाषकारी बाढ / अतिवृष्टि से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति | 1 | – | बाढ / अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों के ऋण खातों में देय ब्याज समायोजन करने हेतु इस मद में टोकन मनी | – | – | बाढ / अतिवृष्टि से प्रभावित कृ"ाकों के ऋण खातों में देय ब्याज समायोजन करने हेतु इस मद में टोकन मनी के रूप में रू0 0.01 लाख की धनराषि प्रस्तावित है। | टोकन स्वरुप |
| | | योग– | 828570 | | | | | | |
| | **नई मांगः–अनुदान संख्या 30,31** | | | | | | | | |
| 10 | अनुदान सं0–30 दीनदयाल | उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किसानों की | 80000 | – | 1 एवं 15 | अनुसूचित जाति के कृषकों को आर्थिक सुविधा प्रदान करते हुए उनकी कृषि उत्पादन आय को दोगुनी कर लक्ष्य को प्राप्त किये | – | ''दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना'' के अन्तर्गत प्रदेष के | वार्षिक |

प्रस्तावित एस0डी0जी0–01,02 ,15

(धनराशि हजार रू0 में)

| क्र0 सं0 | योजना / मद का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले / बजट (रू0 हजार में) | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| | सहकारिता किसान कल्याण योजना **(एस0सी0एस0पी0)** | आय को दोगुना करने के लिए अनुसूचित जाति के कृषकों को ऋण वितरण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु | | | | जाने के उद्देश्य से ''दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना'' के अन्तर्गत रू0 1.00 लाख तक का अल्पकालीन मध्यकालीन ऋण 02 प्रतिषत ब्याज पर उपलब्ध कराये जाने को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2017 से दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना प्रारम्भ की गयी | | किसानों को रू0 1.00 लाख तक का अल्पकालीन / मध्यकालीन ऋण 02 प्रतिषत ब्याज पर उपलब्ध कराये जाने से अनुसूचित जाति के किसानों की आय में बढोतरी होगी। | |
| 11 | **अनुदान सं0–31** दीन दयाल सहकारिता कल्याण किसान योजना **(टी0एस0पी0)** | उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अनुसूचित जनजाति के कृषकों को ऋण वितरण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु | 20000 | – | 1 एवं 15 | अनुसूचित जनजाति के कृषकों को आर्थिक सुविधा प्रदान करते हुए उनकी कृषि उत्पादन आय को दोगुनी कर लक्ष्य को प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से ''दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना'' के अन्तर्गत रू0 1.00 लाख तक का अल्पकालीन मध्यकालीन ऋण 02 प्रतिषत ब्याज पर उपलब्ध कराये जाने को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2017 से दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना प्रारम्भ की गयी | – | ''दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना'' के अन्तर्गत प्रदेष के किसानों को रू0 1.00 लाख तक का अल्पकालीन / मध्यकालीन ऋण 02 प्रतिषत ब्याज पर उपलब्ध कराये जाने से अनुसूचित जनजाति के किसानों की आय में बढोतरी होगी। | वार्षिक |
| 12 | **समेकित विकास योजना** | **राष्ट्रीय सहकारी विकास द्वारा ऋण** | | 10000000 | – | मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार के **''संकल्प से सिद्धि''** एवं **''2022 तक किसानो की आय को दोगुना करने''** के आहवान पर राज्य के सर्वांगीण विकास, पलायन रोकथाम, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं कृषकों के जीवन स्तर में सुधार जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए **''राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना''** तैयार की गयी है। | – | मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार के **''संकल्प से सिद्धि''** एवं **''2022 तक किसानो की आय को दोगुना करने''** के आहवान पर राज्य के सर्वांगीण विकास, पलायन रोकथाम, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं कृषकों के जीवन स्तर में सुधार जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए **''राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना''** तैयार की गयी है। | परियोजन लागू तक |

प्रस्तावित एस0डी0जी0–01,02 ,15

(धनराशि हजार रू0 में)

| क्र0 सं0 | योजना/मद का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले/बजट (रू0 हजार में) | | एस0डी0जी0 Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 13 | एकीकृम सह0विकास योजना | योजनान्तर्गत ऋण मद में टोकन मनी | | 1 | – | एन0सी0डी0सी0 के माध्यम से संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना से विभिन्न सहकारी समितियों के आधारभूत ढाँचे का विकास किया जायेगा, | – | एन0सी0डी0सी0 के माध्यम से संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना से विभिन्न सहकारी समितियों के आधारभूत ढाँचे का विकास किया जायेगा, | समयान्तर |
| समस्त योजनाओं का महायोग– | | | 928570 | 1000001 | | | | | |

नोट–क्रमांक 5,6,एवं 7 की योजनाओं में धनराषि परिषद,निगम तथा सेवामण्डल की अवस्थापना के लिए प्रदत्त की जाती है। अतः उक्त की बेस लाइन दिया जाना सम्भव नहीं है।

सहकारिता विभाग निबन्धित 759 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (पैक्स) पूर्णतया शासन की नीतियों एवं विभागीय योजनाओं के अनुरूप विभागीय नियन्त्रण में कार्य कर रही है। उक्त में से 187 समितियां लक्ष्य के अनुरूप व्यवसाय ना करने के कारण हानि पर है। अद्यतन पर संचालित पैक्सों का व्यवसाय बढाने हेतु समितियों को बहुउद्देषीय समितियों में परिवर्तित किया गया है। साथ ही हानि वाली समितियों को आमेलित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

## वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूंजीलेखा के अन्तर्गत योजनावार निर्धारित लक्ष्यों का विवरण (पूंजीलेखा)

धनराशि लाख ₹ में

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट–ले<br>बजट | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट (सं0 / कि0मी0)<br>बजट | समय सीमा | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम (है0)<br>बजट | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4700–नलकूप निर्माण** | | | | | | |
| राज्य सैक्टर–सामान्य | सिंचाई संरचनाओं के पुनरोद्धार एवं निर्माण के फलस्वरूप सृजित सिंचन क्षमता की पुर्नस्थापना एवं नई सिंचन क्षमता सृजित कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना । | 100.00 | 02 स0 नलकूप निर्माण। | 2019-20 | 150 है0 | 2019-20 |
| राज्य सैक्टर–एस0सी0एस0पी0 | | 100.00 | 01 स0 नलकूप निर्माण। | 2019-20 | 75 है0 | 2019-20 |
| राज्य सैक्टर–टी0एस0पी0 | | 100.00 | 03 स0 नलकूप निर्माण। | 2019-20 | 225 है0 | 2019-20 |
| राज्य सैक्टर–नाबार्ड | | 2500.00 | 80 स0 नलकूप निर्माण। | 2019-20 | 7000 है0 सिं0क्ष0 पु0 / सृ0 | 2019-20 |
| **योग नलकूप निर्माण** | | **2800.00** | | | | |
| **4700–नहर निर्माण** | | | | | | |
| पी0एम0के0एस0वाई0–हर खेत को पानी–सामान्य | | 500.00 | निर्माणाधीन 30 सं0 योजनायें (115 कि0मी0) पूर्ण की जानी प्रस्तावित है । | 2019-20 | 2000 है0 सिं0क्ष0 का सृजन | 2019-20 |
| पी0एम0के0एस0वाई0–हर खेत को पानी–एस0सी0एस0पी0 | | 0.01 | | 2019-20 | | 2019-20 |
| पी0एम0के0एस0वाई0–हर खेत को पानी–टी0एस0पी0 | | 0.01 | | 2019-20 | | 2019-20 |
| राज्य सैक्टर–सामान्य | | 100.00 | 2 सं0 (3.00 किमी0) निर्माण। | 2019-20 | 2 सं0 योजनाओं के कार्य पूर्ण | 2019-20 |
| राज्य सैक्टर–एस0सी0एस0पी0 | | 150.00 | 8 संख्या / 2.50 किमी0 निर्माण। | 2019-20 | 1 संख्या / 1.45 किमी0 निर्माण | 2019-20 |
| राज्य सैक्टर–टी0एस0पी0 | | 150.00 | 5 संख्या / 1.50 किमी0 निर्माण। | 2019-20 | – | 2019-20 |
| राज्य सैक्टर–नाबार्ड | | 11000.00 | 50 सं0 (750 किमी0) नहर निर्माण / पुनरोद्धार। | 2019-20 | 2500 है0 सिं0क्ष0 पु0 / सृ0 | 2019-20 |
| **योग नहर निर्माण** | | **11900.02** | | | | |
| **4700–लिफ्ट निर्माण** | | | | | | |
| राज्य सैक्टर–नाबार्ड | | 1000.00 | 08 सं0 लिफ्ट निर्माण। | 2019-20 | 300 है0 सिं0क्ष0 पु0 / सृ0 | 2019-20 |
| **योग लिफ्ट निर्माण** | | **1000.00** | | | | |
| **4700–अन्य राज्य सैक्टर मद** | | | | | | |
| जमरानी बांध परियोजना, | जमरानी बांध परियोजना से सम्बन्धित कार्य | 1000.00 | जमरानी बांध परि0 के डी0पी0आर0 की स्वीकृति, वन भूमि प्रकरण की स्वीकृति एवं अन्य कार्य। | 2019-20 | जमरानी बांध परि0 के डी0पी0 आर0 स्वीकृति, वन भूमि प्रकरण की स्वीकृति एवं अन्य कार्य। | 2019-20 |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट–ले | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट (सं0 / कि0मी0) | समय सीमा | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम (है0) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट | बजट | | बजट | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के अनुबन्धों के लिए डिक्रिटल धनराशि | विभिन्न परियोजनाओं के अनुबन्धों से संबंधित डिक्रिटल प्रकरणों के निराकरण हेत। | 50.00 | विभिन्न परियोजनाओं के अनुबन्धों के लिए, डिक्रिटल प्रकरणों के निराकरण हेत। | 2019-20 | विभिन्न परियोजनाओं के अनुबन्धों के लिए, डिक्रिटल प्रकरणों के निराकरण हेत। | 2019-20 |
| राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट | राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी योजना के अन्तर्गत स्वचालित रेन गेज स्टेशन एवं नदियों पर स्वचालित वाटर लेवल रिकॉर्डर, स्वचालित मौसम एवेश (AWS) तथा डाटा सेन्टर स्थापना का कार्य। | 100.00 | राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी योजना के अन्तर्गत स्वचालित रेन गेज स्टेशन एवं नदियों पर स्वचालित वाटर लेवल रिकॉर्डर, स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS) तथा डाटा सेन्टर स्थापना का कार्य। | 2019-20 | राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी योजना के अन्तर्गत स्वचालित रेन गेज स्टेशन एवं नदियों पर स्वचालित वाटर लेवल रिकॉर्डर, स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS) तथा डाटा सेन्टर स्थापना का कार्य। | 2019-20 |
| सौंग नदी पर बॉध निर्माण | सौंग नदी पर बॉध निर्माण हेतु अवस्थापना कार्यो का निर्माण। | 15000.00 | सौंग नदी पर बॉध निर्माण हेतु अवस्थापना कार्यो का निर्माण। | 2019-20 | सौंग नदी पर बॉध निर्माण हेतु अवस्थापना कार्यो का निर्माण | 2019-20 |
| टिहरी बांध परियोजना का पुर्नवास | टिहरी बांध परियोजना में प्रभावितों के पुर्नवास का कार्य। | 210.00 | टिहरी बांध कट ऑफ एरिया में आवागमन हेतु घोण्टी हल्का वाहन पुल एवं डोबरा चांठी भारी वाहन झूला पुलों के निर्माण । | 2019-20 | टिहरी बांध कट ऑफ एरिया में आवागमन हेतु घोण्टी हल्का वाहन पुल एवं डोबरा चांठी भारी वाहन झूला पुलों के निर्माण । | 2019-20 |
| बांध / बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण / पुनरोद्धार | अल्मोड़ा शहर के जलापूर्ति हेतु प्रस्तावित कोसी नदी पर बैराज का निर्माण । | 700.00 | 1 संख्या निर्माणाधीन, 3 संख्या प्रस्तावित बांध / बैराज का निर्माण कार्य। | 2019-20 | 1 संख्या निर्माणाधीन, 3 संख्या प्रस्तावित बांध / बैराज का निर्माण कार्य। | 2019-20 |
| **योग अन्य राज्य सैक्टर मद** | | **17060.00** | | | | |
| **योग–4700** | | **32760.02** | | | | |
| **4701–अन्य राज्य सैक्टर मद** | | | | | | |
| प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध कार्यक्रम का विस्तार, सर्वेक्षण तथा अनुसंधान, प्रशिक्षण केन्द्रो का उच्चीकरण, मशीनरी तथा उपसकर, उपरी यमुना नदी बोर्ड एवं ब्रह्रय सहायतित योजना | सिंचाई, विभाग के क्रियाकलापों से सम्बन्धित मद हेतु । | 245.01 | 05 सं0 सर्वेक्षण एवं अनुसंधान योजनाओं एवं अन्य मदों के कार्य पूर्ण हेतु। | 2019-20 | 03 सं0 सर्वेक्षण एवं अनुसंधान योजनाओं एवं अन्य मदों के कार्य पूर्ण हेतु। | 2019-20 |
| जल संवर्द्धन एवं संरक्षण के अन्तर्गत योजनायें | जलाशय का निर्माण। | 500.00 | 5 सं0 जलाशय निर्माण की योजनाओं हेतु। | 2019-20 | 5 सं0 योजनायें पूर्ण करने हेतु । | 2019-20 |
| निरीक्षण भवनों का निर्माण | निरीक्षण भवन / कार्यालय भवन का निर्माण । | 100.00 | 1 सं0 निरीक्षण भवन एवं 1 सं0 कार्यालय भवन / स्टोर का निर्माण। | 2019-20 | 1 सं0 निरीक्षण भवन एवं 1 सं0 कार्यालय भवन / स्टोर का निर्माण । | 2019-20 |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट–ले | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट (सं0 / कि0मी0) | समय सीमा | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम (है0) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट | बजट | | बजट | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम अंशपूंजी | उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम के अन्तर्गत आराकोट त्यूनी एवं त्यूनी प्लासूं परियोजनाओं के निर्माण कार्य। | 100.00 | उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम के अंशपूंजी का भुगतान। | 2019-20 | उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम के अंशपूंजी का भुगतान। | 2019-20 |
| बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण | उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों की महत्वपूर्ण नदियों के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण हेतु। | 300.00 | जनपद उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के 10 कि0मी0 Strench एवं जनपद हरिद्वार के गंगा नदी पर 55 कि0मी0 Strench तथा अन्य जनपदों के बाढ़ मैदान परिक्षेत्र निर्धारण / चिन्हिकरण का कार्य । | 2019-20 | जनपद उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के 10 कि0मी0 Strench एवं जनपद हरिद्वार के गंगा नदी पर 55 कि0मी0 Strench तथा अन्य जनपदों के बाढ़ मैदान परिक्षेत्र निर्धारण / चिन्हिकरण का कार्य । | 2019-20 |
| नैनीताल झील का पुर्नजीवीकरण एंव निर्माण कार्य | नैनीताल झील के पुर्नजीविकरण हेतु | 400.00 | नैनीताल झील के पुर्नजीविकरण हेतु | 2019-20 | नैनीताल झील के पुर्नजीविकरण हेतु | 2019-20 |
| नदियों एंव झीलों का पुर्नजीवीकरण कार्य | उत्तराखण्ड की नदियां एंव झीलों के पुर्नजीविकरण हेतु | 300.00 | उत्तराखण्ड की नदियां एंव झीलों के पुर्नजीविकरण हेतु | 2019-20 | उत्तराखण्ड की नदियां एंव झीलों के पुर्नजीविकरण हेतु | 2019-20 |
| बलिया नाला का उपचार | बलिया नाला के उपचार हेतु | 1000.00 | बलिया नाला के उपचार हेतु | 2019-20 | बलिया नाला के उपचार हेतु | 2019-20 |
| योग–4701 | | **2945.01** | | | | |
| **4711–बाढ़ सुरक्षा योजना** | | | | | | |
| त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम–सामान्य | राज्य की नदियों में आने वाली बाढ़ एवं कटाव से सुरक्षा हेतु बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के निर्माण कार्य। | 0.01 | निर्माणाधीन 8 सं0 एफ0एम0पी0 योजनाएं पूर्ण की जानी प्रस्तावित हैं, तथा उक्त मद में 40 सं0 योजनायें भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित है | 2019-20 | निर्माणाधीन 8 सं0 एफ0एम0पी0 योजनाएं पूर्ण की जानी प्रस्तावित हैं, तथा उक्त मद में 40 सं0 योजनायें भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित है | 2019-20 |
| त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम–एस0सी0एस0पी0 | | 0.01 | | 2019-20 | | 2019-20 |
| त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम–टी0एस0पी0 | | 0.01 | | 2019-20 | | 2019-20 |
| राज्य सैक्टर रिवर ट्रेनिंग | | 400.00 | निर्माणाधीन 12 सं0 योजनाएं पूर्ण एवं नई स्वीकृत होने वाली योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु। | 2019-20 | निर्माणाधीन 12 सं0 योजनाएं पूर्ण एवं नई स्वीकृत होने वाली योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु। | 2019-20 |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट–ले | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट (सं0 / कि0मी0) | समय सीमा | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम (है0) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट | बजट | | बजट | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा कार्यो का सम्पादन | राज्य की नदियों में आने वाली बाढ़ से सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के निर्माण कार्य। | 400.00 | निर्माणाधीन 13 सं0 योजनाएं पूर्ण एवं नई स्वीकृत होने वाली योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु। | 2019-20 | निर्माणाधीन 13 सं0 योजनाएं पूर्ण एवं नई स्वीकृत होने वाली योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु। | 2019-20 |
| मानसून अवधि में बाढ़ कार्यो का सम्पादन / क्षातिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुर्ननिर्माण | | 400.00 | नव स्वीकृत होने वाली बाढ़ योजनाओं के कार्यो हेतु | 2019-20 | नव स्वीकृत होने वाली बाढ़ योजनाओं के कार्यो हेतु | 2019-20 |
| राज्य सैक्टर–एस0सी0एस0पी0 | | 200.00 | निर्माणाधीन 06 सं0 योजनाएं पूर्ण करने एवं नई योजनाओं हेतु। | 2019-20 | निर्माणाधीन 06 सं0 योजनाएं पूर्ण करने एवं नई योजनाओं हेतु। | 2019-20 |
| राज्य सैक्टर–टी0एस0पी0 | | 200.00 | निर्माणाधीन 21 सं0 योजनाओं के कार्य पूर्ण करने व नई स्वीकृत योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु। | 2019-20 | निर्माणाधीन 21 सं0 योजनाओं के कार्य पूर्ण करने व नई स्वीकृत योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु। | 2019-20 |
| राज्य सैक्टर नाबार्ड | | 4000.00 | 35 सं0 योजनाओं को पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित एवं नई स्वीकृत योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु। | 2019-20 | 35 सं0 योजनाओं को पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित एवं नई स्वीकृत योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु। | 2019-20 |
| राज्य सैक्टर पोषित ड्रेनेज कार्य | राज्य सैक्टर पोषित ड्रेनेज कार्य | 200.00 | ड्रेनेज कार्य हेतु | 2019-20 | ड्रेनेज कार्य हेतु | 2019-20 |
| **योग–4711** | | **5800.03** | | | | |
| **कुल योग** | | **41505.06** | – | | **10725 है0 सिं0क्ष0 प्रस्तावित** | |

# विभाग द्वारा प्रस्तावित (2019–20) की योजनाओं के सम्बन्ध में सूचना (राजस्व लेखा)

धनराशि लाख ₹ में

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट सं0 / कि0मी0) | समय सीमा | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम (है0) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2700–मुख्य सिंचाई** | | | | | | |
| अधिष्ठान 03–निदेशन एवं 04–कार्यकारी 05–कार्यप्रभारित, 08–सिंचााई सलाहकार समिति हेतु | कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं अन्य कार्यालय व्यय हेतु। | 34727.14 | कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं अन्य कार्यालय व्यय | 2019-20 | कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं अन्य कार्यालय व्यय हेतु। | 2019-20 |
| 001–अन्य व्यय | | | | | | |
| 09–प्रमुख अभियन्ता की अनुरक्षित धनराशि | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | सिंचाई योजनाओं के अनुरक्षण कार्य। | 20.00 | अनुरक्षण कार्य। | 2019-20 | नहरों एवं नलकूपों का संचालन सुचारू रूप से सम्पादित कराना | 2019-20 |
| 31–सामग्री एवं आपूर्ति | विभाग में संचालित कार्यो के सम्पादन हेतु वांछित आवश्यक सामग्री की आपूर्ति। | 10.00 | खण्डीय कार्यालय को जी0पी0एस0 आपूर्ति हेतु। | 2019-20 | खण्डीय कार्यालय को जी0पी0एस0 आपूर्ति हेतु। | 2019-20 |
| 10–मोटर गाडियों, पैट्रोल हेतु | राजकीय वाहन के पैट्रोल हेतु। | 10.00 | राजकीय वाहन के पैट्रोल हेतु। | 2019-20 | राजकीय वाहन के पैट्रोल हेतु। | 2019-20 |
| 01–सौंग बांध परियोजना | सौंग बांध परियोजना हेतु | 2000.00 | सौंग बांध परियोजना हेतु | 2019-20 | सौंग बांध परियोजना हेतु | 2019-20 |
| 02–डी0पी0आर0 | परियोजनाओं के डी0पी0आर0 गठित कराने का कार्य। | 300.00 | डी0पी0आर0 गठित करने का कार्य। | 2019-20 | परि0 के डी0पी0आर0 कार्य। | 2019-20 |
| 0101– 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जल क्षेत्र प्रबन्धन | 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जल क्षेत्र प्रबन्धन हेतु | 0.00 | 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जल क्षेत्र प्रबन्धन हेतु | | 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जल क्षेत्र प्रबन्धन हेतु | |
| **वेतन एवं अन्य मद** | उत्तराखण्ड जल संस्थान प्रबन्धन और नियामक आयोग के वेतन भत्ते एवं अन्य कार्यालय व्यय हेतु। | 9.56 | उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग के वेतन भत्ते एवं अन्य कार्यालय व्यय हेतु। | 2019-20 | उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग के वेतन भत्ते एवं अन्य कार्यालय व्यय हेतु। | 2019-20 |
| **योग 2700** | | **37076.70** | | | | |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट सं0/कि0मी0) | समय सीमा | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम (है0) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **20–2701–मध्यम सिंचाई** | | | | | | |
| **10–तुमरिया योजना** | | | | | | |
| 0201–अनुरक्षण कार्य | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | तुमरिया बांध एवं नहर प्रणाली के संचालन हेतु अनुरक्षण कार्य। | 250.00 | तुमरिया बांध एवं उसकी नहर प्रणाली के अन्तर्गत 82 नहरों के अनुरक्षण। | 2019-20 | 26000 है0 क्षेत्र को सिंचाई सुविधा। | 2019-20 |
| **0202–विशेष मरम्मत** | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | वृहत क्षतिग्रस्त नहरों के संचालन हेतु विशेष मरम्मत का कार्य। | 100.00 | | 2019-20 | | 2019-20 |
| **11– दून एवं तराई भाबर की नहरें** | | | | | | |
| 0201–अनुरक्षण कार्य | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | नहरों के संचालन हेतु अनुरक्षण कार्य। | 350.00 | मैदानी क्षेत्रों में अवस्थित 400 नहरों के अनुरक्षण कार्य। | 2019-20 | 138000 है0 क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान कराना । | 2019-20 |
| **0202–विशेष मरम्मत** | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | वृहत क्षतिग्रस्त नहरों के संचालन हेतु विशेष मरम्मत का कार्य। | 100.00 | | 2019-20 | | 2019-20 |
| **12–हरिपुरा बौर/बांध व नहरें** | | | | | | |
| 0201–अनुरक्षण कार्य | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | क्षतिग्रस्त नहरों के संचालन हेतु अनुरक्षण कार्य। | 300.00 | हरिपुरा एवं बौर जलाशय तथा उनकी 50 नहरों का अनुरक्षण। | 2019-20 | 39700 है0 क्षेत्र को सिंचाई सुविधा सुविधा प्रदान कराना । | 2019-20 |
| **0202–विशेष मरम्मत** | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | वृहत क्षतिग्रस्त नहरों के संचालन हेतु विशेष मरम्मत का कार्य। | 100.00 | | 2019-20 | | 2019-20 |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट सं0/कि0मी0) | समय सीमा | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम (है0) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **13—अन्य सिंचाई योजनायें** | | | | | | |
| 0201—अनुरक्षण कार्य | | | | | | |
| 29—अनुरक्षण | नहरों के संचालन हेतु अनुरक्षण कार्य। | 300.00 | मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थित 138 नहरों के अनुरक्षण कार्य। | 2019-20 | 7000 है0 क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान कराना । | 2018-19 |
| **0202—विशेष मरम्मत** | | | | | | |
| 29—अनुरक्षण | वृहत क्षतिग्रस्त नहरों के संचालन हेतु विशेष मरम्मत का कार्य। | 100.00 | | 2019-20 | | 2018-19 |
| **14—हरिद्वार जनपद की नहरों का अनुरक्षण** | | | | | | |
| 0201—अनुरक्षण कार्य | | | | | | |
| 29—अनुरक्षण | जनपद हरिद्वार की नहरों के संचालन हेतु अनुरक्षण कार्य। | 100.00 | हरिद्वार क्षेत्रों में अवस्थित 36 नहरों के अनुरक्षण कार्य। | 2019-20 | 11120 है0 क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान कराना । | 2019-20 |
| **0202—विशेष मरम्मत** | | | | | | |
| 29—अनुरक्षण | जनपद हरिद्वार की वृहत क्षतिग्रस्त नहरों के संचालन हेतु विशेष मरम्मतकार्य। | 75.00 | अनुरक्षण कार्य। | 2019-20 | नहरों का संचालन सुचारू रूप से सम्पादित कराना। | 2019-20 |
| **15—आवासीय एवं अनावासीय भवनों का अनुरक्षण** | | | | | | |
| 0201—अनुरक्षण कार्य | | | | | | |
| 29—अनुरक्षण | आवासीय—अनावासीय भवनों के अनुरक्षण कार्य। | 200.00 | — | 2019-20 | — | 2019-20 |
| **16—नैनीताल झील एवं उनसे सम्बद्ध नालो/झीलों का अनुरक्षण** | | | | | | |
| 0201—अनुरक्षण कार्य | | | | | | |
| 29—अनुरक्षण | नैनीताल झील एवं उनसे सम्बद्ध नालो/झीलों का अनुरक्षण कार्य। | 120.00 | अनुरक्षण कार्य। | 2019-20 | झील एवं उनसे सम्बद्ध नालो/झीलों का अनुरक्षण कार्य। | 2019-20 |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट सं0/कि0मी0) | समय सीमा | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम (है0) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **20–शोध संस्थान रूड़की** | | | | | | |
| 0201–रखरखाव और मरम्मत | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | परिकल्प/शोध संस्थान, रूड़की एवं उसके नियंत्रणाधीन संरचनाओं /भवनों का अनुरक्षण कार्य। | 22.00 | परिकल्प/शोध संस्थान, रूड़की एवं उसके नियंत्रणाधीन संरचनाओं/भवनों का अनुरक्षण कार्य। | 2019-20 | परिकल्प/शोध संस्थान, रूड़की एवं उसके नियंत्रणाधीन संरचनाओं/भवनों का अनुरक्षण कार्य। | 2019-20 |
| | | | | | | |
| 052–मशीनरी तथा उपस्कर | मशीनरीं, उपकरण एवं संयत्र का क्रय। | | मशीनरीं, उपकरण एवं संयत्र का क्रय। | 2019.20 | मशीनरीं, उपकरण एवं संयत्र का क्रय। | 2019.20 |
| 03–नवीन सम्पूर्ति | | | | | | |
| 0026–मशीने और सज्जा (उपकरण एवं संयंत्र) | | 0.00 | | | | |
| 04–मरम्मत | | | | | | |
| 0026–मशीने और सज्जा (उपकरण एवं संयंत्र) | | 0.00 | | | | |
| **800–अन्य व्यय** | | | | | | |
| 05–प्रमुख अभियन्ता की अनुरक्षित धनराशि | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | सिंचाई संसाधनों के अनुरक्षण कार्य। | 2.00 | सिंचाई संसाधनों के अनुरक्षण कार्य। | 2019-20 | सिंचाई संसाधनों के अनुरक्षण कार्य। | 2019-20 |
| 31–सामग्री एवं आपूर्ति | विभागीय कार्यो के सम्पादन हेतु वांछित आवश्यक सामग्री की आपूर्ति। | 20.00 | विभागीय कार्यो के सम्पादन हेतु वांछित आवश्यक सामग्री की आपूर्ति। | 2019-20 | विभागीय कार्यो के सम्पादन हेतु वांछित आवश्यक सामग्री की आपूर्ति। | 2019-20 |
| 07–मोटर गाडियों, के ईंधन हेतु | राजकीय वाहन के ईंधन हेतु। | 0.00 | राजकीय वाहन के ईंधन हेतु। | 2019-20 | राजकीय वाहन के ईंधन हेतु। | 2019-20 |
| **योग 2701** | | **2139.00** | | | | |
| **2702–लघु सिंचाई** | | | | | | |
| 101–जल टंकी | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | पर्वतीय नहरों के सामान्य अनुरक्षण पर होने वाला व्यय। | 900.00 | 2259 सं0 नहरों का अनुरक्षण। | 2019-20 | 34980 है0 क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु | 2019-20 |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट सं0/कि0मी0) | समय सीमा | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम (है0) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **102–लिफ्ट सिंचाई योजनायें** | | | | | | |
| 03–अनुरक्षण कार्य | | | | | | |
| 09–विद्युत देय | लिफ्ट योजनाओं के संचालन पर होने वाले विद्युत व्यय का भुगतान यू0पी0सी0एल0 को किया जाना। | 300.00 | बीजक भुगतान। | 2019-20 | लिफ्ट योजनाओं के विद्युत बीजक भुगतान। | 2019-20 |
| 29–अनुरक्षण | लिफ्ट योजनाओं के सामान्य अनुरक्षण कार्यो पर होने वाला व्यय। | 700.00 | 230 सं0 लिफ्ट अनुरक्षण कार्य। | 2019-20 | 1600 है0 क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। | 2019-20 |
| **103–नलकूप** | | | | | | |
| 03–अुनरक्षण कार्य | | | | | | |
| 09–विघुत देय | नलकूप योजनाओं के संचालन पर होने वाले विद्युत व्यय का भुगतान यू0पी0सी0एल0 को किया जाना। | 5000.00 | विद्युत बीजको का भुगतान। | 2019-20 | नलकूपों के विद्युत बीजको का भुगतान। | 2019-20 |
| 29–अनुरक्षण | नलकूप योजनाओं के सामान्य अनुरक्षण कार्यो पर होने वाला व्यय | 1000.00 | 1678 सं0 नलकूपों का अनुरक्षण कार्य। | 2019-20 | 66000 है0 क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। | 2019-20 |
| **योग 2702** | | **7900.00** | | | | |
| **2711–बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास** | | | | | | |
| 01–बाढ़ नियंत्रण | | | | | | |
| 103–सिविल निर्माण कार्य | | | | | | |
| 03–सिविल निर्माण कार्य | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के सामान्य रखरखाव एवं मरम्मत कार्य पर होने वाला व्यय। | 600.00 | 1033 सं0 बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का अनुरक्षण कार्य। | 2019-20 | बाढ़ कार्यो को यथास्थिति में क्रियाशील बनाये रखना। | 2019-20 |
| योग 2711 | | **600.00** | | | | |
| कुल योग आयोजनेत्तर | | **47715.70** | **2965 नहरें, 1678नलकूप, 230पम्प नहरें 1033बाढ़ कार्य** | | **324400** | |

## वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूंजी लेखा योजनावार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति का विवरण (माह 12/2018)

धनराशि लाख ₹ में

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | वर्ष 2018–19 में व्यय | आउटपुट पूंजीलेखा प्लान (सं0/कि0मी0) | लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि (सं0/कि0मी0) | आउटकम (सींच है0) | लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि (सींच है0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट | | | | | प्लान |
| **अनुदान सं0–20** | | | | | | | |
| **4700–नलकूप निर्माण** | | | | | | | |
| 04–राज्य सैक्टर–सामान्य | सिंचाई संरचनाओं के पुनरोद्धार एवं निर्माण के फलस्वरूप सृजित सिंचन क्षमता की पुर्नस्थापना एवं नई सिंचन क्षमता सृजित कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना । | 167.59 | 5.98 | नलकूप निर्माण | 1 सं0 नलकूप पर निर्माण | – | कार्य प्रगति पर |
| 04–राज्य सैक्टर–एस0सी0एस0पी0 | | 100.00 | 0.00 | – | – | – | – |
| 04–राज्य सैक्टर–टी0एस0पी0 | | 70.00 | 16.45 | नलकूप निर्माण | 1 सं0 नलकूप निर्माण | 75 | 75 |
| 04–नाबार्ड | | 3500.00 | 1466.43 | नलकूप निर्माण | 102 सं0 नलकूप निर्माण | 4514 | 50 नलकूप पूर्ण एवं 2105 है0 सिं0क्ष0 |
| **योग नलकूप निर्माण** | | **3837.59** | **1488.86** | | | **4589** | **2180** |
| **4700–नहर निर्माण** | | | | | | | |
| 05–ए0आई0बी0पी0/पी0एम0के0एस0वाई0 | | 3268.332 | 0.00 | नहर निर्माण | 120 कि0मी0 नहर/गूल निर्माण | 2000 | कार्य प्रगति पर |
| 05–ए0आई0बी0पी0–एस0सी0एस0पी0 | | 0.01 | 0.00 | | | | |
| 05–ए0आई0बी0पी0–टी0एस0पी0 | | 0.01 | 0.00 | | | | |
| 06–राज्य सैक्टर–सामान्य | | 91.57 | 43.81 | नहर निर्माण | 2 सं0 निर्माण/ 3.00 कि0मी0 | – | कार्य प्रगति पर |
| 06–राज्य सैक्टर–एस0सी0एस0पी0 | | 100.00 | 29.34 | नहर निर्माण | 9 संख्या/6.66 किमी0 | – | कार्य प्रगति पर |
| 06–राज्य सैक्टर–टी0एस0पी0 | | 100.00 | 46.22 | नहर निर्माण | 5 संख्या/8.77 किमी0 | – | कार्य प्रगति पर |
| 06–नाबार्ड | | 12000.00 | 7820.82 | नहर निर्माण | 28 सं0 (650 किमी0) नहर निर्माण/पुनरोद्धार | 500 | 02 सं0 एवं 95 है0 पूर्ण |
| **योग नहर निर्माण** | | **15559.92** | **7940.19** | | | **2500** | **95** |
| **4700–लिफ्ट निर्माण** | | | | | | | |
| 07–नाबार्ड | | 1400.00 | 630.08 | लिफ्ट निर्माण | 08 सं0 लिफ्ट | 104 | 04 सं0 एवं 25 है0 पूर्ण |
| **योग लिफ्ट निर्माण** | | **1400.00** | **630.08** | | | **104** | **25** |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | वर्ष 2018–19 में व्यय | आउटपुट पूंजीलेखा प्लान (सं0 / कि0मी0) | लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि (सं0 / कि0मी0) | आउटकम (सींच है0) | लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि (सींच है0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट | | | | | प्लान |
| **4700–अन्य राज्य सैक्टर मद** | | | | | | | |
| जमरानी बांध परियोजना, सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजना अनुबन्धों के लिए डिक्रिटल, सोंग बांध परियोजना एवं राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट | सिंचाई, पेयजल एवं विद्युत उत्पादन, कोट केस एवं जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा सहायतित हाइड्रोलॉजी परियोजना का क्रियान्वयन | 3941.91 | 46.94 | सिंचाई, पेयजल एवं विद्युत उत्पादन, कोर्ट केस एवं जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा सहायतित हाइड्रोलॉजी परियोजना का क्रियान्वयन | सिंचाई, पेयजल एवं विद्युत उत्पादन, कोर्ट केस एवं जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा सहायतित हाइड्रोलॉजी परियोजना का क्रियान्वयन | – | – |
| 15–टिहरी बांध परियोजना का पुर्नवास | पुर्नवास कार्य | 208.10 | 0.00 | डोबरा–चाटी पुल का निर्माण | डोबरा–चाटी पुल का निर्माण कार्य प्रगति में | – | कार्य प्रगति पर |
| 18–बांध / बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण / पुनरोद्धार | बांध / बैराज का निर्माण एवं आधुनि0 / पुनरोद्धार | 982.41 | 3.36 | बांध / बैराज का निर्माण एवं आधुनि0 / पुनरोद्धार | 2 सं0 बैराज निर्माण कार्य | – | कार्य प्रगति पर |
| नैनीताल झील का पुनर्जीवीकरण एवं निर्माण कार्य | नैनीताल झील का पुनर्जीवीकरण एवं निर्माण कार्य | 500.00 | 0.00 | नैनीताल झील का पुनर्जीवीकरण एवं निर्माण कार्य | नैनीताल झील का पुनर्जीवीकरण एवं निर्माण कार्य | – | – |
| नदियों एवं झीलों का पुनर्जीवीकरण कार्य | उत्तराखण्ड की नदियों एवं झीलों का पुनर्जीवीकरण कार्य | 300.00 | 0.00 | उत्तराखण्ड की नदियों एवं झीलों का पुनर्जीवीकरण कार्य | उत्तराखण्ड की नदियों एवं झीलों का पुनर्जीवीकरण कार्य | – | – |
| **योग अन्य राज्य सैक्टर मद** | | **5932.42** | **50.30** | | | | |
| **योग–4700** | | **26729.932** | **10109.43** | | | **7193** | **2300** |
| **4701–अन्य राज्य सैक्टर मद** | | | | | | | |
| प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध कार्यक्रम का विस्तार, सर्वेक्षण तथा अनुसंधान, प्रशिक्षण केन्द्रो का उच्चीकरण, मशीनरी तथा उपसकर, उपरी यमुना नदी बोर्ड, बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण एवं ब्रह्य सहायतित योजना | अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्य, शोध संस्थान रूड़की का उच्चीकरण कार्य एवं अन्य कार्य | 575.00 | 315.82 | अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्य, शोध संस्थान रूड़की का उच्चीकरण कार्य एवं अन्य कार्य | अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्य, शोध संस्थान रूड़की का उच्चीकरण कार्य | – | – |
| 03–जल संवर्द्धन एवं संरक्षण के अन्तर्गत योजनायें | जलाशय का निर्माण एवं अनुसंधान कार्य | 150.00 | 103.54 | जलाशय का निर्माण एवं अनुसंधान कार्य | 02 जलाशय का निर्माण एवं अनुसंधान कार्य | – | कार्य प्रगति पर |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | वर्ष 2018–19 में व्यय | आउटपुट पूंजीलेखा प्लान (सं0 / कि0मी0) | लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि (सं0 / कि0मी0) | आउटकम (सींच है0) | लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि (सींच है0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट | | | | | प्लान |
| 08–बलिया नाला उपचार | बलिया नाला का उपचार | 200.00 | 0.00 | बलिया नाला का उपचार | बलिया नाला का उपचार | – | – |
| 190–उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम अंशपूंजी | जल विद्युत परि0 के सचालन हेतु अंशपूंजी का भुगतान | 20.00 | 20.00 | जल विद्युत परियोजनाओं के सचालन हेतु अंशपूंजी का भुगतान | – | – | – |
| 05–निरीक्षण भवनों का निर्माण | निरीक्षण भवनों का निर्माण | 80.00 | 23.89 | निरीक्षण भवनों का निर्माण | 01 सं0 निरीक्षण भवन निर्माण | – | कार्य पूर्ण |
| **योग–4701** | | **1025.00** | **463.25** | | | | |
| **4711–बाढ़ सुरक्षा योजना** | | | | | | | |
| 01–केन्द्रपुरोनिधानित–सामान्य | राज्य की नदियों में आने वाली बाढ़ एवं कटाव से सुरक्षा हेतु बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के निर्माण कार्य। | 231.678 | 0.00 | बाढ़ योजनाओं के कार्य | 07 सं0 यो0 का निर्माण | 10000 लाभार्थी | कार्य प्रगति पर |
| 01–केन्द्रपुरोनिधानित–एस0सी0एस0पी0 | | 0.01 | 0.00 | – | – | – | – |
| 01–केन्द्रपुरोनिधानित–टी0एस0पी0 | | 0.01 | 0.00 | – | – | – | – |
| 06–राज्य सैक्टर–रिवर ट्रेनिंग | | 400.00 | 228.83 | बाढ़ योजनाओं के कार्य | 12 सं0 यो0 का निर्माण | 12000 लाभार्थी | कार्य प्रगति पर |
| 07–राज्य सैक्टर–आकस्मिक बाढ़ | | 100.00 | 0.00 | बाढ़ योजनाओं के कार्य | 14 सं0 यो0 का निर्माण | 2000 लाभार्थी | कार्य प्रगति पर |
| 02–राज्य सैक्टर–एस0सी0एस0पी0 | | 100.00 | 0.00 | बाढ़ योजनाओं के कार्य | 4 सं0 यो0 का निर्माण | 100 लाभार्थी | कार्य प्रगति पर |
| 03–राज्य सैक्टर–टी0एस0पी0 | | 100.00 | 69.29 | बाढ़ योजनाओं के कार्य | 18 सं0 यो0 का निर्माण | 1000 | कार्य प्रगति पर |
| 04–नाबार्ड | | 5100.00 | 3985.96 | बाढ़ योजनाओं के कार्य | 21 सं0 यो0 का निर्माण | 15000 लाभार्थी | कार्य प्रगति पर |
| मानसून अवधि में बाढ़ कार्यो का संपादन / क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण | | 500.00 | 0.00 | – | – | – | – |
| राज्य सैक्टर पोषित डेंनैज कार्य | | 100.00 | 0.00 | – | – | – | – |
| **योग–4711** | | **6631.70** | **4284.08** | – | – | – | – |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | वर्ष 2018–19 में व्यय | आउटपुट पूंजीलेखा प्लान (सं0 / कि0मी0) | लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि (सं0 / कि0मी0) | आउटकम (सींच है0) | लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि (सींच है0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट | | | | | प्लान |
| | | | | | | | |
| ए0सी0ए0(आपदा 2013) | बाढ़ से कृषि भूमि कटाव को रोकना एवं भवनों आदि | 0.00 | 7029.25 | बाढ़ योजनाओं के कार्य्र | 17 सं0 यो0 का निर्माण | 25000 लाभार्थी | कार्य प्रगति पर |
| योग–06 / 2245 | | **0.00** | **7029.25** | | | | |
| कुल योग | | **34386.63** | **21886.01** | – | | **7193** | **2300** |

## वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजस्व लेखा योजनावार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति का विवरण (माह 01/2019)

धनराशि लाख ₹ में

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले राजस्व लेखा बजट | वर्ष 2018–19 में व्यय | आउटपुट राजस्व लेखा | आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि | सींच का लक्ष्य (है0) | सींच की उपलब्धि (है0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **2700–मुख्य सिंचाई** | | | | | | | |
| 800–अन्य व्यय | | | | | | | |
| 05–प्रमुख अभियन्ता की अनुरक्षित धनराशि | | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | अनुरक्षण कार्यो हेतु। | 17.00 | 8.47 | अनुरक्षण कार्य। | अनुरक्षण कार्य। | – | – |
| 31–सामग्री एवं आपूर्ति | निर्माण कार्यो हेतु सामग्री आपूर्ति। | 5.50 | 2.71 | नवीन सामग्री क्रय | नवीन सामग्री क्रय | – | – |
| 15–गाडियो का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि का क्रय | गाडियों की मरम्मत एवं ईंधन आदि खरीद। | 5.50 | 2.25 | अनुरक्षण कार्य। | अनुरक्षण कार्य। | – | – |
| 11–उत्तराखण्ड वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट एण्ड रेगुलेरिटी कमीशन | उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग के वेतन भत्ते एवं अन्य कार्यालय व्यय | 100.50 | 0.00 | वेतन भत्ते एवं अन्य कार्यालय व्यय | वेतन भत्ते एवं अन्य कार्यालय व्यय | | |
| 02–डी0पी0आर0 | परियोजनाओं के डी0पी0आर0 कार्य हेतु। | 350.00 | 129.02 | डी0पी0आर0 कार्य। | डी0पी0आर0 कार्य। | | |
| 01–सौंग बांध परियोजना | | 2000.00 | 436.54 | | | | |
| **योग 2700** | | **2478.50** | **578.99** | | | | |
| **20–2701–मध्यम सिंचाई** | | | | | | | |
| **10–तुमरिया योजना** | | | | | | | |
| 0201–अनुरक्षण कार्य | | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | नहरों के संचालन हेतु अनुरक्षण कार्य। | 200.00 | 180.00 | 82 नहरें | 82 नहरें | 26000 | 24000 |
| **0202–विशेष मरम्मत** | | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | वृहत क्षतिग्रस्त नहरों के संचालन हेतु विशेष मरम्मत का कार्य। | 55.00 | 38.77 | | | | |
| **11– दून एवं तराई भाबर की नहरें** | | | | | | | |
| 0201–अनुरक्षण कार्य | | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | नहरों के संचालन हेतु अनुरक्षण कार्य। | 300.00 | 259.11 | 400 नहरें | 400 नहरें | 138000 | 137000 |
| **0202–विशेष मरम्मत** | | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | वृहत क्षतिग्रस्त नहरों के संचालन हेतु विशेष मरम्मत। | 100.00 | 36.76 | | | | |
| **12–हरिपुरा बौर/बांध व नहरें** | | | | | | | |
| 0201–अनुरक्षण कार्य | | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | नहरों के संचालन हेतु अनुरक्षण कार्य। | 230.00 | 175.06 | 50 नहरें | 50 नहरें | 39700 | 37500 |
| **0202–विशेष मरम्मत** | | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | वृहत क्षतिग्रस्त नहरों के संचालन हेतु विशेष मरम्मत। | 50.00 | 22.13 | | | | |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले राजस्व लेखा बजट | वर्ष 2018–19 में व्यय | आउटपुट राजस्व लेखा | आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि | सींच का लक्ष्य (है0) | सींच की उपलब्धि (है0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **13–अन्य सिंचाई योजनायें** | | | | | | | |
| 0201–अनुरक्षण कार्य | | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | नहरों के संचालन हेतु अनुरक्षण कार्य। | 305.00 | 194.92 | 138 नहरें | 138 नहरें | 7000 | 6500 |
| **0202–विशेष मरम्मत** | | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | वृहत क्षतिग्रस्त नहरों के संचालन हेतु विशेष मरम्मत। | 50.00 | 39.81 | | | | |
| **14–हरिद्वार जनपद की नहरों का अनुरक्षण** | | | | | | | |
| 0201–अनुरक्षण कार्य | | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | जनपद हरिद्वार की नहरों के संचालन हेतु अनुरक्षण कार्य। | 170.00 | 9.81 | 36 नहरें | 16 नहरें | 11120 | 7000 |
| **0202–विशेष मरम्मत** | | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | जनपद हरिद्वार की नहरों के विशेष मरम्मत कार्य। | 7.00 | 2.00 | | | | |
| **15–आवासीय अनावासीय भवनों का अनु0** | | | | | | | |
| 101–रखरखाव व मरम्मत | | | | | | | |
| 0201–रखरखाव व मरम्मत | | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | आवासीय अनावासीय भवनों का अनुरक्षण। | 20.00 | 20.00 | अनुरक्षण कार्य। | अनुरक्षण कार्य। | – | – |
| **16–नैनीताल झील एवं उनसे सम्बद्ध नालो/झीलों का अनुरक्षण** | | | | | | | |
| 0201–अनुरक्षण कार्य | | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | नैनीताल झील एवं उनसे सम्बद्ध नालो/झीलों का अनुरक्षण। | 50.00 | 20.93 | अनुरक्षण कार्य। | अनुरक्षण कार्य। | | |
| **20–शोध संस्थान रूड़की** | | | | | | | |
| 0201–रखरखाव और मरम्मत | | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | परिकल्प/शोध संस्थान, रूड़की एवं उसके नियंत्रणाधीन संरचनाओं/भवनों का अनुरक्षण कार्य। | 22.00 | 16.86 | अनुरक्षण कार्य। | अनुरक्षण कार्य। | – | – |
| **800–अन्य व्यय** | | | | | | | |
| 05–प्रमुख अभियन्ता की अनुरक्षित धनराशि | | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | अनुरक्षण कार्यो हेतु। | 2.00 | 0.90 | अनुरक्षण कार्य। | अनुरक्षण कार्य। | – | – |
| 31–सामग्री एवं आपूर्ति | निर्माण कार्यो हेतु सामग्री आपूर्ति। | 6.00 | 3.00 | नवीन सामग्री क्रय | नवीन सामग्री क्रय | – | – |
| **योग 2701** | | **1567.00** | **1020.06** | | | **221820** | **212000** |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले राजस्व लेखा बजट | वर्ष 2018–19 में व्यय | आउटपुट राजस्व लेखा | आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि | सींच का लक्ष्य (है0) | सींच की उपलब्धि (है0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **2702–लघु सिंचाई** | | | | | | | |
| 101–जल टंकी | | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | पर्वतीय नहरों का अनु0 कार्य। | 800.00 | 631.67 | 2259 नहरें | 2259 नहरें | 34980 | 33200 |
| **102–लिफ्ट सिंचाई योजनायें** | | | | | | | |
| 03–अनुरक्षण कार्य | | | | | | | |
| 09–विद्युत देय | लिफ्ट विद्युत देयक भुगतान। | 600.00 | 135.00 | बीजक भुगतान | बीजक भुगतान | – | – |
| 29–अनुरक्षण | लिफ्ट स्कीमों के अनुरक्षण कार्य। | 300.00 | 192.38 | 230 लिफ्ट | 220 लिफ्ट | 1600 | 1400 |
| **103–नलकूप** | | | | | | | |
| 03–अुनरक्षण कार्य | | | | | | | |
| 09–विघुत देय | नलकूप के विद्युत देयको का भुगतान। | 4050.00 | 3995.92 | विद्युत बीजको का भुगतान | विद्युत बीजको का भुगतान | – | – |
| 29–अनुरक्षण | नलकूपों के अनुरक्षण कार्य। | 900.00 | 542.48 | 1678 नलकूप | 1559 नलकूप | 66000 | 65000 |
| **योग 2702** | | **6650.00** | **5497.45** | | | | |
| **2711–बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास** | | | | | | | |
| 01–बाढ़ नियंत्रण | | | | | | | |
| 103–सिविल निर्माण कार्य | | | | | | | |
| 03–सिविल निर्माण कार्य | | | | | | | |
| 29–अनुरक्षण | बाढ़ सुरक्षा के रखरखाव एवं मरम्मत कार्य। | 500.00 | 368.21 | 1033 बाढ़ कार्य | 1007 बाढ़ कार्य | – | – |
| **योग 2711** | | **500.00** | **368.21** | | | | |
| **कुल योग आयोजनेत्तर** | | **11195.50** | **7464.71** | – | – | **324400** | **311600** |

! " "# $ $ %&' ( )'& $ $

+&, )- . / & %' 0$ ( 1 %2

. % 3 ₹

| क0 सं0 | मद/योजना का नाम | प्राविधानित बजट | जारी स्वीकृति | माह 01/2019 तक व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | माह में | कुल |
| | राजस्व लेखाः– | | | | |
| | | | | | |
| | 001–अन्य व्यय | | | | |
| | **09–प्रमुख अभियन्ता की अनुरक्षित धनराशि** | | | | |
| | 29–अनुरक्षण | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 8.47 |
| | 31–सामग्री एवं आपूर्ति | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 2.71 |
| | योग–09 | **22.50** | **22.50** | **0.00** | **11.18** |
| | **10–मोटर गाडियो के पेट्रोल आदि का क्रय** | | | | |
| | 0015–गाडियो का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि का क्रय | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 2.25 |
| | योग–10 | **5.50** | **5.50** | **0.00** | **2.25** |
| | **11–उत्त0 वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेन्ट एवं रेगुलेटरी कमीशन जल संसाधन एवं प्रबधन आयोग** | | | | |
| | 01–वेतन | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 03–महंगाई भत्ता | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 04–यात्रा भत्ता व्यय | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 06–अन्य भत्ते | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 08–कार्यालय व्यय | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 09–विद्युत देय | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 11–लेखन सामग्री/फार्म की छपाई | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13–टेलीफोन पर व्यय | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22–आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 44–प्रशिक्षण | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | योग–11 | **100.50** | **100.50** | **0.00** | **0.00** |
| | **800–अन्य** | | | | |
| | 01–सौंग बांध परियोजना | 2000.00 | 1960.00 | 26.71 | 436.54 |
| | **80–सामान्य** | | | | |
| | 02–डी0पी0आर0 | 350.00 | 215.00 | 0.00 | 129.02 |
| | | **2478.50** | **2303.50** | **26.71** | **578.99** |
| | | **2478.50** | **2303.50** | **26.71** | **578.99** |

| क0 सं0 | मद / योजना का नाम | प्राविधानित बजट | जारी स्वीकृति | माह 01 / 2019 तक व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | माह में | कुल |
| | " . | | | | |
| " | " $ % & | | | | |
| | 101—रखरखाव व मरम्मत | | | | |
| | 0201—अनुरक्षण कार्य | | | | |
| | 29—अनुरक्षण | 200.00 | 200.00 | 54.64 | 180.00 |
| | 0202—विशेष मरम्मत | | | | |
| | 29—अनुरक्षण | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 38.77 |
| | " " * ( $ % 4 + % 5 % | | | | |
| | 101—रखरखाव व मरम्मत | | | | |
| | 0201—अनुरक्षण कार्य | | | | |
| | 29—अनुरक्षण | 300.00 | 300.00 | 34.26 | 259.11 |
| | 0202—विशेष मरम्मत | | | | |
| | 29—अनुरक्षण | 100.00 | 80.00 | 11.52 | 36.76 |
| 3 | " 5 %) % + 6% + . 5 % | | | | |
| | 101—रखरखाव व मरम्मत | | | | |
| | 0201—अनुरक्षण कार्य | | | | |
| | 29—अनुरक्षण | 230.00 | 230.00 | 49.90 | 175.06 |
| | 0202—विशेष मरम्मत | | | | |
| | 29—अनुरक्षण | 50.00 | 50.00 | 18.94 | 22.13 |
| | " 7 & | | | | |
| | 101—रखरखाव व मरम्मत | | | | |
| | 0201—अनुरक्षण कार्य | | | | |
| | 29—अनुरक्षण | 305.00 | 230.00 | 50.04 | 194.92 |
| | 0202—विशेष मरम्मत | | | | |
| | 29—अनुरक्षण | 50.00 | 50.00 | 6.16 | 39.81 |
| | " 5 %8 % & ) 5 % %9 2 | | | | |
| | 101—रखरखाव व मरम्मत | | | | |
| | 0201—अनुरक्षण कार्य | | | | |
| | 29—अनुरक्षण | 170.00 | 20.00 | 0.00 | 9.81 |
| | 0202—विशेष मरम्मत | | | | |
| | 29—अनुरक्षण | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 2.00 |
| | " 4 %9 2 | | | | |
| | 101—रखरखाव व मरम्मत | | | | |
| | 0201—अनुरक्षण कार्य | | | | |
| | 29—अनुरक्षण | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 7 | " 6 $ : ( ; <+ = : %9 2 | | | | |
| | 101—रखरखाव व मरम्मत | | | | |
| | 0201—अनुरक्षण कार्य | | | | |
| | 29—अनुरक्षण | 50.00 | 50.00 | 20.93 | 20.93 |

| क्र0 सं0 | मद／योजना का नाम | प्राविधानित बजट | जारी स्वीकृति | माह 01／2019 तक व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | माह में | कुल |
| | 3 . ’ > ? @A | | | | |
| | 101–रखरखाव व मरम्मत | | | | |
| | 0201–रखरखाव और मरम्मत | | | | |
| | 29–अनुरक्षण | 22.00 | 17.00 | 0.86 | 16.86 |
| # | | | | | |
| | 052–मशीनरी तथा उपस्कर | | | | |
| | 03–नवीन सम्पूर्ति | | | | |
| | 0026–मशीने और सज्जा (उपकरण एवं संयंत्र) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 04–मरम्मत | | | | |
| | 0026–मशीने और सज्जा (उपकरण एवं संयंत्र) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| " | 1 | | | | |
| | 80–सामान्य | | | | |
| | 05–प्रमुख अभियन्ता की अनुरक्षित धनराशि | | | | |
| | 0029–अनुरक्षण | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.90 |
| | 0031–सामग्री एवं आपूर्ति | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 |
| | 07–मोटर गाडियो के पेट्रोल आदि का क्रय | | | | |
| | 0015– गाडियो का अनुरक्षण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | योग 2701 | **1567.00** | **1317.00** | **250.25** | **1020.06** |
| | B | | | | |
| 1 | 03–रखरखाव | | | | |
| | 101–जल टंकी | | | | |
| | 02–अन्य रखरखाव कार्य | | | | |
| | 0029–अनुरक्षण | 800.00 | 800.00 | 77.55 | 631.67 |
| | " C, & | | | | |
| | **03–रखरखाव कार्य** | | | | |
| | 03–अनुरक्षण कार्य | 300.00 | 200.00 | 0.00 | 192.38 |
| | **0009–विद्युत देय** | | | | |
| | 0029–अनुरक्षण | 600.00 | 600.00 | 5.88 | 135.00 |
| 7 | " 7 ) | | | | |
| | 03–रखरखाव कार्य | | | | |
| | 03–अुनरक्षण कार्य | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 542.48 |
| | 0009–विघुत देय | | | | |
| | 0029–अनुरक्षण | 4050.00 | 4000.00 | 344.60 | 3995.92 |
| | | **6650.00** | **6500.00** | **428.03** | **5497.45** |
| B | "" + DA E2 $> & | | | | |
| | 01–बाढ़ नियंत्रण | | | | |
| | 103–सिविल निर्माण कार्य | | | | |
| | 03–सिविल निर्माण कार्य | | | | |
| | 0029–अनुरक्षण | 500.00 | 500.00 | 27.63 | 368.21 |
| च | "" | **500.00** | **500.00** | **27.63** | **368.21** |
| | | **11195.50** | **10620.50** | **732.62** | **7464.71** |
| | % & ’ | **11195.50** | **10620.50** | **732.62** | **7464.71** |

| क0 सं0 | मद / योजना का नाम | प्राविधानित बजट | जारी स्वीकृति | माह 01 / 2019 तक व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | माह में | कुल |
| | ) *& | | | | |
| **(A)** | + @ $ ) ! $ & F% G 6I , %J | | | | |
| (i) | नलकूपों का निर्माण | 3500.00 | 2412.91 | 124.77 | 1591.20 |
| (ii) | नहर निर्माण की योजना | 12000.00 | 10000.00 | 170.09 | 7990.91 |
| (iii) | लघुडाल नहर निर्माण की योजना | 1400.00 | 997.13 | 83.48 | 713.56 |
| (iv) | बाढ़ सुरक्षा कार्य | 5100.00 | 4500.00 | 9.97 | 3995.93 |
| | + @ | **22000.00** | **17910.04** | **388.31** | **14291.60** |
| **(B)** | % G 6I , % | | | | |
| **(i)** | | | | | |
| 1 | जमरानी बांध परियोजना | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | विभिन्न परियो0 के अनुबन्धों के लिए डिक्रिटल की राशि | 50.00 | 46.94 | 0.00 | 42.99 |
| 3 | मशीनरी तथा उपसकर | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | प्रशिक्षण कार्यक्रम | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 24.78 |
| 5 | शोध कार्यक्रम का विस्तार | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | सर्वेक्षण तथा अनुसंधान | 80.00 | 70.87 | 0.00 | 36.50 |
| 7 | प्रशिक्षण केन्द्रो का उच्चीकरण | 50.00 | 50.00 | 6.39 | 45.88 |
| 8 | उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 9 | नलकूपों का निर्माण | 167.59 | 67.59 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | नहर निर्माण की योजना | 91.57 | 43.81 | 0.00 | 43.36 |
| 11 | सोंग बांध परियोजना | 1791.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | टिहरी बांध परियोजना का पुर्नवास | 208.10 | 208.10 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | राज्य सैक्टर रिवर ट्रेनिंग | 400.00 | 300.00 | 40.42 | 269.25 |
| 14 | राज्य सैक्टर आकस्मिक बाढ़ | 100.00 | 99.86 | 30.73 | 30.73 |
| 15 | जल संवर्द्धन / संरक्षण के अन्तर्गत योजनायें | 150.00 | 150.00 | 1.99 | 105.53 |
| 16 | अपर यमुना बोर्ड | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 17 | बांध / बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण / पुनरोद्धार | 982.41 | 396.87 | 6.37 | 9.73 |
| 18 | निरीक्षण भवनों का निर्माण | 80.00 | 24.15 | 0.26 | 24.15 |
| 19 | वाहय सहायतित योजना | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | फ्लड प्लेन जोनिंग | 350.00 | 350.00 | 118.98 | 318.98 |
| 21 | नैनीताल झील का पुनर्जीवीकरण एवं निर्माण कार्य | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | नदियों एवं झीलों का पुनर्जीवीकरण कार्य | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | बलिया नाला का उपचार | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | मानसून अवधि में बाढ़ कार्यो का संपादन / क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | राज्य सैक्टर पोषित ड्रेनैज कार्य | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **8216.58** | **1913.19** | **205.14** | **986.88** |
| **(ii)** | 3 @ * ' , + J F% G 6I , %J<br>F 7 I | | | | |
| 1 | नलकूपों का निर्माण (राज्य सैक्टर) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | नहर निर्माण (राज्य सैक्टर) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 28.59 |
| 3 | बाढ़ सुरक्षा कार्य | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 @ * ' , + J | **300.00** | **200.00** | **0.00** | **28.59** |

| क्र0 सं0 | मद / योजना का नाम | प्राविधानित बजट | जारी स्वीकृति | माह 01 / 2019 तक व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | माह में | कुल |
| **(iii)** | , K + + J F% G 6I, %I F 7" I | | | | |
| 1 | नलकूपों का निर्माण (राज्य सैक्टर) | 70.00 | 16.45 | 0.00 | 16.45 |
| 2 | नहर निर्माण (राज्य सैक्टर) | 100.00 | 100.00 | 16.66 | 62.88 |
| 3 | बाढ़ सुरक्षा कार्य | 100.00 | 100.00 | 20.95 | 90.24 |
| | , K + + J | **270.00** | **216.45** | **37.61** | **169.57** |
| | 5 % G 6I, % | **30786.58** | **20239.68** | **631.06** | **15476.64** |
| | - ) % . $ & | | | | |
| " | ) L( L L( L LF5 % $ ) I | | | | |
| (i) | सामान्य | 3268.332 | 440.16 | 185.69 | 185.69 |
| (ii) | एस0सी0एस0पी0 (अनुदान सं0–30) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) | टी0एस0पी0 (अनुदान सं0–31) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ) L( L L( L | **3268.352** | **440.160** | **185.69** | **185.69** |
| | " " %$ 4 ( + D A) + . M | | | | |
| (i) | सामान्य | 231.678 | 231.678 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) | एस0सी0एस0पी0 बाढ़ सुरक्षा (अनुदान सं0–30) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) | टी0एस0पी0 बाढ़ सुरक्षा (अनुदान सं0–31) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (iv) | सी0एस0एस0–पुनर्निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | + D A %9 & | **231.698** | **231.678** | **0.00** | **0.00** |
| 3 | नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - ) % . $ & | **3600.050** | **671.838** | **185.69** | **185.69** |
| | F –20+ 30+31) | **34386.630** | **20911.52** | **816.75** | **15662.33** |
| " | | | | | |
| (i) | एस.सी.ए. / ए0सी0ए0(आपदा 2013) | 0.00 | 10853.72 | 0.00 | 6967.93 |
| | ( ) ( % ( ( F ) "7 I | **0.00** | **10853.72** | **0.00** | **6967.93** |
| | ) '& | **34386.630** | **31765.238** | **816.75** | **22630.26** |

# आउटकम बजट 2019–20

## विभाग का नाम– सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित एस.डी.जी.–

**SDG 12.8- By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with nature.**

**SDG 13.3- Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning.**

अनुदान संख्या : 14 सूचना

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट (₹ हजार में) | | एस.डी.जी. Goal/Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.4.2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| अ. | राज्य सेक्टर<br>राजस्व लेखा शीर्षक–<br>2220–सूचना तथा प्रचार | | | | | | | | |
| 1 | 01–फिल्म | | | | | | | | |
| (1) | 105–फिल्मों का निर्माण –03–अधिष्ठान | राज्य सरकार की नीतियों, उपलब्धियों व विकास कार्यों का प्रचार–प्रसार | 66441 | – | – | • अधिष्ठान व्यय– 12 कार्मिक<br>• 50 डॉक्यूमेंट्री/न्यूज मैगजीन/ लघु विज्ञापन फिल्मों का निर्माण/ वीडियो कवरेज<br>• एचडी वीडियो कैमरा की व्यवस्था–02 | – | • राज्य सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों का जन–समान्य तक प्रचार–प्रसार | 01 वर्ष |
| (2) | 105–फिल्मों का निर्माण –06–फिल्म परिषद की स्थापना | पर्यटन विकास एवं रोजगार के नये अवसरों के सृजन हेतु राज्य में फिल्मोद्योग का विकास | 1 | – | – | • उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद का संचालन –01<br>• उत्तराखण्ड फिल्म विकास निधि की स्थापना–01<br>• राज्य में फिल्मांकन की जाने वाली को अनुदान–05 | – | • उत्तराखण्ड में फिल्मोद्योग का विकास एवं फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन | 01 वर्ष |
| 2 | 60–अन्य | | | | | | | | |
| (1) | 001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अधिष्ठान | शासकीय प्रचार–प्रसार से संबंधित विभागीय कार्यों का निर्देशन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण | 94869 | – | – | • निदेशालय का अधिष्ठान व्यय –112 कार्मिक<br>• पत्रकारों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा की व्यवस्था–लगभग 900<br>• प्रेस वार्ताओं/प्रेस सम्मेलनों का आयोजन –24 | – | • विभागीय कार्यों का प्रभावी निर्देशन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण<br>• महत्वपूर्ण शासकीय कार्यक्रमों की प्रेस कवरेज तथा प्रेस सम्मेलनों/वार्ताओं, प्रेस–टूर आदि के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों का प्रचार–प्रसार | 01 वर्ष |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) | 101–विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार–03–गीत नाट्य योजना | शासन की योजनाओं व उपलब्धियों का गीत–नाट्य विधाओं के माध्यम से प्रचार–प्रसार | 4300 | – | | • विभाग में पंजीकृत 176 सांस्कृतिक दलों के माध्यम से राज्य के विभिन्न स्थानों पर गीत–नाट्य कार्यक्रमों का आयोजन–600 कार्यक्रम | – | • विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार–प्रसार | 01 वर्ष |
| (3) | 101–विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार –05–अधिष्ठान | शासन की नीतियों, उपलब्धियों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार–प्रसार | 406304 | – | SDG 12.8- By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with nature.<br>SDG 13.3- Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning.<br>**(Partially)** | • अधिष्ठान व्यय– 17 कार्मिक<br>• विभिन्न अवसरों पर शासन की नीतियों, उपलब्धियों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों तथा सतत विकास के निर्धारित लक्ष्यों के प्रचार–प्रसार हेतु प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,सोशल मीडिया में विज्ञापन प्रकाशन तथा आउटडोर पब्लीसिटी गतिविधियों का आयोजन | – | • प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,सोशल मीडिया तथा आउटडोर पब्लीसिटी के माध्यम से शासकीय सूचनाओं, कल्याण योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार–प्रसार<br>• सतत विकास के निर्धारित लक्ष्यों के प्रति जन–जागरूकता का प्रसार | 01 वर्ष |
| (4) | 102–सूचना केन्द्र –03–सूचना केन्द्र का अधिष्ठान | जनोपयोगी सूचनाओं एवं संदर्भों की उपलब्धता शासकीय प्रचार–प्रसार | 8317 | – | – | • जिलों में स्थापित 17 सूचना केन्द्रों तथा राष्ट्रीय राजधानी में स्थापित मीडिया से समन्वय हेतु राज्य सूचना केन्द्र नई दिल्ली का अधिष्ठान व्यय –21 कार्मिक | – | • जिलों में स्थापित 17 सूचना केन्द्रों के माध्यम से जनोपयोगी सूचनाओं का प्रचार–प्रसार<br>• उत्तराखंड राज्य सूचना केन्द्र नई दिल्ली के माध्यम से राज्य के विकास कार्यों एवं महत्वपूर्ण शासकीय गतिविधियों का राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार | 01 वर्ष |
| (5) | 102–सूचना केन्द्र –04–हल्द्वानी मीडिया सेंटर | कुमांऊं क्षेत्र के मीडिया से समन्वय कर शासकीय प्रचार–प्रसार | 2310 | – | – | • हल्द्वानी मीडिया सेंटर का अधिष्ठान व्यय–04 कार्मिक | – | • हल्द्वानी मीडिया सेंटर के माध्यम से शासकीय प्रचार–प्रसार कार्यों हेतु कुमांऊं क्षेत्र के मीडिया से समन्वय | 01 वर्ष |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 103–प्रेस सूचना सेवायें –04–पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना | आपदाग्रस्त एवं दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों की सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था | 60 | – | – | • 01– पत्रकार आश्रित को पेंशन | | • स्वतंत्रता संग्राम में अपनी लेखनी से योगदान करने वाले दिवंगत पत्रकार आचार्य गोपेश्वर कोठियाल की पत्नी को प्रतिमाह रू. 05 हजार की पेंशन | 01 वर्ष |
| (7) | 106–क्षेत्र प्रचार –03–अधिष्ठान | जिला स्तर पर शासकीय प्रचार–प्रसार हेतु जिला सूचना कार्यालयों का संचालय | 45867 | – | – | • जिला सूचना कार्यालयों का अधिष्ठान व्यय–91 कार्मिक | – | • जिला सूचना कार्यालयों के द्वारा शासन की नीतियों, उपलब्धियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का जिला स्तर पर प्रचार–प्रसार | 01 वर्ष |
| (8) | 109–फोटो सेवायें –03–अधिष्ठान | शासकीय प्रचार–प्रसार हेतु स्टिल फोटो कवरेज की व्यवस्था | 6369 | – | – | • फोटो कवरेज से संबंधित अधिष्ठान का व्यय–12 कार्मिक | – | • महत्वपूर्ण शासकीय कार्यक्रमों, विकास कार्यों, की स्टिल फोटो कवरेज कर प्रचार–प्रसार एवं संदर्भ हेतु फोटो बैंक में उपयोग | 01 वर्ष |
| (9) | 110–प्रकाशन –03–अधिष्ठान | शासन की नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों / सूचनाओं का प्रकाशनों के माध्यम से प्रचार–प्रसार | 52507 | – | **SDG 12.8-** By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with nature.<br>**SDG 13.3-** Improve education,awareness-raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning.<br>**(Partially)** | • प्रकाशन अधिष्ठान व्यय–16कार्मिक<br>• शासन की योजनाओं, उपलब्धियों एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों / सूचनाओं तथा सतत विकास के निर्धारित लक्ष्यों के प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न प्रकाशनों का मुद्रण एवं जन–समान्य में वितरण–लगभग 20 प्रकाशन | – | • मासिक पत्रिका–देवभूमि संदेश, विकास पुस्तिकाओं, फोल्डर्स आदि प्रकाशनों के माध्यम से राज्य में संचालित विकास कार्यों, शासन की नीतियों, उपलब्धियों का जन–सामान्य तक प्रचार–प्रसार<br>• सतत विकास के निर्धारित लक्ष्यों के प्रति जन–जागरूकता का प्रसार | 01 वर्ष |
| (10) | 800–अन्य व्यय –03–स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस सम्बन्धी (उ.सचिवालय को छोड़कर) उत्सवों आदि पर व्यय | स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस समारोहों का आयोजन | 10000 | – | – | • स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, आदि विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों पर कार्यक्रमों का आयोजन | | • राष्ट्रीय पर्वों पर समारोहों का आयोजन<br>• गणतंत्र दिवस समारोह नई दिल्ली में राज्य की झॉकी का आयोजन | 01 वर्ष |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (11) | 800–अन्य व्यय –06–श्रमजीवी पत्रकारों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति | पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था | 5000 | – | – | • राज्य के पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति– लगभग 200 | – | • राज्य के पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों को राज्य कर्मचारियों की भांति राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की अनुमन्यता एवं चिकित्सा पर होने वाले व्यय की प्रतूिपर्ति | 01 वर्ष |
| (12) | 800–अन्य व्यय –07–प्रदेश में मीडिया सलाहकार समिति का गठन | मीडिया से संबंधित परामर्श हेतु अनुभवी विशेषज्ञ परामर्शी की सेवाओं का उपयोग | 5000 | – | – | • मा. मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार से संबंधित व्यय–01 सलाहकार<br>• मीडिया समन्वयक को अनुमन्य सुविधाओं/ वाहन का व्यय–01<br>• शासकीय प्रचार–प्रसार हेतु राज्य स्तर पर मीडिया सलाहकार समिति का गठन–01 | | • मीडिया सलाहकार समिति के परामर्श से मीडिया में बेहतर समन्वय एवं शासकीय प्रचार–प्रसार की गतिविधियों का संचालन | 01 वर्ष |
| | **योग अनुदान संख्या–14 लेखाशीर्षक–2220** | | **707345** | | | | | | |
| **ब.** | **राज्य सेक्टर पूँजीगत लेखा शीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय –60–अन्य भवन –051–निर्माण** | | | | | | | | |
| | 03–सूचना निदेशालय हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था | सूचना निदेशालय हेतु भवन निर्माण | – | 1 | – | • 01–भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। | – | • सूचना विभाग के मुख्यालय के सुव्यस्थित संचालन हेतु भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। | – |
| | 04–मीडिया से संबंधित अवस्थापना सुविधाओं का विकास–01–उत्तराखण्ड में प्रेस क्लबों की स्थापना | मीडिया कर्मियों की सुविधा हेतु प्रेस क्लबों की स्थापना एवं अनुरक्षण | – | 6316 | – | • प्रेस क्लब भवनों का निर्माण–03 भवन | – | • प्रचार–प्रसार के महत्वपूर्ण उपादान मीडिया कर्मियों की सुविधा हेतु राज्य में प्रेस क्लबों की व्यवस्था | 01 वर्ष |
| | **योग अनुदान संख्या–14 लेखाशीर्षक–4059** | | – | **6317** | | | | | |
| | **सम्पूर्ण योग अनुदान संख्या–14** | | **707345** | **6317** | | | | | |

नोट– क0सं0 02 में अंकित 105 फिल्मों का निर्माण 06 फिल्म परिषद की स्थापना मानक मद–42 में प्रावधानित धनराशि 10लाख के सापेक्ष मात्र 1,हजार का आय–व्ययक का प्राविधान हुआ है।

# आउटकम बजट 2019–20

विभाग का नाम– सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित एस.डी.जी.–.......

## अनुदान संख्या : 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट (₹ हजार में) | | एस.डी.जी. Goal/Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.4.2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| (1) | **राज्य सेक्टर राजस्व लेखा शीर्षक– 2220–सूचना तथा प्रचार** 60–अन्य–800–अन्य व्यय–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कंपानेंट प्लान–01 गीत नाट्य योजना | अनसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों व उपलब्धियों का अनुचूति जाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार | 3300 | – | – | • अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित शासन के कार्यक्रमों व उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार हेतु विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के माध्यम से 459 कार्यक्रमों का आयोजन | – | • अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रति जन–जागरूकता | 01 वर्ष |

## अनुदान संख्या : 31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट (₹ हजार में) | | एस.डी.जी. Goal/Indicator | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.4.2018 की स्थिति (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| (1) | **राजस्व लेखा शीर्षक– 2220–सूचना तथा प्रचार –60–अन्य–** 796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना –01 गीत एवं नाट्य योजना | अनसूचित जन जातियों के कल्याण से संबंधित शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों व उपलब्धियों का अनुचूति जाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार | 1200 | – | – | • अनुसूचित जन जातियों के कल्याण से संबंधित शासन के कार्यक्रमों व उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार हेतु विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के माध्यम से 278 कार्यक्रमों का आयोजन | – | • अनुसूचित जन जातियों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों/ योजनाओं के प्रति जन–जागरूकता | 01 वर्ष |

# सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी(आई0टी0डी0ए0)

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0– SDG-1, SDG-5, SDG-9, SDG-11

(धनराशि लाख रुपये में)

| क्र सं. | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउटले/बजट | | SDG Goals/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट) वर्ष 2019–20 | 01.04.2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1. | क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन | योजना में स्वतंत्र सरकारी नेटवर्क स्थापित कर इसके माध्यम से G2C एवं G2G सेवायें उपलब्ध कराई जायेगी। | 1000.00 | 1500.00 | SDG 9 | • बैंडविड्थ अपग्रेडेशन तहसील/ब्लॉक– 10Mbps/34 MBPS - all 119 sites | बैंडविड्थ ब्लॉक/तहसील स्तर 2 Mbps to 10/34 MBPS - 89 sites | स्वान के अन्तर्गत कनेक्टेड राजकीय विभागों/कार्यालयों/इकाईयों के ई–शासन कार्य प्रणाली तथा कार्य सम्पादन में वृद्धि। | एक वर्ष |
| | | | | | | • बैंडविड्थ अपग्रेडेशन तहसील/ब्लॉक पोप– 34Mbps -- 28 sites | वर्टीकल बैंडविड्थ राज्य मुख्यालय से जनपद मुख्यालय स्तर 10 Mbps | | |
| | | | | | | • बैंडविड्थ अपग्रेडेशन जनपद 50Mbps - 13 DHQ | तकनीकी मानव संसाधन तैनात– 197 | | |
| | | | | | | • तकनीकी मानव संसाधन तैनात– 230 | प्वाइंट ऑफ प्रिर्जेन्स (पोप) केन्द्र– 133 | | |
| | | | | | | • प्वाइंट ऑफ प्रिर्जेन्स केन्द्र संचालन– 135 | हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी – 1278 | | |
| | | | | | | • हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी स्थापित–1000 | हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी में होस्ट– 3647 | | |
| | | | | | | • नेटवर्क का पूर्ण अपग्रेडेशन | NKN से एकीकरण जनपद मुख्यालय– 12 | | |
| | | | | | | | स्वान से आच्छादित मुख्य विभाग – 30 | | |
| 2. | राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण | राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहल से राज्य में आई0टी0 का सुदृढ़ीकरण। एस.डी.सी. का संचालन तथा एस.डी.सी. हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का संचालन। | 400.00 | | SDG 9<br>SDG 8<br>SDG 5 | • आई0टी0 भवन तथा आई0टी0डी0ए0 कार्यालय का संचालन एवं अनुरक्षण। | • सू0प्रौ0 के प्रशासनिक नियंत्रण में एजेंसी–आई.टी.डी.ए. का संचालन | सूचना प्रौद्योगिकी भवन में आई0टी0 की गतिविधियों–स्टेट डाटा सेंटर, स्वान संचालन केन्द्र से ई–गवर्नेन्स/ गुड गवर्नेन्स तथा नागरिकों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से सेवायें प्रदान करना। | एक वर्ष |
| | | | | | | • आई0टी0डी0ए0 पुर्नगठन – 35 | • मानव संसाधन – 20 | | |
| | | | | | | • भवन अनुरक्षण – 1 | • भवन अनुरक्षण – 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NTRO भारत सरकार से आरम्भ में पांच वर्ष तथा एन.सी.आई.आई.पी.सी. के साथ एक वर्ष के एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है, जिनके माध्यम से सूचना प्रौद्येगिकी भवन में ड्रोन तकनीकी पर शोध तथा प्रशिक्षण हेतु लैब एवं साईबर सिक्योरिटी पर प्रशिक्षण हेतु केन्द्र की स्थापना कर IT क्षेत्र के छात्रों / प्रोफेशनल को 6 माह का प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। | | | | • ई–गेटपास का संचालन 3 | • ई–गेटपास का संचालन सचिवालय–1 | मुख्यमंत्री डैश बोर्ड की स्थापना कर विभागों तथा परियोजनाओं की अनुश्रवण कर विभागीय कार्यक्षमता में वृद्धि, पारदर्शिता, एकाउण्टेबिलिटी में सुधार। | |
| | | | | | | • डैश बोर्ड पर विभागों के के.पी.आर. जोड़ना 15 | | | |
| | | | | | | • नेशनल इनफारमेशन सेंटर के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित नेटवर्क उपकरणों का अनुरक्षण– 1 जनपद | | जनपद हरिद्वार में एन.आई.आई. के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर तक हॉरिजोन्टल कनेक्टिविटी प्रदान करना। | |
| | | | | | | –NTRO, भारत सरकार के माध्यम से साईबर तथा ड्रोन प्रशिक्षण तथा शोध लैब का संचालन– 2<br><br>25–25 के बैच में छः माह का प्रशिक्षण | | राज्य में द्रोण तकनीकी पर शोधकर्ताओं तथा प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर– 50<br>साईबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर प्रदान करना – 50 | |
| 3. | नेशनल ई–गवर्नेन्स योजना | केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न अवयवों यथा– स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना, कॉमन सर्विस सेन्टरों की स्थापना, ई–डिस्ट्रिक्ट का क्रियान्वयन एवं राज्य में क्षमता विकास क्रियान्वयन | | 500.00 | SDG 8<br>SDG 9<br>SDG 5 | • स्टेट डाटा सेंटर – 01 SDC | SDC में विभागों को जोड़ना | राज्य के नागरिकों को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली राजकीय सेवाओं को नागरिकों के निकट इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराते हुए डिजिटल इण्डिया की परिकल्पना को पूर्ण करना।<br>नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता / गति तथा गुणवतता सुनिश्चित कर ई–गवर्नेन्स एवं गुड गवर्नेन्स की स्थापना।<br>CSC संचालन से ग्रामीण उद्यमियों को स्वरोजगार का साधन उपलब्ध कराना। | एक वर्ष |
| | | | | | | • कॉमन सर्विस सेंटर संचालन 10000 CSC | स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर – 7817 CSC | | |
| | | | | | | • सी.एस.सी. के माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विस्तार B2C & G2C | ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं हेतु अधिकृत सेंटर – 4191 CSC | | |
| | | | | | | • ई–डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत राज्यकीय सेवाओं का डिजिटाईजेशन 29 सेवायें | E-Dist के अन्तर्गत उपलब्ध सेवायें पौड़ी 16 अन्य 13 | | |
| | | | | | | • Common Application Portal (CAP) विकसित करना। | E-DIst में निस्तारित आवेदन–45.22 लाख | | |
| | | | | | | • CAP पर राज्य के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित चिन्हित सेवाओं को आरम्भ करना। | तहसील स्तर तक स्थापित E-Dist केन्द्रों– 131 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | राज्य के प्रमुख सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में वाई–फाई | राज्य प्रमुख कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों, ट्रेक रूट को वाई–फाई से आच्छादित किया जाना। | | 100.00 | SDG 9 | • राज्य के मुख्य कार्यालयों तथा ट्रेक रूट्स को वाई–फाई जोन से आच्छादित किया जायेगा– 8 | • राज्य के पर्यटन क्षेत्रों में वाई–फाई जोन की स्थापना– 2 | शासकीय कार्यों मु सुगमता तथा राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में विस्तार। | एक वर्ष |
| 5 | ब्लॉक / तहसील स्तर तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग | जनपद मुख्यालय, ब्लॉक एवं तहसील मुख्यालय तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम की स्थापना। | | 350.00 | SDG 9 | • वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम से आच्छादित स्थल (समस्त जनपद मुख्यालय, सचिवालय, तहसील तथा ब्लॉक मुख्यालय एवं हरिद्वार जनपद में ग्राम पंचायत स्तर तक)– 621 | • राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा जिला प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (डायट्स) एवं – 11 स्थल | ब्लॉक एवं तहसील स्तर तक परियोजनाओं/ कार्यो की समीक्षा एवं अनुश्रवण से राजकीय कार्यों में गति प्राप्त होगी, राजकीय सूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण होगा तथा ई–गवर्नेन्स एवं गुड गवर्नेन्स का विकास। | एक वर्ष |
| 6 | राज्य की आई0टी0 पॉलिसी के प्रतिपूर्ति/अनुदान | आई.टी. पोलिसी 2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत सू0प्रौ0 तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों को राज्य में निवेश हेतु आकर्षित किये जाने के लिए रियायत/अनुदान | 200.00 | | SDG 9 SDG 8 | आई.टी. पोलिसी 2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत सू0प्रौ0 तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों को राज्य में निवेश हेतु आकर्षित किये जाने के लिए अनुदान | – | सू0प्रौ0 तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों को राज्य में निवेश हेतु आकर्षित कर राज्य में रोजगार के अवसरों का सृजन किया जायेगा। | एक वर्ष |
| | **योग** | | **1600.01** | **2450.01** | | | | | |

## 2. वर्ष 2019–20 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं विश्व बैंक सहायतित पैरी अरबन क्षेत्रों हेतु पेयजल कार्यक्रम हेतु विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना

| क्र0 सं0 | योजना | योजना का उद्देश्य | आउट ले (₹ लाख में) | | एस0डी0जी0 Goal/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.04. 2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | केन्द्र पोषित–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) | ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यो को वृहद स्तर पर किया जाना। | ₹ 760.00 लाख) आई0ई0सी0 एवं प्रशासनिक व्यय का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है | 10850.00 (स्वजल परियोजना) | SDG 6.2 | ग्रामीण स्वच्छता के स्तर को बनाये रखे जाने हेतु कुल 1000 ग्राम पंचायतों जिनमें 50 ग्राम पंचायतों में ₹ 20.00 लाख, 150 ग्राम पंचायतों में ₹ 15.00 लाख, 400 ग्राम पंचायतों में ₹ 12.00 लाख तथा 400 ग्राम पंचायतों में ₹ 7.00 लाख प्रति ग्राम पंचायत की दर से ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबन्धन गतिविधियों के माध्यम से आधार–भूत ढॉचों को निर्मित कराये जाने का प्रस्ताव है। उक्त के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2018–19 की अवशेष कार्यों को भी पूर्ण कर लिया जायेगा। | राज्य की 50 ग्राम पंचायतों हेतु डी0पी0आर0 तैयार की गयीं थी (AIP के अनुसार लक्ष्य 2487 ग्राम पंचायतों का था) | ग्रामीण स्वच्छता के स्तर को बनाये रखे जाने हेतु कुल 1000 ग्राम पंचायतों जिनमें सम्मिलित 50 ग्राम पंचायतों में ₹ 20.00 लाख, 150 ग्राम पंचायतों में ₹ 15.00 लाख, 400 ग्राम पंचायतों में ₹ 12.00 लाख तथा 400 ग्राम पंचायतों में ₹ 7.00 लाख प्रति ग्राम पंचायत की दर से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन गतिविधियों के माध्यम से आधार–भूत ढॉचों को निर्मित कराये जाने का प्रस्ताव है। | 31 मार्च 2020 |

| क्र0 सं0 | योजना | योजना का उद्देश्य | आउट ले (₹ लाख में) | | एस0डी0 जी0 Goal/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.04. 2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | | | | 5000.00 (एकमुश्त धनराशि का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है) | | | | ओ0डी0एफ0 गतिविधियों के अन्तर्गत नवीन बढ़े हुए परिवारों के शौचालय आच्छादन करना, क्षतिग्रस्त शौचालयों का पुर्ननिर्माण, सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के दीर्घकालिक स्थायित्व को बनाये रखने हेतु कार्य करना। | 31 मार्च 2020 |
| | | सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्सों का निर्माण | | | | 2000 समुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्सों का निर्माण किया जाने का प्रयास किया जायेगा। | पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायम में कम से कम एक सा0 स्व0 काम्प्लेक्सों का निर्माण किया जाना है। | 2000 समुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्सों का निर्माण किया जाने का प्रयास किया जायेगा। | 31 मार्च 2020 |

| क्र0 सं0 | योजना | योजना का उद्देश्य | आउट ले (₹ लाख में) | | एस0डी0जी0 Goal/ Indicators | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20 | 1.04. 2018 की स्थिति (बेस लाइन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 2 | **स्वजल निदेशालय के** प्रशासनिक व्ययों हेतु | | **1000.00** (स्वजल निदेशालय के अन्तर्गत राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एवं स्वजल की इकाईयों हेतु सृजित पदों के प्रशासनिक व्ययों हेतु धनराशि रू0 1000.00 लाख का अतिरिक्त प्राविधान का भी प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया है।) | - | | | | | |
| 2 | **विश्व बैंक सहायतित** उत्तराखण्ड पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम (अर्द्धशहरी क्षेत्र) हेतु | 35 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की 516222 जनसंख्या को 100–135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना। | | राज्य सरकार द्वारा प्रथम दो वर्षो हेतु 15–15 मिलियन धनराशि (लगभग ₹ 10000.00 लाख) उपलब्ध कराया जाना निश्चित है जिसमें ₹ 8800.00 लाख संरचनाओं के निर्माण एवं ₹1200.00 क्षमता विकास एवं प्रशासनिक व्ययों हेतु प्रस्तावित हैं। | SDG 6.2 | लगभग 15 पेयजल योजनाएँ आरम्भ की जा सकेंगी।<br><br>(माह मार्च 2019 तक कुल 06 पेयजल योजनाओं हेतु टेंडर प्रकाशित किये जायेंगे) | | लगभग 15 पेयजल योजनाएँ आरम्भ की जा सकेंगी। | 31 मार्च 2020 |

# होमगार्ड्स विभाग

(धनराशि (रू0 लाख में)

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी. गोल्स / इन्डीकेटर्स | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | 01–04–2018 की स्थिति, (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| State Sector Scheme | | | | | | | | |
| अनुदान सं0–06 लेखा शीर्षक–2070–00–आयोजनेत्तर–107–होमगार्ड्स | | | | | | | | |
| 03–सामान्य अधिष्ठान | होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के ड्यूटी भत्ते के भुगतान एवं मुख्यालय तथा जनपदीय कार्यालयों का रख रखाव। | 7185.00/– | – | 5.5a-seat held by women as homeguards volunteers | 5000 होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के ड्यूटी भत्ते का भुगतान एवं अधिष्ठान व्यय सम्मिलित है। | 3.7 प्रतिशत (Numbers are fixed) | उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 5000 होमगार्ड्स वर्ष भर तैनात रहते हैं। वह पुलिस, प्रशासन को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। उनके द्वारा पुलिस बल के साथ शांति व्यवस्था, यातायात आदि ड्यूटियां की जाती हैं। | 01 वर्ष |
| 05–लोक सभा निर्वाचन | लोक सभा निर्वाचन में होने वाला व्यय सम्मिलित है। | 423.00/– | – | – | आगामी लोक सभा निर्वाचन 2019 हेतु 5000 होमगार्ड्स योजित किया जाना है, जिस कारण से वित्तीय वर्ष 2019–20 में धनरशि की आवश्यकता है। | – | – | 01 वर्ष |
| 09–होमगार्ड्स कल्याण कोष की स्थापना | होगार्ड्स स्वयं सेवकों के कल्याण के लिये होने वाला व्यय सम्मिलित है। | 40.00/– | – | 1–लाभार्थियों की संख्या | 6411 होमगार्ड्स के ड्यूटी के दौरान मृत्यु, घायल होने, बीमार होने पर कल्याण कोष से एक निश्चित धनराशि होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को दी जाती है। | 38 | होमगार्ड्स स्वयं सेवकों एवं उनकें आश्रितों को किसी आकस्मिक परिस्थितियों पर इस कोष से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। | 01 वर्ष |
| 10–होमगार्ड्स बीमा हेतु प्रिमियम अदायगी | ड्यूटीरत होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के बीमा हेतु किये जाने वाला व्यय सम्मिलित है। | 50.00/– | – | 1–लाभार्थियों की संख्या | ड्यूटीरत होमगार्ड्स जवानों के लिये दुर्घटना से मृत्यु अथवा अपंगता होने पर बीमित धनराशि उनके आश्रितों को दी जाती है। | 02 | होमगार्ड्स स्वयं सेवकों एवं उनके आश्रितों को आकस्मिक परिस्थितियों पर बीमा के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुये बीमा की धनराशि प्रदान की जाती है। | 01 वर्ष |

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी. गोल्स /इन्डीकेटर्स | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | 01–04–2018 की स्थिति, (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| अनुदान सं0–06 लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजिगत परिव्यय–60–051–निर्माण–00 आयोजनागत–12–जिला होमगार्ड्स कार्यालयों, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुख्यालय के अनावासीय भवनों का निर्माण | | | | | | | | |
| 24–वृहद् निर्माण | जिला होमगार्ड्स कार्यालयों, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुख्यालय के अनावासीय भवनों का निर्माण पर होने वाला व्यय सम्मिलित है। | – | 150/– | – | केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, ऊधमसिंहनगर, जनपद उत्तरकाशी तथा जनपद हरिद्वार के जिला कार्यालयों का निर्माण किया जाना है। | – | विभागीय भवन होने से कार्मिकों के बैठने हेतु पर्याप्त स्थान, उपलब्ध होगा। कार्यालय उपकरणों, वर्दी आदि रखने हेतु स्टोर होने से सरकारी सामग्रियों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। विभागीय भवन होने से विभाग की छवि में वृद्धि होगी। | 01 वर्ष |
| Center Aided Scheme | | | | | | | | |
| अनुदान सं0–06 लेखा शीर्षक–2070–00–आयोजनेत्तर–107–होमगार्ड्स– | | | | | | | | |
| 04–भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति वाला व्यय (25 प्रतिशत) | होमगार्ड्स विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन भत्ते का भुगतान, कार्यालयों के अधिष्ठान हेतु व्यय, होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण, वर्दी आदि क्रय पर होने वाला व्यय सम्मिलित है। | 833.53/– | – | 1–प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | इस योजना से प्राप्त धनराशि से लगभग 600 होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण, 5000 होमगार्ड्स स्वयं सेवकों हेतु वर्दी आदि क्रय तथा होमगार्ड्स विभाग में कार्यरत 105 अधिकारी एवं कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान किया जाना है। | 356 | होमगार्ड्स स्वयं सेवकों का समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान किये जाने से उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, जिसका उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे वह अपने कर्तव्यों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करते हैं। | 01 वर्ष |
| | | | | | | | | |

# नागरिक सुरक्षा विभागः— अनुदान सं0—06

धनराशि (लाख में)

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | | एस.डी.जी. गोल्स /इन्डीकेटर्स | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | 01—04—2018 की स्थिति, (बेस लाईन) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| | Center Sector Scheme | | | | | | | |
| अनुदान सं0—06 लेखा शीर्षक—2070—00—आयोजनेत्तर—106—सिविल रक्षा—00—आयोजनेत्तर | | | | | | | | |
| 0301 स्थापना (25 प्रतिशित केन्द्रीय सहायता) | नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन भत्ते, अधिष्ठान व्यय, नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण, स्वयं सेवकों के वर्दी आदि कय पर होने वाला व्यय सम्मिलित है। | 94.28/— | — | 1—प्रशिक्षणार्थियों की संख्याः | इस योजना से प्राप्त धनराशि से लगभग 200 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण, 400 नागरिक सुरक्षा के वार्डन स्वयं सेवकों हेतु वर्दी आदि कय एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में कार्यरत 11 अधिकारी एवं कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान किया जाना है। | 193 | नागरिक सुरक्षा के अधिकारियों एवं कार्मिकों तथा उनके सवयं सेवकों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यकमों को आयोजित किया गया एवं आपदा के दौरान अपेक्षित सहयोग प्रदान किया गया। मतदान कार्यकमों को सकुशल सम्पादित किया गया। | 01 वर्ष |

# भाग–4

## योजनावार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति का विवरण (वर्ष 2018–19)

(रू0 लाख में)

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | उपलब्धि | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | उपलब्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | |
| | State Sector Scheme | | | | | | |
| राजस्व | अनुदान सं0–06 लेखा शीर्षक–2070–00–आयोजनेत्तर–107–होमगार्ड्स | | | | | | |
| 03–सामान्य अधिष्ठान | इस योजना के अन्तर्गत होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के ड्यूटी भत्ते के भुगतान एवं मुख्यालय तथा जनपदीय कार्यालयों को सुचारू रूप से चलाये जाने हेतु व्यय सम्मिलित है। | 7798.00 / – | – | इसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिदिन लगभग 5000 होमगार्ड्स स्वयं सेवक ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। उनके ड्यूटी भत्ते का भुगतान इसी योजना से प्राप्त धनराशि से उनके ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाता है। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों का सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये 13 जनपदीय कार्यालय, 02 मण्डलीय कार्यालय, 02 जिला प्रशिक्षण केन्द्र, 01 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है, जिनका नियंत्रण होमागार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है। इस योजना से प्राप्त होने वाली धनराशि को होमगार्ड्स विभाग के सभी कार्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिये व्यय किया जाता है। | पूर्ण | उत्तराखण्ड राज्य में लगभग शांति व्यवस्था ड्युटी में 3000, यातायात व्यवस्था में 1500, सचिवालय व विधान सभा में 300, अन्य संस्थान में 500, होमगार्ड्स वर्ष भर तैनात रहे। विधान सभा चुनाव में लगभग 5000 होमगार्ड्स ड्यूटीरत रहें। परीक्षा ड्युटी में 1500 होमगार्ड्स 01 माह के लिये, यात्रा सीजन 1200 होमगार्ड्स 06 माह के लिये, उनके द्वारा पुलिस, प्रशासन को सहयोग प्रदान किया। उनके द्वारा पुलिस बल के साथ शांति व्यवस्था बनाये रखने, यातायात को सुचारू रूप से नियंत्रित करने, विभिन्न धार्मिक आयोजनों जैसे– मेले, त्यौहारों आदि में सामुदायिक सौहार्द बनाये रखने में सहयोग प्रदान किया गया। | पूर्ण |
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | |
| 09–होमगार्ड्स कल्याण कोष की स्थापना | इस योजना के अन्तर्गत होगार्ड्स स्वयं सेवकों के कल्याण के लिये होने वाला व्यय सम्मिलित है। | 40 / – | – | उत्तराखण्ड राज्य में 5000 होमगार्ड्स वर्ष भर तैनात रहते हैं। ड्यूटी के दौरान मृत्यु, घायल होने, बीमार होने पर कल्याण कोष से एक निश्चित धनराशि होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को दी जाती है। इस कोष से होमगार्ड्स विभाग के सदस्यों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति दी जाती है। होमगार्ड्स विभाग में आयोजित होने वाली रैतिक परेड, खेल कूद के लिये एक सहायता राशि दी जाती है। | पूर्ण | होमगार्ड्स स्वयं सेवकों एवं उनकें आश्रितों को इस कोष के अन्तर्गत रू0 65,64,407 / – की आर्थिक सहायता दी गयी। | पूर्ण |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10–होमगार्ड्स बीमा हेतु प्रिमियम अदायगी** | इस योजना के अन्तर्गत ड्यूटीरत होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के बीमा हेतु किये जाने वाला व्यय सम्मिलित है। | 50/– | – | ड्यूटीरत होमगार्ड्स जवानों के लिये दुर्घटना से मृत्यु अथवा अपंगता होने पर रू0 10,00,000/– की बीमित धनराशि उनके आश्रितों को दी जाती है। | पूर्ण | 3 होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुये बीमा की धनराशि प्रदान की गयी। | पूर्ण |
| **अनुदान सं0–06 लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजिगत परिव्यय–60–051–निर्माण–00 आयोजनागत–12–जिला होमगार्ड्स कार्यालयों, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुख्यालय के अनावासीय भवनों का निर्माण** | | | | | | | |
| **24–वृहद् निर्माण** | इस योजना के अन्तर्गत जिला होमगार्ड्स कार्यालयों, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुख्यालय के अनावासीय भवनों का निर्माण पर होने वाला व्यय सम्मिलित है। | – | 126/– | होमगार्ड्स विभाग में सभी जनपदों में कार्यालयों के निर्माण हेतु भूमि आवंटित है। जिनका निर्माण किया जाना है। केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में बैरिकों का निर्माण, फायर ट्रेनिंग प्लेटफार्म, रैस्क्यू टावर का निर्माण किया जाना है। | – | होमगार्ड्स विभाग के जनपदीय कार्यालय इकाई किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं। विभागीय भवन होने से कार्मिकों के बैठने हेतु पर्याप्त स्थान, उपलब्ध होगा। कार्यालय उपकरणों, वर्दी आदि रखने हेतु स्टोर होने से सरकारी सामग्रियों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। | – |
| | | **राजस्व** | **पूंजीगत** | | | | |
| Center Aided Scheme | | | | | | | |
| अनुदान सं0–06 लेखा शीर्षक–2070–00–आयोजनेत्तर–107–होमगार्ड्स | | | | | | | |
| **04–भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति वाला व्यय (25 प्रतिशत)** | इस योजना के अन्तर्गत होमगार्ड्स विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन भत्ते का भुगतान, कार्यालयों को सुचारू रूप से चलाने हेतु व्यय, होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण, होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के वर्दी आदि क्रय पर होने वाला व्यय सम्मिलित है। | 887.88/– | – | इस योजना से प्राप्त धनराशि से होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। 5000 होमगार्ड्स स्वयं सेवकों हेतु वर्दी आदि क्रय की जानी है। होमगार्ड्स विभाग में कार्यरत 75 अधिकारी एवं कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान किया जाना है। | पूर्ण | इस वित्तीय वर्ष में 345 होमगार्ड्स द्वारा प्रशिक्षण लिया गया। वर्दी धारी संगठन होने के कारण होमगार्ड्स जवानों के लिये प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। होमगार्ड्स स्वयं सेवकों का समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान किये जाने से उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, जिसका उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे वह अपने कर्तत्यों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करते हैं। इस वित्तीय वर्ष में वर्दी की सामग्री क्रय की गयी। अच्छे टर्न आउट से होमगार्ड्स स्वयं सेवक समाज में कार्य कुशल होने का संदेश देते हैं, जिससे विभाग एवं राज्य की ख्याति बढ़ती है। | पूर्ण |

# नागरिक सुरक्षा विभागः– अनुदान सं0–06

धनराशि (रू0 लाख में)

| योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले | | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | उपलब्धि | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | उपलब्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | | | | |
| | Center Sector Scheme | | | | | | |
| अनुदान सं0–06 लेखा शीर्षक–2070–00–आयोजनेत्तर–106–सिविल रक्षा–00–आयोजनेत्तर | | | | | | | |
| 03–स्थापना (25 प्रतिशित केन्द्रीय सहायता) | इस योजना के अन्तर्गत नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन भत्ते का भुगतान, कार्यालयों को सुचारू रूप से चलाने हेतु व्यय, नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण, स्वयं सेवकों के वर्दी आदि क्रय पर होने वाला व्यय सम्मिलित है। | 91.71/– | – | इस योजना से प्राप्त धनराशि से लगभग 200 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। 200 नागरिक सुरक्षा के वार्डन स्वयं सेवकों हेतु वर्दी आदि क्रय की जानी है। होमगार्ड्स विभाग में कार्यरत 11 अधिकारी एवं कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान किया जाना है। | पूर्ण | नागरिक सुरक्षा के अधिकारियों एवं कार्मिकों तथा उनके सवयं सेवकों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्य क्रम आयोजित किये जाते हैं। नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों के लिये प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों का समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान किये जाने से उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, जिसका उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे वह अपने कर्तत्यों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करते हैं। | पूर्ण |

# भाग—5

## योजनावार वित्तीय समीक्षा (2018—19)

### होमगार्ड्स विभागः—

अनुदान सं0—06 लेखाशीर्षक—2070—अन्य प्रशासनिक सेवाये—00—107—होमगार्ड्स—

(रू0 लाख में)

| क.सं. | योजना का नाम | बजट प्राविधान | बजट निर्गत | माह जनवरी 2019 तक का व्यय | अवशेष। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03—सामान्य अधिष्ठान | 7798.00/— | 7798.00/— | 5128.94/— | 2669.55/— |
| 2 | 04—भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति वाला व्यय (25 प्रतिशत) | 887.88/— | 887.88/— | 483..67/— | 404.20/— |
| 3 | 09—होमगार्ड्स कल्याण कोष की स्थापना | 40/— | 40/— | 40/— | 0 |
| 4 | 10—होमगार्ड्स बीमा हेतु प्रिमियम अदायगी | 50/— | 50/— | 47.28/— | 2.71/— |

अनुदान सं0—06 लेखाशीर्षक—4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजिगत परिव्यय—60—051—निर्माण—00 आयोजनागत—12—जिला होमगार्ड्स कार्यालयों, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुख्यालय के अनावासीय भवनों का निर्माण

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24—वृहद् निर्माण | 350/— | 126/— | 126/— | 0/— |

### नागरिक सुरक्षा विभागः—

अनुदान सं0—06 लेखाशीर्षक—2070—अन्य प्रशासनिक सेवाये—00—106—सिविल रक्षा—

| क.सं. | योजना का नाम | बजट प्राविधान | बजट निर्गत | माह जनवरी 2019 तक का व्यय | अवशेष। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03—स्थापना (25 प्रतिशित केन्द्रीय सहायता) | 91.71/— | 91.71/— | 56.15/— | 35.55/— |

# होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं

(धनराशि लाख रु0 में)

| क0 सं0 | योजना का नाम | योजनाकाउद्देश्य | आउटले / बजट | | एस0डी0जी0Goals/Indicator | परिकल्पितआउटपुट वर्ष 2019–20 | 1–4–2018 की स्थिति(बेस लाइन) | परिकल्पितआउट कम | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 01 | निदेशनतथाप्रशासन | प्रदेश की समस्तजनताकोहोम्योपैथिकचिकित्सापद्धतिकालाभदेनेहेतुविभागमेंमानवसंसाधन की समुचितव्यवस्थाकियाजाना।विभाग के विभिन्नकार्योहेतुनीतिनर्धारणकरना एवंविभाग की विभिन्नस्तरकीइकाइंयोंपर नियत्रण | 195.10 | 0 | | कुल 31 पदोंकाअधिष्ठान निदेशालय स्तरपरकुल 31 पद स्वीकृतहैं, जिनके द्वाराउत्तराखण्डराज्य मेंसंचालितहोम्योपैथिक चिकित्सालयोंजिलाहोम्योपैथिकचिकित्साअधिकारीकार्यालयों, कर्मचारियों एवंअधिकारियोंपरनियंत्रण रख उचितदिषा–निर्देषन के साथजनमानसकोउचितचिकित्सासुविधाउपलब्ध करानाहै | कुलसृजित 31 पदों के सापेक्ष कुलआठकर्मचारीआउटसोर्सिंगसेतथा छः नियमितअधिकारी एवंकर्मचारीकार्यरत | योजनासेचिकित्सा अधिकारी एवंभेषजिकतथाअन्यरिक्तपदोंपरनियुक्त / पदोन्नतिसेजिलाकार्यालयों एवंचिकित्सालयोंमें मानवसंसाधनो की कमीदूरहोगी, जिससेगतवर्ष की तुलनामेंउपचारितरोगियों की संख्या मेंवृद्धि काअनुमानहै एवंअन्य समस्तकार्योंकासम्पादनसुचारू रूपसेहोगा | 2019–20 |
| 02 | अस्पताल एवंऔषधालय शहरी | जनसामान्य कोसामान्य एवंविषिष्टचिकित्सासुविधाउपलब्ध करानेहेतु शहरी क्षेत्रोंमेंस्थापितचिकित्सालयोंमेंआवष्यक सुविधाएं / षंसाधनउपलब्ध कराना एवंनयेंचिकित्सालयों | 1040.41 | 0 | | उत्तराखण्डराज्य में 13 जिलाचिकित्सालयों एवंअन्य शहरीराजकीय होम्योपैथिकचिकित्सालयों एवंजिलाचिकित्सालयों मेंस्थापितत्वचारोगकेंद्रोंतथा आर0सी0एच0 | जनपदस्तरपर 13 जिलाहोम्योपैथिकचिकित्साअधिकारियों के पद के सापेक्ष पांचरिक्त एवं 13 जिलाचिकित्सालयोंमेंकुल13चिकित्सा अधिकारियों के पदों13चिकित्साअ | वर्तमानमें शहरी क्षेत्रोंमेंउपलब्ध होम्योपैथिकचिकित्सालयोंकोसफलसंचालन एवंप्राथमिकव द्वितीय स्तर की चिकित्सासुविधाओं काविस्तारतथापर्याप्तऔषधियों की | 2019–20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कानिर्माणस्थापनातथा सुदृढ़ीकरण / उच्चीकरण | | | | विगों के माध्यम सेप्रदेष की शहरीजनताकोसस्तीसुलभ एवंकारगरहोम्योपैथिक चिकित्सासुविधाउपलब्ध कराना | धकारीतैनातइसके अतिरिक्त 97 अन्य चिकित्सालयोंमें90चिकित्साअधिकारी एवं 97भेषजिककार्यरत तथाजिलाकार्याल | आपूर्तिकरअधिकसेअधिकरोगियोंकाहोम्योपैथिकचिकित्सापद्धतिसेउपचारिकयाजाएगा | |
| 03 | अस्पताल एवंऔषधालय ग्रामीण | प्रदेशमेंग्रामीण क्षेत्रोंमेंनिवासकरनेवालेजनसामान्य कोहोम्योपैथिकचिकित्सासुविधाउपलब्ध करानेहेतु प्रा0स्वा0केंद्रों, सामु0स्वा0केंद्रों परतथाअन्य ग्रामीण क्षेत्रोंमेंचिकित्सालयों कासफलसंचालनतथा नयेंचिकित्सालयोंकानिर्माण, स्थापना एवंसुदृढ़ीकरण | 1930.91 | 0 | | उत्तराखण्डप्रदेश के पर्वतीय दूर–दराज एवंअसेवितचिकित्सासुविधाविहीनग्रामीण क्षेत्रोंमेंनयेंहोम्योपैथिकचिकित्सालयों की स्थापनाकरहोम्योपैथिकचिकित्सासुविधाउपलब्ध कराना एवंवर्तमानसंचालितचिकित्सालयोंमेंउचितसुविधायें एवंऔषधियों की व्यवस्थाकरनाजिससे जनसामान्य कोउचितचिकित्सासुविधाकालाभ मिल सके। | योंमें 26 मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पदो के सापेक्ष 15 कर्मचारीकार्यरत 11 रिक्त पद तथा 13 वाहनचालक एवं 127 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदो के सापेक्ष 124 कर्मचारीकार्यरतहैं। | ग्रामीण क्षेत्रोंमें द्वितीय एवंप्राथमिकस्तरकी चिकित्सासुविधाउपलब्ध करायीजारहीहै।पुरुषों, महिलाओं एवंबच्चों के लिए होम्योपैथिकऔषधियांसरल एवंसुरक्षितहैं, जिससे उन परकोईप्रतिकूलप्रभावभीनहींपड़ेगासाथहीचिक्त्सालयोंमें औषधियों एवंअन्य सामग्री की उचितव्यवस्थाकर अधिकसेअधिकजनमानसकाउपचार करवर्तमानवर्ष की तुलनामेंरोगी संख्या मेंवृद्धि | 2019—20 |
| 04 | जनजाति उपक्षेत्र | उत्तराखण्डप्रदेष के अनुसूचितजनजातिबा | 25.27 | 0 | | जनजाति उपक्षेत्र योजना (टी0एस0पी0) | जनजाति उपक्षेत्र योजना के | अनुसूचितजनजातिबाहुल्य क्षेत्र की | 2019—20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | हुल्य क्षेत्रोंमेंहोम्योपैथिकचिकित्सासुविधाउपलब्ध कराना | | | | के अन्तर्गततीन पद स्वीकृतहैं, जिनके द्वारादेहरादूनजनपद के कालसी क्षेत्र मेंसंचालितराजकीय होम्योपैथिकचिकित्सालय द्वाराजनजातिबाहुल्य क्षेत्र की जनताकोहोम्योपैथिकचिकित्सासुविधासेलाभान्वितकरना | अन्तर्गतस्थापितराजकीय होम्योपैथिकचिकित्सालय कालसीमें 3 पद सृजितहैं, जिसकेसापेक्ष वर्तमानमें एक चिकित्साधिकारी एवंभेषजिकतथा एक कक्ष सेवकतैनात | जनताकोसस्तीसुलभचिकित्सासुविधाउपलब्ध करायीजासकेगीतथाचालूवित्तीय वर्ष की तुलनामेंउपचारितरोगियों की संख्या मेंवृद्धि का लक्ष्य निर्धारितकियागया है। | |
| 05 | होम्योपैथिकचिकित्सा बोर्डकाअनुरक्षण | होम्यपैथिकचिकित्सा बोर्ड द्वाराप्रदेषमेंहोम्योपैथिकचिकित्सकों एवंभेषजिकोंकापंजीकरणकरना | 14.95 | 0 | | कुलचारपदोंकाअधिष्ठान | कुलचारस्वीकृतपदों के सापेक्ष एक कार्यवाहकराजिस्टार, एक कनिष्ठसहायकतथा एक अनुसेवकआउटसोसिंगसेकार्यरत | वित्तीय वर्ष 2019–20 मेंहोम्योपैथिकचिकित्साबोर्डमेंऑनलाइनपंजीकरण की व्यवस्था की जानीप्रस्तावितहै | 2019–20 |